

षोडश माला, खंड 8, अंक 19

शुक्रवार, मार्च 20, 2015
29 फाल्गुन, 1936 (शक)

**लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)**

**चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)**



(खंड 8 में अंक 10 से 20 तक हैं)

**लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली**

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2015 / 1936 (शक)
अंक 19, शुक्रवार, मार्च 20, 2015 / 29 फाल्गुन, 1936 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
^{1*} तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 345	12-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 346 से 360	40
अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140	

^{1*} किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	41-59
राज्य सभा से संदेश	59
कार्य मंत्रणा समिति 15वां प्रतिवेदन	60
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	61
(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति श्री अरुण जेटली	61
(दो) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' संबंधी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति श्री राजीव प्रताप रूडी	61
(तीन) इंडियन मर्चेन्ट नेवी के कैडेट/प्रशिक्षुओं के निमित्त ऑन बोर्ड पोत प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की वित्तीय सहायता योजना के बारे में श्री नितिन गडकरी	66-67
सदस्य द्वारा निवेदन जम्मू और कश्मीर में कठुआ में आतंकवादी हमले के बारे में	62-64

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में कृषि की स्थिति	69
श्री पी.पी. चौधरी	69-72
श्री नारणभाई काछड़िया	73
एडवोकेट जोएस जॉर्ज	74-77
श्री राकेश सिंह	78-82
श्री बीरेंद्र कुमार चौधरी	83
श्री कौशल किशोर	84-86
श्री पी.के. बिजू	87-89
डॉ. किरिट पी. सोलंकी	90
श्रीमती रंजीत रंजन	91-93
श्री आर.के. भारती मोहन	94-95
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	96-98
श्री दुष्यंत चौटाला	99-101
श्री नित्यानंद राय	102-103
श्री कामाख्या प्रसाद तासा	104-105
श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान	106-107
श्री जुगल किशोर	111-112
श्री गौरव गोगोई	113-116
श्री दद्वन मिश्रा	117-120
डॉ. के. गोपाल	121-125

श्री वाई .वी. सुब्बारेड्डी	126-128
श्रीमती प्रतिमा मण्डल	129-130
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	131-134
श्री राहुल कस्वां	135-137
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	138-139
श्री सी. महेंद्रन	140-142
प्रो. चिंतामणि मालवीय	143-144
डॉ. (श्रीमती) ममताज संघमिता	145-146
श्री तथागत सत्पथी	147-150
श्री सुमेधानन्द सरस्वती	151-153
श्रीमती अनुप्रिया पटेल	154-155
श्री अजय मिश्रा टेनी	156-159
डॉ. भागीरथ प्रसाद	160
श्री सी.आर. चौधरी	161-163
श्री रमेश चन्द्र कौशिक	164-165
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	166-168
श्री लल्लू सिंह	169-170
श्री मुकेश राजपूत	171-173
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	174-176
श्री जगदम्बिका पाल	177-179
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	180-182

श्रीमती संतोष अहलावत	208-209
श्री अशोक महादेवराव नेते	210-211
श्रीमती रीती पाठक	212
श्रीमती अंजू बाला	213-214
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	215-222

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक 108-110

अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां (कर का अधिरोपण) विधेयक, 2015 183

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 184-190
(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन 189-190

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 191-191

श्री के. एन. रामचंद्रन 192

श्री भर्तृहरि महताब 194-195

श्री मोहम्मद सलीम 196-197

श्री आनंदराव अडसुल 197

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 198-201

खंड 9, 14 और 15 202-205

पारित करने के लिए प्रस्ताव 206

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 8वें
प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 223

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प 224-280

(एक) युवाओं में तकनीकी कौशल विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना, जिससे वे भारत को एक आधुनिक देश बनाने तथा 'भारत में बनाओ' के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें।

श्री सी.आर. पाटिल	224-230
श्री अधीर रंजन चौधरी	231-237
श्री रतन लाल कटारिया	238-240
डॉ. (श्रीमती) ममताज संघमिता	241-244
डॉ. मनोज राजोरिया	245-249
श्री एसएस अहलुवालिया	250-251
श्री बलभद्र माझी	252-254
श्री जगदम्बिका पाल	255-258
श्री प्रेम दास राई	259-261
श्री प्रहलाद सिंह पटेल	262-264
श्री संतोख सिंह चौधरी	265-266
श्री मनोज तिवारी	267-268
श्री राजेश रंजन	269-271
श्री राजीव प्रताप रूडी	234-237, 271-280
संकल्प - वापस लिया गया	

(दो) कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए।

श्री निशिकांत दुबे

281

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 20 मार्च 2015 / 29 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्न संख्या 341, श्री राहुल शेवालो।

(प्रश्न संख्या 341)

[हिन्दी]

श्री राहुल शेवाले: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि एफ एम. रेडियो चरण -3 के लिए अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति धारक वही कार्य और विज्ञापन कोड का पालन करेंगे जो ऑल इंडिया रेडियो पालन करता है परंतु वर्तमान में कई एफ.एम चैनल्स इन नॉर्म्स का पालन नहीं करते। आज देश में सभी एफ.एम. चैनल्स पारिवारिक परिवेश में सुने जाते हैं परंतु एफ.एम. रेडियो चैनल अपने कार्यक्रमों में अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं रखता। आशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी का मजाक उड़ाना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना आज एफ.एम. चैनल का एक फैशन बन गया है। इसमें कई उदाहरण हैं, जैसे किसी का बेंड बजाना या किसी का मुर्गा बजाना। हंसी मजाक की आड़ में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इनके कंटेंट को जांचने के लिए एक सरकारी तंत्र का होना आति आवश्यक है। यदि इनके कार्यक्रमों में एक सेंसर लगाया जाए तो इस अभद्रता को रोका जा सकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन मानदंडों के अनुपालन एवं इन पर नियंत्रण करने के लिए सेंसर करने का क्या कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और मानदंडों को सख्ती से पालन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि इस सवाल का मूल सवाल से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य के लिए यह कहना चाहूंगा कि हर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एक एग्रीमेंट करता है जिसे 'गोपा' कहते हैं यानी परमिशन एग्रीमेंट कहते हैं। ग्रान्ट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो की जो गाइडलाइन्स होती हैं, उसी के ऊपर ही वे हस्ताक्षर करते हैं। उसी के हिसाब से ही उनका ब्रॉडकास्ट हो सकता है। अगर सरकार के पास कोई शिकायत आती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर एक कमेटी है, वह उसके ऊपर एक्शन लेती है और 90 दिन का ब्रॉडकास्ट रिकार्ड करके रखा जाता है यानी पिछले दिनों में भी यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो उसको भी देखा जाता है।

श्री राहुल शेवाले: माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एफ.एम. रेडियो चैनल थर्ड में बिडिंग में विभिन्न शहरों को जिन श्रेणियों में बांटा गया, उनका रिजर्व प्राइस किस आधार पर निर्धारित किया गया और क्या मापदंड अपनाये गये तथा कैटेगरी किस आधार पर तय की गई थी?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि शहरों को ए,बी,सी और डी श्रेणी में कैटेगरीज किया गया है। जो एक लाख से तीन लाख तक की आबादी के शहर हैं, वे कैटेगरी डी में हैं, तीन लाख से दस लाख तक की आबादी के शहर कैटेगरी सी में हैं, दस लाख से बीस लाख तक की आबादी के कैटेगरी बी में हैं, बीस लाख से ऊपर कैटेगरी ए में हैं और मेट्रो शहर अलग हैं। वर्ष 2011 के अंदर इनका रिजर्व प्राइस तय किया गया था। उस समय उन शहरों को, जिन शहरों में पहले से एफ.एम. था, उन शहरों में 2005 यानी फेज-2 पालिसी जब लांच की गई थी तो 2005 में जो सबसे ज्यादा ऊंची प्राइस थी, उसे 2011 में रिजर्व प्राइस माना गया। जो नये शहर हैं, उन पर अभी भी टी.आर.ए.आई. से रिक्मेंडेशंस आनी बाकी हैं, नये शहर अभी लिये जायेंगे। इस तरह से इन्हें कैटेगरीज किया गया है और इस तरह से उनकी रिजर्व प्राइस तय की गई है।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदया, इससे पहले कि मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछूं, कृपया मुझे अपना प्रश्न तैयार करने दें। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। क्या यह विचित्र और अप्रचलित नहीं है कि हमारे देश में जब 406 टीवी चैनल हैं जो स्वतंत्र रूप से समाचार और समसामयिक विषयों का प्रसारण कर सकते हैं, तो हम एफ.एम. रेडियो चैनलों को स्वतंत्र समाचार प्रसारित करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? हमारे पास प्रिंट मीडिया है जो 40 करोड़ परिसंचरण की पूर्ति करता है। बांग्लादेश में, सामुदायिक रेडियो स्वतंत्र समाचार प्रसारित कर सकता है। अमेरिका में, 14,000 रेडियो स्टेशन हैं जो स्वतंत्र समाचार प्रसारित कर सकते हैं। इटली, फ्रांस, ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया में हमारे 1000 से अधिक रेडियो स्टेशन हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि भारत सरकार, विशेष रूप से नई सरकार, जो पारदर्शिता में विश्वास करती है, एफ.एम. रेडियो चैनलों को अपनी स्वतंत्र खबरों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं देना चाहती है? ऐसा क्यों है कि सरकार इन एफ.एम. रेडियो को मूलतः वही दोहराने वाला बनाना चाहती है जो वे कहना चाहते हैं या जो लोग सुनना चाहते हैं?

ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वर्तमान दिन और युग में, हमारे पास ट्विटर और फेस बुक है। मैं अपना ट्विटर अकाउंट या फेस बुक पेज संचालित कर सकता हूं। मैं सरकार के नियंत्रण के बिना एक स्वतंत्र वेबसाइट खोल सकता हूं। ऐसा क्यों है कि सरकार एफ.एम. रेडियो को स्वतंत्र समाचार या समसामयिक विषयों पर प्रसारण की अनुमति नहीं देती है? वह केवल वही क्यों दोहराना चाहता है जो अखिल भारतीय रेडियो या प्रसार भारती कहते हैं? इसके पीछे कोई तर्क या युक्ति होनी चाहिए। इसीलिए, मैंने सबसे पहले कहा कि यह बहुत ही अप्रचलित और विचित्र बात है। क्या सरकार अपनी नीति में बदलाव करेगी? ऐसा इसलिए है क्योंकि, जैसा कि यह सभी एफ.एम. रेडियो स्टेशन नुकसान पर चल रहे हैं। वे संगीत बॉक्स के अलावा और कुछ नहीं हैं। लोग संगीत नहीं सुनना चाहते हैं। हम समाचार और वर्तमान मामलों को सुनना चाहते हैं। क्या आप इस नीति को बदलेंगे?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : म्यूजिक भी सुनते हैं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी: मैडम, कितना सुनेंगे, कान पक जाते हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, ऐसा कुछ मत बोलिए।

[अनुवाद]

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर: महोदया, यहाँ आपकी उपस्थिति में, मैं ओवैसी साहब को बताना चाहूँगा कि सरकार एफ.एम. स्टेशनों के पर समाचार उपलब्ध होने के विकल्प पर विचार करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वह इसके लिए पूरी तरह से खुला है। हालाँकि, मैं ओवैसी साहब का ध्यान एक ब्राडकास्ट और एफ.एम. स्टेशन के बीच के अंतर की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। किसी भी समय यदि कोई प्रसारण किया जाता है, तो यह सैटेलाइट चैनल पर किया जाता है। इसलिए, भले ही कश्मीर से या उत्तर-पूर्व से या दक्षिण से कोई प्रसारण हो, हैदराबाद में बैठे ओवैसी साहब इसे सुन सकते हैं और इसलिए, अगर कुछ भी, जो सामान्य से अलग है, तो ओवैसी साहब और बाकी सभी लोग इसे नोटिस करेंगे, और, इसलिए, इसकी शिकायत करेंगे।

हालाँकि, एफ.एम. प्रसारण औसतन 50 किलोमीटर की परिधि तक सीमित है। वर्तमान में, सरकार की राय है कि, इसकी निगरानी की प्रणाली के बिना, यदि कोई विशेष समुदाय या कोई समूह है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहा है, तो उस पर पूरे देश का ध्यान नहीं जाएगा। अतः, हम इसके लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि एफ.एम. स्टेशन अपना समाचार स्वयं प्रसारित करें। लेकिन अब तक, पिछली नीतियों और चरण-3 नीति के बीच अंतर यह है कि चरण-2 नीति में, एफ.एम. स्टेशनों द्वारा कोई समाचार प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी लेकिन चरण-3 में हमने उन्हें अखिल- भारतीय रेडियो, जो आकाशवाणी है, समाचार प्रसारित करने की अनुमति दी है और हमने समाचार से बहुत सारे तत्व निकाल दिए हैं। उदाहरण के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर संचार, खेल, मौसम, सांस्कृतिक गतिविधियों पर टिप्पणी— इन चीजों को समाचार से हटा दिया गया है जिससे कि इन्हें एफ.एम. स्टेशनों द्वारा भी प्रसारित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एफ एम. रेडियो के माध्यम से बहुत सी जानकारियां क्षेत्र में मिलती हैं, जैसे यातायात के बारे में, मौसम के बारे में, सांस्कृतिक समारोह के बारे में, युवाओं को उनकी परीक्षाओं के बारे में और नागरिक सुविधाएं जैसे बिजली, जलापूर्ति आदि के बारे में जानकारियां मिलती हैं।

जहां अभी तक एफ एम. रेडियो की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है, वहां कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, वहां यह समय की मांग है और आने वाले दिनों में इस फास्टट्रैक में एम.एम. रेडियो की सभी जगहों पर जरूरत होगी। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में क्या सभी सांसदों के संसदीय क्षेत्र में आप एम.एम. रेडियो चालू करने जा रहे हैं? अगर हाँ तो कब तक करने जा रहे हैं, यानि गुजरात में मेरे क्षेत्र अमरेली में आज तक एम.एम. रेडियो की कोई सुविधा क्यों नहीं है? पूरे देश में जहां अभी तक यह सुविधा नहीं है, वहां आप कब तक चालू करेंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर : महोदया, यह बहुत बढ़िया सवाल है और जितने भी सदस्य हैं, सभी इससे ताल्लुक रखते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सबका धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है। सन् 1999 में जब एफ.एम. शुरू हुआ था, तब 12 शहरों के अंदर 21 चैनल्स थे। उसके बाद सन् 2005 में एक्सपैंशन हुआ और 222 चैनल्स आए। अब जब फेज थ्री लॉन्च होने वाला है, तो 294 शहरों के अंदर 839 चैनल्स आने वाले हैं। सरकार का इरादा है कि जो भी शहर एक लाख से ज्यादा आबादी वाले हैं वहां पर एफ.एम. स्टेशन लगाए जाएं। उसके साथ-साथ जो लैफ्ट विंग एक्ट्रिभिस्ट एरिया है, वहां पर 67 नए टॉवर्स लगाए जाएंगे, ताकि वह पूरा इलाका कवर हो सके। उसके साथ-साथ बॉर्डर एरियाज जो हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों के लिए हमने अलग से सुविधा की है। फेज थ्री में जो ऑक्शन होंगे, उसके अंदर पहले तीन साल की जो रेवेन्यू है, वह आधा कर दिया गया है। जो पहले तीन साल के लिए रेंटल्स हैं, वे आधे कर दिए गए हैं। जो 15 पर्सेंट की कैप है, जो सभी कंपनियों के ऊपर लागू है कि पूरे देश के अंदर आप 15 पर्सेंट से ज्यादा एम.एम.

स्टेशंस ओन नहीं कर सकते हैं, वह नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र तक एक एफ.एम. स्टेशन पहुंच पाए, चाहे वह सरकार का हो या फिर प्राइवेट हो। यह बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि प्राइवेट एफ.एम. चैनल्स सरकार के कॉम्पिटिशन में नहीं है। यह सरकार ने सुविधा दी है कि जहां सरकार नहीं पहुंच पाए, वहां सरकार के नुमाइंदे पहुंचे।

श्री तापस पाल: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में बहुत से ऐसे जिले हैं, जहां पर एफ.एम. की बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा नदिया डिस्ट्रिक्ट है, मेरा संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर में एफ.एम. की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लोग नैचुरली एमपी को शिकायत करते हैं कि वह लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है। जब रास्ते से जाते हैं तब भी एफ.एम. बंद हो जाता है। काफी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हो रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ सोचा है या इसके लिए क्या समाधान करेंगे?

कर्मल राज्यवर्धन राठौर: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जहां पर भी एफ.एम. के ट्रांसमिटर हैं, काफी लोगों से मैंने यह सुना है कि उनका जो ट्रांसमिशन है, वह बहुत सीमित समय तक है। मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि अगले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से एक या दो महीने के अंदर हमारी यह कोशिश है कि जहां पर भी एफ.एम. ट्रांसमिटर हैं, वहां पर कम से कम 18 घंटे का ट्रांसमिशन होगा, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक और बाकी आपके पार्टिक्युलर क्षेत्र के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तथा आपके कारण से वहां तक मनोरंजन पहुंचेगा तो उसमें हम पूरा सहयोग देंगे।

श्री शरद त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित ही एफ.एम. का विस्तार माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक लाख से ज्यादा की आबादी के सारे शहरों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। उसमें हमारा संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जनपद भी हो जाना चाहिए। इसी से संबंधित मैं कहना चाहूंगा कि रिसर्च एवं डिवेलपमेंट का सबसे मजबूत कार्य बीएसएनएल करता है, लेकिन खेद का विषय है कि इसका फायदा प्राइवेट कंपनियां उठाती हैं और बीएसएनएल का नेटवर्क प्रायः ध्वस्त रहता है। हम सांसदों को भी जो

मोबाइल दिए गए हैं, उनके नेटवर्क प्रायः ध्वस्त रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए कोई प्रभावी कदम सरकार उठाने जा रही है जिससे नेटवर्क संबंधी जो गड़बड़ी है, वह ठीक हो सके। बीएसएनएल की गड़बड़ी रहती है और प्राईवेट कंपनियां बेहतर नेटवर्क दे रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्या उसमें एफ एम. भी सुनाई देता है?

श्री शरद त्रिपाठी : महोदया, नेटवर्क की प्रॉब्लम है।

कर्मल राज्यवर्धन राठौर : यह सवाल मैं रवि शंकर प्रसाद जी तक पहुँचा दूँगा।

माननीय अध्यक्ष : इससे एफ.एम. रेडियो का क्या सम्बन्ध है? क्या उस पर आता है, क्या सिग्नल कैच करते हैं?

श्री शरद त्रिपाठी: महोदया, जिन शहरों की आबादी ज्यादा है...(व्यवधान)

कर्मल राज्यवर्धन राठौर : मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं आपको भी और सभी माननीय सदस्यों को बतलाना चाहूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट पर जाकर एक बार देखिए कि वहाँ पर फेज थ्री के अन्दर कौन-कौन से नये शहर शामिल हो रहे हैं और यदि आपका शहर शामिल नहीं हो रहा है तो पहला सवाल यह करिए कि वर्ष 2011 का जो सेंसस था, क्या उसमें आपके शहर की आबादी एक लाख से ज्यादा थी और अगर थी तो वह समस्या या वह प्वाइंट हमारे पास लेकर आइए, हम उसे जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे।

(प्रश्न संख्या 342)

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदया, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो समेकित बाल विकास परियोजना आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत है, यह देश के लगभग हर गाँव से जुड़ा है, हर बच्चे से जुड़ा है। मैं उस सम्बन्ध में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रश्न किए थे, उनका जो मुझे उत्तर मिला है, उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। भ्रष्टाचार का एक मामला इसके अन्दर मैंने उठाया था और पूरे देश के आँकड़े जो यहाँ पर मुझे प्राप्त हुए हैं, उनमें पूरे देश के अन्दर कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जबकि शायद मेरे लोक सभा क्षेत्र में ही बहुत शिकायतें होंगी, शायद इसे सही तरीके से जाँचा नहीं गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण मुझे यह समझ आ रहा है कि इस विभाग के अन्दर सबको संविदा के आधार पर कार्य पर रखा जाता है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदया, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सबको संविदा के आधार पर रखा जाता है और उनको नियमित रूप से सेवा का अवसर नहीं दिया जाता है। इसके कारण इस काम में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस भ्रष्टाचार के रोग के निदान के लिए जो लाखों की संख्या में कार्यकर्त्री हैं, सहायिका हैं और जो ऊपर के कर्मचारी हैं, इनका मानदेय बढ़ाने अथवा इनको नियमित करने के सम्बन्ध में क्या सरकार विचार करेगी?

माननीय अध्यक्ष : आपके अनुसार नियमित सेवा वाले भ्रष्टाचार नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: माननीय अध्यक्ष महोदया, इनको सरकारी सेवक बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्हें एक लाख रुपये का मानदेय मिलता है। रु. 3,000 और एक सहायक को रु. 1,500 रुपये मिलते हैं।

यह तब भी जारी रहेगा क्योंकि अन्य देशों की तरह, हमारे यहां भी बजट में कटौती की गई है जिसमें लगभग रु. 8,000 करोड़ राज्यों को दिए जा रहे हैं।

हालाँकि, भ्रष्टाचार का प्रश्न वास्तव में चिंताजनक है और मुझे खुशी है कि सदस्य ने इसे उठाया है। यदि हमारे यहां भ्रष्टाचार नहीं होता, तो कुपोषित बच्चों की संख्या कम होती और अधिक गर्भवती माताओं को पोषण मिलता। तो, निश्चित रूप से एक समस्या है। कुछ समस्याएं हैं। सबसे पहले, अगर हम शुरुआत से ही देखें, तो अब तक आंगनवाड़ी महिलाओं की 40 साल तक कोई निगरानी या प्रशिक्षण नहीं किया गया है। दूसरा, उनका दुरुपयोग किया जाता है। उनसे चुनावी कार्य तथा अन्य सभी कार्य करवाए जाते हैं। तीसरा, पर्याप्त आंगनवाड़ी केंद्र नहीं हैं जहाँ वे अपना भंडारण रख सकें, सामान वितरित कर सकें या बच्चों का वजन माप सकें। ...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नियमित रूप से जांच की जाती है।

... (व्यवधान)

श्रीमती मेनका संजय गांधी: चौथा, वास्तव में कितना भोजन वितरित किया जाता है इसकी कोई जांच नहीं की गई है। शिकायतें मुख्य रूप से भोजन की खराब गुणवत्ता, भोजन के अनियमित वितरण और भोजन की खरीद में रिश्वत की हैं। सामान्यतः, खाद्यान्न, राज्य के अधीन आता है।

अब तक कोई निगरानी की प्रणाली नहीं थी। अब, हम मंत्रालय में जो कर रहे हैं वह यह है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी में एक प्रणाली थी जहां उन्हें 11 रजिस्टर भरने थे। अब, ये पाँचवीं जमात पास, आठवीं जमात पास, हैं और उन्हें बच्चों को खिलाने के लिए कहने के लिए; घर-घर जाएं; गर्भवती महिलाओं की जांच करें; 10 अन्य चीजें करें जो प्रशासन उन्हें बताता है; जाकर भोजन स्वयं खरीदें; इसे स्वयं वितरित करें; और इसे स्वयं बनाएं। अब, एक प्रशिक्षण प्रणाली शुरू होने जा रही है, और राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर पांच-स्तरीय मॉनिटरिंग समीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है दिशानिर्देश 2011 में जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया था। अब, वे इसे शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा, अब हम पर्यवेक्षकों को टैबलेट

जारी कर रहे हैं, जहां उन्हें हमें हर बच्चे और हर महिला की वास्तविक समय पर मॉनिटरिंग के साथ-साथ तस्वीर भी देने होंगे, जिससे हम देख सकें कि उन्होंने कितना काम किया है।

दूसरी बात, हम अपनी एफ एंड बी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहे हैं। अब तक, कोई प्रयोगशाला नहीं थी। तो फिर, आप कैसे जांचेंगे कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या नहीं और भोजन अच्छा है या नहीं? प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के साथ-साथ बहुत सारी निगरानी प्रणालियां तैयार की जा रही हैं।

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य: माननीय अध्यक्ष महोदया, इस योजना के अंतर्गत जिस गाँव में आंगनवाड़ी केन्द्र होता है, उस गाँव के बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि पोषाहार का बहुत बड़ा हिस्सा जिनको मिलना चाहिए, उनको मिलने की जगह पशुओं का आहार भी बड़े पैमाने पर मेरे उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, शायद उतना आंगनवाड़ी केन्द्र में कम और बाहर बिकने के लिए ज्यादा जाता है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन गाँव के अंदर नहीं है और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं या परिवार हैं, जैसे कोई कबाड़ी का काम करता है, कोई भिखारी है, कोई घुमंतु जातियाँ हैं, कोई अपने गाँव से निकलकर किसी दूसरे जिले के अंदर चला गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे बच्चों का अस्थायी तौर पर जिन संबंधित गाँव, मोहल्ले या शहर के अंदर वे बच्चे जाते हैं, वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन कराकर उनको पोषाहार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विचार किया जाएगा? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेरे इलाहाबाद मंडल के अंदर जनपद कौशाम्बी में एक सर्वे हुआ जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित बच्चों के बारे में जानकारी मिली। उसका एकमात्र कारण यह था कि वे बाहरी बच्चे थे, वे वहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे और उनको वहाँ आंगनवाड़ी केन्द्र से सुविधा नहीं मिल पा रही थी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे बच्चों का अस्थायी तौर से रजिस्ट्रेशन कराकर उनको भी ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा, जहाँ के वे निवासी नहीं हैं, वहाँ पर उनको पोषाहार या अन्य शिक्षा संस्कार की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, करीब 12.45 करोड़ बच्चों का सर्वेक्षण हुआ था और जो बच्चे अब आंगनवाड़ी स्कीम से आच्छादित हैं, वे आज की तारीख में 8.42 करोड़ हैं, जो कि करीब 67.8 प्रतिशत हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रवासी बच्चे अक्सर नेट से बच निकलते हैं और चूंकि, उन्होंने यह बात हमारे संज्ञान में लाई है, इसलिए मैं यह पता लगाऊंगा कि हम उन्हें क्षेत्र के स्थायी निवासियों के साथ पंजीकृत करने के लिए क्या कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि गुजरात के अंदर आंगनवाड़ी के बच्चों को न्यूट्रीशनल फूड दिया जाता है, उसकी वजह से कुपोषित बच्चों का प्रमाण कम हुआ है। उसी आधार पर क्या पूरे देश में वह लागू किया जाएगा? दूसरी बात यह है कि जो 1 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, अगर वे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके स्वास्थ्य की चिन्ता करते हैं, उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वह ऑपरेशन हो या लाखों रुपये का खर्च हो। क्या इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा या नहीं, यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, यह प्रश्न वास्तव में मेरे अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि गर्भवती महिलाओं की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और जब तक बच्चा छह वर्ष का न हो जाए तब तक उसकी देखभाल भी मेरे ऊपर है। हम कुपोषण को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अगले दो वर्षों में इसके प्रभाव दिखाएगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

श्री सी.आर. पाटील: मैडम, मेरा दूसरा प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया है। एक ही प्रश्न पूछने का मौका मिलता है।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, किसी भी देश का भविष्य उसके बच्चों के आधार पर ही सुनियोजित किया जाता है। आज हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं, जहां कुपोषण की बीमारी है लेकिन कुपोषण का एक दर्दनाक दृश्य वहां पूरी तरह से भयानक रूप से अग्रसर हो रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसे मैं कहूंगा कि यह भी कुपोषणग्रस्त हो चुका है। वहां के करीब 85 लाख बच्चों में से 60-65 लाख बच्चे कुपोषित घोषित किए गए हैं और उन्हें इन आंगनबाड़ी सिस्टम में कवरेज दिया गया है...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मंत्री जी का उत्तर स्वयं देख लीजिए...(व्यवधान)

महोदया, मेरा मंत्री जी से कहना यह है कि कई सांसदों ने पारदर्शिता का, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। बच्चों को जो पोषाहार दिया जाना है, वह बच्चों को मिलता नहीं है, जितनी भी मिनी आंगनबाड़ीज मध्य प्रदेश को दी गयीं हैं, उनमें भी कमी है। हमने ढाई हजार मिनी आंगनबाड़ीज की मांग रखी थी और केवल 600 मिली हैं। मुझे मालूम है कि मंत्री महोदया भी इसमें बहुत रूचि लेती हैं, पर मूल प्रश्न यह है कि क्या हमारे देश में हम एक टॉप-डाउन एफर्ट के बदले में एक बॉटम-अप एफर्ट देख सकते हैं। जिन जिलों में यह बीमारी भयानक रूप से प्रचलित है, उन जिलों में एक बॉटम-अप एफर्ट के आधार पर इस कुपोषण की बीमारी का हम एक पूरा-पूरा समाधान निकाल कर उसे लेकर आएंगे।

इस प्रश्न पर मैं मंत्री जी से उत्तर चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई सोच है जहां हम एक बॉटम-अप एफर्ट देख पाएं, ताकि हम इन बच्चों के भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित रख पाएं?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, सबसे पहले, इस कार्यक्रम में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे 1.55 प्रतिशत हैं, जो पूरे भारत में 1,26,000 का एक भयानक आंकड़ा है। मुझे संदेह है कि उनमें से अधिकांश मध्य प्रदेश में होंगे। वे सभी जगह समान रूप से फैले हुए हैं। जहाँ भी आंगनवाड़ी अपना काम नहीं करती, वहाँ हमें समस्या

होती है; जहाँ भी *आंगनवाड़ी* अच्छी हैं, वहाँ हमें कोई समस्या नहीं होती। हालाँकि, वह पूरी तरह से सही है कि जब तक समुदाय शामिल नहीं होता है और यह पंचायती राज का हिस्सा नहीं बन जाता है और उनके ध्यान में आता है, तब तक इसकी पूरी तरह से निगरानी करना मुश्किल होगा। हमने जो किया है वह यह है कि हमने स्नेह शिविर नामक एक योजना शुरू की है। यह 200 जिलों में चला गया है। यह क्या करता है। इसमें गांव में माताओं की, प्रभावशाली लोगों की एक टीम बनाई जाती है और वे भोजन की मॉनिटरिंग करते हैं, वे हर उस बच्चे की मॉनिटरिंग करते हैं जो कुपोषित है, चाहे वह गंभीर रूप से कुपोषित हो या थोड़ा कुपोषित हो। हमने पाया है कि जहां भी स्नेह शिविर आयोजित किए जाते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए तथा सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए।

जिन चीजों से कुपोषण से निपटा जाएगा उनमें से एक है मॉनिटरिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा, चालीस वर्षों से स्थानीय अथवा राज्यवार या राष्ट्रीय स्तर पर कोई निगरानी नहीं की गई है। अब जबकि हमने वास्तविक समय निगरानी शुरू कर दी है, तो आप इसका प्रभाव तुरंत देखेंगे। यह एक गाजर और छड़ी दृष्टिकोण की चीज भी होने जा रही है। अब तक, यदि आपने बुरा किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था; यदि आपने अच्छा किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत सारे पद खाली हैं। हम हर राज्य को लिख रहे हैं कि बहुत सारे पर्यवेक्षक पद रिक्त हैं; बहुत सारे *आंगनवाड़ी* पद रिक्त हैं। अब वे उन्हें भर रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे-धीरे। हम अच्छा काम करने वाली *आंगनवाड़ियों* को पुरस्कृत करना चाहते हैं और उन्हें पर्यवेक्षक बनाना चाहते हैं। हम उन *आंगनवाड़ियों* को इसके विपरीत जवाब देना चाहेंगे जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया या जिनके गांवों में राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक कुपोषण है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे भोजन चोरी कर रहे हैं। इसलिए, निगरानी के बाद गाजर और छड़ी की नीति लागू की जानी चाहिए और यह काम कर सकती है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर।

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष महोदया, मैं मध्य प्रदेश के बारे में बोलना चाहता हूँ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा इतना नहीं है। उन्होंने करेक्शन करके बता दिया है।

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के.श्रीमति टीचर: महोदया, मुझे सवाल पूछने के लिए अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे इस सम्मानित सभा में यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि सबसे अधिक उपेक्षित विभाग महिला एवं बाल विभाग है। मंत्री जी ने यहां बताया कि करीब 35 प्रतिशत बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं कुपोषित हैं। मुझे पता है कि वे पौष्टिक भोजन प्राप्त किए बिना मर रहे हैं। लेकिन फिर भी, इस विभाग को आबंटन वर्ष 2014-15 में रु. 18,108 करोड़ से घटकर मात्र रु. 8,245 करोड़ रुपये रह गया है।

आबंटन में लगभग 50 प्रतिशत की कमी की गई। यह क्यों हुआ है? माननीय वित्त मंत्री जी भी यहां हैं। आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए। योजना आयोग ने यह भी कहा कि रु. 2 लाख करोड़ होने चाहिए। इसलिए, कृपया पर्याप्त धन आबंटित करें।

माननीय अध्यक्ष: क्या यह एक सुझाव है या आपका कोई प्रश्न है?

श्रीमती पी.के.श्रीमति टीचर: महोदया, आप कृपया सरकार को आबंटन बढ़ाने के लिए बाध्य करें।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: महोदया, यह बात सही है कि हर मंत्रालय के बजट में कटौती की गई है। आई.सी.डी. के लिए वर्ष 2015-16 के बजट आबंटन में लगभग 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। आई.सी.डी. सहित सभी योजना योजनाओं के लिए बजटीय आबंटन राज्यों को 42 प्रतिशत के पर्याप्त उच्च हस्तांतरण और योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों को अधिक लचीलापन देने के निर्णय की पृष्ठभूमि में किया गया था।

अब जब वित्त मंत्री जी यहां हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं और स्वास्थ्य मंत्री जी संसद के बाद उनसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि धन उपलब्ध हो तो क्या वे उसे बहाल कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन: हम सब आपके साथ हैं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्रॉस क्वेश्चिंग नहीं करें।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका संजय गांधी: हालांकि, हम इस बात से थोड़े चिंतित हैं कि हमें धन कहाँ से मिल सकता है। हम 24 लाख महिलाओं को रु. 3,000 प्रतिमाह देते हैं, सहायकों को रु. 1500 प्रतिमाह देते हैं और यह पैसा मुश्किल से वेतन के लिए पर्याप्त हो पाता है, जिससे हमारे पास प्रशिक्षण, निगरानी और आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए बहुत कम जगह बचती है। जब तक गांव में कोई केंद्र नहीं होगा आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए हम यह मांग करेंगे। लेकिन मैं सभा से अनुरोध करना चाहूंगी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया: नहीं, यह तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी। ऐसा नहीं होता है, प्लीज बैठ जाइए।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: हालांकि, माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करूंगी कि जिन राज्यों को हमने 10 प्रतिशत दिया है वे अपने कोष को बच्चों की योजना में लगाएँ। इस सब के बाद यह सिर्फ दिल्ली और भारत सरकार की चिंता नहीं हो सकती। हर राज्य को इसका हिस्सा होना चाहिए। उन्हें अब हजारों करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश मेरे मंत्रालय से प्राप्त हुए हैं। इसलिए उन्हें उस पैसे को बच्चों के पोषण पर खर्च करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिए।

(प्रश्न संख्या 343)

श्री राम टहल चौधरी: अध्यक्ष महोदया, सेना में नियुक्ति को एक सम्मानित, गौरवशाली और आदरणीय माना जाता है। सेना में नौकरी करने का मतलब देश सेवा करना है। सेना को आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि देश की सेना बर्फ, मरुस्थल और समुद्री क्षेत्रों में 24 घंटे देश की सुरक्षा में लगी रहती है। देश की सुरक्षा में कई लोग शहीद भी हो जाते हैं एवं उनका जीवन जोखिम भरा होता है। सेना के अंदर जो वातावरण है, इससे देश के सिपाही खुश नहीं हैं। आज वे सेना में ड्यूटी देते वक्त तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। समय पर आवश्यकता पड़ने पर उनको छुट्टी नहीं मिलती है, जिसके कारण सेना के प्रति युवाओं में, सिपाहियों में नकारात्मक भावनाएं पैदा हो रही हैं।

मंत्री जी का सेना, नौ सेना और वायु सेना के संबंध में उत्तर है। सेना में अभी आधिकारियों के 9,642 स्थान रिक्त हैं और अन्य रैंक में 24,356 स्थान रिक्त हैं। नौ सेना में अफसरों की 1322 पद और नौ सैनिकों के 11,257 पद खाली हैं। वही हालत वायुसेना में हैं, अफसरों की 152 पद और वायु सैनिकों के 5,540 पद रिक्त हैं। मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि जो पद खाली हैं, देश में रोज सुरक्षा की बात पर चर्चा होती है, बहुत आधिकारियों की कमी हैं, उनके पदों को कब तक भरा जायेगा? गत पांच सालों में कितने आधिकारियों ने अपने पद से त्याग पत्र दिए हैं, उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गयी है, यह जानकारी देने की कृपा करेंगे, उनके त्याग पत्र देने के कारण क्या हैं?

[अनुवाद]

श्री मनोहर पर्रिकर: माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से रिक्तियों और कमी को इंगित करता है। यदि आप चार्ट के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण को देखें, तो आप पाएंगे कि सेना में अन्य रैंकों के लिए 24,356 रिक्त पद हैं, जिसके लिए 66,502 पद पहले से ही ट्रेनिंग में हैं। इसलिए, प्रशिक्षण के तहत आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं।

वायु सेना के लिए भी, 5,540 वायु सैनिकों के मुकाबले, 6,159 भर्ती हैं जो पहले से ही प्रशिक्षण में हैं।

जहाँ तक नौसेना का सवाल है, 11,257 नाविकों में से जो रिक्तियों का लगभग 18 प्रतिशत है, हमारे नाविकों की वार्षिक भर्ती लगभग 4,500 है जबकि सेवानिवृत्त होने वालों की संख्या लगभग 3,000 है। तो हर वर्ष 1,500 रिक्तियों को भरा जा रहा है। जहाँ तक नौसेना के अधिकारियों का संबंध है, भर्ती लगभग 800 है और सेवानिवृत्ति लगभग 250 है। तो अगले 3 से 4 वर्षों में, अधिकारियों का भी ध्यान रखा जाएगा।

वायु सेना में अधिकारियों के बड़े पद खाली नहीं हैं, क्योंकि 152 पद कुल 11,864 पदों की तुलना में बहुत छोटी संख्या है। इसे वार्षिक कमी कहा जाता है। मुख्य रिक्तियां सेना में अधिकारियों के पद पर हैं जिनकी संख्या 9,642 है। मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि, 2012 से, हमने इसे कम करने के लिए प्रयास किए हैं। रिक्तियां वर्ष 2012 में 10,100 और वर्ष 2013 में 9,590 थीं। वे लगभग 500 कम हो गए। वर्ष 2014 में, यह 8,455 पर आ गया। वर्तमान में यह वास्तव में 1,000 कम होकर 7,642 थी लेकिन यह बढ़कर 9,642 हो गई क्योंकि लगभग 2000 पद नए सिरे से सृजित किए गए हैं और इसलिए संख्या में वृद्धि हुई है। ये पद अतिरिक्त रूप से बनाए गए हैं। मैं माननीय सदस्य और सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हर साल लगभग 2,000 सेना अधिकारी प्रशिक्षण के लिए भर्ती किए जाते हैं जबकि लगभग 1,000 सेवानिवृत्त होते हैं। लगभग 1000 का गैप बढ़ता है।

इस संख्या को बढ़ाने के लिए दो प्रतिबंध हैं। एक, प्रशिक्षण क्षमता। हमारे पास लगभग 2,200 कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से हमें कुछ स्लॉट विदेशों को देने हैं। लगभग 2,000 कर्मियों को हमारे द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।

दूसरा, यदि हम एक समूह को लेते हैं, तो उनके नियुक्ति और पदोन्नति की समस्या उत्पन्न होगी जब उन्हें पदोन्नति मिलनी तय होगी। थोड़े-थोड़े हफ्ते में उसका निवारण करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हम रिक्त स्थान भर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 8-10 वर्ष में यह गैप पूरा भर जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी: महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश की सेवा करते हुए सेना के कई जवान शहीद हो जाते हैं और कई गायब हो जाते हैं। शहीद और गायब होने के बाद सेना के जवान को जो मुआवजा और सुविधा मिलनी चाहिए, उनमें काफी देरी होती है। उनके आश्रित परिवारों को नौकरी भी नहीं मिलती है, उनके मुआवजे का समय पर भुगतान नहीं होता है। कई शहीदों के ऐसे परिवार हैं, जिन्हें न तो अभी तक मुआवजा मिला है और न ही नौकरी मिली है। जबकि सरकार की तरफ से बराबर आश्वासन मिलता रहा है। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग गायब हुए? उनमें से अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है और मुआवजा न मिलने का क्या कारण है? हमारे झारखंड में भी बहुत से ऐसे शहीद परिवार के लोग हैं जिन्हें अभी तक भुगतान नहीं हुआ और न ही उनके परिवार के लोगों को नौकरी मिली है। सरकार इन लंबित मामलों को कब तक पूरा करने जा रही है?

[अनुवाद]

श्री मनोहर परिकर: यह इस प्रश्न के दायरे में नहीं है, लेकिन यदि कहीं कोई समस्या है तो माननीय सदस्य इसे मेरे संज्ञान में ला सकते हैं। कभी-कभी, मुआवजे के कुछ हिस्सों में, देरी होती है। हम पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करने की जरूरत है। जो शहीद होता है, उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी को आगे बढ़ाया जाता है। यह जीवन भर चलता रहता है जैसे कि व्यक्ति वेतन ले रहा हो। और भी कई मुआवजे हैं। हम पूरी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और मैं वादा करूंगा कि एक संस्थागत तंत्र होगा जिस पर हम काम कर रहे हैं। एक स्थायी स्वरूप की व्यवस्था जिससे ऐसे डिले हो जाए तो उसे सौल्यूशन देने की कोशिश करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रतापराव जाधव जी – उपस्थित नहीं; श्री संतोख चौधरी जी – नहीं पूछ रहा हूँ; श्री बी.बी. पाटील जी।

[हिन्दी] **श्री भीमराव बी. पाटील:** महोदया, चौधरी साहब ने प्रश्न पूछा और मंत्री महोदय ने उसका जवाब भी दे दिया है। इसलिए मुझे प्रश्न नहीं पूछना है।

[अनुवाद] **माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न संख्या 344 – श्री भारती मोहना

(प्रश्न संख्या 344)

श्री आर.के. भारती मोहन: माननीय अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। तमिलनाडु में, हमारी प्रिय नेता माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार पहले से ही अम्मा मारुंधकम नामक योजना के माध्यम से गरीब लोगों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध करा रही है। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इस मॉडल योजना को पूरे देश में शुरू करने की कोई योजना बनाई है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना गरीबों की मदद करने के लिए है। निस्संदेह, तमिलनाडु में उन्हें अपनी अलग योजना मिली है जो एक अच्छी योजना है। साथ ही, हमारी योजना भी काफी अच्छी है। यह राज्यों को इसमें भाग लेने और गरीब लोगों के लिए मदद लेने की बहुत स्वतंत्रता देती है। इसलिए, इस समय, तमिलनाडु की योजना को हमारी योजना में शामिल करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। साथ ही, हमारे पास एक प्रावधान है जिसके तहत हम अच्छे तरीकों को अपनाते हैं और उन अच्छे तरीकों को अपनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए, हमारे पास एक कार्यशाला है। इस कार्यशाला में, राज्यों को अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है; और यदि अन्य राज्यों को लगता है कि वे अच्छे कार्यक्रम हैं, तो वे इसे अपने राज्यों में भी कर सकते हैं। हम उन राज्यों को उन योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जब वे अन्य राज्यों में भी लागू होती हैं तो उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं।

श्री आर.के. भारती मोहन: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: मैं प्रश्न समझ नहीं पाया। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप चाहते हैं तो वे इसे दोहरा सकते हैं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: हम यह सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों को देते हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, क्योंकि यह सुविधा जानलेवा बीमारियों के मरीजों को दी जाती है और जिसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन या अन्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह सुविधा एक पी.एच.सी. या एक सी.एच.सी. में प्रदान नहीं की

जा सकती है, बल्कि जिला अस्पताल और उससे ऊपर के अस्पतालों में दी जा सकती है क्योंकि यहां हस्तक्षेप की जरूरत जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों के इलाज में होती है। इसलिए, जहां भी सरकारी अस्पताल है, हम माननीय सदस्य की मदद के लिए उपस्थित हैं। सदस्य और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि *आरोग्य निधि* रोगी को प्राप्त हो।

माननीय अध्यक्ष: श्री अंशुल वर्मा – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जीवन रक्षक उपाय के लिए जो निधि उपलब्ध कराते हैं वह बहुत कम होती है। आज कैंसर का इलाज, हार्ट का इलाज कराने के लिए दो नहीं पांच लाख रुपये लगते हैं। उससे कई रोगियों की मृत्यु हो जाती है। अपने देश-दुनिया में हेल्थ केयर की पॉलिसी बनाई जाती है, क्या वैसी पॉलिसी बनाई जाएगी? उसके आधार पर सभी लोगों को छह महीने में या साल भर में बीमारी होने से पहले ही जांच की जाती है, उसको इलाज मिल जाता है। यह योजना बहुत अच्छी है। बहुत से रोगियों को कम पैसा मिलने की वजह से वे सांसदों के पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहती है? देश के सभी लोगों को हेल्थ केयर के नाम से इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से सांसदों और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हम राष्ट्रीय आरोग्य निधि में पहले हम एक लाख रुपये देते थे। वर्तमान सरकार जब मोदी जी के नेतृत्व में बनी तब इसे एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया गया, यह अभी किया गया है दूसरी बात रु. 2 लाख सीमा नहीं है। वह है परिक्रामी निधि जिसमें हमारे 12 सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, दो लाख रुपये परिक्रामी निधि से लेकर खर्च कर सकते हैं। परिक्रामी निधि हम देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम दस लाख रुपये तक पेशेंट को दे सकते हैं इसे आना है *राष्ट्रीय आरोग्य निधि* मुख्यालय, यानी हमारे पास। एक तकनीकी समिति है और तकनीकी समिति उसको ओके करती है, उसके रीजन को देखती है, उसके बाद पैसा दिया जाता

है। यदि किसी पेशेंट का दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च होता है और वह बीपीएल पेशेंट है उस केस को केन्द्र सरकार को भेजें। हम जितना फास्ट कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पैसे की उपलब्धता है। उन्हें यह मिलेगा, इस बात की हम सुनिश्चित करते हैं।

(प्रश्न संख्या 345)

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिन्हा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विस्तृत उत्तर मिल चुका है। मैं एक अलग सवाल पूछना चाहूंगा। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, अब लगभग दस साल पूरे हो गए हैं। निस्संदेह, यह पिछली सरकार द्वारा की गई एक बहुत अच्छी पहल थी।

हमारे देश में त्रिस्तरीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है – सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और तृतीयक चिकित्सा देखभाल। लेकिन जब हम इन पी.एच.सी., सी.एच.सी. और तृतीयक चिकित्सा देखभाल केंद्रों को देखते हैं, तो हम उन्हें दयनीय स्थिति में पाते हैं। तो, मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। पिछले 10 वर्षों में इस कार्यक्रम के तहत कितना पैसा खर्च किया गया है और इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे दोनों में क्या दृश्य परिवर्तन लाया?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, एक प्रश्न जो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। जहां तक एन.आर.एच.एम. का सवाल है, इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग रु. 18,000 करोड़ से रु. 20,000 करोड़ तक खर्च किए जा रहे हैं। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। जहां तक प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल का संबंध है, पी.एच.सी. स्तर, सी.एच.सी. स्तर, वे भी एन.आर.एच.एम. के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

लेकिन कार्यक्रम का कार्यान्वयन हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। हम निधि देते हैं लेकिन कार्यक्रम कार्यान्वयन और कार्यक्रम नियोजन संबंधित जिलों और राज्यों द्वारा किया जाना है। इसलिए, हमारे पास एक जिला योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम है, डी.पी.आई.पी.। यह वह जिला है जो योजना बनाता है कि वे जिले में क्या करने जा रहे हैं; वे प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल का ध्यान कैसे रखने जा रहे हैं; उन्हें

क्या निवेश चाहिए; क्या अंतराल हैं; उन अंतरालों को कैसे भरा जा सकता है और उन्हें किस प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

हमारे पास फ्लेक्सी पूल नामक एक मद भी है जिसके अंतर्गत अंतराल को भरने के लिए धन का उपयोग करने की लचीलापन है। यह जिला स्तर पर किया जाना है जिसे राज्य स्तर पर पारित किया जाता है। इसलिए, हमारे पास जिला योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम (डी.पी.आई.पी.) है और फिर यह राज्य योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम में जाता है। राज्य योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम जो भी कहता है, उस पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। जिला स्तर पर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसका ध्यान रखें। वे हमें योजनाएँ भेज सकते हैं जिन्हें स्वीकृत किया जाएगा और उसके अनुसार वित्त दिया जाएगा।

श्री प्रताप सिन्हा: महोदया, संविधान हमें जीने के अधिकार और सुरक्षा के अधिकार का आश्वासन देता है।

आजकल, कैंसर के रोगी दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आम आदमी के लिए इसका इलाज कराना बहुत मुश्किल है। हमारे पास जिला अस्पतालों में निदान करने या उचित दवा प्रदान करने के लिए उचित सुविधाएं नहीं हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास सभी तृतीयक केंद्रों में उचित दवाइयां उपलब्ध कराने की कोई योजना है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: सदस्य सही है। प्रारंभ में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम संचारी रोगों की समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन समय के साथ, गैर-संचारी रोग भी बढ़ रहे हैं। यह वृद्धि चिंताजनक दर पर है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के रोगी दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी बीमारियां जीवन शैली की बीमारियों से संबंधित हैं। हमने जो जीवन शैली अपनाई है वह इन बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है।

जहां तक कैंसर का संबंध है, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर से निपटने की हमारी क्षमता बढ़े। इसलिए, कैंसर का शीघ्र पता लगाने पर जोर दिया जा रहा है। कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए, प्राथमिक स्तर पर जांच पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसके लिए, क्षमता बढ़ाई जा रही है।

इस समय, हमें 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्र मिले हैं। हमारे पास समय के साथ दो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान भी होने जा रहे हैं, 20 राज्य कैंसर संस्थान और 20 तृतीयक कैंसर संस्थान जिनकी योजना और विकास किया जा रहा है। प्रत्येक कैंसर संस्थान को संस्थान की क्षमता के आधार पर लगभग रु. 45 करोड़ से रु. 20 करोड़ तक की धनराशि दी जा रही है। हम इस प्रक्रिया पर हैं। लेकिन निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साथ ही, आई.एच.सी. भाग पर भी काफी खर्च करना होगा क्योंकि जीवन शैली को भी ध्यान में रखना होगा। इस पद्धति में चिकित्सा पद्धतियों को भी जोड़ा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनका विभाग आंकड़ों की जो बाजीगरी करता है, उसे वे सुधारें। इनके जवाब में खुद लिखा हुआ है कि

[अनुवाद]

“12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र और राज्य दोनों के लिए मुख्य स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 1.87 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।”

[हिन्दी]

जो एनेक्शर वन लगा हुआ है, उसमें इनका जवाब है कि टोटल जीडीपी का 3.9 परसेंट है। इनके जवाब में एक जगह यह लिखा है कि इनक्रीज 1.97 करेंगे और दूसरी जगह लिख रहे हैं कि 3.9 परसेंट अभी है। ये दोनों डाटाज गलत हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह नहीं है।

मेरा प्रश्न है कि यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2005 में वादा किया था कि हम वर्ष 2012 तक स्वास्थ्य पर 2.5 परसेंट स्पेंडिंग जीडीपी का ले जायेंगे। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पूरा नहीं हुआ और 1.1 परसेंट तक ही रह गया। आज फिर हमारी सरकार और हमारे दल ने जनता से यह वादा किया है कि वर्ष

2019 तक हम 2.5 परसेंट स्पेंडिंग जीडीपी का स्वास्थ्य में ले जायेंगे। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक देश भी ठीक नहीं रहेगा। मेरा अनुरोध है कि आंकड़े ठीक कर लें। 2019 तक का सरकार का जो लक्ष्य है, क्या मंत्री जी हैल्थ स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत सही प्रश्न पूछा है। यह बड़ा रिलेवंट प्रश्न है, वरना यह कन्फ्यूजन रह जाता। जहां तक 1.11 परसेंट का सवाल है, यह सरकार की स्पेंडिंग है। जीडीपी का 2013-14 का आर.ई., रियल एक्सपेंडिचर है। 3.9 वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमाने द्वारा हैल्थ सेक्टर में किया गया टोटल खर्चा है, जिसमें प्राइवेट भी शामिल है। इसलिए, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सरकारी व्यय वर्ष 2013-14 के सकल घरेलू उत्पाद के वास्तविक व्यय का 1.1 प्रतिशत है। बाकी निजी है। इसका भी रेश्यो लगभग 39 और 61 परसेंट के आसपास है। तो, मैं यही कहना चाहूंगा।

दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर बढ़ाएं। यह सही बात है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि स्टेट्स के साथ इन्टरैक्ट करके उनकी स्पेंडिंग कैपिसिटी बढ़ाई जाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 20 प्रतिशत खर्च नहीं हो रहा है। यूटिलाइजेशन सटीरफिकेट नहीं आ रहे हैं। अभी हमने इम्यूनाइजेशन के लिए प्रोग्राम लिया है। इंद्रधनुष बड़ा एम्बीशियस प्रोग्राम है। मैं सभी स्टेट्स के बारे में बता सकता हूं कि टोटल एलोकेटिड फंड का 20 परसेंट भी खर्च नहीं हो रहा है। उनकी खर्च करने की कैपिसिटी बढ़ानी होगी ताकि सही रूप से आप्टिमम यूटिलाइज हो। ऐसा न हो कि बिल बन गया है और खर्च करना है इसलिए खर्च किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जरूरत है। भारत सरकार सजग है, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है। जो भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी। ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, इसे हम देखेंगे।

श्री मोहम्मद सलीम: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, प्रश्न उसी पर आधारित है। सरकार खुद तसलीम कर रही है कि हमारे देश में स्वास्थ्य में जो खर्च हो रहा है, उसका 30 परसेंट से कम सरकारी क्षेत्र में है और 60 परसेंट से ज्यादा, 70 परसेंट प्राइवेट सेक्टर में है। इस दौर में हैल्थ सेक्टर में

फास्टेस्ट ग्रोथ है। यह इनकम जनरेटिंग और प्राफिट मेकिंग भी है। सरकार धीरे-धीरे जनता पर बर्डन डाल रही है। हमारे सामने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां आ रही हैं, एक के बाद एक बीमारियां आ रही हैं, इलाज महंगा हो रहा है। मेरा कहना है कि सरकार लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रही है। 2013-14 बजट के मुकाबले में इस बार बजट में जीडीपी की परसेंटेज का स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम खर्च किया गया है। मंत्री महोदय ने कहा है कि जो भी एलोकेशन होता है, राज्य सरकार की खर्च करने की कैपिसिटी न होने के कारण उसका ऑप्टिमम यूज नहीं हो पा रहा है। हम अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं कि बिल्डिंग बन गई है, मशीनरीज़ हैं लेकिन कर्मचारी नहीं हैं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम: ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन की मानिट्रिंग होनी चाहिए ताकि रोगियों को सुविधा मिल सके। इसके लिए हर जिले में सेंट्रल स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रावधान है कि किस तरह से जन प्रतिनिधि को साथ लेकर मानिट्रिंग की जानी चाहिए, लेकिन वह नहीं हो रही है। आप इस दिशा में क्या कदम उठाएंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न सही है। मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं कि हैल्थ सैक्टर में कोई भी फंड कम नहीं किया गया है। इसका हस्तांतरण हो चुका है। अब राज्यों की क्षमता बढ़ गई है। इसके अनुपात में शेयर भी दे रहे हैं। स्टेट के साथ फ्लैगशिप प्रोग्राम में कोई भी पैसा खत्म नहीं किया गया है।

जहां तक मॉनिटरिंग का सवाल है, यह बहुत अच्छा सवाल है। मैं पर्सनली चीफ मिनिस्टर से मिल रहा हूं। मैंने मुलाकात की है, मैंने बताया है कि आपके यहां इन हैड्स में अभी तक खर्च नहीं हुआ है। साल का अंत आ गया था, उसके पहले मैंने सारी बातचीत की। अब मैं इसकी मॉनिटरिंग को पर्सनली देख रहा हूं। हमारी कोशिश है कि हम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को भी इसमें इन्वाल्व करें। हमने जिला निगरानी समिति की अध्यक्षता की दृष्टि से भी सारे स्वास्थ्य सचिवों को कहा है, आप हमारे सांसदों के प्रति जवाबदेह हैं। हम मैम्बर आफ

पार्लियामेंट के लिए भी अलग से ब्रॉशर भेज रहे हैं कि किस सैक्टर में काम किया है, कैसे फंड का एलोकेशन हुआ है। ये सब आपको भेज देंगे ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट, एरिया और कांस्टीटुएंसी में ऑप्टीमम यूटिलाइजेशन कर सकें।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री दुष्यंत सिंह जी। समय समाप्त हो गया है। कृपया संक्षिप्त में कहें।

श्री दुष्यंत सिंह: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच संबंधों को जोड़ने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और क्या स्वास्थ्य देखभाल व्यय में कटौती की भरपाई स्वच्छता पर खर्च में वृद्धि से की गई है।

[हिन्दी]

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सेनीटेशन का सवाल है, हैल्थ से जुड़े हुए जो विाय हैं, उसमें हम आईईसी करते हैं और आईईसी के ही तहत लेते हैं और हमारी इंटर-डिपार्टमेंटल मीटिंग्स भी होती रहती हैं। उनमें हम सारी चीजों की चर्चा करते रहते हैं।

2*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 346 से 360
अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4140)

2* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह 12.01 बजे**सभा पटल पर रखे गए पत्र**

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2152/16/15]

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का परिणाम बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2153/16/15]

(2) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तों) संशोधन नियम, वर्ष 2015 जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.70(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2154/16/15]

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 54 के खण्ड (क) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का आ 3.54 (अ) जो 5 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा लाइनर पोत परिवहन उद्योग के वैसेल शेयरिंग एग्रीमेंट्स को उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों से छूट प्रदान किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2155/16/15]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): श्री मनोहर पर्रिकर की ओर से, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2156/16/15]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2157/16/15]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2158/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2159/16/15]

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2160/16/15]

(3) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2161/16/15]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुदान की विस्तृत मांगों।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2162/16/15]

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का परिणाम बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2163/16/15]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री थावरचंद गहलोत की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2164/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2165/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2166/16/15]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2167/16/15]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2015-2016 के लिए योजना मंत्रालय के अनुदान की विस्तृत मांगों।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2168/16/15]

- (2) वर्ष 2015-2016 के लिए वैवाहिक आवास परियोजना महानिदेशालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2169/16/15]

- (3) (3) वर्ष 2015-2016 के लिए भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2170/16/15]

- (4) वर्ष 2015-2016 के लिए नेशनल कैडेट कोर का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2171/16/15]

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी की ओर से, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2172/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के, वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे के साथ।
(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के, वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2173/16/15]

- (3) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के, वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे के साथ।
(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के, 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2174/16/15]

- (5) (एक) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के, 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2175/16/15]

(7) वर्ष 2015-2016 के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2176/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2177/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय की परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2178/16/15]

(3) वर्ष 2015-2016 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2179/16/15]

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सर्बानंद सोनोवाल): श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक खातों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ।

(तीन) रबर बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2013-2014 के, कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2180/16/15]

(3)) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2181/16/15]

(5) (एक) चंदेरी डेवलपमेंट सोसायटी फॉर वोवर्स, चंदेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चंदेरी डेवलपमेंट सोसायटी फॉर वोवर्स, चंदेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2182/16/15]

(7) (एक) बद्धी इंफ्रास्ट्रक्चर, बद्धी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) बद्धी इंफ्रास्ट्रक्चर, बद्धी के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2183/16/15]

(9) (एक) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार

द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2184/16/15]

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2185/16/15]

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2186/16/15]

(तीन) वर्ष 2015-2016 के लिए औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिणामी बजट

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2187/16/15]

(12) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2014 जो 4 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का आ 1038(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2188/16/15]

(14) मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 40 के अंतर्गत इलायची (अनुज्ञापन एवं विपणन) संशोधन नियम, 2014 जो 18 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 816 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2189/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): डॉ. महेश शर्मा जी की ओर से, मैं 2015-2016 के लिए पर्यटन मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2190/16/15]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ.3233 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (2) का.आ.281 (अ) जो 29 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(1) के अंतर्गत पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में आधिसूचित कि जाने के बारे में है।

- (3) का.आ. 282 (अ) और का.आ. 283(अ) जो 29 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (4) का.आ. 289 (अ) जो 30 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (5) का.आ. 294 (अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण आधिनियम, 2008 की धारा 15 (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण आभिकरण की ओर से मामले के संचालन हेतु विशेष लोक आभियोजकों की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2191/16/15]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया जी की ओर से आवश्यक वस्तु आधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ. 295 (अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित वर्गीकृत उर्वरकों के दो नए ग्रेडों को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 ख के अधीन इस आधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की समयावधि तक के लिए आधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2192/16/15]

- (2) का.आ. 296 (अ) जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित औपबंधिक उर्वरकों का विनिर्देशन उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अधीन इस आधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक भारत में विनिर्मित किए जाने के संबंध में नियत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2193/16/15]

- (3) उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2015 जो 31 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या का.आ. 297 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2194/16/15]

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्धेश्वर): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखने का अनुरोध करता हूँ (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) वर्ष 2015-2016 के लिए भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अनुदान की विस्तृत मांगें।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2195/16/15]

- (2) वर्ष 2015-2016 के लिए भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2196/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2197/16/15]

(3) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रुड़की के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2198/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री वाई.एस.चौधरी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2199/16/15]

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का परिणामी बजट।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2200/16/15]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं सभा पटल पर रखता हूँ -

- (1) (एक) पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली की वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक कॉपी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखों सहित।
(दो) पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2201/16/15]

- (2) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या साकानि 686 (अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में डीआरएटी के अंतर्गत कार्यभार को युक्तियुक्त बनाने के लिए, ऋण वसूली अधिकरणों को अधिकारिता के पुनर्गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2202/16/15]

- (4) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सुकन्या समृद्धि खाता नियम, वर्ष 2014 जो अधिसूचना सं. सा.का.नि..863(अ) दिनांक 3 दिसंबर, वर्ष 2014 को भारत के राजपत्र में।
- (दो) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (संशोधन) नियम, वर्ष 2014, दिनांक 10 जून, वर्ष 2014 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.392(अ) में प्रकाशित।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2203/16/15]

- (5) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 को धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2014 जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 588 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2204/16/15]

- (6) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक सेवा (संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएसएफ नोटिफिकेशन/जेके जीबी/14/665 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2205/16/15]

- (7) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय बीमा कंपनी (विदेशी निवेश) नियम, 2015 जो 19 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 115 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2206/16/15]

- (8) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत एक रुपए का करेंसी नोट नियम, 2014 जो 22 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 740 (अ) में प्रकाशित हुए थे, को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2207/16/15]

- (9) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत निम्नलिखित कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रति:-

- (1) मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सं. 3, 2015)-राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष करा

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2208/16/15]

- (2) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (2015 का संख्यांक 5)- भेषज क्षेत्र, राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर में निर्धारितियों के निर्धारण के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2209/16/15]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने के लिए अनुरोध करता हूँ -

- (1) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2210/16/15]

- (3) वर्ष 2015-2016 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2211/16/15]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ –

(एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के, 2013-2014, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के, वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2212/16/15]

अपराह्न 12.07 बजे**राज्य सभा से संदेश**

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित दो संदेशों की सूचना देनी है:-

- (1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के प्रावधानों के अनुसार मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015, जिसे लोक सभा ने 17 मार्च, वर्ष 2015 को अपनी बैठक में पारित किया था, को राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजने तथा यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा के पास उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को देने के लिए कोई सिफारिश नहीं है।"
 - (2) "राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के प्रावधानों के अनुसार, मुझे विनियोग विधेयक, वर्ष 2015 के साथ यहां लौटने का निर्देश दिया गया है, जिसे लोक सभा द्वारा 17 मार्च, वर्ष 2015 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और इसकी सिफारिशों के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था और यह बताने के लिए कि इस सभा में उक्त विधेयक के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिशें नहीं हैं।"
-

अपराह्न 12.08 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

15वां प्रतिवेदन

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति की 15वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ

अपराह्न 12.09 बजे**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ^{3*}

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): श्री अरुण जेटली की ओर से, मैं राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों (वर्ष 2013-14) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ।

अपराह्न 12.09 ½ बजे

(दो) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' संबंधी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन को स्थिति *

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष महोदया, डॉ. मनीष शर्मा की ओर से, मैं नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'रेल संरक्षा आयोग का कार्यकरण' संबंधी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति के 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन को स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

^{3*} सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः सं. एल.टी. 2213/16/15 और 2214/16/15

अपराह्न 12.10 बजे**सदस्य द्वारा निवेदन****जम्मू और कश्मीर में कठुआ में आतंकवादी हमले के बारे में**

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा में 'शून्यकाल' चलेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। वैसे भी, गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं सार्वजनिक महत्व का एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ। जम्मू के कठुआ जिले में शुक्रवार सुबह एक आतंकी हमला हुआ। कठुआ जिले में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने एक पुलिस थाने पर हमला किया जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई। पूर्वाह्न 6.20 बजे शुरू हुए हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सात सहित नौ अन्य लोग, एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक के घायल होने की खबर है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने पुलिस स्टेशन में स्वचालित हथियारों का उपयोग करके गोलीबारी की, और उन्हें इमारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया। भारी आगजनी हुई। शुरुआती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। घायल नागरिकों में से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मीडिया और अन्य स्रोतों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार, पुलिस स्टेशन के अंदर छिपे आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए इलाके में अभी भी भारी गोलीबारी जारी है।

जम्मू-कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी-भाजपा की नई सरकार के सत्ता में आने के बाद यह पहला आतंकवादी हमला है। मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में ऐसा बार-बार होता रहा है। इन्टेलिजेन्स तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? भारत सरकार को सूचना क्यों नहीं दी जाती? मुख्यमंत्री जी इन सभी गतिविधियों के बारे में चुप क्यों हैं? क्या वह सीधे तौर पर इन गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं अथवा फिर उन्हें केंद्र सरकार को सूचित करने से कोई एलर्जी है? हम यह जानना चाहते हैं। इतना ही नहीं,

कई अन्य चीजें भी आपकी जानकारी के बिना घटित हुईं। उन्होंने आपको सूचित किए बिना कई आतंकवादियों को छोड़ दिया। इसीलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से, उनसे एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ। यह बार-बार नहीं होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: वे पहले ही जवाब दे चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मुझे पता है, वह पहले ही राज्य सभा में अपना वक्तव्य दे चुके हैं। मुझे भी इस बात की जानकारी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन, मेरा अनुरोध यह है। प्रधानमंत्री जी की चेतावनी के बावजूद, गृह मंत्री जी की चेतावनी के बावजूद, ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही हैं? इसमें कुछ कमी है। या तो आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, अभी कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री खड़गे जी ने जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में पुलिस स्टेशन पर हुए फिदायीन आतंकवादी हमले का प्रश्न सदन के सामने उठाया है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आज ही सुबह छः बजकर बीस मिनट पर आतंकवादी गेट पर तैनात एक सन्तरी की हत्या करके जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के राजबाग पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए। यह पुलिस स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 पर स्थित है। यह पुलिस स्टेशन कठुआ शहर से 15 किलोमीटर उत्तर में है एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अभी-अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस प्राप्त सूचना के आधार पर मैं यह बताना चाहूँगा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूँ कि यह सदन, जम्मू-कश्मीर पुलिस एवं सीआरपीएफ जवानों, जिन्होंने फिदायीन आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की है, के शौर्य एवं पराक्रम की सराहना करता है। इसके आतिरिक्त, वहां पर एक आम नागरिक को फिदायीन

आतंकवादियों ने मार दिया है, उसके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही, जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों के परिवारजनों एवं सीआरपीएफ जवानों के परिवारजनों के प्रति भी यह सदन अपनी संवेदना व्यक्त करता है। जो लोग घायल हुए हैं, उनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के दो जवान, सीआरएफ की 121 बटालियन के सात जवान और एक सिविलियन व्यक्ति घायल हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूँ कि यह कोई विवाद करने का प्रश्न नहीं है कि किसने क्या किया, किसने कैसे रिस्पांड किया। अभी तुरंत ही यह ऑपरेशन समाप्त हुआ है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है, इसलिए मैंने अपना यह दायित्व समझा कि संसद के समक्ष उपस्थित होकर मुझे यह सूचना देनी चाहिए, इसलिए यही सूचना देने के लिए मैं इस सदन में आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आइटम 26 श्री नितिन गडकरी जी, आपको एक बयान देना होगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, आइटम 27 हो गया है, कई मंत्री नहीं थे तो संसदीय कार्य मंत्री ने उनकी जगह पर बोल दिया।

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया। किस बारे में बोल रहे हैं?

श्री मोहम्मद सलीम: मैडम, आइटम नंबर 26 रह गया, आपकी परमीशन लेकर वह इसको भी बोल सकते थे।

माननीय अध्यक्ष : राज्य सभा में वोटिंग है, बोला था, आपको समझ लेना चाहिए।

श्री नितिन गडकरी जी।

अपराह्न 12.13 बजे**मंत्रियों द्वारा वक्तव्य... जारी है**

(तीन) इंडियन मर्चेन्ट नेवी के कैडेट प्रशिक्षुओं के निमित्त ऑन बोर्ड पोत प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की वित्तीय सहायता योजना के बारे में 4*

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी): अध्यक्ष महोदया, भारत की वैश्विक पोत परिवहन क्षेत्र के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन प्रदान करने में एक मजबूत प्रतिष्ठा है। वैश्विक स्तर पर 12 लाख समुद्री यात्रियों में से भारत का हिस्सा 7 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि लगभग 84,000 भारतीय, समुद्री यात्रियों के रूप में काम कर रहे हैं। वे न केवल भारत की छवि को बढ़ाते हैं बल्कि देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं। सरकार का प्रयास भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना तथा भारतीय नागरिकों को विश्व भर में रोजगार पाने के लिए कौशल हासिल करने में सहायता करना है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय 40 समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से, समुद्री यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है। यद्यपि नाविकों के लिए कक्षा प्रशिक्षण की पर्याप्त क्षमता है, लेकिन जहाजों पर प्रशिक्षण स्थानों की संख्या के संदर्भ में नाविकों को प्रशिक्षित करने के प्रयासों में बाधा आ रही है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने एक समाधान का पता लगाने के लिए चर्चा शुरू की। आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने आगे का समाधान खोज लिया है।

वर्ष 2010-2012 के बीच कक्षा प्रशिक्षण पूरा करने वाले कैडेटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की गई है, लेकिन जो भारतीय जहाजों पर प्रशिक्षण बर्थ की अनुपलब्धता के कारण ऑन-बोर्ड जहाज प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

4* ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2215/16/15 देखें।

प्रशिक्षण स्लॉट बढ़ाने के लिए, विदेशी ध्वज वाले जहाज प्रशिक्षण लागत के 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे, जिसकी अधिकतम धनराशि रु. 3 लाख होगी। यह धनराशि, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा योगदान दी जाएगी, सहायता अनुदान दिया जाएगा और छात्रों को यह पैसा वापस नहीं करना होगा। सामाजिक न्याय मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत वित्तीय संस्थानों से ऋण के माध्यम से कैडेटों के लिए प्रशिक्षण की 70 प्रतिशत की शेष धनराशि की व्यवस्था उनकी पात्रता के अनुसार की जाएगी। 70 प्रतिशत लागत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए सामान्य श्रेणी के कैडेटों को सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस योजना से लगभग 2000 कैडेटों को लाभ होने की उम्मीद है जो प्रशिक्षण से गुजरने के बाद, औसत प्रारंभिक वेतन प्राप्त करेंगे, हमारे बारे में \$ 3000 प्रति माह जो लगभग रु. 1,80,000 प्रति माह हैं।

इस योजना से समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ मिलने की उम्मीद है।

योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रिया डी.जी. (शिपिंग) की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

यह स्कीम लाँच हुई है, इस साल इसमें 3,000 लड़कों को रोजगार मिलेगा और हर साल इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 10,000 लड़कों को हम ट्रेड करके फॉरेन भेजकर ट्रेनिंग देंगे। उससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी आएगी।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: तो, यह केवल एक कागज़ मात्र नहीं था, यह एक बयान था।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, खासकर सी फेयरर के मामले में, जिसके लिए

किसी को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए आज उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किया है, इससे देश के नौजवानों के लिए सी फेयरर की व्यवस्था की है, वह वास्तव में ऐतिहासिक है।

अपराह्न 12.17 बजे**नियम 193 के अधीन चर्चा**

देश में कृषि की स्थिति – जारी है

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, कोई 'शून्य काल' नहीं होगा। हम शाम को इस पर विचार करेंगे। अब, हम नियम 193 के तहत चर्चा शुरू करेंगे। बहुत से सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं इसलिए हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

श्री पी.पी. चौधरी।

[हिन्दी]

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 193 के तहत किसानों के सम्बन्ध में हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आज की तारीख में 60 प्रतिशत किसानों को कृषि द्वारा रोजगार मिलता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि कृषि द्वारा रोजगार देने के 1961 के अगर आंकड़े देखें तो तब से लेकर 2014 तक इसमें 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। सन् 1961 में कृषि द्वारा करीब 75 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता था।

[हिन्दी] हमारी कृषि आज भी प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कुछ समस्याएं मैनमेड हैं और कुछ नेचर द्वारा पैदा होती हैं। जैसे सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या ओलावृष्टि हो जाए। अभी हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भारत के अन्य राज्यों में ओलावृष्टि की वजह से किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। यह माना जाता है कि नेचर के अगेंस्ट कुछ जोर नहीं चलता। राम रूठ सकता है, लेकिन ऐसे मामले में राज को नहीं रूठना चाहिए।

मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस मामले में आधिक से आधिक राशि किसानों को राहत के रूप में दी जाए। जहां तक मैनमेड समस्या का सवाल है, 1961 से लेकर अब तक असंतुलित कृषि नीति होने की वजह से कृषि पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से किसान बहुत ही दुखी हुआ है। आज किसान को अपनी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिलता है। वर्ष 1961 में अगर किसान सौ रुपये अपने खेत में लगाता था तो उसको 130 रुपये मिलता था। आज किसान सौ रुपये खेत में लगाता है तो उसको केवल 60 रुपये की आय होती है। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड और इनसैक्टिसाइड ऐसे हैं जिनको खेत में यूज किया जाता है, जबकि वे बैन हो चुके हैं। अमेरीका और यूरोपियन कंट्रीज में भी जो पेस्टिसाइड और इनसैक्टिसाइड बैन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे किसान उनका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है और न ही उनको इस बारे में जानकारी प्रोवाइड की जा रही है।

जहां तक ऋण और बीमा का सवाल है, उसमें भी पर्याप्त सुविधाएं न होने की वजह से किसानों का तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज की तारीख में जीडीपी में कृषि का हिस्सा केवल 13 प्रतिशत रह गया है, जबकि वर्ष 1961 में यह 55 प्रतिशत था। यह बहुत सोचने वाली बात है। आज हमारी 60 प्रतिशत कृषि मानसून पर निर्भर करती है और 40 प्रतिशत को ही ट्याबूबेल से पानी मिल रहा है। अगर हम पांच वर्ष का एवरेज लें तो हमारी कृषि तीन वर्ष बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाती है। अगर दो साल मानसून ठीक भी रहता है तो भी हमारे किसानों को उसका लागत मूल्य नहीं मिलता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज की तारीख में गांव मजबूरी की शरणस्थली बन चुका है। आज फूड सिक्योरिटी के साथ ही साथ नरेगा भी चल रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि 80 परसेंट लोग फूड सिक्योरिटी में कवर्ड हैं। इसका कारण यह है कि कृषि के बर्बाद होने के कारण फूड सिक्योरिटी में एक रुपये प्रति किलो अनाज किसानों को खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं किसानों को अपनी किसानि छोड़कर नरेगा के मजदूर के तौर पर काम करना पड़ रहा है। मेरे मत में इसका उपाय यह है कि नदियों को जोड़ने का काम यदि सरकार कर लेती है तो पूरे देश की कम से कम 60 प्रतिशत जमीन सिंचित की जा सकती है। इससे किसानों

को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। यही नहीं गांव में नदियों को जोड़ने से जो पानी आएगा, उससे देश का कोई भी गांव पीने के पानी से वंचित नहीं रह पाएगा। साथ ही साथ इससे किसान का हर खेत सिंचित हो जाएगा। इससे सूखा और बाढ़ का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा।

अपराह 12.23 बजे

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

पिछले दो वर्षों में 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये इंडस्ट्री को इंसेन्टिव के रूप में दिए गए और दो लाख करोड़ रुपये इनकम टैक्स के माफ किए गए। यही पैसा अगर नदियों को जोड़ने के लिए लगा दिया गया होता तो आज हमारे किसानों पर जो आपदा आयी हुई है, वह हमें देखने को नहीं मिलती। पिछले पचास सालों से किसानों की समस्या के बारे में इस सदन में चर्चा होती रही है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। जबकि किसान वहीं खड़ा नहीं है, वह और गरीब होता गया है। इसके समाधान के लिए स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी है, लेकिन मैं उस रिपोर्ट के अलग-अलग विषयों के बारे में बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस रिपोर्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाती है तो उससे बहुत बड़ी राहत किसानों को मिलेगी। ...(व्यवधान)

महोदय, आज हम किसानों की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश का किसान इसे सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे आप बोलने के लिए पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

मैं बाढ़ और सूखे की स्थिति के बारे में बता रहा था कि ओलावृष्टि के अलावा बाढ़ और सूखे की स्थिति भी आती है, उससे निपटने के लिए जिस प्रकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उन्होंने यह कहा था कि अगर नदियों से नदियां जोड़ी जाती हैं तो उसमें हमें 2400 मेगावाट बिजली मिल सकती है। 25 मिलियन हैक्टेअर लैंड इरिगेट हो सकती है और दस मिलियन हैक्टेअर लैंड में ग्राउंड वाटर रीचार्ज होगा। मैं हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अभी इस बजट में किसानों का विशेष ध्यान

रखा है, इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि क्षेत्र सिंचित करना, फसल बीमा योजना हेतु 2590 करोड़ रुपये प्रस्तावित करना, प्रधान मंत्री ग्राम सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, फार्म क्रेडिट, जहां 8 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, मैं सरकार के माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अभी जो आपदा आई है, चाहे मेरे लोक सभा क्षेत्र पाली में आई है और चाहे राजस्थान में अन्य जगह आई है, मैं वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, जिससे वहां के किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

^{5*}श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): पिछले 65 वर्षों से किसानों के मुद्दों में चर्चा हो रही है और इस देश में 60 वर्षों से आधिक कांग्रेस ने राज किया है। पूर्व सरकार की गलत नीतियों एवं किसान विरोधी नीति होने के कारण किसान की दुर्दशा निरंतर जारी है। 1995 से आज तक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आज किसानों के 80 मिलियन परिवारों में से 40 मिलियन परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। यह सब पूर्व की सरकार की नीतियों का परिणाम है।

देश में 85 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं। अगर हमें उन्हें बचाना है तो हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हमें किसान हितैषी नीतियों को लागू करना होगा। हमें किसानों के लिए को-ऑपरेटिव बैंक बनाने होंगे। हमें छोटे-छोटे किसानों को कम्पेटिटिव बनाना होगा। प्रतिवर्ष बहुत सारा अनाज बर्बाद होता है। लेकिन आज तक उसे बचाने के लिए कोल्ड चेन और ग्रेन स्टोर नहीं बन सके हैं। इस कार्य के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है और आज फसल बीमा और कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी लागू करने की आवश्यकता है।

आज विचार करने का विषय है कि किसानों द्वारा जिस तकनीक को अपनाया जा रहा है, उसकी पैदावार कितनी है? उसकी लागत के अनुसार प्राप्ति कितनी है? आज उसकी जमीन की टेस्टिंग करने के बाद उसके अनुरूप तकनीकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसानों के प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

^{5*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी बात संक्षिप्त में रखें। कई सदस्य हैं जो इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। इसे कल रात ही पूरा कर लिया जाना था लेकिन कई सदस्यों को बोलना है इसे ध्यान में रखते हुए, हमने आज भी इस चर्चा को शुरू किया है। इसलिए, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे अपने भाषणों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करें। इसके बाद, माननीय मंत्री जी को जवाब देना है और फिर, हमें अन्य कार्य भी करने हैं। इसलिए, अपने भाषण में केवल महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करें और संक्षिप्त में करें।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, जब हम भारत में कृषि संकट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम डब्ल्यू.टी.ओ. शासन और भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते के पीड़ितों की पीड़ा और दयनीय आर्थिक स्थितियों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। भारत की बागान राजधानी, केरल में, नकदी फसलों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण लाखों किसान और श्रमिक संकट में हैं। केरल की खेती का दो-तिहाई क्षेत्र आठ नकदी फसलें – प्राकृतिक रबर, इलायची, काली मिर्च, सुपारी, नारियल, चाय और कॉफी और काजू को समर्पित है।

महोदय, नकदी फसलों के उत्पादक किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में बाज़ार की अनिश्चितताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। नकदी फसलों के रणनीतिक महत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने इन सभी नकदी फसलों को वाणिज्य मंत्रालय के तहत लाया और विभिन्न अधिनियमों – रबर अधिनियम, कॉफी अधिनियम, चाय अधिनियम आदि के तहत कमोडिटी बोर्ड स्थापित किए गए थे।

देश के उत्पादित बागानों का छियालीस प्रतिशत केरल द्वारा योगदान दिया जा रहा है। जहां तक रबर का संबंध है, केरल में 83 प्रतिशत प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जा रहा है। 1991 में आर्थिक सुधारों और व्यापार में छूट के बाद, सरकार ने कृषि उपज विशेषकर प्राकृतिक रबर और इलायची जैसी नकदी फसलों के आयात पर प्रतिबंधों में छूट दी है। कोई भी व्यक्ति 20 प्रतिशत या रु. 30 जो भी आयात शुल्क के रूप में कम हो, भुगतान करके भारत में रबर का आयात कर सकता है। रबर को 18 से 24 महीने में मुक्त निर्यात के तहत मूल्यवर्धित वस्तुओं को फिर से निर्यात करने की प्रतिबद्धता के साथ भी आयात किया जा सकता है। मैं इस

सरकार का बहुत आभारी हूँ कि समयावधि को घटाकर छह महीने कर दिया गया है और मैं इसकी भी सराहना करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष, महोदय, अप्रैल, 2011 की अवधि के दौरान, हमें रु. 240 प्रति किलोग्राम पर रबर मिल रहा था और अब हमें रु. 113 प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। एक किलोग्राम शुष्क रबर के उत्पादन की लागत अब रु. 150 से रु. 160 प्रति किलोग्राम है।

डब्ल्यू.टी.ओ. समझौतों के साथ-साथ भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते भी हैं जिनमें भारत ने रबर सहित कई कृषि वस्तुओं के आयात पर टैरिफ रियायत की पेशकश की है। सबसे चिंताजनक, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि प्राकृतिक रबर को एक औद्योगिक उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है न कि कृषि वस्तु के रूप में। सूखे रूप में प्राकृतिक रबर के आयातित टैरिफ की बाध्य दर इस प्रकार तय की गई है 25 प्रतिशत या रु. 30, जो भी कम हो, जबकि लेटेक्स की दर 75 प्रतिशत या रु. 49, जो भी कम हो।

छूट प्राप्त प्रतिबंधों का लाभ उठाते हुए, प्राकृतिक रबर के आयात में कई गुना वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान, भारत में केवल 77,762 मीट्रिक टन रबर का आयात किया गया था जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान, उन्होंने 360,273 मीट्रिक टन रबर का आयात किया है। पिछले साल हमने केवल 763,800 मीट्रिक टन रबर की खपत की थी लेकिन निर्माताओं ने उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक 125,000 मीट्रिक टन रबर का आयात किया था और वे इसे प्राकृतिक रबर की कीमत को कम दर पर रखने के लिए बफर के रूप में रख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: महोदय, मैं निष्कर्ष की प्रक्रिया में हूँ।

इन परिस्थितियों में, डब्ल्यू.टी.ओ. और आसियान समझौतों के तहत पुनः बातचीत की शर्तें प्रदान की गई हैं। अब, यह सरकार के लिए है कि वह रबर को फिर से वर्गीकृत करने और कृषि वस्तु के तहत रबर को

शामिल करने के उद्देश्य से आसियान गार के साथ-साथ डब्ल्यू.टी.ओ. शासन में फिर से बातचीत के खंडों को लागू करे।

जहां तक इलायची का सवाल है, इलायची क्षेत्र में भी काफी समस्याएं हैं। पहले, हमें इलायची के लिए रु. 1,600 प्रति किलोग्राम रुपये मिल रहे थे लेकिन अब हमें केवल रु. 450 प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं। यहाँ भी इलायची का अंधाधुंध आयात होता है। महोदय, आप इलायची में भी रुचि रखते हैं क्योंकि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में बहुत सारे तमिल लोग हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है। इसलिए, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: महोदय, मेरे पास केवल यह बिंदु है क्योंकि इन नकदी फसल उत्पादकों की शिकायत का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। इसलिए, मैं उनकी समस्याओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: कई सदस्य पहले ही खबर पर बोल चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज: मैं केवल एक मिनट और लूंगा।

महोदय, ग्वाटेमाला से इलायची के अंधाधुंध आयात और इसे हमारी मूल इलायची के साथ मिलाकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय इलायची के रूप में बेचने के कारण, हमने सऊदी अरब और अन्य देशों में अपने पारंपरिक बाजार खो दिए हैं। यही हाल चाय का भी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, चाय बागान श्रमिकों के 45,000 परिवार हैं और छोटे उत्पादकों के 8500 परिवार हैं। वे सभी चाय पर निर्भर हैं लेकिन चाय क्षेत्र में कठिनाइयों के कारण उनका जीवन भी संकट में है। इलायची क्षेत्र भी इसी समस्या का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से इस मामले में विचार करने और डब्ल्यू.टी.ओ. और एशियान समझौते में पुनः बातचीत का आह्वान करने का आग्रह करता हूँ।

महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कृषि हमेशा प्रकृति, बाजार और कई अन्य कारकों के अधीन होती है। इस प्रकार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, फसल बीमा, मूल्य स्थिरीकरण और स्वामीनाथन आयोग द्वारा

अनुशंसित उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना और जैसा कि बीजेपी के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया है देश में कृषि संकट को कम करने के लिए समय की आवश्यकता है और उन्हें प्रस्तुत किया जाना है। मैं सरकार से कृषि प्रधान लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल निर्णय लेने और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्राकृतिक रबर को भी शामिल करने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

^{6*}श्री राकेश सिंह (जबलपुर): देश के एक अरब 26 करोड़ लोगों में से आज भी तकरीबन 65 फीसदी लोग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ये वो लोग हैं जो देश के एक अरब 26 करोड़ लोगों के लिए अन्न उपजाते हैं। ये वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में आज भी एक तिहाई का योगदान देते हैं। एक आंकड़ा पिछली सरकार के दिनों का है। तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री केवी थामस ने तब लोक सभा में स्वीकारा था कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 11708 टन खाद्यान या तो खराब है या वितरित करने योग्य नहीं है। बार-बार खबरें आती हैं कि हमारे अनाज गोदाम खाद्यान से भरे हैं। कई बार खबरें आती हैं कि हमारे यहां इतना अनाज हो जाता है कि अनाज को खुले में बाहर रखना पड़ता है। हमारे देश का किसान दिन-रात मेहनत करके, अपना खून-पसीना एक करके, बारिश-ठंड-गर्मी के तमाम मौसमों में अपने खेत में लगा रहता है और सालाना औसतन 20 करोड़ टन खाद्यान पैदा करता है। इतना अनाज की देश के हर व्यक्ति को दो क्विंटल अनाज सालाना मिल सके। हर आदमी को हर महीने करीब 16 किलो अनाज मिल सके।

देश का किसान जो अपने अथक परिश्रम से इतना करता है, वो आज भी अपनी खेती को मौसम की मार से नहीं बचा पा रहा है। कई प्रदेशों में आज भी हमारे देश का किसान जो कर्ज लेता है, उसका 58 फीसदी सरकारी या सहकारी माध्यमों से नहीं, बल्कि अनौपचारिक तरीकों से ले रहा है। और किसान इन लोगों से जिस दर पर कर्ज लेता है, उसका ब्याज चुकाते चुकाते मर जाता है। इसीलिए मध्यप्रदेश में किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पांच वर्ष पूर्व ही किसान को शून्य प्रतिशत यानि बिना ब्याज के कर्ज मिले यह निर्णय कर दिया था। जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने है। और मध्यप्रदेश में आज कृषि विकास दर 24.99 प्रतिशत है, जो देश में सवारधिक है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) का आंकड़ा है। 1997 से 2007 के बीच देश में एक लाख 82 हजार 936 किसान भाईयों ने आत्म हत्या की। मतलब हर आधे घंटे में एक किसान अपनी जान दे रहा था।

^{6*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश का अन्नदाता ही अपना जीवन खत्म कर रहा था। हमारे विपक्षी सांसद यूपीए सरकार के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम होगा कि 2006 में जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किसानों की आत्महत्याओं के लिए जाने गए विदर्भ का दौरा किया था, तो प्रधानमंत्री के उस दौरे के बाद वर्धा के एक किसान ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा था- 'प्रधानमंत्री जी के दौरे और फसल पर नए कर्ज की घोषण के बाद मुझे लगा कि मैं दोबारा जी सकूंगा। लेकिन बैंक में मेरी कोई इज्जत नहीं थी।' ...ये सच्चाई है देश के किसान की हताशा की। आजादी के 50 साल तक देश में राज करने की दावा करने वाले क्यों नहीं किसान भाईयों के लिए कुछ कर पाएं?

मैं जबलपुर संसदीय क्षेत्र से हूँ जो मध्यप्रदेश में है। पिछले दिनों में मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि हुई है। जबलपुर एवं प्रदेश में फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशव्यापी यात्रा पर निकले हैं। गांव-गांव जाकर किसानों से मिल रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान नीमच जिले के दारू गांव में जब एक बूढ़े किसान ने अपनी व्यथा बताई तो फसल बर्बाद होने से परेशान उस रोते-बिलखते बूढ़े किसान को दिलासा देते हुए मुख्यमंत्रीजी ने कहा- कि 50 फिसदी बर्बाद फसल को हम 100 फीसदी मानेंगे। हमारे प्रदेश सरकार ने गेहूं और धान की खरीदी पर 100 रुपये और 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस की घोषणा की है। जिसके चलते 35 लाख क्विंटल गेहूं खरीदी का रिकार्ड बना है। इसी तरह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन कायारन्वित योजनाओं में देय अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करने का निर्णय लिया गया है। मिक्चर उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाया है और कपास बीज बेचने वाली कंपनियों पर नियंत्रण करने हेतु 'मध्यप्रदेश कपास बीज विनियम एवं विक्रय मूल्य निर्धारण विधेयक' विधान सभा में पारित कराया गया है। अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को बैलचालित एवं हस्तचालित कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 फीसदी टॉपअप अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। जो केन्द्र सरकार के 25 फीसदी अनुमान के आतिरिक्त है। इस तरह मध्यप्रदेश में इन किसानों को कृषि यंत्रों पर 75 फीसदी अनुदान मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसान जो गहरी जुताई करने वाले स्वचालित यंत्र नहीं खरीद पाते हैं,

उनके लिए 'हलधर योजना' शुरू की है। इसमें ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर एक हजार रुपये अनुदान दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए हमारी प्रदेश सरकार स्प्रिंकलर एवं डिप सिंचाई प्रणाली की खरीद पर 30 प्रतिशत टॉपअप अनुदान दे रही है। किसानों को लेकर सरकारों को ऐसे ही संवेदनशील होना चाहिए।

मेरे कई साथियों ने पिछली सरकार के वक्त 60 हजार करोड़ रुपये के किसान कर्ज की माफी घोषणा का जिक्र किया। लेकिन वो भूल गए कि उसके कुछ महीने बाद से ही उनके उस दावे की पोल खुल गई थी। इस सदन में कई बार ये बताया जा चुका है कि कैसे वो 60 हजार करोड़ रुपये का लाभ उन मजबूर किसानों को नहीं मिला, जो कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे थे। सुनियोजित तरीके से किसानों के नाम पर कर्ज का घोटाला करने वालों ने इसका फायदा उठाया, नहीं तो क्यों 2007 में भी विदर्भ इलाके में चार हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की।

किसान मात्र कर्ज माफी नहीं चाहता। वो खेती के लिए मूलभूत सुविधाएं चाहता है। वो खेती के लिए पानी चाहता है। वो उन्नत बीज चाहता है। वो फसल के लिए उर्वरक चाहता है। वो खेती के लिए बिजली चाहता है, जिससे वो सिंचाई कर सके। वो गांव से पास के कस्बे या शहर को जोड़ने वाली सड़क चाहता है... और यही हमारी सरकारों ने किया।

मैं हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने किसान भाईयों के हालातों को मन में रखते हुए कई अभूतपूर्व योजनाएं शुरू की थीं। मैं हमारे प्रधानमंत्रीजी के खेती के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के प्रयासों का कायल हूँ, जो किसानों को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि वो किसी भी सरकार के सामने कर्ज माफी के लिए हाथ ना फैलाएं।

हमारी ही सरकार थी, जिसमें देश की नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया था, जिससे देश ज्यादा से ज्यादा खेतों तक 12 महीनें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा सके। ये हमारी ही सरकार थी, जिसने सबसे पहले देश के गांवों को राज्यमार्गों और नेशनल हाइवे से जोड़ने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' शुरू की थी। हमारी सरकार ने देश के गांवों को देश के व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ने की

कोशिशें की थी, और हम कर रहे हैं, जिससे किसान अपनी उपज पास की मंडी तक ले जा सकें। जिससे किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिल सके।

हमारी ही सरकार थी जिसने कृषि फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। हमारी सरकार के वक्त ही किसान कॉलसेंटर शुरू किया। जिससे किसान खेती से जुड़ी अपनी परेशानियों को लेकर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन ले सके।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने 'स्वाइल हेल्थ कार्ड' की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब हमारे किसानों को मृदा जांच की सुविधा दिलाई जाएगी और ये सिर्फ घोषणा नहीं थी। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने इसका आसान रास्ता भी बताया। कैसे कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि महाविद्यालयों को किसानों से जोड़ा जाए। कैसे 11वीं, 12वीं कक्षा के छात्रों को मृदा जांच का प्रशिक्षण देकर किसानों के लिए मदद का एक नेटवर्क तैयार किया जाए, ताकि किसान अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कर उसके अनुसार फसल का निर्णय ले सकें।

हमारी सरकार ने हाल में आम बजट में 'प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना' की बात की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश के हर गांव के हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। देश के जल संसाधन का वैज्ञानिक तरीके से इस तरह उपयोग हो कि सिंचाई के लिए पानी ज्यादा से ज्यादा मिला सके। ... और इसीलिए आम बजट में मृदा जांच और इस सिंचाई योजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया है।

हमारे प्रधानमंत्रीजी ने ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रयास शुरू किए हैं, जिससे हमारे गांव का युवा खेती ही नहीं पूरे गांव के विकास में अपना योगदान दे सके।

अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अब छोटी काश्त के किसानों याने स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले किसानों के लिए विशेष व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए।

फसल बीमा योजना के तहत नियमों को इस तरह से निधाररित किया जाए, जिससे बीमा क्लेम के वक्त किसानों को परेशानी ना हो। जिसकी आज सवारधिक आवश्यकता है।

[हिन्दी] साथ ही स्कूलों में कृषि संबंधी विषय पढ़ाया जाना चाहिए। जिससे देश में बच्चे खेती की आधुनिकतम तकनीक की जानकारियां पा सकें। इतना ही नहीं, ग्रामीण इलाकों के हायर सेकेंडरी छात्रों को विशेष प्रशिक्षण या कृषि संबंधी सर्टिफिकेट प्रोग्राम का भी ऑप्शन मिले, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में कृषिगत कौशल विकसित कर सकें।

7* श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर): भारत देश की 80 प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है। लेकिन खेती की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, सिंचाई, बिजली, खाद की समय पर उपलब्धता, जो समय पर नहीं होता है, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बिजली पम्प के साथ-साथ बाराहमासा नदी जो बहती है, उस पर यदि सुलिशगेट की व्यवस्था हो जाये तो किसानों की आधी समस्या दूर हो जायेगी और वे बिजली के भरोसे नहीं रहेंगे।

मैं झंझारपुर, बिहार से आता हूँ। खाद की उपलब्धता हेतु यदि बिहार के बरौनी फर्टिलाइजर फैक्टरी को सुचारू रूप से चलाया जाये तो खाद की समस्या बहुत हद तक दूर हो जायेगी। साथ ही किसानों के अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। बीच में बिचौलिये लूट लेते हैं। इस पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है और सहकारिता के माध्यम से अनाज की खरीद करायी जा रही है, वह बहुत धीमी गति से चल रही है। इन सभी चीजों पर मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है।

7* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसी पार्लियामेंट में सन् 1994 में एक डंकल ड्राफ्ट पास हुआ था, जिसके तहत डेढ़ सौ से ज्यादा शर्तें थीं, जिनमें से तीन-चार मूल शर्तों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिसमें यह कहा गया था कि हिंदुस्तान का किसान अपने खेतों में देसी बीज नहीं बोएगा। दूसरा, विदेशी खादों को अपने खेतों में डालेगा। तीसरा यह कि विदेशी हाइब्रिड बीजों का उपयोग करेगा। मान्यवर, उसी के चलते आज विदेशी हाइब्रिड बीज दिया जा रहा है, जिसको एक बार किसान बोता है, दोबारा अगर बोता है तो इंपोटेंट बीज पैदा होता है और उससे फसल पैदा नहीं होती है। जो विदेशी खाद, हमारे यहां डीएपी जैसी खादें पहले कम रेट पर दी गईं और बाद में वह खाद जमीन को एडिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से दो बार जिन खेतों में वह खाद डाली जाती है, दोबारा उस खाद के डाले बगैर फसल पैदा नहीं होती है। यह डीएपी खाद अमरीका की है, लेकिन अमरीका में इसे उपयोग करने पर रोक लगाई गई है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का किसान अपनी खेती को बचाना चाहता है तो उनको डीएपी जैसी खादों का उपयोग हिंदुस्तान में नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में डीएपी खाद का उपयोग होता है, जिसकी वजह से लगातार हमारी फसल बेकार होती जा रही है। हमारी भूमि की उर्वरा क्षमता खत्म होती चली जा रही है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी पूरी साजिश है डंकल ड्राफ्ट की और डब्ल्यूटीओ की। जैसे डब्ल्यूटीओ ने एक पूरी साजिश बनाई है। हमारे देश की जमीन जो पहले बीघा, बिसवा, बिस्वांसी में लिखी जाती थी, डब्ल्यूटीओ के दबाव में हमारे यहाँ उसे हेक्टेअर में दर्ज कराकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फार्मिंग कराने की ऐसी एक पूरी साजिश है और उसी साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। अगर हमारे यहाँ अगर देशी बीज खत्म हो जाएगा, तो हम पूरी तरीके से विदेशी कंपनियों पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। वे बीज देंगे, तब हम बोएंगे, अगर वे बीज नहीं देंगे तो हमारे खेतों में फसलें नहीं होंगी।

इसलिए हमारी सरकार से माँग है, नम्बर एक- चूंकि यहाँ पेटेंट कानून भी इसी पार्लियामेंट के अंदर पास हो चुका है, जो विदेशी हाइब्रिड बीज हैं, जो विदेशी खादें हैं, उनको हम अपने देश में नहीं बना सकते हैं।

इसलिए डीएपी जैसी पैरलल खाद के बराबर एक बेहतर उर्वरक खाद हमारे देश में सरकार की तरफ से बननी चाहिए। नम्बर दो- ऐसे उन्नतशील बीज हमारे देश में बनने चाहिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बनें। हम विदेशी कारपोरेट घरानों के बीजों पर और विदेशी खादों पर निर्भर न हों। इसकी वजह से हमारे देश में बड़ा नुकसान हो रहा है। इसी तरह तमाम चीजों में जो नकली कीटनाशक दवाएं दी जा रही हैं, उनकी वजह से हमारी फसलें ठीक तरह से पैदा नहीं होती हैं, बल्कि उनमें नुकसान भी होता है।

महोदय, मैं मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ का रहने वाला हूं। मेरे यहां आम की फसल बहुत होती है। पूरे देश और दुनिया में मलिहाबाद आम के मामले में प्रसिद्ध है। जो नकली दवाएं हैं, उनके कारण यहां आम की फसल बेहतर तरीके से नहीं होती है। यहां कोई भी निर्यात केन्द्र आम का नहीं खोला गया, जिससे यहां का किसान अपने आम को विदेश में भेज सके और उसे उसके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। किसानों को कोई लाभ देने का काम नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमें किसानों को बेहतर तरीके से सुविधाएं देनी होंगी।...(व्यवधान) मैं एक मिनट और लूंगा। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस समय आतिवर्षा की वजह से फसल बर्बाद हुई, इसलिए किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए, किसानों की सिंचाई का पैसा माफ किया जाना चाहिए। किसान की जो फसल खराब हुई है, उसे उसका मुआवजा देना चाहिए। किसानों को अच्छी फसल पैदा करने के लिए 24 घंटे बिजली निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा वन विभाग की जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उस जमीन का भूमिहीन लोगों में आबंटन करना चाहिए, जिससे उन लोगों का इसका फायदा मिल सके। अगर इस तरीके के काम कराए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तरीके से किसानों का हित होगा। किसानों के हित के लिए फिर एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि डब्ल्यूटीओ की ऐसी साजिश को, इस देश के किसानों की फसल को ले लेने की जो साजिश है, उससे बचाने के लिए विदेशी हाइब्रिड बीज और विदेशी खाद पर निश्चित तरीके से रोक लगाई जाए, अन्यथा हमारी कृषि निश्चित तरीके से गुलाम हो जाएगी और

हम एक-एक दाने के मोहताज हो जाएंगे और विदेशी लोगों की तरफ हम हाथ फैलाकर देखेंगे कि कब वे हमको अनाज दें और हम जिन्दा रहने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

8* श्री पी.के. बीजू (अलथूर): हम सभी जानते हैं कि भारत गाँव में बसता है और कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 70% ग्रामीण परिवार मुख्य आय स्रोत के रूप में खेती पर निर्भर हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि "जय जवान, जय किसान" एक आकर्षक नारा बन गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से हमने कृषि क्षेत्र पर काफी जोर दिया। इसके बाद, हमने कृषि पर मुख्य ध्यान केंद्रित करते हुए देश के समग्र विकास को लक्षित करते हुए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इन सभी प्रयासों और बयानबाजी के बावजूद, यह सच है कि हम अभी भी कृषि क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं और धरती को जोतने वाले वर्तमान किसान अनंत दरिद्रता में जी रहे हैं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसे स्वतंत्र भारत में हर बजट भाषण में प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यह क्षेत्र तब परिलक्षित नहीं होता है जब आप जमीनी स्तर पर मामलों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और पंजाब और हाल ही में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और यहां तक कि तथाकथित विकसित राज्य केरल में किसानों की आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है।

आई.बी. के अनुसार, "किसानों की आत्महत्या का मुख्य कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।" जबकि प्राकृतिक कारक जैसे असमान बारिश, ओलावृष्टि, सूखा और बाढ़ फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, मानव निर्मित कारक, जैसे मूल्य निर्धारण नीतियों और अपर्याप्त विपणन सुविधाओं के परिणामस्वरूप उपज के बाद नुकसान होता है। किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों की संख्या शीर्षक वाली अखिल भारतीय प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकारी राहत पैकेज सीमित उपयोग के हैं क्योंकि वे निजी साहूकारों से उधार लेने वाले किसानों की दुर्दशा का समाधान नहीं करते हैं। फिर से, यह इंगित किया जाता है कि कुर्की का खतरा और कीमत में विफलता दुर्घटना का तात्कालिक कारण है। गिरती कीमतें; इन घटनाओं के पीछे फसल की विफलता और बढ़ते कर्ज की पहचान इन घटनाओं के पीछे के कारणों के रूप में की गई है। पीड़ितों ने अपने कृषि कार्यों के लिए बैंकों, सहकारी

^{8*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समितियों और धन उधारदाताओं से उधार लिया था। लेकिन कीमतों में गिरावट और फसल की विफलता ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया और उनके दुखों का अंत हो गया। उर्वरक मूल्य में वृद्धि और सब्सिडी में कटौती सहित केंद्र की नीतियों ने किसानों को और संकट में धकेल दिया है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ।

कृषि उत्पादों के लिए मूल्य समर्थन, ऋण पर एक साल की रोक और ब्याज रियायतें सहित नए शुरू किए गए उपाय, सिर्फ दिखावा हैं। ऋणों के पुनर्भुगतान पर रोक से किसानों को तब तक मदद नहीं मिलेगी जब तक कि उनके उत्पादों की उच्च कीमत सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाए जाते। ब्याज रियायत से कई लोगों को राहत भी नहीं मिलेगी क्योंकि केवल कुछ किसानों ने सरकारी संस्थानों से ऋण लिया था। वर्ष 2011-2012 में कृषि भूमि वर्ष 2007-08 में 182.44 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 181.98 मिलियन हेक्टेयर हो गई। देश के सभी भू जोतों में से 85% छोटे और सीमांत किसानों के हैं। आज जो किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उनके साथ वर्तमान सरकार का जिस तरह का व्यवहार होता है उससे वे निःशब्द हो गए हैं। कृषि विभाग में आबंटन पिछले वर्ष में रु. 19,852 से रु. 1,7004 तक कम कर दिया गया है। राशि रु. 5000 करोड़ सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए आबंटित एक मामूली राशि है। रु. 8.5 लाख करोड़ का आबंटन कृषि ऋण के रूप में एक और वादा है। लेकिन संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई ब्लू प्रिंट नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भारत में अधिकांश कृषि ऋण कृषि प्रयोजनों पर खर्च किया जाता है और यदि यह साकार भी हो जाता है, तो इसका असर कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ेगा। यह एक तथ्य है कि मौजूदा कृषि ऋण कोष का लगभग 94% सीधे कृषि आधारित उद्योगों को जाता है न कि किसानों को। समस्या यह है कि समय के साथ कृषि ऋण की परिभाषा का विस्तार हुआ है और अब इसमें खुदरा श्रृंखलाएं और भंडारण गृह भी शामिल हैं जो सब्सिडी के रूप में कटौती करते हैं। तो, रु. 8.5 लाख करोड़ का वादा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं है। कृषि विपणन मूल्य समितियों (ए.पी.एम.सी.) को बदलकर संयुक्त राष्ट्रीय कृषि बाजार की घोषणा से कृषि उपज के लिए कम कीमत की समस्या हल नहीं होगी। किसानों और उपभोक्ताओं को हाल के भविष्य में मानसून की

विफलता या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जिस समस्या का सामना करना पड़ सकता है उसके लिए शायद ही कोई राहत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री ने सौंदर्य प्रसाधनों और प्रतीकात्मकता से अधिक कुछ नहीं किया। यदि आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में उल्लिखित भारत का समग्र जी.डी.पी. 7.5% की दर से बढ़ रहा है और यदि वित्त वर्ष 2015 में कृषि विकास दर 1.1% पर धीमी हो रही है तो क्या यह चिंता का कारण नहीं होना चाहिए?

2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में किसानों की आबादी कम हो रही है, 42% किसान एक विकल्प दिए जाने पर कृषि छोड़ना चाहते हैं: एन.सी.आर.बी. की प्रतिवेदन से पता चलता है कि 1995 से 270,940 भारतीय किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कृषि कारणों से किसानों की आत्महत्या में 26% की वृद्धि हुई। एन.एस.एस.ओ. की तारीख चौंकाने वाली आंखें खोलने वाली है। इसमें कहा गया है कि 89.35 मिलियन किसान परिवारों में से 43.42 मिलियन (48.6%) ऋणी हैं। सिंचाई से बजटीय आबंटन में कटौती की नीति, उर्वरक के लिए सब्सिडी से अपर्याप्त ऋण सुविधाओं सहित कई कारण हैं।

केरल राष्ट्रीय परिदृश्य से अपवाद नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरा निर्वाचन क्षेत्र, अलथुर, जहां अधिकांश चावल की खेती पर निर्भर हैं या तो कर्ज के जाल में फंस गए हैं या धान की खेती छोड़ रहे हैं। मैं कृषि मंत्रालय से केरल के पालक्काड़ जिले, चित्तूर तालुका में दाहिने तट नहर विस्तार (आर.बी.सी.) परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ। चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य समय की मांग है। इनके समानांतर, सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से आसान ऋण दिए जाने के प्रावधान किए जाने चाहिए।

मेरा सरकार से आग्रह है कि बयानबाजी के स्तर से परे सरकार को हमारे देश में कृषि के विकास के लिए यथार्थवादी कदम उठाने होंगे।

[हिन्दी]

^{9*} **डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद)** : भारत कृषि प्रधान देश है और किसान सबसे ज्यादा भगवान भरोसे ही जीता है। किसान इस देश को अन्न मुहैया कराता है। वह पसीना बहा कर भी लोगों के लिए अन्न पैदा करता है।

अगर उनके बारे में सोचा जाए तो कृषि कुल मिलाकर कुदरत तथा भगवान की कृपा से ही चलती है। अगर बारिश कम हुई या ज्यादा हुई तो भी किसान ही बर्बाद होता है।

हाल ही में मौसम में आए परिवर्तन की वजह से कमोसमी बारिश हुई। इस बार सिर्फ बारिश नहीं हुई मगर कई राज्यों में ओले पड़े। मैं जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहां गुजरात में भी कई जगहों पर ओले पड़े। पूरे देश के कई प्रदेशों में ओले पड़ने की वजह से किसान को भारी मात्रा में नुकसान सहन करना पड़ा है।

किसान की फसल, जो उसने अपना पसीना एवं लहू बहाने से पैदा की थी, वह सिर्फ एक ही प्राकृतिक आपदा की वजह से बर्बाद हो गई है। किसान ने मेहनत के सिवाय, फर्टिलाइजर्स और महंगा बियारण के साथ जो लागत लगाई थी मुनाफा तो जाने दो, मगर उसे लगाई हुई लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है।

जिन्हें हम 'जगत का तात' कहते हैं वह किसान आज परेशान है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गुजरात सहित सभी प्रदेशों में कुदरती आपदा के तहत कमोसमी बारिश एवं ओले गिरे हैं, वहां सभी जगहों पर कृषि दलों को भेजा जाए। वहां हुए नुकसान का आंकलन करके किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए तथा उनके ऋणों के ब्याज की माफी की जाए।

^{9*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, मैं आपके माध्यम से किसान और कृषि, जिसे हमारे देश की रीढ़ की हड्डी और स्तम्भ कहा जा सकता है पर अपनी बात कहना चाहूँगी। कल मैं सबकी स्पीच सुन रही थी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग सिर्फ आँकड़ों-आँकड़ों की बात कहते हैं, पक्ष में हों या विपक्ष में हों, सिर्फ आँकड़ों की बात कहते हैं कि हमने जीडीपी इतनी बढ़ाई और आपने जीडीपी इतनी कम की। अगर हम सही मायने में किसान के बारे में सोचना चाहते हैं, दिल से सोचना चाहते हैं और इच्छाशक्ति रखना चाहते हैं तो यह बॉल कभी इस तरफ, कभी उस तरफ से नहीं, बल्कि चाहे जीडीपी बढ़ी या घटी, लेकिन आजादी के बाद से आज तक लगातार किसान का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। जब 70 से 75 परसेंट लोगों के रोजगार का माध्यम कृषि था, आज मात्र 49 प्रतिशत लोगों के रोजगार का माध्यम कृषि आ गया है, वह भी मेरे ख्याल से नाममात्र का है। अगर आप किसान से पूछें तो उसकी जो न्यू जनरेशन है, जो युवा लड़का है, अगर उसे कोई भी 6-7 हजार रूपए का अल्टरनेट मिल रहा हो तो वह कभी भी किसानी नहीं करना चाहता है।

मैं आँकड़ों की बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं केवल कुछ बातें कहना चाहती हूँ, जो हम लोग क्षेत्र में जाकर देखते हैं और समझते हैं, उन्हें यहाँ कहना चाहूँगी। हम बहुत सारी सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन जितनी सुविधाएं आज किसानों को मिली हुई हैं, स्टेटवाइज मिली हों, चाहे सेन्टरवाइज मिली हों, चाहे वह बाँस लगाने की सब्सिडी हो, चाहे नर्सरी लगाने की सब्सिडी हो। चाहे मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी हो, चाहे कीटनाशक दवा के लिए सब्सिडी हो, प्रति एकड़ पर स्टेटवाइज सब्सिडी है। अगर हम बुकलैट में देखते हैं तो लगता है कि हम लोगों से ज्यादा मेहरबान कोई भी देश किसानों के प्रति नहीं होगा जितना हम हिन्दुस्तान के लोग हैं। लेकिन जब हम ज़मीन पर देखते हैं तो सारी बातें वहीं धरी की धरी नज़र आती हैं। हम किसानों के बहुत हमदर्द बनते हैं लेकिन आज जो सर्वे कहता है कि 70 प्रतिशत किसानों को सीधे खातों में जो नकदी जमा की योजना है, उनको जानकारी ही नहीं है। 27 परसेंट को भूमि आधिग्रहण क्या है, उसकी जानकारी ही नहीं है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि सिर्फ 19 प्रतिशत किसान ही सब्सिडी के पक्ष में हैं, बाकी किसान सब्सिडी के पक्ष में भी नहीं हैं। 74 प्रतिशत किसानों ने माना है कि खेती संबंधी कोई जानकारी कृषि विभाग से नहीं मिलती है। 62

प्रतिशत किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से अनभिज्ञ हैं। ये जो 74 प्रतिशत किसान जो कृषि की जानकारी से अनभिज्ञ हैं, जब हम लोग जाकर हर पंचायत में हर किसान से पूछते हैं कि क्या आपको मालूम है कि आपको यह सब्सिडी है, आपको यह सब्सिडी है, तो यह देखा जाता है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि केसीसी लोन है, डीज़ल सब्सिडी है, खाद की सब्सिडी है, बीज की सब्सिडी है, यूरिया की सब्सिडी है, लेकिन जब वक्त पर किसान को यह सब चाहिए होता है तो वक्त पर हम कुछ भी नहीं दिला पाते हैं। अभी हाल ही में हम बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में कई प्रदेशों में खाद और यूरिया के लिए त्राहिमाम हो रही है। सरेआम कालाबाज़ारी होती है। किसानों का कहना है कि अगर हम सरकारी बीज लेते हैं तो अनाज में, गेहूँ में दाना ही नहीं आता है। अगर हम मार्केट से बीज खरीदकर लाते हैं, तब गेहूँ में दाना आता है। यह हम और आप सरेआम देख रहे हैं। किसान को मेरे ख्याल से सब्सिडी नहीं, बल्कि उसको वक्त पर खाद, वक्त पर क्वालिटी बीज, वक्त पर डीज़ल की सब्सिडी और वक्त पर सिंचाई का साधन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से इसके अलावा किसान हम लोगों से या किसी सरकार से और कुछ नहीं चाहता है।

महोदय, हम केसीसी लोन की बात करते हैं। बिहार में यह कहा जाता है और किसान अपनी भाषा में बोलता है कि - 'मैडम, जेकरा एक धूर ज़मीन नईछे, ओकरे केसीसी लोन होइछे।' मतलब यह कि जिस किसान या व्यक्ति के पास एक भी बिस्वा ज़मीन नहीं है, उसको केसीसी लोन होता है, क्योंकि बिचौलिया और लेने वाला व्यक्ति यह जानता है कि हमें वापस नहीं देना है। आधा आप ले लीजिए, आधा हम ले लेंगे, इस तरह से केसीसी लोन मिलता है। जिनको केसीसी लोन चाहिए, उनके द्वारा जब तक 15 से 20 प्रतिशत मैनेजर या बिचौलियों को नहीं दिये जाएंगे, तब तक आपको लोन नहीं मिल सकता है। चाहे कोई भी आपदा आई हो, आप खेती की क्षतिपूर्ति देते हैं, पुनर्वास की क्षतिपूर्ति देते हैं, खेत की बरबादी की क्षतिपूर्ति देते हैं, ओले पड़ने की क्षतिपूर्ति देते हैं, लेकिन किसान को 15-20 परसेंट से ज्यादा नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सिर्फ इस ओर आकर्षित करूँगी कि आप कितनी जीडीपी बढ़ाएँगे, इस दौड़ में पड़ने से बेहतर होगा कि

किसान की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको देखें। आज किसान की लेबर कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जितना उपजाने की लागत नहीं है, उससे डबल उसको लेबर कॉस्टिंग देनी पड़ती है। लोग कहते थे कि जिसके पास पाँच बीघा ज़मीन है, वह ज़मींदार किसान है, लेकिन आज जिनके पास ज्यादा ज़मीन है, वे खेत में अनाज उपजाने से डरते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उससे डबल उनको लेबर पड़ जाएगी। क्यों नहीं हम लोग उनके एम.एस.पी. को उनकी जो लेबर कॉस्ट आ रही है, जो उनको उपजाने में लगता है, उसके आधार पर हम उनको एम.एस.पी. देते? हर प्रदेश का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट अलग है। उसके अनुसार ही एम.एस.पी. होनी चाहिए।

इतना कहकर मैं पूरे सदन से यह आग्रह करूँगी कि किसान के मामले में, भूमि के मामले में ध्यान दिया जाए।... (व्यवधान) मैं जैविक खाद के बारे में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी। मेरे क्षेत्र में भीखू मेहता नाम का एक किसान है। यह नहीं है कि किसान नहीं चाहता है कि वह आर्गेनिक खेती करे या जैविक खाद का इस्तेमाल करे क्योंकि आज खेतों की उर्वर क्षमता खत्म होती जा रही है। उस व्यक्ति ने 2 किलो केंचुए से जैविक खाद बनाना शुरू किया और आज उसने 300 ब्रिक्स जैविक खाद के बनाए हैं और वहाँ के किसानों को वह देता है। आज ज़रूरत है कि सरकार किसानों को जैविक खाद के उपयोग और उसके फायदे के बारे में बताए। यह बहुत चिन्ता का विषय है कि जो कैमिकल युक्त खाद आज आ रही है, किसी भी हालत में, सिर्फ उपज बढ़ाने के लिए और हाइब्रिड बढ़ाने के लिए इसकी माकेरटिंग नहीं होनी चाहिए।

आखिर क्या वज़ह है कि किसान कहता है कि हम खाने के लिए देसी बीज से अलग उपजाते हैं और बेचने के लिए अलग उपजाते हैं। आज हम लोगों को ज़हर दे रहे हैं। आज इसकी बहुत ज़रूरत है कि पूरा सदन इसकी चिन्ता करे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

[अनुवाद]

^{10*} श्री आर.के. भारती मोहन (माइलादुत्रयी): तमिल नाडु में 60% से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और इसके संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं।

किसानों को मृदा स्वास्थ्य में गिरावट, पानी की कमी, उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि और अन्य कच्चे माल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप खराब आय हुई और इस प्रकार किसानों को दिन-प्रतिदिन का जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए तमिलनाडु सरकार लोगों की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थालावी अम्मा की सलाह पर निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रही है।

1. कच्चे माल और एच.डी.एफ.सी. पाइपों का मुफ्त वितरण, सब्सिडी पर पावर टिलर, ट्रैक्टर, रोपण मशीनों का वितरण। इसके अलावा, 100% सब्सिडी पर किसानों के स्वयं सहायता समूहों को रोपण मशीनों का वितरण।
2. ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करना।
3. सब्सिडी पर बीज का वितरण।
4. मुफ्त मृदा परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य सुधार के तरीकों की सिफारिश करना।
5. कृषि उद्यानों के माध्यम से बागवानी का विकास।
6. कृषि पंप सेटों के लिए मुफ्त बिजली।
7. कृषि बाजार वस्तुओं के माध्यम से कृषि उपज का विपणन और सीधे खरीद केंद्रों के माध्यम से धान की खरीद।
8. सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण का वितरण।

^{10*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

9. अम्मा थिड्टम के माध्यम से खेतों में उत्पादित सब्जियों का विपणन और बिक्री।
10. गरीब किसानों को दुधारू पशुओं और बकरियों का मुफ्त वितरण।
11. कृषि उपज के लिए लक्ष्य बढ़ाना और उसे प्राप्त करना।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त योजनाओं को लागू करने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं करुणाकरन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए इस चर्चा को सदन में लेकर आए। मैं आपका भी आभारी हूँ। आप भी गांव, गरीबों की सुविधाओं के लिए आसंदी के बाद भी प्रयास करते हैं।

महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी सदन के भीतर किसान का मामला आता है, मुझे लगता है कि इस पर खुली बहस होनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से प्रस्ताव है कि भारतीय कृषि नीति कैसी हो, इस सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह देश बड़ा है। देश की भौगोलिक और मौसम की जो स्थितियां हैं, उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जो नीति बनेगी, वह कभी भी एक-जैसी नहीं हो सकती। तमिलनाडु में जो होता है, वह मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। जो उत्तराखण्ड में होता है, वह मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता। मैं नर्मदा के कछार से आता हूँ, जहां एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तीन बातें कहनी हैं। जो भी नीतियां बनी हैं, उनमें मैं हजारों खामियां निकाल सकता हूँ। लेकिन, मुझे जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ है, जिसके लिए मैंने कमेटियों में कई बार आपत्ति भी जताई है, वह यह है कि मैंने हमेशा यह कहा है कि आप कैसे हम पर किसी चीज को थोप सकते हैं। जीरो बजट खेती हिन्दुस्तान की पुरातन खेती में से है, जिसमें खर्च नहीं आता। लेकिन, आज तक किसी भी सरकार ने जीरो बजट खेती पर न इस सदन में चर्चा की, न उसे कभी पहचान दी और न ही कभी उसको लाभ दिया। दूसरी है जैविक खेती, जिसकी कम से कम इस देश में चर्चा शुरू हुई। कुछ राज्य सरकारों ने उस पर राहत भी दी है। बाद में लगा कि उसमें गुण-दोष हो सकते हैं। इस सदन में आज तक कभी भी इस बात पर निर्णायक चर्चा नहीं हुई कि वास्तव में कौन-से राज्य में यह अनुकूल है और कौन-से राज्य में यह प्रतिकूल है। तीसरी बात यह आती है कि हमने रासायनिक खेती को स्वीकार किया। पूरी दुनिया ने उससे अपने हाथ खींच लिए। हमने सारी सब्सिडी और सारी सुविधाएं देकर किसान को पूरे समय तक दिग्भ्रमित रखा और हमने पूरे समय इस देश के

किसानों का नुकसान किया है, यह मेरा इस सदन में खड़े होकर आरोप है। मैं आपसे प्रार्थना करके पूछना चाहता हूँ कि हम इन तीन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं?

महोदय, इस देश के भीतर क्षति मूल्यांकन की पद्धति नहीं है। ओला, पाला, आतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि के किन्हीं भी मामले में किसी भी फसल को, चाहे वह बागवानी की हो, चाहे हमारी फसलें हों, आज भी अनाबारी का कोई पैमाना देश के स्तर पर नहीं है। मैं जब वर्ष 1989 में पहली बार इस सदन में आया था तो मैंने अनाबारी पर प्रश्न लगाया तो मुझसे पूछा गया था कि यह 'अनाबारी' शब्द क्या होता है? यह हो सकता है कि स्थानीय भाषाओं में यह कुछ और हो। हमारी क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन का आधार क्या होगा? आज़ादी के पहले प्रति एकड़ जो उपज थी, आज उसके 80 गुणा से ज्यादा बढ़ गया, लेकिन क्षतिपूर्ति देने का हमारा पैमाना नहीं बदला है। हमें क्षतिपूर्ति कैसे मिलेगी? यह एक कारण है। दूसरा कारण बीमा योजना से संबंधित है। जब भी जो भी बीमा योजना आयी, जैसे जब अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, उस समय जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आयी थी, उसको हलके के आधार पर तय किया गया था। पंचायत को इकाई बनाने की बात की गयी थी, लेकिन वह प्रयोग इस देश में सफल नहीं हो पाया। वास्तव में, ओला किसी क्षेत्र को देखकर थोड़े ही न गिरता है। कई बार इससे आधा गांव खत्म हो जाता है और आधा गांव बच जाता है। एक किसान का आधा खेत इससे खत्म हो जाता है और आधा खेत बच जाता है। वह इसके लिए मुआवज़ा कैसे पाएगा? तहसील उसकी इकाई है, ब्लॉक उसकी इकाई है। यह पैमाना गलत है। हम किश्त देते हैं, हमारी राज्य सरकारें किश्त देती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 50 फीसदी पैसा देती है, हरियाणा की सरकार पैसा देती है, लेकिन वहां के किसान को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, क्योंकि उसका जो पैमाना है, जो आधार है, वह ही गलत है। तीसरी बात यह आती है कि इसे हम कहां देते हैं? हमने जैविक अनाज उपजा लिया। हमने जैविक सब्जी उपजा ली, लेकिन उसके बाद जब उसे विक्रय करने जाएंगे तो जिसकी कीमत हमें तीन गुनी मिलनी चाहिए, उस किसान को उसकी एक-तिहाई कीमत मिलती है। इसमें माकेरटिंग का सिस्टम नहीं है। ये तीन बातें हैं। हमारे पास कोई कृषि नीति नहीं है। हम किस पद्धति से आकलन करें, किसका उपयोग करें जिसे स्व-विवेक से किसान कर ले? दूसरा तरीका

होता है कि हम किस रास्ते पर जाएं? अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाएगा तो उसके मूल्यांकन का तरीका आज तक इस देश में नहीं है? फिर हम अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा कर लें तो हम उसे किसके दरवाजे पर बेचने के लिए जाएं? इसकी कीमत कौन तय करेगा, इसका कोई आधार नहीं है। हमें कहां राहत मिलेगी? मुझे आश्चर्य होता है कि इस सदन में बैठकर हम किस बात पर चर्चा कर रहे हैं?

[हिन्दी] उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बातें कुछ चंद मिनटों में नहीं हो सकती हैं। सदन को खुली चर्चा करनी चाहिए कि भारत की कृषि नीति कैसी हो? मैं जिस जिले से आता हूँ, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मटर का उत्पादन जबलपुर जिले में होता है। वहां कोई सरकारी मंडी नहीं है। किसानों ने खेत किराए पर लेकर उसे मंडी बना लिया है। मटर यहां से मुंबई जाता है। आज भी मटर हमारी अनाज की सूची में नहीं है। यह खामी किसी सरकार भर की नहीं है। किसान कहाँ पर जाए? हम हिन्दुस्तान के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन जबलपुर जिले में मटर जीरो लिखा मिलेगा। कभी आप आँकड़ा उठाकर देखिए, यह जीरो है, क्योंकि वह फसल की सूची में नहीं है। तमिलनाडु का मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड का कह सकता हूँ। मैं जब कमेटी में था, तब मैंने कहा कि बस्तर में चाहे सब्जी पैदा हो, चाहे अनाज पैदा हो, वह जैविक है, लेकिन बस्तर के किसान को बाजार में जो मूल्य तीन रूपए किलो है, उसको एक रूपया भी नहीं मिलता, जिसकी 9 रूपए कीमत खुले बाजार में मिलनी चाहिए, उसे एक रूपया भी कीमत नहीं मिलती है। यह कड़वा सच है। इस पर चर्चा कौन करेगा?

मैं मानता हूँ कि नियम 193 के तहत यह चर्चा सदन में आई है, लेकिन यह समाधानकारक नहीं हो सकती है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आप आसन पर बैठे हुए हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप एक बार अगले सत्र में एक दिन भारतीय कृषि नीति पर चर्चा के लिए रखिए। मैं समझता हूँ कि यह आपकी तरफ से प्रस्ताव आए तो शायद यह सदन किसान के लिए कुछ कर पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया इसलिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे आज इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ किसान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इस हाउस में बैठा हुए हर सदस्य यह मानता है कि इस देश के अन्दर अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वह हमारा किसान है। आज अगर देखें तो बेमौसम बारिश या फिर सूखा किसी को सबसे ज्यादा मारता है तो वह किसान को मारता है। अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि 70 परसेंट किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। अगर हम उन 70 परसेंट लोगों की बात करें तो वे क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज एक ओर आलीशान बिल्डिंगों में, दफ्तरों में कुर्सी पर बैठकर नौकरी है और दूसरी ओर सर्दी के अंदर दो-चार डिग्री तापमान में खेत में जाना और गर्मियों में 40-45 डिग्री में अपना खेत संवारना किसान का कार्य है। दिन-प्रतिदिन खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बिजली महंगी होती जा रही है। इसका अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी की जेब पर पड़ता है तो हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित हमारे किसानों की जेब पर पड़ता है।

माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब एनडीए-दो की सरकार बनी तो पूरे देश के अंदर सूखा पड़ा। सरकार द्वारा मुआवजा एनाउंस किया गया, जिसके अंदर वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और थोड़ा तूफान संबंधित एरिया आंध्र प्रदेश और ओडिशा का था। वह पैसा प्रदेश सरकारों के पास पहुंच गया, मगर हमारे किसानों के पास नहीं पहुंच पाया। पिछले साल बारिश के कारण हरियाणा प्रदेश का काफी हिस्सा ओलावृष्टि के कारण बारिश से खराब हुआ था, आज तक उसका मुआवजा नहीं पहुंच पाया।

तीन साल पहले का एक वाक्या मैं याद दिलाऊंगा, तब यूपीए की सरकार प्रदेश में थी, केन्द्र में थी। हमारे किसानों के पास मुआवजे के चेक आए। झज्जर, मेवात के किसानों के पास जब चेक आए तो यह बड़ी निंदा की बात है, उन पर 1 रूपए, 2 रूपए, 5 रूपए लिखने का काम सरकार ने किया था। ये एक्सिस बैंक के चेक थे। जब वे किसान एक्सिस बैंक में गए, तो 1,080 रूपए उसे खाता खुलवाने के लिए किसान को देने पड़े, जिससे वह 1 रूपए का चेक खाते में डाल पाए। क्या हमारी सरकार हमारे किसानों के बारे में ऐसा सोचती है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस साल भी ओलावृष्टि और तूफान के कारण हरियाणा प्रदेश का, राजस्थान का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का बहुत बड़ा भाग बेमौसम बरसात के कारण बर्बाद हुआ है। सरकार जरूर विचार कर रही होगी कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। जब मुआवजे के आकलन के लिए वह अपनी टीमों को या प्रदेश सरकार को दिशा-निर्देश दे तो मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि उसमें सख्त हिदायत देने का काम करे कि जिसकी फसल 25 परसेंट बर्बाद हुई है, उसे 200 या 500 रूपए नहीं, उस फसल के आकलन के तहत कम से कम 7 से 8 हजार रूपए और जिसकी 75 से 80 प्रतिशत फसल बर्बाद हुई है, उसे कम से कम 25 हजार रूपए मुआवजा केन्द्र सरकार यहां से निधारित करके प्रदेश सरकारों को भेजने का काम करे।

जब हम नेशनल डिजास्टर फण्ड की चर्चा करते हैं तो बेमौसम बारिश के अंदर उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जब मैंने डाटा निकाला तो पता चला कि सरकार द्वारा चार सालों के अंदर एन.डी.आर.एफ. के तहत हरियाणा में एक रुपया भी नहीं दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में हरियाणा के अंदर कृषि से संबंधित 161 लोगों ने आत्महत्या की है। पिछले 10 सालों में उनकी संख्या दोगुनी हो गयी है, वहां 374 लोगों ने आत्महत्या की है। आज किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, वे आत्महत्या इसलिए करते हैं कि हमारे बैंक उनके ऊपर दिन-प्रतिदिन कर्जा डालते हैं, उनकी जमीन को कुर्क करने का काम करते हैं।

मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करें, आज तक हमारे देश के किसानों के ऊपर जितने कर्ज हैं, आपकी सरकार किसान हितैषी है, आपकी सरकार 50 प्रतिशत बोनस देने की बात करती थी, एक कलम से एक बार ऐसा इतिहास रचिए कि हमारे एक-एक किसान का कर्जा माफ करवाने का काम करें, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश की जी.डी.पी. का 70 प्रतिशत हिस्सा पहले खेती से आता था, आज वह 14 प्रतिशत आता है। आप एक बार हमारे किसानों के ऊपर से कर्ज हटा कर देखिए, दोबारा हमारे किसान 70 प्रतिशत तो नहीं, मगर उसको 40 प्रतिशत तक पहुंचा कर देश की जी.डी.पी. में सबसे बड़ा योगदान हमारा कृषि क्षेत्र करेगा...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी सुझाव देना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के तहत किसानों को फायदा पहुंचेगा। मैंने वह स्कीम ऊपर से नीचे तक पढ़ा है। उसके अंदर सरकार द्वारा लिखा गया है कि 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के तहत जहां 100 लोगों की रिहायश है, वहां पर सरकार बिजली कनेक्शन देने का काम करेगी। किसान 100 की तादाद में खेतों में नहीं रहते हैं, वे 2 की तादाद में रहते हैं। आप माननीय पावर मिनिस्टर जी से बात कर 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना' के माध्यम से हर खेत में, चाहे वहां एक आदमी रहता हो, उसके घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, तब हमारे किसान मानेंगे कि आपकी सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित सोचने का काम किया है।

हम लिंकेजेज ऑफ रिवर्स की बात करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह सपना था। अगर आज सरकार लिंकेजेज ऑफ रिवर्स के लिए ग्रान्ट देने का काम करेगी तो 10 साल बाद हमारे किसानों को उसका फायदा मिलेगा।

मैं दोबारा आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी और वित्तमंत्री जी से मिलकर आग्रह करें कि आपकी सरकार स्पेशल ग्रान्ट लिंकेजेज ऑफ रिवर्स के लिए दें। आपने मुझे बोलने के लिए कम समय दिया, लेकिन बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री नित्यानन्द राय (उजियारपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में जो देखने को मिला है उनमें से सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वह पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों, किसानों के लिए सभी चिन्तित हैं और किसानों के मुद्दों पर, उनकी भलाई के लिए एक मत दिखाई पड़ रहे हैं। वर्तमान सरकार ने जितनी योजनाएं बनायी हैं, उनका लाभ अब तक किसानों को 67 वर्ष में नहीं मिला है, वह लाभ आगे मिलने की उम्मीद जगी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कृषि के क्षेत्र में किसानों की कठिनाइयां समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किये हैं। आजादी के 67 वर्ष बीत गये हैं। किसानों की कठिनाइयां अभी तक समाप्त नहीं हुयी हैं। किसान जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, आज उनका पेट ठीक से नहीं भर पाता है। उनके बच्चों की पढ़ाई में कठिनाइयां आती हैं। अगर किसान के परिवार में कोई बीमार पड़ जाय तो उनके पास कर्ज लेकर इलाज कराने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है।

अपराह्न 01.00 बजे

किसान की बेटी के हाथ पीले हों, कितने अरमान संजोकर वह अपनी बेटी की शादी तय करता है। अगर उसकी फसल मारी गई तो उसकी उस वर्ष की उम्मीद भी मिट जाती है। वर्तमान में ओला पड़ा, आति वृष्टि हुई, किसानों को नुकसान हुआ, न जाने हमारी कितनी बहनों की शादियां तय हुई होंगी कि जब खेत में लगी हुई फसल कटेगी, हमारे घर पैसे आएंगे तो हम अपनी बेटी की शादी बहुत अरमानों के साथ कर सकेंगे। एक सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आजादी से अभी तक सभी सरकारें किसानों के बारे में बातें करती रहीं, लेकिन इस देश के 70 प्रतिशत लोग जो खेती पर निर्भर हैं या खेती करते हैं, उनकी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अब तक जिन्हें किसानों के बारे में बात करने का अवसर मिला, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने या बजट में प्रावधान करने का अवसर मिला, वे लोग जिम्मेदार होंगे। अब उम्मीद है क्योंकि एक अच्छी सरकार बनी है। एनडीए की सरकार द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी की योजनाओं के अनुरूप इस देश का किसान खुशहाल होगा। फिर भी हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं।

उद्योग में जो पैदा होता है, फैक्ट्रियों में उत्पादन के जो मूल्य निधाररित होते हैं, उसे उद्योगपति देखता है, लेकिन किसान अपनी कृषि उपज का मूल्य निधाररित नहीं कर पाता। अगर यह आधिकार किसानों को दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि उसका भी कल्याण हो सकता है। आज अगर किसान की उपज का दो भागों में बंटवारा कर दिया जाए तो उससे भी किसान का कल्याण हो सकता है। हम एक फसल का उदाहरण देना चाहेंगे। टमाटर हो, अन्य सब्जियां हों या फल हों, उन्हें दो भागों में बांट दिया जाए। ठीक है, यह आति जनसंख्या वाला 125 करोड़ लोगों का देश है। यहां के लोग गरीब हैं, महंगे खाद्य पदार्थ खरीदकर अपने जीवन-यापन को ठीक से नहीं चला सकते। खाद्य पदार्थ के रूप में जो उपयोग किया जा रहा हो, उसका जो एमएसपी निधाररित हो, वह हो ही, लेकिन किसानों का वह उत्पाद जो फैक्ट्रियों तक पहुंचता है, कृषि फसल के आधार पर जो सामग्री बनती है,, उस मैटीरियल का कृषि उत्पाद का उद्योग के माध्यम से अलग निर्धारण हो। अगर मार्किट में 10 रुपये किलो आलू है और चिप्स 200 रुपये किलो है तो चिप्स बनाने वाली कम्पनियों को आलू 50, 60, 80 रुपये किलो किसानों से खरीदने की मजबूरी का प्रावधान हो। अगर सरकार ऐसा प्रावधान लाए तो मैं समझता हूं कि किसानों को लाभ होगा।

अंत में, हम आग्रह करना चाहेंगे कि जिस समय किसानों की फसल खेत में होती है और उस समय कोई व्यापारी खरीदता है, तो वह व्यापारी एक कार्ड ईशू करे। जब किसान के घर पर अनाज नहीं हो, मार्किट से खरीदने की मजबूरी होती है, 10 रुपये किलो बेचता है और 20 रुपये किलो खरीदता है तो कम से कम 25 प्रतिशत उस व्यापारी को बेचे हुए लागत मूल्य पर किसान अभाव की अवधि में खरीद सके। अगर सरकार ऐसा प्रावधान करती है तो मैं समझता हूं कि किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कृषि में लागत मूल्य के आधार पर समर्थन मूल्य निधाररित हो। धन्यवाद।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पूरे भारत की कृषि क्षेत्र की बात माननीय सदस्यों ने उठाई। मैं असम के जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स से भरा हुआ है। उस क्षेत्र में कृषि की जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। इसलिए पिछली बार हमने देखा कि मैक्सिमम कृषि परिवार से एक्सट्रीमिस्ट्स बढ़े हैं। जो युथ है, वह कोई उम्मीद नहीं देखता है जिसकी वजह से युथ एक्सट्रिमिज्म में चला गया, बाद में इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई और कुछ जिंदा हैं। क्या असम के फार्मर के लिए डबल क्रॉपिंग की व्यवस्था नहीं हो सकती? वहां का इरिगेशन सिस्टम भी बहुत खराब है। यदि कोई असम का दौरा करेगा तो देखेगा कि वहां का पैडी फील्ड सूखा पड़ा हुआ है, इसमें इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, डबल क्रॉपिंग का कोई सिस्टम नहीं है। केसीसी लोन दूसरे स्टेटों में मिल रहे हैं लेकिन असम में केसीसी लोन देने में बैंक आनिच्छा दिखा रहा है। खासकर नामरूप कॉरपोरेशन फर्टिलाइजर भी ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ा सका है। केमिकल फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी मिल रही है वह फार्मर्स तक नहीं पहुंच पा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर को बेनिफिट मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कुछ दिन पहले असम गए थे, वहां का अनोमॉली उन्होंने देखा, लेकिन जो मैकनिज्म होना चाहिए वह वहां नहीं है, असम गवर्नमेंट के पास इसके लिए प्रावधान है लेकिन फार्मर तक पहुंचाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं पवित्र सदन में बोलना चाहता हूँ कि नार्थ ईस्ट के लिए आगेरनिक खाद बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसके लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह ठीक नहीं है। नार्थ ईस्ट के बाकी स्टेट त्रिपुरा, मणिपुर में क्या हो रहा है पता नहीं है, लेकिन असम में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ग्राम सिंचाई योजना के अंतर्गत इरिगेशन सिस्टम को भी ठीक किया जाए, केसीसी लोन दिया जाए, असम के फार्मर के पास ज्यादा जमीन नहीं है। उत्पादन बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए, उसे किया जाए। अभी एक क्रॉपिंग की व्यवस्था है, हम लोग केवल राइस के उत्पादन में ही व्यस्त हैं, बाद में मैक्सिम चीजें बाकी स्टेट से ज्यादा दाम देकर मंगाते हैं, इससे जीने में कठिनाई भी हो रही है, स्टेट मिनिस्टर भी यहां बैठे हुए हैं। असम के कृषि क्षेत्र को माइनुटली देखना चाहिए, माइक्रो लेबल पर जाना चाहिए। वहां पर क्या असुविधा है, इसे देखना चाहिए। वहां का 18 लाख युथ बेरोजगार है। इन लोगों संस्थापित

करने के लिए कृषि से ज्यादा अच्छी चीज कुछ भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहां सेंटेट राइस भी है, उसे बड़ा धान कहते हैं, वह बिस्कुट बनाने में काम आता है। इसकी कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती, जैसे बासमती राइस को असम में जोहा चावल कहते हैं, जोहा ब्रांड को भी पोपुलराइज किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए प्रबंधन करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था असम का जो राइस है उसको आर्मी तक पहुंचाएंगे, लेकिन वह स्कीम ठीक तरह से लागू नहीं हो सका। इरिगेशन सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, आगेरनिक खाद बनाने के लिए भी काम किया जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके लिए कहा है। मिनिस्टर को केवल गुवाहाटी तक ही नहीं बल्कि दूसरे डिस्ट्रीक्ट्स में भी जाना चाहिए, फलड से बहुत डैमेज हुआ है, इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इसको देखना चाहिए और एक्सपर्ट टीम भेजकर इसको ठीक करने के लिए जो प्रावधान है उसको करना चाहिए। यही अनुरोध करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं जूट, आम और लीची के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, जो हमारे देश में, मेरे राज्य में और मेरे जिले में भी उगते हैं। मैं मुर्शिदाबाद जिले से हूँ जो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है; बीड़ी उद्योग को छोड़कर मेरे जिले में कोई उद्योग नहीं है। अधिकांश किसान जूट और धान की खेती पर निर्भर हैं; और बागवानी क्षेत्र में, वे भारी मात्रा में आम और लीची का उत्पादन करते हैं। पिछले सत्र में, मैंने जूट उद्योग और जूट उत्पादकों की समस्याओं का उल्लेख किया था। सरकारी जूट की प्रतिवेदन के अनुसार जूट लगभग 0.37 मिलियन श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और लगभग 4 मिलियन कृषि परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है। इस उद्योग की निर्यात आय भी लगभग रु.1880 करोड़ सालाना है।

लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि आठ पटसन मिलें बंद हो गई हैं और कुछ आज की तारीख में बन्द होने को हैं। जूट उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) नहीं मिल रहा है, भले ही वर्तमान एम.एस.पी. लाभदायक नहीं है। जे.सी.आई. के पास कुछ 171 क्रय केंद्र हैं वे संकट के समय आगे नहीं आते हैं। वे हमेशा एक बिचौलिए से जूट खरीदते हैं जो अनुचित साधनों से जूट कार्ड का प्रबंधन करता है। फिर एम.एस.पी. घोषित करने का परिणाम क्या होगा? क्या एम.एस.पी. को प्रभावी घोषित किया जाएगा? इसके अतिरिक्त भारत सरकार चीनी, उर्वरक आदि में जूट बैग के उपयोग को कम कर रही है। आलू और प्याज जैसे कृषि उत्पादों को भी जूट की बोरियों में पैक नहीं किया जाता है। जूट निर्यात के मामले में बांग्लादेश जो कर सकता है, भारत की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यह स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद शर्म की बात है। अब इसे जूट बैग द्वारा खाद्यान्न, चीनी, आलू और प्याज की 100 प्रतिशत अनिवार्य पैकेजिंग की आवश्यकता है। अब स्थिति पश्चिमी बंगाल में जूट मिलों के त्वरित आधुनिकीकरण की मांग करती है।

महोदय, हमारे राज्य में गोदाम और शीतागार की कमी है। इस वर्ष पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में आलू का उत्पादन किया गया लेकिन कोल्ड स्टोरेज और बाज़ार मूल्य नहीं होने के कारण, किसानों को गंभीर संकट

का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा है। इसलिए, वे आत्महत्याएँ कर रहे हैं। आज तक 104 किसानों ने पश्चिम बंगाल राज्य में ही आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी बंगाल की सरकार इन किसानों को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है।

महोदय, मेरे जिले में आम, लीची और कुछ अन्य सब्जियां हैं लेकिन इन मूल्यवान उत्पादों को संसाधित करने के लिए कोई प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण केंद्र नहीं हैं। इसकी वजह से कई बार किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।

मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि उन्हें पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए कुछ सार्थक कदम उठाने चाहिए; पर्याप्त संख्या में शीतागार स्थापित करने चाहिए; खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां; और राजसहायता दर में बीज, उर्वरक आदि की आपूर्ति की भी व्यवस्था करनी चाहिए और कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि करनी चाहिए।

धन्यवाद।

अपराह्न 01.13 बजे**राज्य सभा से संदेश****और****राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक^{11*}**

महासचिव: माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी होगी:-

"मुझे लोक सभा को सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015, जिसे 3 मार्च, 2015, को लोक सभा बैठक में पारित किया गया था, राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इसकी बैठक निम्नलिखित संशोधनों के साथ 20 मार्च, 2015 को हुई:-

खंड 9

1. पृष्ठ 4, पंक्ति 31 से 35 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:

"(4) राज्य सरकार उप-धारा (2) और (3) के तहत नियम बनाते समय अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगी (1996 का 40, 2007 का 2)

^{11*} सभा पटल पर रखा गया।

(5) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् अनुदत्त खनन पट्टे या पूर्वेक्षण-अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे का धारक उस जिले, जिसमें खनन संक्रियाएं की जाएंगी, के जिला खनिज प्रतिष्ठान को स्वामिस्व के अतिरिक्त ऐसी रकम का, जो दूसरी अनुसूची के निबंधनानुसार संदत्त ऐसे स्वामिस्व के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, एक-तिहाई से अनधिक स्वामिस्व की ऐसी प्रतिशतता के बारबर होगी, संदाय करेगा।

(6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व अनुदत्त खनन पट्टे का धारक उस जिले, जिसमें खनन संक्रियाएं की जाएंगी, के जिला खनिज प्रतिष्ठान को स्वामिस्व के अतिरिक्त दूसरी अनुसूची के निबंधनानुसार संदत्त स्वामिस्व के अनधिक ऐसी रकम का, ऐसी रीति से और खनन पट्टों के ऐसे प्रवर्गीकरण के अधीन रहते हुए तथा धारकों के विभिन्न प्रवर्गों द्वारा 16/19 ऐसी रकमों का, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, संदाय करेगा।”

खंड 14

2. पृष्ठ 8, पंक्ति 35 पर, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (4)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (5) और (6)" को प्रतिस्थापित किए जाएं।

खंड 15

3. पृष्ठ 9, पंक्ति 18, के पश्चात "काम होगा" शब्द, "खदान से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

अतः मैं उक्त विधेयक को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसार इस अनुरोध के साथ वापस भेज रहा हूँ कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सदन को सूचित की जाए।"

2. महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, वर्ष 2015 को सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह 01.14 बजे**नियम 193 के अंतर्गत चर्चा****देश में कृषि की स्थिति – जारी।**

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के अन्तर्गत देश में कृषि की स्थिति के बारे में जो चर्चा चल रही है, उस पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। देश में बेमौसमी बारिश के कारण काफी प्रदेशों को नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान और किसान आधारित देश है। कृषि और किसानों पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान पिछली सरकारें नहीं दे पायीं, इस कारण देश और किसान का काफी नुकसान हुआ है। देश को जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ पाया। इसका कारण यह है कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे देश को काफी नुकसान हुआ है। आज देश में किसान कम होते जा रहे हैं और मजदूर बढ़ते जा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण ऐसा हुआ।

मैं वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस बार किसानों का ध्यान रखा। उन्होंने कृषि क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। अब तक कृषि की तरफ ध्यान नहीं दिया गया था जिससे देश को नुकसान हुआ था। रोजगार, महंगाई आदि कारणों से लोग मजदूरी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब इस तरफ ध्यान दिए जाने के कारण किसान राहत महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में किसान की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। खाद सस्ती होनी चाहिए ताकि किसान आसानी से खरीद सकें। सूखे और बरसात के कारण हुए नुकसान में दिया गया मुआवज़ा काफी नहीं है। एक कनाल पर 300-400 रुपया दिया जाता है। इसमें तो खेती की मजदूरी भी नहीं निकलती। मेरा कहना है कि कम से कम एक कनाल

पर 5000 रुपया मुआवजा मिलना चाहिए ताकि किसान तरक्की कर सके और कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान दे सके।

महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पिछले दिनों काफी बरसात हुई जिसके कारण धान की फसल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस कारण किसान बहुत परेशान हुआ। इनके बच्चों पर भी बहुत असर पड़ा। किसान कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। फसल बीमा की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि किसान आगे बढ़ सके।

मैं वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि जो लोग कृषि क्षेत्र से पीछे हट रहे हैं, न हटें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है इसलिए यहां अच्छी फसल होनी चाहिए और अच्छा वातावरण बनना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं शुरुआत में मूल प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसानों के अच्छे और बुरे दिनों की चिंता करती है या नहीं? क्योंकि किसानों के प्यार, प्रेम और सहायता से सरकार बनी है लेकिन जब किसानों की जिंदगी में कष्ट आए, दुख आए तब यह सरकार किसानों के साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। पिछले साल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ा तब सरकार किसानों के साथ दिखाई नहीं दी। महाराष्ट्र में किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार उनके साथ दिखाई नहीं दी। पिछले दिनों बारिश के कारण फसलों का बहुत नुकसान हुआ, आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ दिखाई नहीं दे रही है। अगर किसानों के साथ सरकार नहीं तो किसके साथ है? आप देखिए कि कैसे आर्डिनेंस आ रहे हैं, किस तरह से अलग-अलग बिल पास किए जा रहे हैं। आप किसी भी बिल को देख लीजिए, भूमि आधिग्रहण बिल देख लीजिए। राज्य सभा में माइन्स और मिनरल्स का बिल पास हुआ, उसे देख लीजिए। साफ साफ दिखाई देता है कि अगर केन्द्र सरकार किसी के साथ खड़ी है तो वह अमीर और ताकतवर के साथ खड़ी है। किसानों के साथ नहीं खड़ी है। अगर किसानों की वास्तव में यह सरकार चिंता करती तो सूखे पीड़ित किसानों के लिए कुछ करती। महाराष्ट्र में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करती। बारिश के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए कुछ करती। आज देश भर में जो किसान भूमि आधिग्रहण बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ निर्णय लेती लेकिन केन्द्र सरकार इस पर चुप है।

दूसरा प्रश्न मैं सरकार से करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। अच्छा लगता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर पूर्वांचल क्षेत्रों को अच्छी तरह से पढ़ा है? क्या इस संबंध में अध्ययन किया है? इसके बारे में मेरे मन में कभी कभी एक सोच आती है क्योंकि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि वह एक जैविक मिशन लांच करना चाहते हैं और जिस तरीके से वह माकेरटिंग करते हैं, जिस तरीके से वह अपनी बात रखते हैं तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मैं

यह कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन किया होता तो पता चलता कि जैविक के इस कैम्पेन की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी। सिक्किम ने बहुत पहले ही शुरुआत कर दी थी कि अगर वह जैविक स्टेट बनना चाहते हैं, असम में भी बहुत पहले ही शुरुआत हो गई थी कि वह जैविक स्टेट बनना चाहते हैं। हर जिले में सौ सौ एकड़ों में जैविक खेती हो, यह बहुत पहले ही आरम्भ हो गया था। प्रधान मंत्री जी का जो दृश्य है, उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन वह थोड़ा अध्ययन कर लेते और फिर पता चलता कि असम में हम कितना काम कर चुके हैं। मैंने भाजपा से सीखा, जोरहाट के एक माननीय सदस्य ने, असम और उत्तर-पूर्व की एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर चित्रित की। असम में खेती का पारंपरिक तरीका धान था। वह सही है कि एक समय में, हम केवल एकल फसल करेंगे। लेकिन पिछले दशक में, हमने मिशन दोहरी फसल पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि मिशन दोहरी फसल के कारण, इस नई केंद्र सरकार ने दालों में सबसे अधिक उत्पादन के लिए असम राज्य सरकार को सम्मानित किया है। दलहन एक पारंपरिक फसल नहीं है। पल्सेज हम असम में पैदा नहीं करते। हम वहां ज्यादातर धान की खेती करते हैं। लेकिन पिछली यू.पी.ए. सरकार और वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों के हित में काम करके उनको ट्रेनिंग और विभिन्न सर्विसेज की सहायता आगे बढ़ाकर आज नयी केन्द्र सरकार से भी अवार्ड ले लिया जिससे यह साफ साफ सिद्ध होता है कि काम बहुत आगे बढ़ चुका है और शायद यह भी हो सकता है कि मीन के उत्पादन में भी,....([हिन्दी] व्यवधान) मैं युवा सांसद हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री गोगोई जी, आप अध्यक्ष को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री गौरव गोगोई: सर, आज कृषि के मामले में ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की आवाज सुनाई देती है। आज पहली बार मेरे भाई कामाख्या जी और मैं उत्तर-पूर्वांचल के बारे में बोल रहे हैं। थोड़ी हमारी बात सुनें। मीन के उत्पादन में भी आप लोग खुश होंगे कि जहां पर मीन के उत्पादन में देश भर में बहुत धीरे धीरे गति

बढ़ रही है, असम में चार प्रतिशत मीन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। आज असम में मीन के उत्पादन में वर्ल्ड बैंक के विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर यह केन्द्र सरकार असम और पूर्वांचल के बारे में थोड़ा और अध्ययन करें तो पता चलेगा कि जितनी भी संबंधित ऑरगेनाइजेशंस हों, के.पी.एम.जी. हो, प्राइस वॉटर हाउस कूपर्स हो, हमारी ही केन्द्र सरकार की विभिन्न रिपोर्ट्स हों, सब कहते हैं कि अगर उत्तर पूर्वांचल में इकोनॉमिक ग्रोथ लानी है तो कृषि और एग्री-बेस्ड इंडस्ट्री पर फोकस करना है।

[अनुवाद]

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मसालों के क्षेत्र में हम अक्सर तमिलनाडु राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। विभिन्न प्रत्यावेदनों में अब कहा गया है कि असम के मसालों में पाए जाने वाले कार्बनिक सामग्री का स्तर तमिलनाडु के मसालों में पाई जाने वाली सामग्री से अधिक है। इसलिए, यदि आप हल्दी, काली मिर्च, अदरक, इलायची जैसे मसालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं -- मैं यह न केवल अपने असम राज्य के लिए बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व के लिए भी कह रहा हूँ -- तो हम वास्तव में असम और उत्तर-पूर्व को एक मसालों का केंद्र बना सकते हैं जहां से हम अपने पड़ोसी देशों भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश को निर्यात कर सकते हैं। यदि हम केवल उत्पादन, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करें और कनेक्टिविटी भी बढ़ाएं, तो यह किया जा सकता है। अगर किसान को कुछ मारता है, तो वह ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है। जबसे बांग्लादेश आया है तब से हमारी आर्थिक वृद्धि बाधित हुई है क्योंकि परिवहन लागत बढ़ गई है। इसलिए, मैं सरकार से परिवहन लागत को कम करने के लिए कनेक्टिविटी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता हूँ। अगर हम रेल के प्राइस कम कर दें, तो किसानों को बहुत लाभ होगा, लेकिन आपने यह भी नहीं किया। आपने फ्रेट प्राइस बढ़ा दिये, यूरिया के प्राइस बढ़ा दिये, इसका नुकसान किसान को होगा। मैं स्वागत करता हूँ श्री राधा मोहन जी का, उनसे मुझे आशीर्वाद भी मिला है, वे असम भी आये हैं और वे वहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट भी लाना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि वे यहाँ पर बैठे हैं। मैं मंत्री जी को आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि कोई है, जो कृषि विभाग में कृषि के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में एक नया दृष्टिकोण के साथ काम

करना चाहता है, तो वह मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अध्ययन करके आर.ए.आर.आई के इंस्टिट्यूट को मेरे संसदीय क्षेत्र कलियाबोर में स्थापित करें। वहाँ का पूरा जिला प्रशासन आपके साथ होगा। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पास में जोरहट में असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसे गोलाघाट में करके जो नेबरिंग स्टेट्स जैसे नागालैंड है, उसकी भी आप सहायता कर सकते हैं।

मैं केवल सरकार से एक अंतिम अनुरोध करना चाहूँगा। मैं चाय के क्षेत्र में आता हूँ। चाय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। घरेलू रूप से, भारत में 50 प्रतिशत चाय का उत्पादन असम द्वारा किया जाता है। अब, एक क्रांति हो रही है और असम की चाय का 30 प्रतिशत उत्पादन छोटे चाय उत्पादकों द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि टाटा, एप्पल जैसी कंपनियों ने इसका उत्पादन किया बल्कि आम किसानों ने इसे लेने की शुरुआत की थी। अगर हम वही विस्तार समर्थन देते हैं जो हम बागवानी किसानों, धान किसानों को देते हैं, तो इससे उन्हें लाभ होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो कामाख्या के क्षेत्र से, जो चाय का क्षेत्र है, से आते हैं, वे भी इस बात को रखने में मेरी सहायता करेंगे। यदि चाय को कृषि फसल के रूप में माना जा सकता है, तो, असम के 30 प्रतिशत चाय उत्पादक, जो अब छोटे चाय उत्पादक हैं, यदि हम उन्हें समान विस्तार समर्थन, सब्सिडी सहायता, फसल के बाद की सहायता दे सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे केवल असम ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व को भी फ़ायदा होगा। मैं आग्रह करूँगा कि चाय को हम कृषि तरह ही लें, इससे सभी पूर्वोत्तर राज्यों को लाभ होगा और पूरे देश को लाभ होगा।

[हिन्दी]

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस किसान के बेटे को इस गरिमामयी सदन में किसानों के दर्द को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

हमारे समाज में किसान और कृषि को बहुत ही उच्च दर्जा प्राप्त था। तभी कहा गया था-"उत्तम खेती, मध्यम बाण, अधम चाकरी भीख निदाना" आखिर कालांतर में क्या वजह हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि आज आखिर किसान की यह दुर्दशा हो रही है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे किसान दोहरी मार झेलने के लिए विवश हैं। पूरे देश के किसान एक तरफ खेती-बाड़ी के संसाधन निरंतर महंगे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा का दंश है। हर किसान की इच्छा होती है कि वह खेती के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो जाए। यही सोचकर हर किसान जुगत करके, कर्ज लेकर, घर की सारी जमा पूंजी लगाकर समय से खेत तैयार करता है, उन्नत बीज, समय से पानी और खाद की व्यवस्था करता है, लेकिन बे-मौसम की बरसात, सूखा और अन्य दैवीय प्रकोप के कारण जब फसल बर्बाद हो जाती है, तो सरकार ऊँट के मुँह में जीरा जैसी सहायता देकर इतिश्री कर लेती है। एक बार कर्ज में डूबा किसान लगातार उबरने की कोशिश में डूबता ही जाता है, उसे न तो इंश्योरेंस द्वारा और न ही सरकार द्वारा उचित सहायता मिलती है। परिणाम यह होता है कि आत्महत्या जैसी घटनाएँ होने लगती हैं।

दूसरी तरफ, यदि किसान की किस्मत चमक भी गयी और फसल अच्छी हुई तो सरकार की गलत नीतियों के चलते आढ़ती और दलाल लागत से भी बहुत कम कीमत में मजबूर किसान की फसल खरीदने को एकजुट हो जाते हैं। किसान कहीं भी चला जाए, उसे वही कीमत मिलती है, जो उसके द्वारा लगायी गयी लागत से भी कम होती है। मजबूर किसान से अनाज और फलों, सब्जियों को औने-पौने दाम पर खरीदने वाला बिचौलिया मांग और पूर्ति के खेल को साधकर भारी मुनाफा कमाता है और बिना श्रम के वह धनवान बनता जा रहा है। यह बड़ी दुखद स्थिति है। हमारी सरकार को एक ऐसी नीति बनानी होगी, जिसमें किसान के हर उपज की कीमत उसकी लागत और मुनाफे को जोड़कर तय की जाए। सरकार सुनिश्चित करे कि यदि किसान से

उसकी उपज आढ़ती या दलाल खरीदते हैं, तो उन्हें मनमाने ढंग से कीमत तय करने की कतई छूट न हो। जब मुनाफे पर अंकुश लगेगा तो जमाखोरी हतोत्साहित होगी, जमाखोरी हतोत्साहित होगी तो आम लोगों को सही कीमत पर खाद्य वस्तुएँ मिलेंगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा। जमाखोरी हतोत्साहित होगी तो आम लोगों को सही कीमत पर खाद्य वस्तुएं मिलेंगी और महंगाई पर भी अंकुश लगेगा।

महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य कल किसानों के प्रति बहुत चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, इनके शासनकाल में, जब से इनका दल सत्ता में आया है, उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है, उसका पूरा बखान करने के लिए आप समय नहीं देंगे, लेकिन एकमात्र उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब ये लोग सत्ता में आए थे तो सत्ता में आने से पहले किसानों से वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपये कर देंगे। इनसे पहले वहां जो भी सरकारें पदारूढ़ रही हैं, उन्होंने प्रति वर्ष गन्ने का मूल्य कुछ न कुछ बढ़ाने का ही काम किया है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने 350 रुपये देने का वायदा किया था, लेकिन उससे पहले किसान को जो 280 रुपये मिल रहे थे, उसमें से भी 20 रुपये घटाने का काम इन्होंने किया और जो 260 रुपये देने का वायदा किया गया, उसे भी किसान को आज तक नहीं दिया गया है। इनके शासनकाल में किसान की यह दुर्दशा हो गयी है। अभी कांग्रेस के युवा सांसद किसानों के प्रति चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की बात कही। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि जब किसान आत्महत्या कर रहे थे तो महाराष्ट्र में भी आप ही थे और केन्द्र में भी आप ही थे। आप क्यों किसानों की आत्महत्या पर तमाशा देख रहे थे। यही नहीं, कल से मैं चर्चा के दौरान स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सुन रहा हूँ, यह रिपोर्ट वर्ष 2006 में आ गयी है। अगर आपके अंदर किसानों के प्रति इतना ही दर्द था तो वर्ष 2006 से आज तक क्यों उसको ठण्डे बस्ते में डाले हुए हैं? अगर उसको लागू कर देते तो शायद हमारे किसानों को पुनर्जीवन मिल गया होता।

महोदय, कृषि उत्पाद क्रय, बेचने के लिए, कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए एक कारगर नीति की कमी ही हमारे देश के किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण आज किसान जो आलू एक से दो रुपये

किलो पर बेचने के लिए मजबूर होता है, वही आलू मात्र दो-तीन महीने बात 20 लेकर 50 रुपये किलो तक बाजार में बिकती है। इसी तरह जो प्याज किसान से दो रुपये किलो खरीद कर जमा की जाती है, वही प्याज खरीद से मात्र दो माह बाद 50 से 80 रुपये किलो बिकती है। एक तरफ तो किसान की कमर टूट जाती है क्योंकि भारी खर्च के बाद भी उत्पाद की सही कीमत उसे नहीं मिलती है, दूसरी तरफ आम जनता महंगाई को लेकर परेशान रहती है। मुनाफा मुट्ठीभर लोगों की जेब में जाता है। इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कारगर नीति बनाने की आवश्यकता है। आज सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मजबूर किसान को कृषि उत्पाद के भण्डारण के लिए साधन मुहैया कराए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्याजमुक्त कर्ज दिया जाए, किसान अपना उत्पाद यदि शीत गृहों में रखता है तो उसे उसके खर्च के लिए आग्रिम ऋण दिया जाए, एक निश्चित आबादी के बीच शीत गृहों एवं भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपने उत्पाद कि उस समय बेच सके जब उसे उसकी वाजिब कीमत मिले। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ आज भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं, उपजाऊ जमीन होने के बावजूद हमारे किसान भगवान भरोसे खेती करने को मजबूर हैं। श्रावस्ती और बलरामपुर, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, नेपाल की तलहटी में, तराई अंचल में बसा हुआ है, वहाँ पर आजादी के इतने वर्षों बाद तक शासन करने वाले लोग सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं उपलब्ध करा सके। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तो राप्ती नहर परियोजना की उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में उसे बंद कर दिया गया था। अब हमारे प्रयासों से वह शुरु हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जा रही है। मैं मांग करता हूँ कि सुचारू रूप से उसे पूर्ण कराकर तराई क्षेत्र के उस अंसिंचित क्षेत्र को सिंचित करने का काम किया जाए।

महोदय, मेरा मानना है कि देश का किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, तब तक सरकार की हर सफलता फीकी ही रहेगी। किसान और कृषि आधारित उत्पाद एक दूसरे के पूरक हैं। जब किसान भयमुक्त होगा, निश्चित होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, बढ़े हुए उत्पादन की सही लागत मिलेगी तो आम जनता को भी उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री प्राप्त होगी। इससे मुट्ठीभर दलाल और बेईमान जमाखोरों को अवश्य तकलीफ होगी। हमारी

सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है कि किसानों की खुशहाली के लिए किसानों से उत्पाद खरीदने के लिए एक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाए और जो भी थोक भाव में कृषि उत्पाद का भण्डारण करता है, उसे खरीद से एक निश्चित मुनाफे तक ही उत्पाद बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए। ऐसी नीति किसान और जनता, दोनों के लिए हितकारी होगी।

महोदय, हमारी सरकार ने जो वायदा किया है कि हर खेत को पानी, हर खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होगी, उसको सही ढंग से लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

^{12*} **डॉ. के. गोपाल (नागपट्टिनम):** भारत में खेती घाटे का व्यवसाय बन गई थी।

किसानों ने देश के शासकों के झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं हासिल किया है।

किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है लेकिन वास्तविकता यह है कि 70 मिलियन किसानों का देश के बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता है।

आत्महत्या करने वाले किसानों की घटनाएं हमारे देश में सामान्य हैं।

एक ओर, हम आई.टी. आदि क्षेत्रों में जबरदस्त विकास कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे पास अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का 50% है।

हमारी जनसंख्या का 75% कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित है फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान केवल 21% है।

हमने 8% की समग्र वृद्धि प्राप्त की है लेकिन कृषि क्षेत्र में हमारी वृद्धि 4% भी नहीं है।

हमारे किसानों की खराब स्थिति का प्रमुख कारण, उनके पास पर्याप्त वित्तपोषण नहीं है, इसलिए वे उच्च ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं।

भारतीय खेती मानसून पर निर्भर है, इसे दूर करने के लिए, पर्याप्त बारिश की कमी एक बड़ी समस्या है, किसानों को वैकल्पिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। कृषि उत्पादों पर सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए सरकारी निधि में वृद्धि की जानी चाहिए। अपव्यय से बचने के लिए उपज के भंडारण के लिए उचित भंडारण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। किसानों की आत्महत्या खतरनाक दर से बढ़ी है।

^{12*} सभा पटल पर रखा गया।

कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है।

तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1.3 लाख sq.km है। लगभग 63 लाख हेक्टेयर के सकल फसल क्षेत्र के साथ।

सरकार की नीति और उद्देश्य कृषि उत्पादन में स्थिरता सुनिश्चित करना और बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सतत तरीके से उत्पादन बढ़ाना और कृषि आधारित उद्योगों की कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करना है, जिससे ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

तमिलनाडु हमेशा से कृषि उत्पादन में सराहनीय प्रदर्शन वाले राज्यों में से एक रहा है, जहां किसान बदलती प्रौद्योगिकियों और बाजार ताकतों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील हैं।

कृषि विभाग ने कई विकास योजनाओं को लागू करके और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के माध्यम से कृषि में उच्च विकास दर हासिल करने की चुनौती स्वीकार की है। गहन एकीकृत कृषि प्रणाली, बड़े पैमाने पर बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, व्यापक जलसम्भर विकास गतिविधियाँ, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल प्रबंधन, जैविक खेती, हरित खाद सहित जैव उर्वरकों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्राथमिकता दी गई है, इसके अलावा बेहतर लाभ प्राप्त करने के लिए फसल विविधीकरण और कृषि उपज के मूल्य संवर्धन को भी प्राथमिकता दी जा रही है ताकि कृषक समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

वित्तीय मुद्दे: किसानों की मदद के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से गरीब किसान ऋण की स्वीकृति के माध्यम से खुद की मदद कर सकते हैं। लेकिन अनभिज्ञता या अशिक्षा के कारण वे सरकारी धन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं जिसका श्रेय आंशिक रूप से किसानों के हाथों में पहुंचता है, क्योंकि बीच में लोक सेवकों द्वारा बड़ी मात्रा में धन निकाल लिया जाता है।

अपर्याप्त और अपरिवर्तित पुरानी वित्तीय योजना भी वर्तमान समय में खेती की लागत की जरूरतों को पूरा नहीं करती है।

के.सी.सी. (किसान क्रेडिट कार्ड) का मुख्य उद्देश्य किसानों की मदद करना है और यह उनके लिए बहुत मददगार है। लेकिन अधिकांश किसान इसके लाभों से अनजान हैं। इस योजना को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है।

कृषि अवधि ऋण पर उच्च ब्याज दरें भी बहुत मदद नहीं करती हैं।

सामाजिक व्यय में वृद्धि और बैंकिंग प्रणाली से उपभोग ऋण तक पहुंच की कमी से अनौपचारिक स्रोतों के लिए ऋणग्रस्तता में वृद्धि होती है।

पुरानी खेती की प्रथाएं और अवसंरचना की कमी: कृषि में दाखिल कोई भी नवाचार या विकास किसानों तक नहीं पहुंच पाता है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और कीटनाशकों की कोई आपूर्ति नहीं है या बहुत कम है।

अपर्याप्त बिजली आपूर्ति पारंपरिक पंपों के उपयोग में बाधा डालती है।

जैव उर्वरकों जैविक खेती आदि को अपनाने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है।

थोक मूल्य और कृषि फसल मूल्य में भारी मूल्य अंतर है जिसके कारण खेती में मूल्यों में अन्तर बहुत कम है।

बागवानी और उद्यान फसलों के लिए संगठित बाजार सहायता की कमी के परिणामस्वरूप निजी डीलरों पर निर्भरता होती है जो कभी भी स्थिति का दोहन करने में विफल नहीं होते हैं।

सरकार द्वारा बाजार में स्थिरता और हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जिलों में उर्वरक परीक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता।

उचित सड़कों और संचार सुविधाओं का अभाव।

जल स्तर में तेज गिरावट और सरकार द्वारा उचित सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता किसानों को भारी कीमत पर पंपिंग सेट लेने के लिए मजबूर कर रही है।

मानसून की बारिश पर बहुत अधिक निर्भरता भी उपज को प्रभावित करती है।

तमिलनाडु में कर्नाटक द्वारा कावेरी विवाद, केरल द्वारा मुल्लापेरियार विवाद और आंध्र द्वारा पलार विवाद जैसे जल विवादों के बावजूद, हमारी प्रिय नेता अम्मा ने ड्रिप सिंचाई, छिड़काव, मुफ्त पाइपलाइन जारी करने, मुफ्त ट्रैक्टर, मुफ्त बीज, सिलाई मशीन, फसल मशीन, उर्वरक और कीटनाशकों द्वारा सिंचाई संकटों का प्रबंधन किया है और किसानों के लिए निर्बाध रूप से 3 चरण विद्युत आपूर्ति की है। हमारी प्यारी अम्मा ने कृषि मजदूरों, विधवाओं, निराश्रितों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के उत्थान के लिए, सूखे के मौसम में लोगों के कल्याण की रक्षा के लिए प्रत्येक परिवार को दुधारू गायें और चार बकरियाँ दीं। उन्होंने अधिक मात्रा में पानी बनाए रखने के लिए तालाबों, टैंकों और नदी तलों से गाद निकालने की भी सलाह दी। उन्होंने तमिलनाडु में वर्षा संचयन प्रणाली को प्रभावी ढंग से स्थापित किया।

प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना : तमिलनाडु की सरकार भारत सरकार से आग्रह करती रही है कि वह प्रायद्वीपीय नदियों के विकास घटक के तहत तमिलनाडु में महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-पलार-कावेरी नदियों को आपस में जोड़ने और फिर गुंडर पर पम्बा और अचनकोविल की पश्चिम बहने वाली नदियों के पानी के मार्ग परिवर्तन को भी लागू करे।

03.06.2014 को हमारे प्रिय नेताओं के अनुरोध के अनुसार नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति को अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए, अन्य वास्तविक अनुरोध कि सभी अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए ताकि देश के जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके, इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

राज्य के भीतर नदियों को जोड़ने के लिए : तमिलनाडु की सरकार ने रु. 1862 करोड़ की अनुमानित लागत पर अधिकाडवु अविनाशी बाढ़ नहर योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की सहायता मांगी थी।

इसे प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जा सकती है।

रु. 500 करोड़ की अनुमानित लागत पर पेन्नेयार (सथानूर बांध) पालार लिंक योजना और पेन्नेयार नेदुंगल एनीकूट पालार लिंक में तेजी लाई जा सकती है।

कावेरी गुंडर लिंक: रु. 5166 करोड़ की लागत से कावेरी वैगाई गुंडर को जोड़कर कावेरी के बाढ़ के पानी को सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर मोड़ने का प्रस्ताव जो लंबित रखा गया था और बाद में पिछली केंद्र सरकार द्वारा वापस कर दिया गया था, उसमें तेजी लाई जा सकती है।

कावेरी आधुनिकीकरण योजना: कावेरी नदी तमिलनाडु की जीवन रेखा है। कावेरी जल न्यायाधिकरण विवाद के अंतिम आदेश की अधिसूचना के साथ रुपये की लागत से कावेरी बेसिन में नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजना को 11,421 करोड़ की मंजूरी मिल सकती है।

3.6.2014 पर हमारे प्रिय नेता पुरात्ची थालावी अम्मा जी का यह अनुरोध अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। हम अनुरोध करते हैं कि इसे जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए।

13* श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले) : कृषि किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए, इस क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि और औद्योगिकीकरण दोनों आवश्यक हैं। एक को दूसरे के विरुद्ध रखने का कोई औचित्य नहीं है। रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए उद्योग और कृषि का नियोजित, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास आवश्यक है। कृषि ऋणग्रस्तता से किसानों की आत्महत्या के कारण हजारों लोगों की जान ले ली है।

आंध्र प्रदेश में भूमि संबंध बेहद जटिल हैं जिसके कारण वास्तविक कृषकों, अपंजीकृत कृषकों, पट्टेदार और आदिवासी कृषकों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। पट्टेदारों और महिला कृषकों सहित वास्तविक कृषक को रिकॉर्ड और पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्या का मामला सबसे ज्यादा है और अकेले राज्य में दो तिहाई मौतें आत्महत्या से हुई हैं। कम उत्पादकता और कम रिटर्न वाली खेती की उच्च लागत के साथ, राज्य के किसानों के लिए फसल विफलताओं का सामना करना मुश्किल हो जाता है। चूंकि, कई किसान अपनी आजीविका के लिए फसल पर निर्भर होते हैं, फसल के विफल होने पर स्थिति दयनीय हो जाती है या उन्हें अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में किसान हमेशा ऋण जाल में फँस जाते हैं। यदि किसान को उचित फसल और उपज का उचित मूल्य मिले, तो वह अपना ऋण चुका सकता है। चूंकि, ये दोनों शर्तें राज्य में कम ही पूरी होती हैं, इसलिए गरीब किसानों का कर्ज ज्यादा हो जाता है।

राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति है कि किसानों को अपने उत्पाद के लिए खरीददार ही मुश्किल से मिलते हैं। आन्ध्र प्रदेश में कृषि उपज के लिए वर्तमान विपणन संरचना में कई कमियां हैं, जिससे मूल्य मोर्चे पर विनाशकारी परिणाम होते हैं। राज्य में कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण, छोटे और मध्यम किसान फसल के तुरंत बाद उपज बेचते हैं, जब कुल बिक्री मूल्य सबसे कम होता है। इस प्रकार किसानों को काफी आय का नुकसान होता है।

13* सभा पटल पर रखा गया।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से पर्याप्त ऋण सहायता नहीं मिली है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऋण बोझ के परिणामस्वरूप संस्थागत ऋण स्रोत, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कृषि की उपेक्षा करने का प्रमाण है। रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, बारिश में अनियमित गिरावट, भारी कर्ज का बोझ और नकली बीज भी आंध्र प्रदेश में किसानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। राज्य में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हजारों किसानों ने आत्महत्या की है और उनके घावों पर नमक छिड़कने के लिए, सरकार ने कुछ सौ लोगों को ही वास्तविक और मुआवजे के योग्य माना है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या हाल के महीनों में बढ़ी है क्योंकि सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे के अनुसार कर्ज माफ नहीं किया गया है। राज्य सरकार चुनाव के दौरान की गई किसी भी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर पाई है। यह आश्चर्यजनक है कि अनंतपुर जिले में 44 किसानों ने आत्महत्या कर ली। यह भी खेदपूर्ण है कि रिजर्व बैंक ने बकाया कृषि ऋण को वापस लेने के कैबिनेट प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

अत्यधिक कृषि संकट और बाद में आंध्र प्रदेश में संकट ने धारणात्मक प्रदर्शन हासिल किया जब इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्याओं में आकस्मिक वृद्धि हुई। राज्य में आने वाली कठिनाइयां जटिल और बहुआयामी हैं और राज्य में अर्थव्यवस्था की रणनीति पर पूर्ण पुनर्विचार की आवश्यकता है। यदि इन समस्याओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाता है, तो राज्य में कृषि अर्थव्यवस्था की कई समस्याओं का कारण, किसानों के प्रति सरकार का सकारात्मक दृष्टिकोण, का पता लगाया जा सकता है। भारत की 60% से अधिक आबादी कृषि आजीविका पर निर्भर है, यह केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है कि वे आंध्र प्रदेश में किसानों के बकाया ऋण को वास्तविक रूप से खत्म करवाएं और किसानों को उपयुक्त फसलें और बेहतर सिंचाई सुविधाएं और नवीनतम कृषि बुनियादी ढांचा प्रदान करें अन्यथा कर्ज और खराब फसल से जूझ रहे हजारों गरीब किसान आत्महत्या करते रहेंगे। हमें किसानों की समस्याओं को गम्भीरता से तुरन्त हल करना चाहिए ताकि वे आत्महत्या करने से बच सकें।

हाल ही में आए हृदहृद चक्रवात ने अधिकांश फसलों को नुकसान पहुंचाया जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए उच्च ब्याज पर ऋण लेना पड़ा। चक्रवात ने कई गांवों के जीवन में कहर बरपाया जो अपने मवेशियों के लिए चारे का खर्च भी नहीं उठा सके। यह संवेदनशील बात है कि इस प्राकृतिक आपदा में जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए तथा किसानों को बिजली बिल से छूट भी दी जाए।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, धन्यवाद। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है; हमारी 70 प्रतिशत आबादी कृषि से अपनी आजीविका कमाती है। हमारे देश के अधिकांश किसान अपने खपत के लिए खेती करते हैं। सम्पूर्ण उत्पादन का उपभोग बड़े पैमाने पर किसान और उनके परिवार करते हैं और छोटी भू जोत के कारण उनके पास बाज़ार में बेचने के लिए कोई अधिशेष नहीं होता।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगी, महोदय, किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में जागरूक करने तथा उन्हें हानिकारक मौसमी कीटों के बारे में जागरूक करने के लिए और अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी फसलों की रक्षा कर सकें। इस संबंध में मृदा परीक्षण एक प्रमुख मुद्दा है ताकि किसानों को पता चल सके कि किस खेत के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है। खेत में पानी के प्रवाह को बनाए रखने के लिए नहरों की खुदाई और नलकूपों की स्थापना की आवश्यकता होती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस संबंध में अधिक धनराशि आबंटित की जाए।

सरकार को बाज़ार को विनियमित करने की पहल करनी चाहिए ताकि किसानों को वास्तविक मूल्य मिल सके। सरकार को कृपया किसानों की जान बचाने के लिए बीमा नीति के मामले पर गौर करना चाहिए।

किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। इसी वजह से हम रोजाना जहरीला खाना खाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे जीवन को बचाने के साथ-साथ हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए रासायनिक खाद के स्थान पर कृमि खाद के उपयोग के लिए सकारात्मक कदम उठाएं।

मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान ने पश्चिम बंगाल में एक आत्महत्या के मामले को लेकर एक झूठा बयान दिया। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल के किसानों की रक्षा के लिए कई उपाय किए हैं।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कल्याणी कृषि विद्यालय के उन्नयन के लिए कदम उठाएं ताकि वैज्ञानिक अपने अभिनव प्रयास कर सकें और पश्चिम बंगाल के किसानों के हित में अधिक प्रभावी कदम उठा सकें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में कृषकों की हालत बहुत ही खराब है। किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर रहा है। देखा जाए तो पूरे देश में आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा विदर्भ और बुंदेलखंड क्षेत्र में है। मैं स्वयं बुंदेलखंड क्षेत्र से चुनकर यहां आया हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र बांदा और चित्रकूट है। यहां पर किसान निश्चितरूप से कराह रहा है और आत्महत्या कर रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 12 करोड़ 73 लाख किसान थे, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या घटकर लगभग साढ़े नौ करोड़ हो गई है यानि साढ़े तीन करोड़ लोगों ने किसानी का पेशा छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि हर रोज लगभग 2500 लोग खेती का पेशा छोड़ रहे हैं।

आज गांवों में लोगों को किसानी में कुछ न मिलने के कारण बड़ी संख्या में वहां से लोगों का पलायन हो रहा है और वे शहरों की ओर रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं। बुंदेलखंड की हालत तो और भी खराब है। हर जगह देखा जाए तो बड़ी मात्रा में लोग ट्रकों, बसों और ट्रेनों के माध्यम से प्रति दिन लोग दिल्ली, सूरत, पंजाब आदि जगहों पर रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। सन् 1995 से लेकर आज तक लगभग तीन लाख लोग देश में आत्महत्या कर चुके हैं। बुंदेलखंड में इसी तिमाही में लगभग 200 लोगों ने आत्महत्या की है। आज जहां किसान का जीडीपी में योगदान 13.7 प्रतिशत रह गया है जो पहले 66 प्रतिशत था। सन् 2001 में कृषि मजदूरों की संख्या जहां 10 करोड़ 68 लाख थी, वहीं 2011 तक वह 14 करोड़ 43 लाख हो गई है। इसका मतलब यह है कि लगभग चार करोड़ किसान आज मजदूर बन गए हैं, इसमें हमारे बुंदेलखंड की हालत तो और भी खराब है। वहां के कृषकों के पास खुद के लिए खाने को अनाज नहीं है, जबकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। वहां इतना भी अन्न पैदा नहीं होता है कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

मान्यवर, किसानों की हालत ऐसी क्यों होती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शुरुआत होती है उनके भूमि विवादों से। यदि दीवानी के मुकदमे दायर होते हैं तो वे तीन पीढ़ी तक चलते हैं। चकबंदी की हालत तो यह है कि अगर किसी गांव में चकबंदी हो जाती है तो वहां लोग कहते हैं कि डकैती पड़ने की जरूरत नहीं

है, वहां किसान अपने आप बर्दहाल हो जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की नीति बनायी जानी चाहिए जिससे भूमि विवादों का शीघ्र निबटान हो, चकबंदी के मुकदमों का शीघ्र निबटान हो, ऐसी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जमीन की मिट्टी का परीक्षण केन्द्र बना कर उन्होंने काम किया है, उससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा।

मान्यवर, अगर किसान को पानी मिल जाए तो वह खुशहाल हो सकता है। हर खेत को पानी देने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की गयी है, वह निश्चित तौर से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसको यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, यह मेरी सरकार से मांग है। मान्यवर आज यह देखने में आता है, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि हमारे बांदा-चित्रकूट क्षेत्र में सिंचाई का प्रतिशत बहुत कम है। बुंदेलखंड और मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज देकर ट्याबूब्वेल लगाए जाने चाहिए। वहां जो नदियां हैं, उनसे पानी लिफ्ट की योजना बना कर हर खेत को पानी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मान्यवर, हमारे कृषि राज्य मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विचित्र नियम है कि साढ़े सात हॉर्स पावर से नीचे के बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं। जबकि सिंचाई के लिए दो से ढाई हॉर्स पावर की मोटर सिंचाई के लिए लगाई जाती है, क्योंकि वहां छोटे-छोटे कृषक हैं, लेकिन उनको पैसा साढ़े सात हॉर्स पावर का देना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसकी जितनी मोटर की क्षमता हो, जितनी वह सिंचाई करे, उसको उतना ही पैसा देना पड़े, जिससे उसकी कृषि लागत न बढ़े।

मान्यवर, कृषि के लिए ऋण वितरण शिविर लगा कर किसान को पैसा बांटना चाहिए। हमारे यहां बिना दस परसेंट कमीशन लिए बिना किसान क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनके लिए शिविर लगा कर ऋण वितरण किया जाना चाहिए। कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों पर ऋण की दरें बहुत ज्यादा हैं। मेरी मांग है कि इसके लिए किसानों को कम दर पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वहां जीरो प्रतिशत पर सहकारी बैंकों से किसानों को ऋण दिया जाता

है। हमारी सरकार को भी इस बारे में व्यवस्था करनी चाहिए और किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्रों और ट्रैक्टरों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए।

मान्यवर, हमारे बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। जानवर खुलेआम घूमते रहते हैं, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसके लिए एक एक्ट बना था, जिसमें पशु क्रूरता एक्ट के कारण जानवरों के कांझी हाउस भी बंद कर दिए गए हैं। मेरा अनुरोध है कि अन्ना प्रथा पर सख्ती से रोक लगायी जानी चाहिए। पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन उनको खुले घूमने की छूट नहीं होनी चाहिए जिससे वे किसानों का नुकसान न कर सकें।

मान्यवर, मार्च के महीने में चार बार बारिश और आतिवृष्टि हुई है। अभी आतिवृष्टि को आपदा नहीं माना जाता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए और पाला और ओला की भांति आतिवृष्टि को भी दैवीय आपदा में शामिल करना चाहिए जिससे किसानों को बीमा का लाभ मिल सके। इस तरह का संशोधन बीमा आधिनियम में किया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बीमा आधिनियम में संशोधन करके एक नियम को हटाना चाहिए कि अगर 50 प्रतिशत से कम नुकसान दिखाया जाता है, क्योंकि बीमा कम्पनियां दबाव डालती हैं, यदि 50 परसेंट से कम नुकसान दिखाया जाता है तो भी सामान्य बीमा की भांति उनके नुकसान की भरपायी की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक और विचित्र नियम है कि साढ़े चार हजार रुपये आसिंचित को और 9 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को दिया जाएगा। यह हमारे यहां सात-आठ रुपये बीघा पड़ता है और 1500-1600 रुपये एकड़ पड़ता है। आज कृषि की लागत कितनी आती है, आप यह देख लें, क्योंकि यह नियम तो पता नहीं कब का बना हुआ है? इसलिए इसको बढ़ा कर कम से कम 20 या 25 हजार प्रति हेक्टेयर दिया जाए।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज चारगाह नहीं रह गए हैं। इससे लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन चरागाहों को भी मुक्त कराना चाहिए और पशुओं को संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके।

महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो बहुत जरूरी है कि प्रदेश सरकारें बोनस दे देती थीं, लेकिन वहां समर्थन मूल्य वास्तव में बहुत कम है। मेरी सरकार से मांग है कि उन्हें किसानों के हित में राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए और समर्थन मूल्य के मामले में किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य देना चाहिए। अभी राज्य सरकारें जो बोनस देती हैं, उसे रोकने की कोई गाइडलाइंस खाद्य विभाग से गई है, उसे हटाना चाहिए और राज्य सरकार जिस प्रकार से दो सौ रुपये प्रति क्विंटल देती थी, उसमें राज्य सरकारें भी अलग से बोनस दे सकें और यहां से पर्याप्त समर्थन मूल्य की व्यवस्था हो, जैसे गेहूं है, यह कम से कम दो हजार रुपये क्विंटल होना चाहिए, तभी किसानों की कुछ हालत सुधर सकती है। इसकी कारगर व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।

^{14*} **श्री राहुल कस्वां (चुरू):** आज कृषि क्षेत्र घोर संकट में फंसा हुआ है ऐसे देश में जहां साठ प्रतिशत से अधिक आबादी खेती-किसानी पर निर्भर हो, वहां का किसान बदहाली का जीवन ही व्यतीत नहीं कर रहा है, बल्कि भयावह जीवन जीने को मजबूर है। राष्ट्रीय नूमना सर्वेक्षण संगठन का एक सर्वे सामने आया है, जिसके अनुसार देश के किसानों की हालत बदतर होती जा रही है, लोगों का खेती-बाड़ी से रूझान घट रहा है, यह सर्वे देश में अन्न की पैदावार पर सवालिया निशान लगा रहा है। खेती-किसानी के कारण कर्ज में फंसे किसान न सिर्फ बदहाली का जीवन जी रहे हैं, बल्कि आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं, हर किसान पर औसतन 47000 रुपये का कर्ज है। पिछले दशक में जो सरकारें बनी उसने कृषि क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। देश के किसान को प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं, कृषि और किसान कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, इसके लिए अध्ययन करवाने की आवश्यकता है। कृषि पर लागत खर्च बढ़ने से देश के किसान की स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है। किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि किसानों के लिए खेती लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गई है। खेती से किसान का मोहभंग होता जा रहा है। इससे साफ नजर आ रहा है कि देश एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, अगर किसानों को कृषि के प्रति यही बेरुखी रही तो वह दिन दूर नहीं, जब हम खाद्य असुरक्षा की तरफ तेजी से बढ़ जाएंगे, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है। देश की आधी से अधिक आबादी की स्थिति सुधारे बिना देश का विकास नहीं हो सकता। आज के हालात में किसानों को परम्परागत फसलों के अलावा नकदी फसलों पर भी ध्यान देना होगा। देश में विभिन्न भागों विशेष रूप से राजस्थान में बेमौसम की वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आतिवृष्टि से मेरे संसदीय क्षेत्र की सुजानगढ़ तहसील में इसबगोल व जीरा की 100 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है। राजगढ़, सरदारशहर व तारानगर के किसानों को ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है राजस्थान के किसान को इस आपदा से उभरने के लिए विशेष पैकेज दिया जाए।

^{14*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कृषि लागत मूल्य में वृद्धि को देखते हुए किसानों को दिये जाने वाले मुआवजे में संशोधन किया जाना चाहिए, उन्हें सिंचाई के लिए सिंगल व थ्री फेस बिजली कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उनके ऋण के ब्याज और बिजली बिलों को माफ किया जाना चाहिए, राजस्थान सरकार ने काफी राहत देने का काम किया है, मेरी सरकार से मांग है कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को देखते हुए आधिकतम सहायता प्रदान की जाए।

मौजूदा बीमा योजना में काफी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। बीमा के लिए नए सिरे से नीति बनानी चाहिए। प्रीमियम की 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र और 25 प्रतिशत धनराशि राज्य वहन करे एवं बीमा के लिए ऋण लेने की आनिवार्यता को समाप्त किया जाए। किसान की हालात में सुधार के लिए मनरेगा को कृषि कार्य में जोड़ना चाहिए, बगैर किसी कन्डीशन के प्रत्येक किसान को पानी संचयन के लिए बड़े कुण्डों व डिग्गीयों का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत करना चाहिए। किसानों को पानी सिंचाई व अन्य सुविधा के लिए सौर पम्पों पर वर्ष 2014-15 से पूर्व 86 प्रतिशत सब्सिडी थी, जिसे घटाकर 86 से 70 प्रतिशत किया गया है। सौर पम्पों पर सब्सिडी 86 प्रतिशत रखते हुए उच्च तकनीक के कम कीमत वाले सौर पम्प उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाये।

दिनांक 31.12.1981 को पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के मध्य रावी व्यास नदियों के आधिक्य जल के बंटवारे के बारे में समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का हिस्सा 8.60 एम.ए.एफ नधाररित किया गया था लेकिन राजस्थान को अभी तक उक्त समझौते के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इन्दिरा गांधी नहर प्रणाली के तीव्र विकास के कारण राजस्थान पिछले कई वर्षों से अपने सम्पूर्ण हिस्से के पानी को उपयोग करने की स्थिति में है, इसके बावजूद भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल राजस्थान को 8.00 एम.ए.एफ. जल ही आबंटन कर रहा है, राजस्थान अपने हिस्से के शेष 0.6 एम.ए.एफ. जल को देने के लिये केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को कई बार प्रतिवेदन दिये हैं, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान को उनके हिस्से का पूर्ण पानी नहीं दिया जा रहा है। पंजाब विधानसभा द्वारा समझौता

समाप्ति आधिनियम 2004 पारित कर रावी व्यास जल से संबंधित सभी समझौतों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 31.12.1981 को सम्पादित समझौता व रावी व्यास जल से संबंधित सभी समझौते शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रेसीडेन्शियल रेफरेन्स द्वारा पंजाब समझौता समाप्ति आधिनियम 2004 की संवैधानिक वैद्यता के परीक्षण हेतु भिजवाया है तथा राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि उक्त रेफरेन्स की एक विशेष पीठ का गठन किया जाए। मेरी, सरकार से मांग है कि भारत सरकार, पंजाब सरकार /भाखड़ा व्यास प्रबंधन मण्डल को राजस्थान के शेष 0.6 एम.ए.एफ पानी दिये जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी करें तथा साथ ही रावी व्यास जल पर प्रेसीडेन्शियल रेफरेंस पर शीघ्र निर्णय हेतु एक विशेष पीठ गठित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निवेदन करें।

15* डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): हम सभी जानते हैं कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है और जब किसान की फसल बाजार में पहुंचती है और उसके क्रय-विक्रय से जो पैसा किसान के पास पहुंचता है, उससे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमता है और देश में रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। परन्तु, दुर्भाग्यवश आज देश का किसान बेमौसम के प्राकृतिक संकट से निराश, उदास और हताश है। संकट के इन क्षणों में हमें उनके आंसू पोछने की आवश्यकता है। वहीं उनकी आगे की फसल अच्छी हो, इसके लिए भी उनकी मदद करने की आवश्यकता है जिससे वह भविष्य में मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े हो सके।

प्राकृतिक आपदा का यह संकट केवल दो-चार राज्यों का संकट नहीं है बल्कि यह पूरे देश की पीड़ा के क्षण हैं जिसमें हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर संवेदनशीलता के साथ किसानों को इस संकट से उबारने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है।

आज देश में कृषि क्षेत्र बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है जिससे कृषि निरंतर एक घाटे का सौदा साबित होता रहा है परन्तु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मृदा परीक्षण के द्वारा खेती की सेहत को जानने-समझने का प्रयास एक स्वागत योग्य कदम है जिससे देश के हर एक खेत के मृदा परीक्षण के द्वारा हम देश में एक नयी कृषि क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शितापूर्ण पहल के लिए उनका हार्दिक आभिनन्दन करता हूँ।

इस वर्ष हमारे 2015 में भी इस प्राकृतिक विपदा की मार हमारे किसान भाइयों पर पड़ी है तथा उनके सपनों को गहरा आघात पहुंचा है। इस असामयिक बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों के साथ-साथ चने की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। जिन किसानों ने अपनी लहलहाती फसलों को देखकर अपने मन में सपने संजाये थे कि वे बेटी की शादी करेंगे अथवा बेटे को उचित शिक्षा हेतु किसी अच्छे शिक्षा संस्थान में प्रवेश दिलाने की आर्थिक व्यवस्था करेंगे तथा अपनी कृषि भूमि में इजाफा करने के लिए एक-दो एकड़ जमीन खरीदेंगे। परन्तु इस असामयिक प्राकृतिक आपदा ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

15* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संकट की इस घड़ी में हम सभी को संवेदनशीलता के साथ तथा राजनीति से ऊपर उठकर अपने किसान भाइयों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है तथा इस संबंध में मेरी सरकार से पुरजोर विनती है कि वे किसानों को इस संकट से निकालने के लिए एक समन्वित नीति और प्रयास की तत्काल पहल करें तथा किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायें जिससे किसान को बचाया जा सके।

आज देश में कृषि क्षेत्र के सामने एक दूसरी समस्या परिवारों के निरंतर विघटन की वजह से कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना भी है। इसकी वजह से कृषि की उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में मेरा मानना है कि देश में सहकारी खेती को बढ़ावा देकर हम भारत में कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। आज कृषि उपज की लागत निरंतर बढ़ती जा रही है। कुंए तथा ट्याबूबैल का खनन तथा इस तरह की कृषि हेतु किए जा रहे सभी प्रयास व्यय साध्य होते जा रहे हैं। इसके साथ ही देश में अभी भी भण्डारण की भारी कमी है जिसके चलते किसानों का कड़ी मेहनत से उपजाया गया अनाज खुले में पड़े रहकर सड़ जाता है। अब इस तरह की खबर हम अखबार में पढ़ते हैं तो मन को बहुत गहरी पीड़ा होती है।

साथ ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि यंत्रों की खरीद पर किसान की पूरी राजसहायता प्रदान की जाए जिससे वह आधुनिक यंत्रों के माध्यम से खेती करके कृषि पैदावार को बढ़ा सके।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बारिश को प्राकृतिक आपदा के दायरे में शामिल करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का किसान जिस तरह विषम परिस्थितियों में खेती-बाड़ी करता है ऐसे में जब उसकी फसल बेमौसम और ओलावृष्टि से तबाह हो जाए तो उसकी दुर्दशा का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के किसान को इन तमाम समस्याओं से उबारने के लिए सरकार को तत्काल पहल करते हुए उनको मुआवजा राशि उपलब्ध करानी चाहिए। मैं अपने गृह राज्य म0प्र. में बेमौसम बारिश के नुकसान का आकलन करने के लिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे म0प्र0 में एक केन्द्रीय जांच दल भेजकर इस आपदा से हुए नुकसान का सही आकलन करके उनको राहत स्वरूप तत्काल मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री सी. महेंद्रन (पोलाची): माननीय उपाध्यक्ष, मुझे नियम 193 के तहत चर्चा पर इस महती सभा में बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

मैं विनम्रतापूर्वक हमारी जनता की मुख्यमंत्री, माननीया पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस माननीय सदन में सांसद बनने का अवसर दिया।

मेरे पोलाची संसदीय क्षेत्र में लगभग 92,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती होती है, जो तमिलनाडु में नारियल क्षेत्र का एक-चौथाई है।

दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी मानसून की विफलता के कारण, कुओं के साथ-साथ भूमिगत जल का स्तर भी काफी कम हो गया है। अपर्याप्त पानी और रखरखाव की उच्च लागत के कारण, नारियल किसान बड़े संकट में हैं और खोपरा के उत्पादन में भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसलिए, मेरे संसदीय क्षेत्र में खोपरा का उत्पादन कम हो रहा है।

भले ही 2,02,000 मीट्रिक टन खोपरा का उत्पादन किया जा रहा है, फिर भी कृषक जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि नेफेड द्वारा निर्धारित खोपरा का समर्थन मूल्य केवल रु. 52.50 प्रति किलो है जबकि खुले बाजार में, इसका व्यापार आज लगभग रु. 125 प्रति किलो में हो रहा है।

इसलिए, मांग और आपूर्ति तंत्र को स्थिर करने के लिए नेफेड द्वारा बाजार स्तर तक खरीद मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता है। अब, खोपरा उत्पादन नारियल उत्पादकों के लिए लाभकारी नहीं है। अब, वे, कुछ वैकल्पिक फसलों को उगाने के तरीके खोज रहे हैं। नारियल के पेड़ों की वर्तमान उपज उत्पादकों द्वारा 15 से 20 वर्षों से अधिक समय तक बनाए रखी जाती है। नारियल की खेती एक लंबी अवधि की फसल है। अतः, उनके पास अन्य विकल्प नहीं है। मानसून की विफलता के कारण, बड़ी कठिनाई के साथ, केवल 50 प्रतिशत किसान अपनी नारियल की खेती बनाए रखने में सक्षम हैं।

महोदय, वर्ष 2012-13 में हमारी जनता की मुख्यमंत्री माननीया पुरात्वी थलाइवी अम्मा जी ने गैर-डेल्टा किसानों के लिए सूखा राहत पैकेज के रूप में रु. 1,755 करोड़ दिए थे। इस पैकेज के, छह घटक लगभग 17.9 लाख किसानों के लिए थे, जिन्हें 50 प्रतिशत से अधिक की फसल का नुकसान हुआ था। किसानों को, उनकी विभिन्न फसलों के लिए, कुल रु. 835.21 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। विधानसभा में घोषणा करते हुए, हमारी जनता की मुख्यमंत्री, माननीय पुराताची थाईलैवी अम्मा ने कहा कि यह पैकेज 18 जिलों का दौरा करने तथा जिला कलेक्टरों की प्रतिवेदनों के अलावा किसानों के प्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए आकलन पर आधारित है।

6,25,481 किसानों को रु. 5,000 प्रति एकड़ का मुआवजा देने के लिए रु. 312.89 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई थी जिन्होंने 6,25,786 एकड़ में धान उगाया। आपदा राहत पर केंद्रीय मानदंडों के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान झेलने वाले छोटे और सीमांत धान किसानों को भी, केवल रु. 2,429 प्रति एकड़ का हक था, जबकि हमारी जनता की मुख्यमंत्री माननीय पुरात्वी थलाइवी अम्मा जी ने नारियल उगाने वाले 50,908 किसानों सहित दीर्घकालिक फसलों के लिए भी रु. 4,000 प्रति एकड़ दिए जाएंगे। पिछले वर्ष रु. 43.35 करोड़ की राहत राशि प्रदान कर 1,08,383 एकड़ भूमि को विस्तारित किया गया है तथा तमिलनाडु के नारियल उत्पादकों के दीर्घकालिक दृष्टिकोण और मिशन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय नारियल बोर्ड की भागीदारी से अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने के लिए नारियल उत्पादकों के लाभ के लिए 100 एकड़ सरकारी भूमि आबंटित करके उदुमलाईपेट्टई निर्वाचन क्षेत्र में एक नारियल प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है।

इन तथ्यों पर विचार करते हुए, क्या श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार नारियल के समर्थन मूल्य को नैफेड मूल्य से तीन गुना या रु. 140 प्रति किलोग्राम तक बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव लाएगी ताकि मौजूदा नारियल उत्पादक किसानों को उनकी वर्तमान वित्तीय संकट से राहत मिल सके? मैं माननीय

कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि, वे खोपरा उत्पादकों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करें तथा नारियल उत्पादकों को वर्तमान खोपरा मूल्य संकट से बचाएं।

मुझे सौ प्रतिशत विश्वास है कि कृषि मंत्री खोपरा मूल्य संकट से निपटने के लिए तमिलनाडु के कृषि कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। यह बजट वर्ष 2015-16 में घोषित कृषि मूल्य बाजार स्थिरीकरण निधि से कोई भी वित्तीय सहायता आबंटित करके नारियल उत्पादकों के लिए बहुत मददगार होगा।

एक बार फिर से मुझे अवसर देने के लिए और हमारी जनता की मुख्यमंत्री माननीय पुराच्ची थलाइवी अम्मा जी मुझे इस महती सदन, संसद में भेजने के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों पर आई अपदा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, हिंदुस्तान का किसान दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित है। व्यवस्था का हर पक्ष उसके शोषण को तैयार खड़ा है, फिर चाहे वह बीज विक्रेता हो, खाद विक्रेता हो, कीटनाशक विक्रेता हो या व्यापारी हो। लेकिन किसान सबसे ज्यादा दुखी तब होता है, जब प्रकृति उसके साथ अन्याय करती है। महोदय, इस बार वर्षा व ओलों से मध्य प्रदेश में अनुमानित एक हज़ार करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ है। 3190 गांवों की 2 लाख 44 हज़ार हैक्टेयर जमीन पर वर्षा और ओलों की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। महोदय, किसान की आशाओं, अपेक्षाएं व सपनों पर ओले गिरे हैं। किसी ने बेटी की शादी के सपने पाले थे, किसी ने माँ-बाप को तीर्थ करवाने के सपने पाले थे तो किसी ने पुराना कर्ज अदा करने की उम्मीद की थी। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कहा कि ये ओले मेरे सीने पर गिरे हैं।

महोदय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सन् 2014-15 को दिए गए आंकड़ों में कृषि लागत मूल्य एवं समर्थन मूल्य को देखें तो इस नुकसान की भयावयता प्रकट होती है। गेहूं की लागत 744 रुपये की है और उसका समर्थन मूल्य 1450 रुपये मात्र है। चना 1902 रुपये है और उसका समर्थन मूल्य मात्र 3175 रुपये है। समर्थन मूल्य इसलिए दिया जाता है ताकि किसानों को उससे कम दामों पर बेचने को मजबूर न होना पड़े। यदि गेहूं की लागत दर 744 रुपये है और 70 प्रतिशत फसल यदि नष्ट हो जाती है तो किसान कर्जदार हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसानों को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है। बीते छह सालों में कांग्रेस के शासन काल में 66000 किसानों ने आत्महत्या की है और गैर सरकारी आंकड़ें इससे भी आधिक हैं। एसोचैम के मुताबिक भारत के किसान कीटों और बीमारियों के कारण लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपये प्रति वर्ष का नुकसान सहता है। इसके आतिरिक्त जैविक बीज बनाने वाली, जेनेरिक बीज बनाने वाली कंपनियां भी किसानों की आत्महत्या का बहुत बड़ा कारण हैं। क्योंकि जैविक बीज प्रतिवर्ष खरीदना पड़ता है और खरीदने के बाद यदि

इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे किसानों के पास आत्महत्या के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब से बीज और कीटनाशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं, तब से किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ी है। पिछले 20 सालों में 2 लाख 90 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। इन किसानों की आत्महत्या में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए और उन्हें प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।

महोदय, सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 107 प्रतिशत हो गया है। छठे वेतन आयोग के बाद अब सातवें वेतन आयोग की भी तैयारी चल रही है, लेकिन किसान कर्जदार, दुःखी और वैसे ही परेशान है। किसान भी देश की सेवा करता है, बल्कि किसान बड़ी सेवा करता है। अगर कर्मचारी को जोखिम भत्ता, मंहगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, जनजाति क्षेत्र में तैनाती का भत्ता, मैडिकल भत्ता मिलता है तो किसानों का भी आतिरिक्त समर्थन मूल्य की आवश्यकता है और आतिरिक्त समर्थन मूल्य इन स्थितियों में देना चाहिए। मैं सदन से और माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बार किसानों को आतिरिक्त समर्थन मूल्य दिया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि "मदर इन्डिया" फिल्म का सूदखोर "सुखी लाला" आज भी हमारे गाँव में आस्तित्व रखता है। आज भी हमारे गाँव की वह हकीकत है। हमारा किसान आज भी कर्ज में जिन्दा रहता है। यदि उस कर्ज से हमने किसान को नहीं बचाया तो निश्चित रूप से गाँव में अपराध बढ़ेंगे। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से सदन और सरकार से निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार को आतिरिक्त सहायता दी जाए ताकि वहाँ के किसानों को राहत मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): महोदय, केंद्र सरकार औद्योगीकरण के बढ़ते दायरे, विदेशी निवेश की बढ़ती संभावना, स्मार्ट शहरों की स्थापना और जीवन स्तर में वृद्धि के रूप में भारत की वृद्धि, विकास और प्रगति का वादा कर रही है। लेकिन यह किसके लिए है? यह मेरी समझ से परे है कि जब हमारे 70 प्रतिशत ग्रामीण लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो हम उन्नति के बारे में सोचे बिना कैसे उन्नति कर सकते हैं। वे, स्वयं, कृषि व्यवस्था में विभिन्न बाधाओं, प्राकृतिक आपदाओं, रियायती दरों पर समय पर उर्वरकों की अनुपलब्धता और सही कीमत नहीं मिलने के कारण भूख से मर रहे हैं। यदि कभी-कभी कृषि की उपज अधिशेष भी हो जाती है, तो भी भारत के विभिन्न राज्यों या विदेशों में वितरण या निर्यात की कोई एक समान प्रणाली या नियम नहीं है, जिससे अधिक धन अर्जित किया जा सके।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल कम उत्पादन वाले केवल छोटे खेतों वाले किसानों से भरा हुआ है। इन छोटे क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है और उसके लिए एक विशेष प्रावधान होना चाहिए। यह केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से के लिए है। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का बर्धमान जिला, वास्तव में कृषि के लिए एक तरह का स्वर्ग है। इस जिले में, मुख्य रूप से, चावल और आलू का उत्पादन होता है और यह पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर भी इस वर्ष यहां एक-दो किसानों ने आत्महत्या कर ली है तथा अनेक लोग खेती-बाड़ी छोड़कर शहरों में सेवाओं अथवा अन्य चीजों की तलाश में जा रहे हैं। इस वर्ष आलू का उत्पादन भी अधिशेष है। फिर भी अधिक उत्पादन के कारण बाजार मूल्य कम होने के कारण किसान भुखमरी की स्थिति में हैं। किसान बाजार मूल्य के नियंत्रण या निगरानी की कमी के कारण उत्पादन पर खर्च किए गए अपने पैसे को वापस लेने का प्रबंधन भी नहीं कर सकते।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह किसानों और उनके कृषि क्षेत्रों के बारे में और अधिक गंभीरता से सोचे और वे उचित किसान हितैषी नीति बनाएं। पश्चिम बंगाल से आए मेरे पिछले वक्ताओं, विशेषकर

बदरुद्दोजा खान जी ने वास्तव में इस बारे में और पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में भी सब कुछ कहा। मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कृषि एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम अपने सभी खेतों को उद्योग और प्रत्येक चीज के लिए देकर खाद्यान्न उत्पादन के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकते।

अपराह्न 02.00 बजे

बल्कि हमें इसके लिए एक उचित नीति बनानी चाहिए।

आप जानते हैं कि *दो बीघा जमीन का किस्सा* के कारण पश्चिम बंगाल का पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। मैं सरकार से उचित किसान हितैषी नीति बनाने, वैज्ञानिक तरीकों से उपज में सुधार करने; किसानों के लिए उचित बाजार मूल्य तय करने और उर्वरकों को न केवल विशेष और गरीब किसानों के लिए बल्कि सभी किसानों के लिए भी सब्सिडी देने का आग्रह करता हूँ। वैज्ञानिक भंडारण और वितरण प्रणाली हेतु कदम उठाए जाएं क्योंकि आलू सहित किसानों की पैदावार सड़ जाती है। अधिशेष उत्पादन होने की स्थिति में एक अंतर-राज्यीय और विदेशी निर्यात तंत्र भी होना चाहिए।

मैं यह कहकर अपने भाषण को समाप्त करती हूँ कि सरकार द्वारा एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जिससे आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से ही किसानों को जानकारी दी जा सके ताकि उससे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): महोदय, आज मुझे भारत में कृषक समुदाय की दुर्दशा पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ।

हम सभा में बुनियादी ढांचे, सड़कों और हवाई अड्डों तथा हर चीज के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन एक वैकल्पिक विचार यह भी है कि भारत शायद न केवल अपने लिए बल्कि आधे विश्व के लिए भी खाद्य कटोरा बन सकता है, जैसा कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया है, जो एक यू.एन. संगठन है। इसमें कहा गया है कि यदि हम विश्व की जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि का आकलन करें तो लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए बहुत अधिक भूमि तथा बहुत अधिक कृषि की आवश्यकता होगी।

महोदय, मैं ओडिशा राज्य से हूँ, जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर राज्य है और हमारी अधिकांश आबादी जीवित रहने के लिए कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन हम पाते हैं कि जबसे फोर लेन और सिक्स लेन राजमार्ग बनाए गए हैं, कई बिजली संयंत्र बनाए गए हैं, कई खान आधारित उद्योग अस्तित्व में आ रहे हैं, किसानों की जरूरतों और आवश्यकताओं के लिए कम-से-कम चिंता या कम सम्मान है।

महोदय, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ के रूप में आप जानते हैं कि 60 के दशक के अंत और 70 के दशक के प्रारंभ से पहले हम अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे गेहूं, धान और अन्य चीजों के लिए भी आयात करते थे। पीएल-480 ऐसी ही एक बात है और मुझे याद है कि यह अमेरिकी गेहूं था। उन आयातों के कुछ प्रभाव अभी भी दिखाई देते हैं जब हम भारत के उन सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं जहां हमें कुछ खास बीज मिलते हैं, जैसे कि बेंगलोर में एक ऐसी घास है जिसे न तो बकरी खाती है और न ही गाया। इसे कांग्रेस घास कहा जाता है क्योंकि इसके फूल पर एक सफेद टोपी जैसी चीज होती है। जब परागण होता है, तो बहुत से लोगों को अस्थमा के दौरे पड़ते हैं और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह एक कहानी है। लेकिन कहानी यह है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस दुनिया के भविष्य के लिए भोजन का कटोरा कैसे बनाया जाए और न केवल इस देश के लिए। हमें वे सभी प्रयास करने चाहिए कि हम एक खाद्य घाटे वाले देश में वापस न आएँ, जो हरित क्रांति से पहले भारत में मौजूद स्थिति थी।

महोदय, इंटरनेट पर एक समुदाय है जिसे 'रेडिट' कहा जाता है। मैंने लोगों से पूछा कि, क्या वे खेती और कृषि पद्धतियों पर चल रही चर्चा के संबंध में सुझाव देने को तैयार होंगे? मुझे आश्चर्य हुआ कि शिक्षित युवा, पुरुष और महिलाएं दोनों, कृषि के बारे में अपने जीवन के अनुभवों से यह सुझाव दे रहे थे कि बहुत ही सरल छोटे प्रयासों के साथ कितनी चीजें ठीक की जा सकती हैं।

महोदय, मैं एक बात का सुझाव दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल किसानों के लिए ऋण माफी के मुद्दे उठाते रहते हैं। वे मुफ्त बिजली के मुद्दे साथ लेकर आते हैं। फिर, सरकार वर्षों और दशकों से एक साथ उर्वरकों और रसायनों के उत्पादन पर सब्सिडी दे रही है। विशाल उर्वरक संयंत्रों को सब्सिडी देने या ऋण माफ करने या किसानों पर तरस खाने के बजाय कि वे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे बहुत गरीब हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने किसानों को तिरस्कृत करते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा हम खेती को एक आकर्षक प्रस्ताव या एक आकर्षक व्यवसाय बना सकें ताकि शहरों के लोग, जिनके पास जमीन है, अपनी जमीन पर वापस जाना चाहें और खेती करना शुरू करें?

महोदय, एक या दो ठोस प्रस्ताव हैं जो मैं देना चाहूंगा। खेती पर सभी सब्सिडी बंद की जानी चाहिए। क्या सरकार निवेश पर सब्सिडी देने के स्थान पर, निवेश लागत पर विचार करने को तैयार होगी? यदि किसी किसान के पास एक हेक्टेयर भूमि है, तो उसका बिजली निवेश क्या है, उसका उर्वरक निवेश क्या है, उसकी पानी की लागत कितनी है जिसके लिए वह उपकर दे रहा है, कीटनाशकों का निवेश क्या है और उसके परिवार और उसके मजदूरों का निवेश क्या है? आप इसे लें और इसे एक परिवर्तनशील घटक बना दें। यह राज्य आधारित बात होनी चाहिए। केन्द्र सरकार को राज्यों को यह निर्देश देना होगा कि वे प्रत्येक फसल कटाई से पहले एक आंकड़ा तैयार करें, ताकि आपको अपने खाद्यान्न के उत्पादन लागत के बारे में बुनियादी जानकारी मिल सके चाहे वह धान हो, गेहूं हो या कुछ और। फिर, आप उस लागत के आधार पर अपना एम.एस.पी. तय करते हैं और उसे दोगुना कर देते हैं। मान लीजिए कि एक किसान एक हेक्टेयर भूमि पर रु. 500 लागत लगाता है, जिसमें उसकी मजदूरी भी शामिल है, तो आपका एम.एस.पी. ऐसा होना चाहिए कि जब उसका अनाज बाहर

आए, तो उसे उसके द्वारा लगाए गए रु. 500 के बदले रु. 1,000 मिलें। एक बार जब आप खेती को लाभकारी बना देंगे, तो लोग गाँवों की तरफ वापस जाना चाहेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक बात है।

महोदय, अन्य मुद्दा यह है कि हम अपने किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, हम बहुत पानी बर्बाद कर रहे हैं। ओडिशा एक ऐसा राज्य है जिसकी भौगोलिक सीमाओं से इस उपमहाद्वीप के ताजे जल संसाधनों का 10 प्रतिशत भाग बहता है। सर्वेक्षण किए गए हैं - महोदय, आपका राज्य पानी से वंचित है और हमारे पास पानी की अधिकता है - जिसने पाया है कि ओडिशा में एक अच्छे और स्वस्थ मानसून में, जो पानी नीचे आता है, वह बारिश जो नीचे आती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है, अगर उसे संग्रहीत किया जा सकता है, तो यह संपूर्ण कृषि की गतिविधियों को करने और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। हम पूरे एक दशक के लिए पड़ोसी राज्यों को बिजली का उत्पादन करने के साथ-साथ ताजा मीठे पानी की आपूर्ति कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक बार की बारिश के पानी को बचाकर रख लें, तो बाकी नौ वर्षों तक, हमें न तो सूखा पड़ेगा, न ही पीने के पानी की कमी होगी और न ही कोई समस्या होगी।

वास्तव में, हम पाते हैं कि हम जल संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे हैं। इससे केवल ऊपरी मिट्टी बह जाती है और किसान को प्रत्येक वर्ष बिना किसी दया और मुआवजे के, प्रकृति की दया पर छोड़ दिया जाता है। किसान को मुआवजा देने का यह विचार, मुझे लगता है, बहुत विकृत विचार भी है। एक बार जब आप किसान को सक्षम बना देते हैं, एक बार आप उसकी जेब में पैसा डाल देते हैं, जे.एन.एन.यू.आर.एम. या मनरेगा जैसी व्यंग्यात्मक योजनाओं के जरिए नहीं, बल्कि उसकी गतिविधियों के जरिए, तो किसान इतना समृद्ध हो जाता है कि वह चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ उठा सकता है। वह स्वयं से सब कुछ कर सकता है। इसलिए, सरकार को एक नीति तैयार करनी होगी जहां किसान अपने उत्पाद से पैसा कमाने में सक्षम हो। इस सरकार को स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि: क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं?

बड़े लोगों, शहरी लोगों और संपन्न परिस्थितियों में रहने वाले लोगों, के बारे में तो बहुत ज्यादा सोचा गया है, लेकिन अब हमें किसानों को सम्मान वापस देना चाहिए, किसानों की जेब में पैसा वापस डालना चाहिए, कृषि को एक सम्मानजनक और सुविचारित पेशा बनाना चाहिए। आइए हम अपने किसानों को यह विश्वास दिलाएं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 193 के तहत बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे संक्षिप्त में अपनी बात कहनी है, क्योंकि समय का अभाव है। मैं दो दिनों से हो रही चर्चा को सुन रहा हूँ, माननीय साथियों ने आंकड़ों के साथ अपनी बात कही है। संस्कृत में एक कहावत है : - 'नष्टे मूले पत्र पुष्पम सर्व नश्यति।' पेड़ की पत्तों को तोड़ देंगे तो पत्ते फिर आ जायेंगे, टहनियों को काटेंगे तो टहनियां फिर आ जायेंगी, फल-फूल को तोड़ेंगे तो फल-फूल फिर आ जायेंगे, लेकिन अगर उसकी जड़ को काट दिया गया तो पत्ते, फल और फूल, सब समाप्त हो जायेंगे। इसलिए कृषि देश का मूल है। अगर किसानों पर ध्यान नहीं दिया गया, कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अभी हमारी स्थिति यह है कि कोई आदमी भूखा है, और भूखे आदमी से यहा कहा जाय कि आप रोटी का क्या करेंगे, आप कीमती कपड़े पहन लो, आप सोना ले लो, वह भूखा आदमी सोना, चांदी और कपड़े नहीं मांगेगा, उसको केवल रोटी चाहिए। विश्व में कोई रोटी देने वाला है तो वे किसान हैं।

माननीय सदस्य सदन में खड़े होकर कहते हैं कि किसानों की हालत दयनीय है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि सरकार किसानों को सब्सिडी देकर उन पर एहसान नहीं करती है। किसान 24 घंटे काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हमें किसानों के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जब देश आजाद हुआ, उस समय हमें 30 करोड़ लोगों के लिए अन्न बाहर से मंगाना पड़ता था, परन्तु अब हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है कि हम सबको खाने के लिए अनाज मिल जाता है। वर्तमान में देश में ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही है कि देश के युवा और किसान खेती से पीछे हटते जा रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 20 सालों में, हमारे सामने वही परिस्थितियां खड़ी हो जायेंगी, जो 50 साल पहले थीं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किसानों को कौन-कौन सी सुविधायें दें? अभी ओला वृष्टि हुई है। संसार में जितने भी बिजनेस होते हैं, उद्योग होते हैं, वे सब छत के नीचे होते हैं, लेकिन, केवल किसान एक ऐसा व्यक्ति है, जिसका सामान खुले आकाश में पड़ा रहता है। जितना भी बेकार सामान होता है, जैसे कोई मेटल बेकार हो जाता है, तो उसकी

नीलामी होती है। लेकिन किसान इस मामले में दुर्भाग्यशाली है कि उनके ताजे सामान को बाज़ार में नीलाम किया जाता है। मैं किसान का बेटा हूँ। मैंने खुद खेती की है। मैं पिछले 40 सालों से किसानों के साथ काम करता रहा हूँ। मैंने अनेक आंदोलनों में भी हिस्सा लिया है। जे.पी. आंदोलन से लेकर अब तक कम से कम दस आंदोलनों में मैं जेल जा चुका हूँ। मेरी हमेशा से यह सोच है कि किसान का भला कैसे हो। हमारे जो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, उन्हें हमें सक्रिय करना चाहिए। किसानों को तकनीक के अभाव में दिक्कतें आती हैं। मैं अपने साथियों से अभी इस विषय पर बात कर रहा था। जैसे चावल की फसल सबसे अधिक पानी मांगती है। दुनिया में सबसे कम पानी हमारे पास है और भारत में अगर अनाज के अंदर किसी की सवारधिक खपत है तो वह चावल की है। चावल की फसल पानी में खड़ी रहती है। उसकी कटाई से बीस दिन पहले चावल के पानी को सुखाते हैं। जब चावल की रोपाई होती है, उस समय से लेकर तीन महीने तक चावल के खेतों में पानी रहता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमें इस प्रकार के बीज की खोज करनी चाहिए जिससे कम पानी में ही चावल की अधिक पैदावार हो। जैसे जैविक खेती की बात है, इसी तरह से हमें ऐसे बीज का अनुसंधान करना चाहिए जो कम पानी में हो सके।

हमारे सीकर में एक किसान है। उसने एक तकनीक पैदा की है कि एक लीटर पानी के अंदर एक पौधा एक साल तक रह सकता है। उसकी तकनीक के ऊपर हम ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं। बहुत-से स्थानों पर ड्रिप सिंचाई नहीं हो पाती है। हमारी बहुत-सी फसलें इस प्रकार की हैं। गेहूँ, चावल में ड्रिप सिंचाई काम नहीं कर सकती है। यह कपास में, उद्यान में काम कर सकती है। हमारा देश ऐसा है कि पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण चारों तरफ अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। मेरा निवेदन है कि किसान के मूल्य के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं स्वयं गौशाला चलाता हूँ, अनाज पैदा करता हूँ और दूध भी पैदा करता हूँ। मेरी गौशाला का दूध 20 रुपये लिटर बिकता है। उसकी छाछ पार्लियामेंट में लगभग 6 रुपये की एक पाव मिलती है। उस दूध में से छाछ, मक्खन निकालकर यहां 24 रुपये में देते हैं, किसान को केवल 20 रुपये लिटर मिलता है। किसान का टमाटर 2 रुपये किलो बिकता है। मेरे क्षेत्र में टमाटर पैदा होता है। फसल के समय किसान उसे फेंकता है। उसकी सॉस

की बोटल शायद 70-80 रुपये में मिलती होगी। इसी तरह आलू 2 रुपये में बिकता है, लेकिन आलू के चिप्स 200 रुपये किलो बिकते हैं। 2 रुपये की चीज को थोड़ा प्रोसेस करके, उसकी पैकेजिंग करके मार्केट में 200 रुपये में बेचा जाता है। उधर किसान लुट रहा है, इधर उपभोक्ता लुट रहा है। किसान का सामान बाजार में बिकता है तो हम उस पर नियंत्रण रखते हैं कि महंगाई न बढ़ जाए। 1976 में सीमेंट का भाव 9 रुपये थैला था अर्थात् 18 रुपये क्विंटल था। गेहूं 100 रुपये क्विंटल था। गेहूं का भाव समर्थन मूल्य देने के बाद केवल 14 गुना बढ़ा है, लेकिन सीमेंट का भाव 20 गुना बढ़ गया। किसान को जो चीज लेनी पड़ती है, उसे भी नियंत्रित करना पड़ेगा। किसान के मूल्य को भी बढ़ाना पड़ेगा। दोनों का समन्वय होगा तब उपभोक्ता को लाभ होगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी एक आभियान प्रारंभ किया। हमारे कई भाई निवेदन कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हुड्डा जी कल कह रहे थे कि कांग्रेस ने यह किया। यहां शायद 1977 से पहले के सदस्य बैठे होंगे। 1947 से 1977 तक पंचायत को एक साल में 28 रुपये मिलते थे। पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन जनता पार्टी शासन में हुआ। 30 साल तक कांग्रेस ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन नहीं कर पाई। किसान आज भी गांव में रहता है। हमने किसान को पीछे छोड़ा है। किसान के लिए हमें भंडारण की व्यवस्था करनी चाहिए। छोटे किसानों के लिए परिस्थिति खड़ी होती है कि वे भंडारण कहां करें। इसलिए किसान की सोसाइटी बनाकर जमीन देनी चाहिए ताकि वह मिलकर अपना गोदाम बना सकें। एक किसान के पास एक एकड़ जमीन है। उस एक एकड़ जमीन में वह गोदाम कहां बनाएगा। आज छोटे किसान बहुत हैं। किसान विकास केन्द्र बनाए जाएं, गोदामों की व्यवस्था की जाए, उसका मूल्य तय किया जाए। आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। धन्यवाद।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में हमारे देश की संसद में कोयला, खनिज एवं खादान और भूमि आधिग्रहण से संबंधित तमाम कानूनों पर चर्चा हुई। इन तमाम चर्चाओं के दौरान किसान के नाम का प्रयोग एक टोकन रैफरेंस के रूप में बार-बार हुआ, क्योंकि इन तमाम कानूनों का सीधा संबंध किसानों और मजदूरों से है। वर्षों से ऐसे तमाम संबंधित कानूनों की चर्चा के दौरान किसानों के नाम का प्रयोग टोकन रैफरेंस के रूप में होता आ रहा है। फिर भी हमारे देश के किसानों की समस्याएं जस की तस हैं।

मैं सीएसडीएस के सर्वे का उल्लेख करना चाहूंगी जो किसान संगठनों की ओर से 18 राज्यों से सैम्पल लेकर किया गया। हालांकि देश की आबादी को देखते हुए सैम्पल का आकार छोटा है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं, वे आश्चर्य चकित करते हैं और किसानों की वस्तु स्थिति से भी हमें अवगत कराते हैं। मैं उन आंकड़ों को इस सदन के सामने रखना चाहूंगी। देश के अंदर 76 प्रतिशत किसान खेती से इतर किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लागत मूल्य की भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी हमारे एक सम्मानित सदस्य सत्पथी जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि खेती के प्रति आकर्षण धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और उस आकर्षण को हम पुनः कैसे पैदा करें, इसकी नीति बनाने की जरूरत है। 61 प्रतिशत किसान शहरों में बसना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव की अपेक्षा शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधाएं हैं। 70 प्रतिशत किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में नहीं जानता है, 27 प्रतिशत किसान भूमि आधिग्रहण कानून से अनभिज्ञ है, 83 प्रतिशत किसान एफडीआई के बारे में क्लूलेस है, 70 प्रतिशत किसान ने कभी भी किसान कॉल सेंटर से संपर्क नहीं किया, 50 प्रतिशत किसानों का मानना है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं किसानों के लिए बनती हैं लेकिन किसानों तक पहुंचते-पहुंचते पूरे तरीके से वह ध्वस्त हो जाती है। तमाम योजनाएं ऊपर बैठे हुए थिंक टैंक बनाते हैं, लेकिन जब इम्पलिमेंटेशन की बात आती है, जब किसानों के लिए योजनाएं बनती हैं तो उसमें पंचायतों की राय या सुझाव नहीं लिए जाते हैं इसलिए किसानों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होती। योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत सारी कमियां आती हैं। हम गंडक नदी परियोजना, सोन नहर परियोजना और बाण बाढ़

सागर परियोजना को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिनमें भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसानों के लिए ये सारी योजनाएं बनीं लेकिन इनका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा। हाल ही में देश में भयंकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। रबी की फसल पूरी तरह से तहस नहस हो गई। मेरे क्षेत्र मिर्जापुर में चना, मटर, सरसों, अलसी और गेहूँ सब कुछ तहस-नहस हो गया। हमारे देश के अंदर दैवीय आपदा के कारण फसलों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने मुआवजा नीति बनाई है लेकिन हकीकत यह है कि इस मुआवजा नीति के बेनिफिट्स किसानों तक नहीं पहुंचता। ऐसे तमाम राज्यों में जाकर देखें जहां ओलावृष्टि और बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है। वहां राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकारी जब मुआयना करने जाते हैं तो जितना नुकसान हुआ है, उससे काफी कम नुकसान दिखाकर वह किसानों को मुआवजे के नाम पर, उनके साथ ब्रूमजाक कर रहे हैं। मुझे अखबारों से यह जानकर खुशी हुई कि हमारे माननीय कृषि मंत्री और राज्य मंत्री प्रभावित राज्यों का स्वयं भ्रमण करने जा रहे हैं और केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न यह है कि जो आर्थिक सहायता केन्द्र सरकार द्वारा भेजी जाती है वह किसानों तक कैसे पहुंचे। इसे सुनिश्चित करने के लिए माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि उसमें पंचायतों के सुझावों को जरूर शामिल किया जाए।

आज देश की एग्रेरियन स्थिति पर इस संसद में चर्चा हो रही है। तमाम सदस्य अपनी-अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन जब स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था जिसने देश के किसानों की स्थिति पर अपनी सिफारिशें बना कर दीं लेकिन उनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगर हम वाकई में देश के किसान की स्थिति बदलना चाहते हैं तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर शीघ्र विचार करे।

^{16*} **श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):** इस सदन में जिन विषयों पर चर्चा होती है, उसमें कृषि व किसान पर अक्सर विभिन्न नियमों, प्रश्नों, भाषण के माध्यम से लगातार कृषि व किसान की स्थिति पर चर्चा होती है, परन्तु वांछित परिणाम नहीं आ रहे हैं।

मेरा ऐसा मानना है कि किसान की स्थिति ठीक करने के लिए तथा किसान खुशहाल हो, उसके लिए निम्नलिखित उपाय करने की आवश्यकता है। किसान की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाना, इसके लिए किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना तथा कृषि लागत कम करना, इससे किसान की जेब में पैसा आयेगा, जिससे वह अपनी व अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ भविष्य को सुरक्षित रख सकेगा।

किसानों को बाढ़ व प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हुए नुकसान का मुआवजा फसलों की औसत उपज निकालकर बाजार भाव से दिया जाये तथा उस वर्ष में कृषि ऋण को माफ किया जाये। यदि पूरा ऋण माफ करना संभव न हो तो कम से कम ब्याज माफ किया जाये तथा उस वर्ष विशेष में कृषि ऋणों की वसूली न की जाये।

कृषि फसलों के नुकसान का अनुमान सर्वे करके एक माह में करने तथा संबंधित जिले के जिलाधिकारी को जवाबदेह बनाया जाये।

कृषि बीमा का निपटान अन्य क्षेत्रों की तरह व्यावसायिक तरीके से किया जाये।

कृषि लागत कम करने के लिए मृदा परीक्षण, उर्वरक उपलब्ध कराना, बीज आदि की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, जिससे लागत भी कम होगी व फसल भी अच्छी होगी, जिसका लाभ किसान को मिलेगा।

^{16*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पारंपरिक खेती के साथ नकदी, फसल व अन्य रोजगार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संभव लघु उद्योगों को शुरू करने हेतु किसानों को प्रेरित किया जाये, जिससे कृषकों की आय बढ़ेगी तथा कृषि उपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल, अस्पताल, सड़कें, संचार माध्यम विकसित किये जायें, जिससे किसानों का जीवन भी सुखमय होगा तथा सुविधायें प्राप्त होने से जीवन स्तर ऊपर उठने के साथ ही गांव में अच्छी शिक्षा प्राप्त होने से किसानों के बच्चे भी आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान दे सकेंगे तथा समाज की मुख्यधारा में आ सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों की कानून व्यवस्था ठीक की जाये, जिससे किसानों की सम्पत्ति व सम्मान सुरक्षित रह सके।

कृषि ऋण उपलब्ध कराने के तरीके सरल किये जायें। किसानों को अपनी उपज रखने के लिए मण्डी समिति में गोदाम उपलब्ध कराये जायें तथा यदि किसान को सुविधा उपलब्ध करायी जाये कि वह उत्त गोदामों में अनाज रखकर बाजार भाव का 75 प्रतिशत धन मण्डी समिति से बिना ब्याज के ले सके, जिसके लिए विशेष फंड बनाया जाये। कृषि कार्य में प्रयुक्त डीजल व उर्वरक पर सब्सिडी दी जाये व सीधे किसानों के खाते में जमा कराया जाये।

प्राथमिक सहकारी समितियों में सीमान्त कृषकों को विशेष सुविधा दी जाये।

उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति इस समय की मौजूदा सरकार के कारण बेहद खराब है। धान/गेंहू का मूल्य सरकारी दाम से बहुत कम मिल रहा है। गन्ना सप्लाय के बावजूद पेमेंट नहीं मिल रहा। बाढ़ व प्राकृतिक आपदा का शीघ्र सर्वे कराकर उचित मुआवजा मिलने में वहां वर्षों लग जाते हैं। कानून व्यवस्था अत्यंत खराब है। अतः उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए विशेष पैकेज केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाये, जिससे बाढ़/प्राकृतिक आपदा से निपटने के साथ कृषि उपजों का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ अन्य रोजगार भी किसानों को उपलब्ध हो सके।

भूमि आधिग्रहण विधेयक में संशोधन करके किसानों की स्थिति ठीक करने का गम्भीर प्रयास किया गया, जिसका विरोध राजनैतिक कारणों के चलते किया जा रहा है। मैं भूमि आधिग्रहण बिल का समर्थन करता हूँ मेरा ऐसा मानना है कि यह बिल किसानों की भूमि अधिग्रहण करते समय जो कठिनाइयां आती हैं तथा किसानों के पुनर्वास व रोजगार संबंधी व्यवस्थाएं हों एवं किसानों व देश के लोगों में इस बिल को लेकर जो शंकाएं हैं, उनको दूर किया जा सके। इस कारण लाया गया है।

वास्तव में जनवरी 2014 में जबसे यह बिल लागू हुआ, कुछ बदलावों की मांग की जा रही है, कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों व प्रतिनिधियों द्वारा पत्र लिखकर व इस विभाग के पूर्व मंत्री जी के साथ बैठक में भी इस कानून में बदलाव की मांग की गयी थी उसी को लेकर विकास के प्रति प्रतिबद्ध सरकार उन कमियों को दूर करने के लिए यह बिल लायी है।

मेरा ऐसा मानना है कि दो तीन मसलों जैसे किसानों की सहमति न होने, अदालत में नहीं जा सकते, समय (योजनाओं को पूरा करने) तथा प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्थान ऐसे कई कारण बताकर पूरे देश में ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाया जा रहा है, जैसे मौजूदा सरकार किसान विरोधी है, वह सारी कृषि भूमि का आधिग्रहण करके उद्योगपतियों को देने जा रही है। यह उनका केवल राजनैतिक विरोध है, तथा उनको भी पता है कि यह बिल पास करना देश के विकास हेतु बहुत आवश्यक है।

हमारी सरकार न तो सारी कृषि भूमि का आधिग्रहण करने जा रही है, न किसी निजी उद्योग को कृषि भूमि देने जा रही है, न किसानों के विरुद्ध कोई नीति बनायेगी। हमारी सरकार किसान, गरीब व मजदूर के हित के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं कर सकती। उसको सिद्ध करने के लिए मौजूदा बिल में संशोधन लाये गये हैं, व जिन मुद्दों को लेकर विरोधी दल शोर मचा रहे हैं, उसको लेकर उनकी या तो जानकारी इस संबंध में कम है या वह जानबूझकर विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि इस बिल में प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्थानों व सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को परिभाषित करके पूर्व के आधिनियम में जो प्राइवेट संस्थानों को पुनर्वास की जिम्मेदारी में छूट मिलने वाली थी उसको समाप्त कर दिया गया है तथा पूर्व में जैसे यह कहा गया था कि किसान कोर्ट नहीं

जा सकते तथा सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती, असत्य है। सभी को माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार ही नहीं आपितु सभी अधिकारी व कर्मचारी जो दोषी हैं, के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालय में लंबित रहने के कारण जो देरी होती है, के अलावा योजनागत देरी में कोई छूट नहीं दी जा रही है। ऐसे सभी लोगों को जिनकी भूमि आधिग्रहीत की जाती है, को सरकार रोजगार सुनिश्चित उपलब्ध करायेगी ऐसी व्यवस्था है।

कहने का तात्पर्य यह है कि मौजूदा बिल किसानों के हित में व देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला है। इस बिल में स्पष्ट है कि केवल सरकारी योजनाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजलीघर, सड़क, रेल लाइन, रक्षा जरूरतों आदि के लिए ही भूमि आधिग्रहीत की जायेगी तथा वह भूमि भी सड़क से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होगी तथा किसानों को उसकी आधिग्रहीत भूमि व चाहे जिस काम के लिए सरकार ले, मौजूदा बाजार भाव का चारगुना मुआवजा किसानों को दिया जायेगा, जबकि पहले कुछ कार्यों हेतु आधिग्रहीत कृषि भूमि का मुआवजा चार गुना नहीं देना था, परंतु हमारी सरकार ने यह छूट समाप्त कर दी है।

इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने जो वादे किये थे उनके प्रति प्रतिबद्ध है, उसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए देश के किसानों, गांवों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हुए पूरे देश का विकास करने तथा देश में बुनियादी ढांचा खड़ा करने व किसानों, मजदूरों का पुनर्वास करने के साथ-साथ ऐसे कामों में आने वाली कठिनाईयें दूर करने के लिए यह बिल हमारी सरकार लायी है तथा मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबको हमारे क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए चुना है।

अतः मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस विकासोन्मुखी व देश को आगे बढ़ाने वाले बिल का समर्थन करें और किसानों को आगे बढ़ने में मदद करें।

डॉ.भागीरथ प्रसाद (भिंड) : महोदय, एग्रेरियन इश्यू भारत का सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि से जुड़ी हुई है। मैं यहां एक बिन्दु रखना चाहता हूं, आजादी के बाद भारत में भूमिहीनों की संख्या लगभग 22 परसेंट थी वह अब 56 परसेंट हो गई है, यह एग्रेरियन सिच्यूएशन के लिए अनोखा परिवर्तन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इतनी बड़ी आबादी जिसके पास जमीन नहीं है और जमीन पर आश्रित हैं, मजदूरी की दरों में कमी होती जा रही है, उनका शोषण हो रहा है, वे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। अर्बनाइजेशन में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। वह इसी समस्या से उत्पन्न हुई है। भारत सरकार ने तय किया है कि युवाओं का स्कील डेवलप किया जाए, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया जाए तभी हम लोकतंत्र को मजबूर कर सकेंगे अन्यथा यदि इस युवा पीढ़ी को रोजगार का अवसर नहीं मिला तो देश दिशाहीन हो जाएगा, देश को कमजोर कर देगा, इसलिए समय रहते शिक्षा और स्कील डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना दिया जाए। भूमिहीन किसानों और मजदूरों के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल सही होगी, तभी भारत मजबूत होगा। धन्यवाद।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कर्मयोगी के ऊपर जो चिंतन हो रहा है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वह कर्मयोगी ऐसा है, जो कर्म करता है, लेकिन उत्पादन होगा या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं है। उत्पादन की लागत तय करना भी उसके हाथ में नहीं है। उसे भी दूसरे लोग बाजार में तय करते हैं। इसलिए ऐसे किसान के बारे में आपने चर्चा करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं केवल 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा। पहला यह है कि, हम उत्पादकता और उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरा, उत्पादन लागत पर बात करना चाहूंगा और तीसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात करना चाहूंगा। ये तीन बिंदु हैं, जिन पर मैं ध्यान केन्द्रित करूंगा।

पहला प्वाइंट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि देश में उत्पादन नहीं बढ़ा। भारत में चावल का उत्पादन पर हैक्टेयर वर्ष 1971 की तुलना में वर्ष 2011 में दोगुना हो गया। व्हीट में दोगुना हो गया और प्लसेज में तीन गुणा हो गया। लेकिन यदि हम दुनिया की ग्लोबल सिचुएशन देखते हैं, तो हमारा प्रोडक्शन कम है। यहां पर माननीय कृषि मंत्री जी और कृषि राज्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कुछ प्वाइंट्स पर विशेष ध्यान दिया जाये। अपना उत्पादन और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ायी जाये? इसमें पहला है कि 35% भूमि बीमाकृत सिंचाई के तहत है। इसे अब बढ़ाया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हमें इरीगेशन को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे नदियों को आपस में जोड़ना, ड्रिप इरीगेशन, वन ड्रॉप मोर क्राप, हर खेत को पानी और हर हाथ को हुनूर। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बजट में प्रधान मंत्री सिंचाई योजना लाने का प्रावधान किया गया है, उससे निश्चित रूप से हमारी सरकार किसानों के इरीगेशन पर पूरा ध्यान दे रही है। मेरा लोक सभा क्षेत्र अर्ध मरुस्थली क्षेत्र में बसा हुआ है। उसमें वर्ष 2004-05 से नलकूप खुदे हुए हैं। उन्हें वर्ष 2004 से डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। हमारा कहना है कि डार्क जोन को समाप्त किया जाये, क्योंकि जब ट्यूबवेल होते हैं तो, सिंचाई पहले से ही होती है। इस पर तवज्जो दी जाये। हर खेत में तराई के लिए इसे मनरेगा से जोड़ा जाये। यहां तक कि वे लोग भी जिनके पास सीमांत किसानों की तुलना में थोड़ी अधिक भूमि है। सीमांत काश्तकारों से, मार्जिनल फार्मर्स से ज्यादा भी है, तो उन्हें इसमें इनक्लूड किया जाये और तालाबों का निर्माण किया जाये।

दूसरा मेन प्वाइंट यह है कि कास्ट प्रोडक्शन कैसे कम की जाये। इसके लिए आपको सब्सिडाइज्ड खाद देनी चाहिए। कल मेरे एक विद्वान साथी सत्यपाल सिंह जी बता रहे थे कि जो रिपोर्ट आ रही है, उसके आधार पर यूरिया पर आपकी जो 50 परसेंट सब्सिडी जा रही है, यह किसानों के हाथ में नहीं, बल्कि निजी लोगों के हाथ में जा रही है। इसलिए, कृपया इस पर गौर करें। इसी प्रकार से कुछ आइटम्स ऐसे हैं, जिन पर सब्सिडी कम कर दी गयी है। जैसे स्प्रिंकलर्स हैं, पम्पसेट्स हैं। इनके ऊपर सब्सिडी 90 परसेंट तक मिल रही थी, लेकिन पिछले दो साल में यह सेंट्रल सब्सिडी 30 परसेंट तक आ गयी है। इसे वापिस किया जाये और सब्सिडी ज्यादा दी जाये। फर्टिलाइजर्स में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणकर्ता को मिलना चाहिए, न कि कारखानों या बिचौलियों को। इसे सीधे किसानों के पास जाना चाहिए। किसानों के पास भेजी जाये। सब्सिडी का जो पैसा है, वह उन्हें मिले और उनके खातों में ट्रांसफर हो। जन-धन योजना के तहत जो खाते खुले हैं, इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनीफिट टू दी ट्रांसफर ही किया जाये।

तीसरा प्वाइंट डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसी प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि फार्मर्स टोटली राम और राज के ही भरोसे हैं। ऊपर वाला राम, यानी प्रकृति और राज, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे देश में स्पेशली एम.पी., मध्य प्रदेश, हरियाणा, यू.[अनुवाद] पी., बिहार आदि सब जगह ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में आपको दो-तीन काम करने पड़ेंगे। चूंकि कृषि मंत्री जी उस समिति के सदस्यों में से एक हैं। माननीय होम मिनिस्टर उनकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें अभी जो रूल्स हैं, उन्हें इन नियमों को पूरी तरह से बदलना होगा। उन रूल्स को सौ प्रतिशत चेंज करना चाहिए। आपने बहुत पुराना आंकलन कर रखा है। आज की तारीख में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हैक्टेयर ज्यादा आ रहा है, उसमें आप कुछ तो काश्तकार को दो। एक ऊंट के मुंह में जीरा जितना दे देते हैं। थोड़ा एनाउंस करके वह भी पात्र किसानों तक नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरा अर्ज है कि एनडीआरएफ का पैसा है, उसके रूल्स में संशोधन किया जाये औरप काश्तकार को ढंग से पैसा दिया जाये।

दूसरा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री, हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस समय तुरंत एक्शन लिया। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने रिलीफ भी घोषित कर दिया और आपने सेंटर से टीम भी भेज दी। हम माननीय कृषि मंत्री जी से मिले, वह इस विषय पर चिंतित हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि यदि चिंता वोटों के लिए जता रहे हैं तो यह सही नहीं है। यदि वास्तव में सरकार को काश्तकार की चिंता है, यदि वास्तव में किसान को अन्नदाता मानते हैं तो अन्नदाता की तरह ही रिगार्ड्स दें तब जाकर देश का भला होगा। धन्यवाद।

17* श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): दिसम्बर 2014 तथा जनवरी, फरवरी और मार्च 2015 में लगातार बहुत आधिक वर्षा, तेज हवाएं तथा ओलावृष्टि के कारण गेहूं, सरसों के साथ अन्य सब्जी की फसलें जैसे आलू, टमाटर, मटर आदि को भारी नुकसान हुआ है। पहले ही किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज के समय में किसान के पास छोटी-छोटी जोत हैं। किसान को खाद, डीजल, कीटनाशक दवाईयां बड़े मंहगे भाव पर बाजार से खरीदनी पड़ती है जिससे खेती की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। बहुत से किसान तो जमीन को 30-35 हजार रूपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक वर्ष के लिए किराए पर लेते हैं। ऐसी स्थिति में किसान के लिए प्राकृतिक आपदा उनके पूरे परिवार के लिए भयानक स्थिति पैदा कर देती है।

जिन किसानों के खेत यमुना नदी के किनारे पर हैं वहां पर उनके खेत ऊंचे-नीचे होने के कारण उनकी पैदावार लागत बढ़ जाती है। इस पर उनका खर्चा बहुत आधिक हो जाता है।

पहले कहावत थी कि “उत्तम खेती, मध्यम व्यापार“ लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हैं। आज तो खेती घाटे का सौदा बन गयी है। यदि किसान की स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में हो सकता है कि किसान नुकसान के कारण खेती करना छोड़ दे। इसके पीछे उसकी पूरी मेहनत के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलना है। यदि वास्तव में देखा जाए तो किसान आज के दिन एक मजदूर बन गया है। वह इतनी धनराशि खर्च करने के बाद भी प्राकृतिक आपदा का शिकार होने पर अपने को ठगा हुआ महसूस करने पर मजबूर हो जाता है। मेरे प्रदेश के किसान आधिक मात्रा में गेहूं और चावल की खेती करते हुए देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए इनको फसल उत्पादन पर कीमत पर आधिक बोनस देने का प्रावधान किया जाए जिससे किसान की आय में बढ़ोत्तरी हो सके।

माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी। जिसके कारण किसानों को अपनी फसल के लिए नहरी पानी उपलब्ध कराया जा सके। अब माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। जिससे किसानों को समय पर नहरी पानी उपलब्ध होने पर उत्पादन

17* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लागत कम हो सकेगी। यदि इस योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाता है तो यह योजना किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होगी।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि किसान को प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने पर और दयनीय स्थिति को देखते हुए कम से कम 20,000 (बीस हजार रूपया) प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलाने का कष्ट करें ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

[अनुवाद]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले दो दिन से कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैंने पिछले दो दिन लगातार सभी वक्ताओं की बात सुनी है, लगभग सभी की इनपुट्स को सुना है। कृषि महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर अन्नदाता की बदहाली, दुर्दशा का जिस तरह से चित्रण प्रकट किया गया, यह चिंताजनक है। यदि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि लगातार स्थिति गिर रही है। इसके कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सदन में इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि सदन देश के भविष्य की चिंता करने के लिए उत्तरदायी है। सदन का उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि इस बात की चिंता करे कि भविष्य में, 20-25 साल बाद देश की कृषि की स्थिति कहां जाएगी। इस बात की चिंता करते हुए योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिससे देश के कृषकों और कृषि की स्थिति सुधर सके।

वर्तमान में देश की कृषि की दुर्दशा के कारणों का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि पहला कारण है कि देश के किसान की खेती योग्य जमीन की जोत लगातार जनसंख्या के दबाव की वजह से घटती जा रही है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह दबाव लगातार बढ़ता जाने वाला है। आज से तीस साल पहले किसान के पास प्रति व्यक्ति जमीन का एक तिहाई हिस्सा वर्तमान में रह गया है, केवल .6 हैक्टेयर जमीन एक किसान के पास प्रति युनिट बची है। जनसंख्या का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे लगता है कि आने वाली पीढ़ी की 25 साल बाद स्थिति बदतर हो जाएगी और आज की तुलना में एक किसान के पास एक-तिहाई जमीन रहने वाली है। इस स्थिति से उबरने के लिए आवश्यक है कि आज से ही चिंतन आरंभ कर दिया जाए। कृषि क्षेत्र के सामने जो चैलेंजिस हैं, सदन में इनके बारे में बात हुई है। दुनिया में जिन देशों की इकोनामी एग्रीकल्चर पर आधारित है, अगर ऐसे देशों से भारत की तुलना की जाए तो पता चलेगा कि हमारे देश में कृषि में मैकेनाइजेशन सबसे कम है। कई माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है। मैकेनाइजेशन नहीं होने का सबसे

बड़ा कारण जोत की सीमितता है। कृषि क्षेत्र में बदहाली का कारण यह है कि यहां इरीगेशन नहीं है, इरीगेशन की सुविधाएं नहीं हैं।

महोदय, हम सबने जो चिंता की है, वह जायज है। अभी माननीय सदस्य डार्क जोन का उल्लेख कर रहे थे और वह उस क्षेत्र को डार्क जोन से बाहर निकालने की बात कह रहे थे। मेरा इस पर सोचने का तरीका अलग है। देश में भूजल पर दबाव बढ़ रहा है और इस कारण डार्क जोन की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से भूजल पर दबाव बढ़ रहा है, अगर हमने इसकी चिंता नहीं की तो आगे आने वाली स्थिति और भी भयावह होने वाली है। इजरायल हमारे देश की तरह भौगोलिक परिस्थित जैसा देश है। यहां बरसात की मात्रा हमारे देश में होने वाली बरसात से कुछ कम है। जमीन का पानी राष्ट्रीय संपदा है। मैंने इजरायल में व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वहां हर एक कुएं पर पानी का मीटर लगा हुआ है। एक आदमी जितना पानी विड़ा करता है, उसके लिए कम्पलसरी है कि वह उतना ही पानी रिचार्ज करने के लिए अपने खेत में व्यवस्था करे। इस तरह की व्यवस्था यदि हमने आने वाले समय में नहीं की तो हमारे यहां का भू जल लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि विश्व का जो पीने योग्य और कृषि योग्य पानी है, उस पानी का केवल चार प्रतिशत हमारे पास है। दूसरी सिंचाई का साधन नहरें हैं और जिस तरह से नहरें डिस्ट्रैस्ड हैं, जिस तरह से अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है, इस भारत की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने का एकमात्र तरीका है कि जो माननीय प्रधान मंत्री जी की योजना है कि रिवर्स का लिंकेज किया जाए क्योंकि देश के एक तिहाई हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। देश के एक तिहाई हिस्से में, जहां से मैं आता हूं, 50 साल में से 42 साल अकाल पड़ा है। इस स्थिति से उबारने के लिए दोनों तरह की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम शीघ्र इन नदियों को जोड़ें। ये नदियां अगर जुड़ती हैं तो भूजल के स्तर पर भी काबू पाया जा सकता है। चौथी समस्या जो किसान के सामने खड़ी है, वह समस्या यह है कि नयी तकनीकियों का हस्तांतरण नीचे के स्तर पर नहीं हो रहा है। लैब में तकनीकियां विकसित की जा रही होंगी क्योंकि अनेक कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां अनेक तरह की शायद रिसर्च भी हो रही होगी,

लेकिन लैब की रिसर्च नीचे स्तर पर नहीं आ रही होगी तो इसी के लिए प्रधान मंत्री जी ने पहल की है। उन्होंने जो बात कही है कि हमारी जमीन का परीक्षण होना चाहिए, वह इस देश के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है।

देश का एवरेज रेनफॉल 950 मिलीमीटर है। जिस क्षेत्र के किसानों की जो बात होती है, उन सारे क्षेत्रों का एवरेज यू.पी. और झारखंड का 1000 मिलीमीटर से ज्यादा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ केवल 346 मिलीमीटर बरसात होती है। जब 25 प्रतिशत बरसात कम होती है तो वहाँ पर सूखा घोषित किया जाता है। 50 प्रतिशत डैफिसिट होता है तो भयंकर अकाल माना जाता है और जब पचास प्रतिशत डैफिसिट होता है तो देश के उन हिस्सों में जहाँ एवरेज रेनफॉल 1000 मिलीमीटर है, वहाँ पर 500 और 400 एम.एम. बरसात होती है। केवल वहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न बदलने की जरूरत है। यदि पचास प्रतिशत बरसात हो रही है और वहाँ का किसान गन्ने और चावल की जगह यदि मक्का और गेहूँ उगाता है तो उसका सरवाइवल हो सकता है लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ यदि पचास प्रतिशत रेनफॉल डैफिसिट होता है तो वहाँ पर पीने का पानी महिलाओं को दस दस किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। इस वर्ष हमारी दुर्दशा सबसे भयंकर है।

एक तिहाई जो हिस्सा है, जो 15 नं. नेशनल हाईवे के परे जोधपुर-बाड़मेर-जैसलमेर का जो हिस्सा है, वहाँ केवल तीन एम.एम बरसात हुई है। हमारी बेटियों की तरह गायें मर रही हैं और एन.डी.आर.एफ के नियमों में संशोधन की बात मैं पिछले एक महीने से, जब से यह सत्र प्रारम्भ हुआ है, तब से कर रहा हूँ। लेकिन किसान के क्षेत्र में जब ओले पड़े हैं तब वापस सारा सदन एक राय होकर इसकी बात कर रहा है।

मेरा क्षेत्र पशुपालन पर आधारित है और यह क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए विषय हैं। हम पशु और गायों का संरक्षण किये बिना इस देश में खेती की कल्पना नहीं कर सकते। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कल से पूरा सदन किसानों की पीड़ा को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने प्रदेश के बारे में बातें उठा रहे हैं। लगभग सभी बातें किसी न किसी माध्यम से आई हैं, हम उनसे अलग कुछ सुझाव माननीय कृषि मंत्री जी को देना चाहते हैं, किसानों की उपज बढ़े, इसके लिए पूर्व सरकारों ने एन.जी.ओ. का सहारा लिया, कंपनियों का सहारा लिया। हमारा कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से सुझाव है कि एन.जी.ओ. और इन कंपनियों को समाप्त करके जो एम.एस.सी. ए.जी. तथा बी.एस.सी. (ए.जी.) के बच्चों को स्टाइपण्ड देकर और पी.एच.डी. पढ़े हुए लड़के हैं, इन सबको पढ़ाई के बाद एक साल के लिए एक-एक ब्लॉक में लगाकर उनसे किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करना चाहिए जिससे वह नौजवान जो पढ़कर निकलता है, वह जमीनी हकीकत को जान सके और किसानों को भी उसकी उपज में बढ़ोतरी कैसे हो, यह बताने का काम कर सके। उसी के साथ-साथ अगर हम वास्तव में इस देश को किसान प्रधान देश मानते हैं, इस देश में किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा सरकार जो दुनिया भर की उपाधियाँ देती हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, वैसे ही कृषि उत्पादकों को भी सम्मान देने का काम करना चाहिए, जिससे उनका हौसला बढ़ सके, उनका मनोबल बढ़ सके।

मान्यवर, प्रकृति ने हमें गांव-गांव और शहरों में झील, तालाब और पोखर दिया है। शहर के सभी झीलों, तालाबों और पोखरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। गांव में भी लोग निरंतर झीलों और तालाबों पर कब्जा कर रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि जिन गांवों में झीलों, तालाबों और पोखरों पर कब्जा हुआ है, वहाँ से आतिक्रमण हटाकर और आज तक सैंकड़ों सालों से उनकी तलहटी की सफाई का काम नहीं हुआ है, जिससे उसके माध्यम से रिचार्ज होता है, उससे जलस्तर मेनटेन रखा जा सकता है, वह नहीं हुआ है। इसलिए मनरेगा के माध्यम से इसे किया जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र में लगभग 25-30 झीलें हैं, जो दो-दो किलोमीटर लम्बी हैं। यदि उनकी तलहटी की सफाई हो जाए, उनके बंद छिद्र खुल

जाएं तो इस प्रकार से जलस्तर को मेनटेन किया जा सकता है। इस प्रकार से पूरे देश में यह काम मनरेगा के माध्यम से करना चाहिए। किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे सदन को पीड़ा है।

हम तो अयोध्या के सेवक हैं। प्रभु श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी को लात मारकर पूरी दुनिया को एक श्रेष्ठ राज्य देने की कल्पना की। वे गद्दी पर बैठने से पहले 14 वर्षों तक जंगलों में घूमे, गरीबों के बीच में उनकी समस्याओं को खुद देखा और खुद महसूस किया है, उनके जैसा जीवन बिताया, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा सदन जिनकी ज्यादा आयु है और जो रोगी हैं, उनको छोड़कर एक सप्ताह के लिए गांवों में जाने का काम करें और वहाँ से सीधे उनकी पीड़ा को देखकर और महसूस करके आएँ, तब इस सदन में चर्चा करें, तो हमें लगता है कि जो योजना बनेगी, वह श्रेष्ठ योजना बनेगी और उस आधार पर काम होगा। तभी हम जिस प्रकार से इस देश के किसानों की भलाई करना चाहते हैं, वह कर सकेंगे। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

^{18*} **श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद):** मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि देश ऋषियों और कृषियों का रहा है हमारे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक ऋषि और कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है जब बच्चा जन्म लेता है उस समय माता या गाय माता का दूध सर्वप्रथम पिलाया जाता है नामकरण, शिक्षा दीक्षा, विवाह और मृत्यु तक ऋषि व कृषि के बिना संपन्न नहीं होते हैं हमने गौ से गोवर्धन तक मां से धरती माता तक, कुंओं से लेकर नदियों तक, वट वृक्ष से लेकर पीपल, बेल, केला, तुलसी आदि के वृक्षों की पूजा की है। चींटियों से लेकर मछलियों तक को आटा खिलाया तथा पक्षियों से लेकर नाग तक की पूजा की है। ऋषियों, मुनियों की भी पूजा की है शास्त्र से लेकर शस्त्र की भी पूजा की है इससे लगता है सतयुग से लेकर कलयुग तक यह देश ऋषियों व कृषियों का रहा है।

एक अन्नदाता ही सबका भरण पोषण करता है सबकी भूख शांत करने वाला आज फटेहाल है अच्छे अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जियां, अच्छे अच्छे मसाले, घी, दूध आदि पैदा करता है सबको पहले खिलाता है और बाद में स्वयं खाता है अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीरे साफ देखी जा सकती है?

जब देश आज़ाद हुआ था उस समय विकास दर में कृषि की विकास दर 56 प्रतिशत हुआ करती थी लेकिन महोदय आज कृषि विकास दर 56 प्रतिशत से घटकर मात्र 12 प्रतिशत पर आ गई है तीन करोड़ 20 लाख किसान गांव से पलायन करके शहरों, महानगरों में बसने पर मजबूर हो गए हैं तथा तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब देश आजाद हुआ था तब देश की आबादी तीस करोड़ थी लेकिन खाने के लिए गेहूँ विदेशों से आयात करना पड़ता था लेकिन देश का किसान खुशहाल (मालामाल) था। गांव का किसान नौकरी चाकरी करने शहर नहीं जाता था, किसान अपने बेटों को नौकरी पर भी नहीं भेजता था।

हमारे सामने बैठे सीनियर संसद सदस्य आकड़ों का गणित बता रहे थे, कि अड़सठ वर्षों में मैंने यह किया, वो किया। आपने यदि अच्छा किया होता, तो आज तीन लाख किसान आत्महत्या नहीं कर चुके होते। आज किसान शहरों में नौकरी/मजदूरी को मजबूर नहीं होता। किसान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया एक दाना

^{18*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

गेहूं खेत में बोता है उसके बदले 80-120 दाने भगवान उसे तीन से चार महीने में दे देता है फिर भी अन्नदाता आज फटेहाल जिंदगी जीने को मजबूर है।

विश्व में अभी तक कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी जिसमें एक किलो कच्चा माल डाला और उसके बदले 1 किलो माल तैयार करके दे सके? फिर भी सभापति महोदय फैक्ट्री वाला मालिक अमीर हो रहा है और किसान एक दाने से 80-120 दाने तीन महीने में तैयार करके भुखमरी की कगार पर है।

कल से बड़ी चर्चा हो रही है 60,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया गया। माननीय सांसद धर्मेन्द्र यादव भी कह रहे थे उत्तर प्रदेश के किसानों का 16000 करोड़ का ऋण हमने माफ किया , भूमि विकास बैंक का नाम उत्तर प्रदेश में भूमि विनाश बैंक होना चाहिए (जिसमें लाखों किसानों ने अपनी जमीन गवां दी)। भूमि विकास बैंक में काम करने वाले आधिकारियों/कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए 90 प्रतिशत एक पार्टी के कार्यकर्ता कर्मचारी आधिकारी है। भूमि विकास बैंक में जो भी खातेदार है वो भी 90 प्रतिशत एक ही पार्टी के कार्यकर्ता है या कर्मचारियों के परिजन या रिश्तेदार के खाते हैं आम किसान उत्तर प्रदेश की भूमि विकास बैंक से एक किलोमीटर दूर से निकलता है।

उत्तर प्रदेश का किसान सर्वाधिक ऋण ग्रामीण बैंक, पंजाब बैंक, स्टेट बैंक आदि बैंकों से अपनी सुविधानुसार ऋण लेता है लेकिन इन बैंकों से ऋण लेने वाले किसान का एक पैसा भी ऋण माफ नहीं हुआ है। 30प्र0 सरकार बताये क्यों? उत्तर प्रदेश का किसान आज सबसे ज्यादा परेशान है किसानों की भूमि पर अवैध कब्जे हो रहे हैं किसान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बन रहे हैं खाद,बीज और बिजली से परेशान है।

कार्पोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका स्वागत होना चाहिए क्योंकि इससे देश के किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से काफी लाभ होने वाला है क्योंकि टैक्स कम होने से देशी विदेशी उद्योगपति अपना धन नए उद्योगों की स्थापना में लगाएंगे जिसमें देश के कच्चे माल की खपत होगी तथा गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा एवं उपभोक्ताओं को स्वदेशी उत्पाद भी मिलेंगे। इससे देश के किसानों को काफी लाभ होगा।

अड़सठ वर्षों में कृषि उपज पर तो ध्यान हमारी सरकारों व वैज्ञानिकों ने दिया है लेकिन कृषि उत्पाद के वाजिब मूल्य के लिए न तो वैज्ञानिकों ने चिंता की और न ही सरकारों ने चिंता की जिससे आज अन्नदाता फटेहाल है।

माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खेत की सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना प्रारम्भ की, किसान के उत्पाद के वाजिब मूल्य की चिंता कर रही है उसमें मावेरटिंग की व्यवस्था कर रही है।

मैं अपने वरिष्ठ सदस्यों से निवेदन करूंगा जो फाइव स्टार होटलों में एक कप चाय 350-450 रूपए की पीते हैं कि यदि किसान के उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां, फल कुछ महंगे हो जाए, तो सड़कों पर सदन तक हो हल्ला करते हैं जबकि हो हल्ला नहीं करना चाहिए।

मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरे सदन में चर्चा के बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का प्रयास करना चाहिए जिससे किसानों का चौमुखी विकास हो सके।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ।

यह चर्चा लगभग नौ घंटे से चल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कृषि से और किसान से संबंधित कोई समस्या ऐसी नहीं है, जिसकी चर्चा यहाँ पर न हुई हो। अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर हमारे माननीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के सुझाव भी दिये हैं, समस्याओं के हल भी बताये हैं। ऐसा लगता है कि किसानों की समस्याओं को लेकर सम्पूर्ण सदन का एक मत है। यदि इसका विस्तार सदन के बाहर भी हो जाए, तो निश्चित रूप से आज नहीं, तो कल क्रमशः योजनाओं के माध्यम से, क्रियान्वयन के माध्यम से किसानों का और देश का संकट हम दूर कर सकते हैं।

कल श्री धर्मेन्द्र यादव जी यहाँ पर बोल रहे थे। मैं उनका नाम लेकर इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि इतनी सामूहिक चिन्ता के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का किसान दो साल से अपना भुगतान समय से प्राप्त नहीं कर पा रहा है। न उनको ठीक भुगतान मिलता है, न ही समय पर भुगतान मिलता है। मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूँ कि आखिर यह किसकी चिन्ता है? यदि सम्पूर्ण सदन में चिन्ता व्यक्त करने के बाद भी गन्ने का किसान अपना भुगतान समय से प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता है, तो हमें कोई नया मैकेनिज्म लाना चाहिए, ताकि वह आश्वस्त होकर अपनी फसल का मूल्य प्राप्त कर सके। जिससे वह आश्वस्त होकर अपनी फसल का मूल्य प्राप्त कर सके। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, उसमें अलीगढ़ का एक प्रसंग है कि एक किसान अपने खेत पर गया, उसने अपनी आलू की फसल को देखा जो ओले के कारण समाप्त हो गयी थी, उसे वहीं हार्ट अटैक आया और उसका देहान्त हो गया। इसके बारे में सदन ने विचार किया है, सुझाव दिए हैं क्या हम किसान को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि यदि कभी इस प्रकार का कोई संकट आया तो सारा देश और सरकार उसके साथ खड़ी होंगी, उसे हृदय पर आघात नहीं आना चाहिए कि उसकी यह फसल खराब होने से वह बर्बाद हो गया है। इसके लिए कुछ उपाय हमें सोचने होंगे। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, पानी और बिजली की

सुविधा होनी चाहिए, अवसरचरणात्मक ढांचे का सहयोग किसान को मिलना चाहिए। अभी चार-पांच महीने पहले मेरे क्षेत्र की घटना है, वहां पर टमाटर, मिर्च आदि सब्जियां पैदा होती हैं। टमाटर की कीमत उस समय दो रुपये थी, हमारे किसान भाइयों ने टमाटर को खेत में ही छोड़ दिया या उस पर हल चलवा दिया क्योंकि उसकी तोड़ाई का मेहनताना टमाटर की दो रुपये कीमत से भी ज्यादा था। इसी तरह से मिर्च का बाजार में जो दाम था, वह उसकी तोड़ाई के मेहनताने से कम था, इसलिए उस फसल को भी छोड़ दिया गया। हम इस पर चिन्ता करें कि हर वर्ष बहुत सी सब्जियां तुरंत नष्ट हो जाती हैं, कैसे उनका ठीक दाम किसानों को मिले।

महोदय, हमारे पास बहुत बड़ा अनुभव है। अभी गौरव गोगोई जी असम का अनुभव बता रहे थे कि वहां पर मसालों और दालों का अच्छा उत्पादन हुआ है। हम इन अनुभवों का आपस में तालमेल करें और जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, टीम इंडिया बैठकर समग्र रूप से किसानों की समस्याओं पर चिंतन करें। अभी मैं जनवरी के महीने में गांव में था, उस समय उत्तर भारत में बहुत ठण्ड पड़ती है। हमारे यहां बिजली रात में केवल चार घण्टे आती थी, रात के 12 बजे से सुबह चार बजे तक आती थी। किसानों ने मुझसे कहा कि रात में कड़ाके की ठण्ड में खेत में पानी लगाने के लिए उनको जाना पड़ता है। क्या बिजली विभाग के उच्चाधिकारी उस समय को बदल नहीं सकते, मैंने उन आधिकारियों से बात की, उन्होंने समय को बदला, लेकिन मेरी चिन्ता यह है कि आधिकारियों के ध्यान में यह बात स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं आई कि किसान के लिए बिजली का कौन सा समय निधारित करें? अभी बारिश होती है, ओला पड़ता है तो हमारे टीवी चैनल्स कहते हैं कि मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। क्या उनको यह बात ध्यान में नहीं आती है या यह संवेदनहीनता है कि जिस मौसम को वे सुहाना बता रहे हैं, उसके कारण इस देश का अन्नदाता बर्बाद हो रहा है? शायद हमारी जो मानसिकता है, उसमें किसान प्राथमिकता पर नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसान को केन्द्र में रखें, तभी इस प्रकार की चिन्ताएं और समस्याएं हैं, उनका समाधान हो सकेगा और जिस उद्देश्य को लेकर करुणाकरण

जी ने इस चर्चा को प्रारम्भ किया था, वह प्राप्त हो सकेगा। आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सम्पूर्ण सदन के सम्मानित सदस्यों ने कृषि और किसानों के सामने जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, तात्कालिक एवं दीर्घकालिक रूप से, दोनों की चर्चा कर ली है, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जब मंत्री जी उत्तर दें तो यह भी बताएं कि जैसे पिछले दिनों पूरे उत्तर भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में असमय बारिश एवं ओले से नुकसान हुआ है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य का, जिलों का दौरा आरम्भ कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस समस्या को अगर नियम 193 के तहत चर्चा के रूप में स्वीकार किया है तो उसके पीछे हम सभी की चिन्ता थी कि आज खेती अलाभप्रद हो रही है। एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया कि आज 76 प्रतिशत किसान खेती को छोड़ना चाहते हैं और खेती में सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है। उत्पादन लागत एक चीज है, समर्थन मूल्य दूसरी चीज है और लाभप्रद मूल्य तीसरी चीज है।

जैसे हर व्यापार में लोगों को लाभप्रद मूल्य मिलता है उत्पादन लागत के मुकाबले, आज देश के किसानों के सामने वास्तविकता है कि उन्हें उनके उत्पादन लागत के बदले लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए वे कर्ज में फंस जाते हैं और आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक प्रमुख कारण है कि जब वह बीज, खाद या पानी के लिए किसी बैंक से कर्ज लेता है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए, अगर उसे चुका नहीं पाता है तो फिर मजबूर होकर आत्महत्या कर लेता है। मंत्री जी अगर यह मानते हैं कि आज खेती का रकबा कम हो रहा है, जोत छोटी होती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पैदावार पर ओलावृष्टि या असामयिक बारिश से नुकसान हो रहा है, तो किसानों की खेती कैसे लाभप्रद बनाई जा सके, किसानों को फिर से कैसे खेती की ओर उन्मुख किया जाए, जो खेती छोड़ चुके हैं, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आज खेती का जीडीपी के अंदर 14-15 प्रतिशत तक ही है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता कि कैसे इतना कम हो गया है, लेकिन वह 65 प्रतिशत से घट गया है। उसे फिर से कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर गौर करना चाहिए।

अगर कोई व्यापारी है, वह कोई व्यापार करता है, तो बैंक उसकी लिमिट बनाता है, उसके लिए ओ.डी. का प्रावधान करता है। वह जब चाहे बैंक से अपने व्यापार के सापेक्ष ओ.डी. ले सकता है, लोन ले सकता है। किसान के पास जितनी जमीन है, जितना उसके पास बेनामा या मालिकाना हक है, क्या उस जमीन को मद्देनजर रखते हुए उसे बैंक की पासबुक दी जाएगी कि किसान भी जब चाहे अगर कोई नुकसान होता है, तो वह ओ.डी. के रूप में या लोन के रूप में अपनी पासबुक से पैसा निकाल सके?

प्रधान मंत्री जी ने एक योजना शुरू की है। उसके पीछे कहीं न कहीं यह निश्चित और निहित उद्देश्य है कि आज प्रधान मंत्री जन धन योजना में वह अपने बैंक खाते को आपरेट करेगा, वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं, उन्होंने कई योजनाओं को उसमें जोड़ा है, डायरेक्ट कैश सब्सिडी ट्रांसफर की जैसे बात है, उससे वह 5,000 रुपए ओ.डी. पाएगा। लेकिन अगर किसी किसान के पास अचल सम्पत्ति है, भूमि का स्वामित्व है, तो उस किसान को बैंक क्यों नहीं एक किसान पासबुक इश्यू कर सकता, जिससे उसकी मालियत के अगेंस्ट उसे ओ.डी. या लोन मिल सके? अगर ऐसा हो जाता है तो किसान को जब भी बीज, पेस्टीसाइड्स, सिंचाई या फर्टिलाइजर की जरूरत हो तो वह पैसे के लिए मोहताज नहीं होगा, जैसे कि आज है।

आज कैश क्रॉप में गन्ना, कपास और आलू की फसल आती है। जिस तरीके से गन्ने का जिक्र कई माननीय सदस्यों ने किया, गन्ना खेतों में खड़ा है, लेकिन चीनी मिलें बंद हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इसे दो हिस्सों में बांटना चाहिए। मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर बताएं कि जो तात्कालिक रूप से दो बार उत्तर भारत में और अन्य जगह भी बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसके सम्बन्ध में उचित मुआवजा दिया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, यह रकम नाकाफी है। क्योंकि जिस तरह से नुकसान हुआ है, उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में 7.5 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ, राजस्थान में 14.5 लाख हेक्टेयर में नुकसान हुआ, वैस्ट बंगाल 50 हेक्टेयर में नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाद्यान्न उत्पादन में भारत में 3.2 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है। इसका मतलब है कि 257 मिलियन टन इस बार पैदावार होने जा रही है। इसकी कल्पना न तो सरकार ने की

थी और न ही किसान ने की थी। किसान ने अपनी मेहनत से, खाद, पानी, बीज और कीटनाशक दवाएं छिड़कर उत्पादन किया। इसलिए जो इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, पैदावार कम होगी, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

फसल बीमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दूसरे क्षेत्र के लोगों को एक गारंटी मिलती है बीमा से, तो किसान की भी हर फसल का बीमा हो, जिससे इस तरह के एक्ट आफ नेचर हैं, जिसे न सरकार रोक सकती है, न किसान रोक सकता है, इस तरह की प्राकृतिक आपदा आए, तो किसान फसल बीमा से सुरक्षित रह सकता है।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, चूंकि मैं भी एक धरतीपुत्र हूँ, एक किसान का बेटा हूँ।

आज देश में किसान की जो हालत है, किसान इस देश का अन्नदाता कहलाता है, वह धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, आज वह किसान बदहाल है। आज किसान जैसे-तैसे अपनी फसल को जोतता है, नीराई-ढुलाई करता है, पीलाई करता है, तब जाकर उसकी फसल तैयार होती है। वह सोचता है कि फसल तैयार होगी तो अपने बच्चों की शादी करवाऊंगा, पढ़ाई कराऊंगा, ऋण चुकाऊंगा, यह सभी सपने लेकर वह काम करता है, लेकिन जब ओलावृष्टि होती है तो उसके यह सपने टूट जाते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ही रात में चार-चार सौ ग्राम के ओले गिरे हैं। किसान का खेत तो दूर, उसका घर भी टूट जाता है, ऐसे में किसान की खेती और फसल क्या बचेगी? किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही अपना जीवन गुजार देता है और कर्ज में ही वह मर जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाला किसान आज अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। कभी खाद के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी किसानों के ऋण चुकाने के लिए, कभी समर्थन मूल्य के लिए, कभी किसी अन्य समस्या के लिए और कभी बारिश के पानी का इंतजार करता है कि कब बारिश का पानी आएगा और कब मैं अपने खेत को पानी दूंगा।

अभी फसल बीमा योजना की बात हो रही थी, किसान क्रेडिट योजना की बात हो रही थी, इस देश की नदियों को जोड़ने की योजना की बात हो रही थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में बनी थी। आज उन योजनाओं को आगे बढ़ाने काम हुआ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में किसान फसल तैयार करता है और उस बनी बनायी फसल को नील गाय का समूल आकर समाप्त कर देता है। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मनरेगा में किसान को अनुदान देकर उसके खेत की बाड़बंदी की जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में ही नहीं, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ और मंदसौर में, माननीय वित्त मंत्री महोदय विराजमान हैं, मेरे क्षेत्र में अफीम के किसान भी हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। आज कोई भी नेता चुनाव हार जाता है तो उसको दूसरी बार चुनाव लड़ने का आधिकार मिल जाता है। अगर कोई भी विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसको दूसरी बार परीक्षा में

बैठने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन अफीम का किसान ऐसा होता है कि यदि वह एक बार औसत पूरी नहीं कर पाता है और उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसको दूसरी बार लाइसेंस नहीं मिलता है। वह किसान अपने को ठगा सा महसूस करता है जो बरसों से औसत दे रहा है, लेकिन एक बार ओलावृष्टि के कारण वह औसत पूरी नहीं कर पाता है तो उसका लाइसेंस कट जाता है और जिस घर में लाइसेंस होता है, उस किसान को यह लगता है कि मेरे परिवार में एक जवान की मौत हो गयी। हमारे देश में औषधियां और दवाइयां बनती हैं, कॉर्डीन और मॉर्फिन का निर्माण होता है, यह सब हमारे अफीम के किसान के कारण होता है।

अपराह 02.57 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में ईसबगोल, धनिया, जीरा इत्यादि फसलें तो बिलकुल नष्ट हो गयी हैं। ईसबगोल के खेत में ओला गिरने से न केवल फसल बर्बाद हुई बल्कि वे खेत भी बर्बाद हो गए। वे खेत एकदम पत्थरनुमा हो गए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ने वहां के किसान को राहत पैकेज देने का काम किया है और मैं केन्द्र की सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहां से टीम भेज कर उसका आकलन कराने का काम शुरू किया गया है। हमारे किसानों को उचित मुआवजा देने के साथ-साथ मनरेगा के तहत बाड़बंदी का काम होना चाहिए। यदि किसान की फसल तैयार हो जाती है तो उसके भंडारण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके आदेश पर तुरन्त ही बैठ जाता हूँ इसलिए भविष्य में भी मुझे इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अवसर दिया जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हमारे पास व्यवसाय की एक अनुपूरक सूची है। हम नियम 193 के तहत चर्चा करेंगे जब हमें समय मिलेगा। अब, व्यवसाय की अनुपूरक सूची – बिल पेश किए जाने हैं। श्री अरुण जेटली जी। ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदया, मेरी एक बात है। ... (व्यवधान) ये विधेयक अभी दिन के अंतिम समय पर आए हैं। ... (व्यवधान) मंत्री जी ने पहले ही बजट प्रस्तावों की घोषणा कर दी है। पूरा देश इसे जानता है। ... (व्यवधान) हम बिल का स्वागत करते हैं लेकिन सवाल यह है कि... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह केवल इसे पेश कर रहे हैं; इससे अधिक कुछ नहीं है।

... (व्यवधान)

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): हम इसे आज पारित नहीं कर रहे हैं। आपको ब्रेक में विधेयक को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

अपराह्न 03.00 बजे**अप्रकटित विदेशी आय और परिसंपत्ति (कर अधिरोपण) विधेयक, वर्ष 2015^{19*}**

माननीय अध्यक्ष: इस विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद आपको पर्याप्त समय मिलेगा।

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों के लिए उपबंध करने, ऐसी आय और परिसंपत्तियों से निपटने की प्रक्रिया और भारत के बाहर धारित किसी अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति पर कर अधिरोपित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियों के लिए उपबंध करने, ऐसी आय और परिसंपत्तियों से निपटने की प्रक्रिया और भारत के बाहर धारित किसी अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्ति पर कर अधिरोपित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

^{19*} भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 20.03.2015 में प्रकाशित

अपराह्न 03.01 बजे**20* खान और खनिज (विकास और विनियमन)****संशोधन विधेयक, वर्ष 2015 - जारी।****(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)**

माननीय अध्यक्ष: अब, राज्य सभा द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, वर्ष 2015 में विचार के लिए संशोधन किए गए हैं। माननीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी संशोधनों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

खान मंत्री और इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 1957, को और संशोधित करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

खंड 9

- 1 पृष्ठ 4 पर, पंक्तियों 31 से 35, के स्थान पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए, अर्थात्:-

1996 का अध्यादेश	"(4)उप-धारा (2) और (3) के अधीन नियम बनाते समय राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की
---------------------	--

^{20*} यह विधेयक लोक सभा द्वारा 3 मार्च, 2015 को पारित किया गया था और इसकी सहमति के लिए राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने आज, 20वें मार्च, वर्ष 2015 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधन के साथ विधेयक पारित किया और इसे लोक सभा को वापस कर दिया।

संख्यांक 40 2007 का अध्यादेश संख्यांक 2. पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, वर्ष 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, वर्ष 2006 के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।

(5) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात प्रदान किए गए खनन पट्टे या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को, जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, एक राशि का भुगतान करना होगा जो द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के ऐसे प्रतिशत के बराबर होगी, जो ऐसी रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त, उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी से अधिक राशि का भुगतान ऐसे तरीके से करना होगा और खनन

पट्टों के वर्गीकरण और पट्टा धारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा देय राशियों के अधीन, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।”

खंड 14

- 2 कि पृष्ठ 8, पंक्ति 35, में शब्द, कोष्ठक और आकृति "उप-धारा (4)" के लिए, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "उप-धारा (5) और (6)" प्रतिस्थापित किए जाएं

खंड 15

- 3 कि पृष्ठ 9, पंक्ति 18, के बाद "कार्य होगा" शब्द, "खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं"

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव उपस्थित किया गया:

“कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 1957, को और संशोधित करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

खंड 9

- 1 पृष्ठ 4 पर, पंक्तियों 31 से 35, के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

1996 का
अध्यादेश
संख्यांक
40.

2007 का
अध्यादेश
संख्यांक 2.

"(4)उप-धारा (2) और (3) के अधीन नियम बनाते समय राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, वर्ष 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, वर्ष 2006 के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।

(5) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात प्रदान किए गए खनन पट्टे या पूर्वक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को, जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, एक राशि का भुगतान करना होगा जो द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के ऐसे प्रतिशत के बराबर होगी, जो ऐसी रॉयल्टी के एक तिहाई

से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त, उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी से अधिक राशि का भुगतान ऐसे तरीके से करना होगा और खनन पट्टों के वर्गीकरण और पट्टा धारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा देय राशियों के अधीन, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।”

खंड 14

- 2 कि पृष्ठ 8, पंक्ति 35, में शब्द, कोष्ठक और आकृति "उप-धारा (4)" के लिए, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "उप-धारा (5) और (6)" प्रतिस्थापित किए जाएं

खंड 15

- 3 [अनुवाद] कि पृष्ठ 9, पंक्ति 18, के बाद "कार्य होगा" शब्द, "खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं"

माननीय अधक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपना संशोधन संख्या 1 से खंड 15 पेश कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"के लिए

"हित के लिए"

प्रतिस्थापित करें "ब्याज के लिए विशेष रूप से"।"

(1)

महोदया, मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों का कुछ आपत्तियों या संशोधनों के अधीन समर्थन करना चाहूंगा।

महोदया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और विचित्र बात है कि हमने, लोक सभा में बहस के दौरान, इतने महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किये हैं। लगभग, इसी प्रकार के संशोधन हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं परंतु दुर्भाग्यवश सरकार ने उन सभी संशोधनों को हमें कोई दया किए बिना समाप्त कर दिया। यहां, राज्य सभा द्वारा दो संशोधन लाए गए हैं।

पहला संशोधन खंड 9 से संबंधित है। बहस शुरू करने के समय, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि यह जनजातीय लोगों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है जो अनुच्छेद 244, अनुसूची 5 और 6 के तहत प्रदान किए गए हैं। इस कानून के द्वारा इस अधिकार को छीन लिया गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह वह मुद्दा था जो मैंने लोक सभा में चर्चा शुरू करने के समय किया था। दुर्भाग्यवश, सरकार को विपक्ष

की बात सुनने की परवाह नहीं थी। हमने संशोधन भी प्रस्तुत किए हैं लेकिन सरकार ने उन पर अमल नहीं किया है।

मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि, कम से कम, वरिष्ठों के सदन, राज्य सभा में, सरकार ने वरिष्ठों की मांगों को स्वीकार कर लिया है। माननीय मंत्री जी तथा सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया लोक सभा में विपक्ष की ओर से किए जा रहे हानिरहित संशोधनों पर विचार करें। मेरी सरकार से यही अपील है।

दूसरा संशोधन 'जिला खनिज संगठन' के बारे में है। महोदया, आपको याद होगा कि मैंने इस संबंध में एक संशोधन उपस्थित किया था कि 'जिला खनिज संगठन' के नामकरण को 'जिला खनन कल्याण संगठन' के रूप में बदलना होगा। यह मेरा संशोधन था। मेरा संशोधन *सद्भावनापूर्ण* इरादे के साथ था। मेरा *यथार्थ* आशय यह है कि यह संस्थान केवल उन लोगों के लाभ और हित के लिए होना चाहिए जो खनन से प्रभावित होते हैं। यह संशोधन था। लेकिन दुर्भाग्य से, इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

अब, राज्य सभा में, यह संशोधन विधेयक के खंड 15 में लाया गया है। आप कृपया इस खंड को देखें। उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार, उन्होंने खंड 15, खंड 4, उप-खंड (अ) में एक संशोधन किया है, जिस तरह से जिला खनिज संगठन खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करेगा। तो, यह अधिक विशिष्ट और स्पष्ट हो गया है।

मैं जो संशोधन पेश कर रहा हूँ वह यह है कि 'कार्य करेगा' के तुरंत बाद 'विशेष रूप से' शब्द भी जोड़ा जा सकता है। मैं जानता हूँ कि इस संशोधन को लागू करने में कठिनाई हो रही है। फिर से इसे राज्य सभा में जाना होगा। मुझे पता है कि। लेकिन, कम-से-कम, हमारी व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए और इसे रिकॉर्ड पर बनाने के लिए, हम यह संशोधन पेश कर रहे हैं। संशोधन के अनुसार, यह इस तरह से होना चाहिए, 'जिला खनिज संगठन जिस तरह से खनन से प्रभावित क्षेत्रों और ब्याज के लिए 'विशेष रूप से' काम करेगा।' यह मेरा संशोधन है। यह भी एक हानिरहित संशोधन है। मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मुझे इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना है क्योंकि अगर हम ना भी कहेंगे तब भी पास होने वाला है, अगर हाँ भी कहेंगे तब भी पास होने वाला है। ... (व्यवधान) जेटली साहब उठ कर चले गए, वे आए तभी मैं जल्दी यहां पर आया। उन्होंने यहां पर एक बात बताई थी कि ऐसे जो बिल आ रहे हैं, उनको आप सदन में पास नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बने हैं यानि रूकावट बने हैं। इस पर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ और नायडू साहब को तो जल्दी से याद आता है क्योंकि वे जल्दी रिएक्ट कर देते हैं।

[अनुवाद] ,

13 जनवरी, 2011 को रांची में श्री अरुण जेटली जी ने कहा कि 'संसद में रूकावट अलोकतांत्रिक नहीं है। उन्होंने कहा: "संसद का काम चर्चा करना है लेकिन कई बार, संसद का इस्तेमाल मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए किया जाता है; और ऐसी स्थितियों में, संसद को बाधित करना लोकतंत्र के पक्ष में है। इसलिए, संसद में रूकावट अलोकतांत्रिक नहीं है। '

[हिन्दी]

यह आपने ही कहा था। जब हमने उनके सामने रखा, तब उन्होंने कहा कि आप डिवेलपमेंट के लिए ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बने हैं। अगर आपने समय दिया तो मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने कितने बिलों का विरोध किया है और कितना टाइम उन्होंने खराब किया। हम फॉर्च्युनेट हैं कि आपके जमाने में कम से कम 125 पर्सेंट काम हो रहा है। उस वक्त तो आपने 30 पर्सेंट काम भी नहीं करने दिया, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट बने। यह ऑब्स्ट्रक्शन करना आपका फंडामेंटल राईट है, हम वह छीनना नहीं चाहते हैं। हम इसे छीनना नहीं चाहते हैं। जैसा कि धमरसिद्ध हक है, वैसा ही यह है। इसीलिए हमने उसी वक्त बोला था कि जैसा कि प्रेमचंद्रन जी ने कहा कि अगर आप यह स्टैंडिंग कमेटी को भेज देते तो यह अमेंडमेंट हो कर फिर सिर्फ दो-तीन दिन में पास हो जाता, लेकिन आपने नहीं सुना। वहां पर मैजोरिटी है, उन्होंने इस क्लॉज को, अमेंडमेंट्स की सूचना दी, तब आपने सिलेक्ट कमेटी को भेज कर, इस अमेंडमेंट को मान कर फिर से यहां से ला रहे हैं। पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में अपोजिशन की

तरफ से अगर कोई अच्छी सूचना आती है, तो आपको उसको सोच कर स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। कोल का हो, माइनिंग का हो या किसी का भी बिल हो। आपने कम से कम यह प्रोसिजर अगर फॉलो किया होता तो सबका वक्त भी बचता है और वक्त के ऊपर कानून भी पास होते हैं। मैडम, इसलिए मैं फिर से उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम आइंदा ऐसी गलती न करें।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू) : मैडम स्पीकर, खड़गे जी बहुत अनुभवी हैं। हम जरूर उनसे सीखेंगे। उन्होंने जो पुरानी परंपरा सदन के सामने रखी है, वह सब हमको याद है। जरूरत पड़ी और जब अवसर आएगा तब याद दिलाएंगे मगर मैं उनको आश्वासन दे रहा हूँ कि जो अच्छा सुझाव आएगा, हम हमेशा उसको स्वीकार करेंगे। दूसरे सदन का भी महत्व है, दोनों सदन मिल कर पार्लियामेंट होती है, इसलिए वहां विवेचन के आधार पर लोगों ने सजेस्ट किया तो हमने स्वीकार किया। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): आपको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए था

श्री एम. वैकैय्या नायडू: लोक सभा और राज्य सभा दोनों महत्वपूर्ण हैं। किसी को भी हल्के में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ केवल मतदान से तय होता है।

श्री के.एन. रामचंद्रन (श्रीपेरम्बुदुर): माननीय महोदया, हम लोग इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं।

हमारे जैसे विशाल देश में, कई खनिज उपलब्ध हैं। ये देश के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। वर्ष 1957 के खान और खनिज अधिनियम ने खानों के विकास के लिए उपाय करने के लिए केंद्र के साथ निहित किया है। वर्तमान संशोधनों का उद्देश्य राज्य सरकारों को अनुमोदन प्रदान करने तथा खनन कार्य करने में अधिक अधिकार देना है। यह आवश्यक हो गया था क्योंकि असंख्य मुकदमों हमारी खनिज संपदा की क्षमता का इष्टतम स्तर पर उपयोग करने के रास्ते में बाधा बन रहे थे।

हमारे लोगों के नेता अम्मा जी और हमारा दल, ए.आई.ए.डी.एम.के. सहकारी संघवाद में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हमें कोई संकोच नहीं है – निश्चित रूप से, हमें जिला खनिज संगठन के संबंध में नए खंड 9ख और 9ग के रूप में अंतर्विष्ट नवीनतम संशोधनों को समायोजित करने में इस विधेयक का समर्थन करने में – कोई संकोच नहीं है।

महोदया, निश्चित रूप से, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदया, कभी-कभी, यह कहते हुए भ्रमित हो जाते हैं कि शायद अंत साधनों को उचित ठहराता है। लेकिन हमेशा समझदार लोग मानते हैं कि यह वह साधन ही है जो अंत को उचित ठहराता है। हमारे राष्ट्रपिता ने उस दर्शन में विश्वास किया और मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे उन साधनों पर विश्वास करें जो अंत को उचित ठहराते हैं। कम से कम सदबुद्धि तो आई है और जब यह विधेयक इस सभा में विचाराधीन था तब जो सुझाव दिए गए थे, उन्हें सरकार द्वारा राज्य सभा में जाने से पहले सही कर लिया गया है और हमारे सुझाव को संशोधनों में संशोधन के रूप में शामिल कर लिया गया है तथा तत्पश्चात एक चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति ने कुछ सुझाव दिए और उन सुझावों को सर्वसम्मति से राज्य सभा में स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, यह विचार और पारित करने के लिए हमारे पास फिर से आया है। मैं केवल इतना कहूँगा कि जब हम अनुसूचित क्षेत्रों के साथ काम कर रहे हैं जो संविधान अनुसूची 5 और अनुसूची 6 द्वारा सीमांकित हैं, तो यह एक संवेदनशील क्षेत्र और एक संवेदनशील मुद्दा है। इस संबंध में, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि महोदया, हमें बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के कारण कुछ विधेयकों और संशोधनों को इस तरह से पारित करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम ठोकर खाकर गिर सकते हैं। हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र की द्विसदनीय प्रणाली है, इसे त्रुटि रहित कर दिया गया है। मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, उस गलती को सुधार लिया है जो की गयी थी, और इन संशोधनों से सभी खनिज संपन्न राज्यों को बहुत लाभ होने जा रहा है, विशेष रूप से उन लोगों को जो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 क्षेत्रों में निवास करते हैं। मैं महोदया से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि जिला खनिज संगठन किस प्रकार कार्य करेगा, उस धन को उन खनिजों के क्षेत्र के विकास के लिए कैसे दिया जाएगा जहां खनन होने वाला है। इस पर नजर रखने की जरूरत है।

मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को राज्य सरकारों को विश्वास में लेना चाहिए और उन्हें नियम बनाने चाहिए या कुछ तरीके उपलब्ध कराने चाहिए ताकि खदानों में सबसे ज्यादा काम करने वाले गरीब लोग, जो

खनन के लिए विस्थापित होंगे, उनके विकास का ध्यान रखा जाए। इसके साथ, मैं कहूंगा कि सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों का मैं समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदया , हमारे संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें जो दो चैंम्बर्स का महत्व है, वह आज फिर स्थापित हो रहा है। हम समझते हैं कि ट्रैजरी बैंच के सदस्य इससे सबक लेंगे, शिक्षा लेंगे। कहा जाता है कि 'बड़े अधिक बुद्धिमान होते हैं'। आडवाणी जी भी मेरा साथ देंगे। कम से कम बड़ों के सदन में जाकर सरकार समझदार हो गई है।

दूसरी बात यह है कि संख्या के आगे हम गुण को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। जब यहाँ अमेंडमेंट सजैस्ट किए गए थे, तर्क के साथ बताए गए थे, लेकिन मैं ट्रैजरी बैंच के जो हमारे आदरणीय माननीय सदस्य हैं, उनसे कह रहा हूँ कि सिर्फ संख्या के ज़ोर पर अगर आप सिर्फ हाँ में हाँ मिला देंगे तो हमें इस तरह से ठोकरें खानी पड़ेंगी। कहते हैं कि -

"रंग लाती है हिना पत्थरों में पिस जाने के बाद

सुर्ख रूह होते हैं इंसां ठोकरें खाने के बाद।"

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा कहा।

श्री मोहम्मद सलीम: हमारी संसद में जो विधेयक पास करने की परंपरा और तरीका है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि राज्य सभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, तो स्टेट्स के इंटरस्ट लेकर वे लड़े। लेकिन हम भी हाउस ऑफ पीपल हैं। हमें जनता की जो महत्ता है, उनका जो स्वार्थ है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए यह बोलकर कि हम केवल विरोधी पक्ष हैं और गलत बात कह रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जो कमेटीज़ हैं, सैलेक्ट कमेटीज़ हैं, स्टैन्डिंग कमेटी हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने और हमने बनाई हैं, उनके प्रति हमें थोड़ा सम्मान रखना चाहिए। सरकार से हम कहना चाहेंगे कि इस तरह से रश नहीं करके बिल पर थोड़ा समय लेकर करने से हमें इस मामले को फिर से खँगालना नहीं पड़ता। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आनन्दराव अडसुल (अमरावती): महोदया, इस विधेयक पर लोक सभा में विस्तार से चर्चा हुई थी और कुछ संशोधनों के साथ इसे पारित किया गया था। लेकिन राज्य सभा में कुछ संशोधन व्यक्त किए गए, और तदनुसार, सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। मैं, अपनी ओर से और अपने दल की ओर से, उन सभी नए संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, जब लोक सभा से यह बिल पारित होकर राज्य सभा में गया तो राज्य सभा ने इस पर बहुत लम्बे समय तक विचार-विमर्श किया और उसके बाद राज्य सभा ने यह तय किया कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए। प्रवर समिति ने बहुत ही संक्षिप्त समय लिया, इस पर गंभीर और व्यापक विचार-विमर्श किया और सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सभा को दे दी। मुझे प्रसन्नता है कि प्रवर समिति ने जो विचार-विमर्श किया, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन भी सुझाए और संशोधन में किसी प्रावधान को बदला नहीं है, बल्कि यह किसी प्रावधान को जोड़ने वाला मामला है। सरकार ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की, क्योंकि वे अच्छे प्रावधान हैं और उन्हें स्वीकार करने में सरकार को पहले भी कभी कोई हिचक नहीं थी और आज भी नहीं है। आज राज्य सभा ने उसे पारित करके यहां भेजा है।

आज माननीय सदस्य प्रेमचन्द्रन जी ने इसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सिर्फ 'केवल' शब्द जोड़ देने से इसमें कोई बहुत वजन नहीं आ जाएगा। उनकी जो भावना है, वह पूरी तरह इसके प्रावधान में और कानून में निहित है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहता हूं कि कानून का अपना स्थान होता है, लेकिन कानून के क्रियान्वयन में सरकारों की दृढ़ इच्छा-शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज जो परिस्थिति है, वह परिस्थिति बदली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आज केन्द्र में है और यह सरकार राज्यों को आधिक आधिकार देना चाहती है, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है और वह राज्य सरकारों पर विश्वास कर रही है कि राज्य सरकारें आधिक जवाबदेही के साथ काम करें। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया है और उसमें माइनिंग से प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र के लिए उसकी धनराशि खर्च होने वाली है तो मैं समझता हूं कि हमें राज्य सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। राज्य सरकार को जो दिशा-निर्देश देना चाहिए, वह कानून में भी दिए गए हैं और अगर आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकारों से आग्रह किया जाएगा। इसलिए मैं प्रेमचन्द्रन जी को कहना चाहता हूं कि आपका जो संशोधन

है और उस संशोधन के पीछे जो भाव है, वह कानून के प्रावधान में निहित है। इसलिए कृपा करके वे अपना संशोधन वापस ले लें।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के और भी माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि यह बात आयी है कि अगर लोक सभा में यह बात ध्यान में आ जाती तो फिर राज्य सभा में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं में भरोसा करने वाली पार्टी है। बहुमत के बल पर हम किसी को भी दबाना नहीं चाहते, न ही हमने कभी किसी को दबाने का प्रयत्न किया है। उस दिन भी सदन में इस पर बहुत लम्बे तक बहस हुई। सभी माननीय सदस्यों के विचार आए। हमने उन विचारों का स्वागत किया और हमने कहा था कि आपके विचार योग्य हैं और हम जो यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं, यह संशोधन आखिरी नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सारे संशोधनों की गुंजाइश बनी रहेगी। जब भी विषय आएगा, जब भी रूल्स बनाने की बात आएगी, तो हम आपकी सारी सलाह को मानने की कोशिश करेंगे। उस दिन जो परिस्थिति बनी, यह एक अलग पक्ष है। लेकिन, राज्य सभा अपर हाउस है। राज्य सभा ने प्रवर समिति को भेजना तय किया। निश्चित समय में प्रवर समिति की रिपोर्ट आ गयी और आज अमेंडमेंट होकर वह बिल आप सब के समक्ष आ गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह जो अमेंडमेंट बिल है, जो राज्य सभा से संशोधनों के साथ परिमार्जित होकर आया है, यह बिल माइनिंग के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, माइनिंग के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाला है, देश में रोजगार को सृजित करने वाला है, निवेश को बढ़ाने वाला है, माइनिंग आबंटन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला है, पारदर्शिता को बढ़ाने वाला है। आप सभी की सहमति इन संशोधनों को मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

“कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1957, और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:-

खंड 9

- 1 पृष्ठ 4 पर, पंक्तियों 31 से 35, के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

1996 का
अध्यादेश
संख्यांक
40.

"(4)उप-धारा (2) और (3) के अधीन नियम बनाते समय राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, वर्ष 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, वर्ष 2006 के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।

2007 का
अध्यादेश
संख्यांक 2.

(5) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात प्रदान किए गए खनन पट्टे या पूर्वक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को, जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, एक धनराशि का भुगतान करना होगा जो द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के ऐसे प्रतिशत के बराबर होगी, जो ऐसी रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त, उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी से अधिक धनराशि का भुगतान ऐसे तरीके से करना होगा और खनन पट्टों के वर्गीकरण और पट्टा धारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा देय राशियों के अधीन, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।”

- 2 कि पृष्ठ 8, पंक्ति 35, में शब्द, कोष्ठक और आकृति "उप-धारा (4)" के लिए, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "उप-धारा (5) और (6)" प्रतिस्थापित किए जाएं

खंड 15

- 3 कि पृष्ठ 9, पंक्ति 18, के बाद "कार्य होगा" शब्द, "खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष; अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे।

अब मैं राज्य सभा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:

खंड 9

- 1 पृष्ठ 4 पर, पंक्तियों 31 से 35, के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित
किया जाए, अर्थात्:-

1996 का
अध्यादेश
संख्यांक
40.

"(4)उप-धारा (2) और (3) के अधीन नियम बनाते समय राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, वर्ष 1996 और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, वर्ष 2006 के प्रावधानों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगी।

2007 का
अध्यादेश
संख्यांक 2.

(5) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात प्रदान किए गए खनन पट्टे या पूर्वक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को, जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, एक धनराशि का भुगतान करना होगा जो द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के ऐसे प्रतिशत के बराबर होगी, जो ऐसी रॉयल्टी के एक

तिहाई से अधिक नहीं होगी, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(6) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, वर्ष 2015, के प्रारंभ की तारीख से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टे के धारक को रॉयल्टी के अतिरिक्त, उस जिले के जिला खनिज फाउंडेशन को जिसमें खनन कार्य किए जाते हैं, द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी से अधिक धनराशि का भुगतान ऐसे तरीके से करना होगा और खनन पट्टों के वर्गीकरण और पट्टा धारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा देय राशियों के अधीन, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।”

खंड 14

- 2 कि पृष्ठ 8, पंक्ति 35, में शब्द, कोष्ठक और आकृति "उप-धारा (4)" के लिए, शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "उप-धारा (5) और (6)" प्रतिस्थापित किए जाएं

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खण्ड 15 के संशोधन संख्या 3 के संशोधन संख्या.1 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत करूँगा।

संशोधन प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं राज्य सभा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सदन के मतदान के लिए रखूँगा।

प्रश्न यह है:

- 3 पृष्ठ 9, पंक्ति 18 पर, "काम करेगा" शब्दों के **बाद**, "खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए" शब्द **जोड़े जाएं**।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन को, जैसा कि लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, स्वीकार किया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को मान लिया जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 03.23 बजे**नियम 193 के अंतर्गत चर्चा**

देश में कृषि की स्थिति – जारी है

माननीय अध्यक्ष: अब हम फिर से नियम 193 के तहत चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : ब्लैक मनी के ऊपर जो बिल आया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह तो इंट्रोड्यूस हो गया है। वह अभी नहीं आयेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडू): महोदया, मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि दूसरा सभा कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक वर्ष 2015 पर चर्चा कर रहा है। यदि कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, तो मुझे इसे यहां वापस लाना पड़ सकता है। मैं सदस्यों से केवल यह आग्रह करता हूँ कि वे थोड़ा और धैर्य रखें और अन्य कार्यों को जारी रखें। एक घंटे के बाद ही हम यह जान पाएंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है। ... (व्यवधान)

हम देश में कृषकों की समस्याओं के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने इतनी चर्चा की होगी जब इतनी बड़ी संख्या में सदस्य भाग ले रहे हों।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 193 के तहत बोलने का मौक दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज कृषि और कृषक की स्थिति बहुत बदहाल स्थिति में है।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी थोड़ा शांति से बाहर जाइए।

... (व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत: जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि देश की रीढ़ है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या का पेट भरने वाला किसान स्वयं आत्महत्या करने को क्यों मजबूर है? यह बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। मैं दो दिनों से विद्वान साथियों की चर्चा सुन रही थी। हर कोई किसान और खेती की चिन्ता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन, इसका समाधान क्या है? क्या किसान को सब्सिडी मिले, प्राकृतिक आपदा के समय उसे मुआवजा मिले? वह भी ऊंट के मुँह में जीरे जितना। क्या यही समाधान है? नहीं। कृषि को बदलना होगा। कृषि नीति बहुत पुरानी है। उसे अब बदलने का समय आ गया है। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। किसान के पढ़े-लिखे बेटे-बेटी खेती की तरफ अपना मन बनाएं, ऐसा तब हो पाएगा जब लागत से आधिक आमदनी खेती से प्राप्त होगी। हर खेत को पानी मिले, उपज को उचित मूल्य मिले। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। वे दूसरों की भूमि पर बटाई पर खेती करते हैं। जिनका परिवार पूरी तरह मात्र खेती पर ही निर्भर है, जिनके आय के कोई और स्रोत नहीं हैं, घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। ऐसे में अगर ओला वृष्टि हो जाए, फसल को बीमारी लग जाए, अंधड़ और बारिश हो जाए और फसल चौपट हो जाए, तो वह बेचारा कर्ज कैसे चुका पाएगा, यह भी देखना पड़ेगा। फसल कटाई के समय को लेकर किसान सपने देखता है। अनेक कार्यक्रम बनाता है। शादी करनी है, बच्चों की फीस देनी है, तीज-त्योहार मनाने हैं, घर का सामान खरीदना है। आप ही बताएं अगर खेत ही चौपट हो जाएगा, तो यह सब लुटता

हुआ देखकर वह ठगा सा रह जाएगा। उस भूमिहीन किसान के आंसू पोछने वाला कोई नहीं है। आपको दो लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगी --

हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे का

हल संग हस्ती मिटा देई एक बीघे का हकदार नहीं।

ऐसे लोग जिन्होंने कभी हल की सूरत तक नहीं देखी, उनके पास हजारों बीघे जमीन है, जो खेती करना नहीं जानते और जिसने हल के साथ सम्पूर्ण हस्ती मिटा दी, उसके पास एक बीघे जमीन नहीं है। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसान को सूद खोरों के चंगुल से बचाया जाए। सरल और कम ब्याज पर बैंक ऋण दे। फसल बीमा का सरलीकरण हो और मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसान के खेत में भी काम हो सके। नदियों को आपस में जोड़कर हर खेत में पानी पहुंचाया जाए। खाद, बीज, बिजली और पानी मिले, इसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। राज्यों और केन्द्र सरकार को खेत और खेती को बचाने के वास्तविक प्रयास करने होंगे।

मेरे क्षेत्र में शनिवार और रविवार को ओला वृष्टि हुई। एक वाक्या बताना चाहूंगी। एक महिला कृषक है। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे की मर्इ में शादी है। उसे बैंक से मैंने ऋण दिलाया। उसने दो भैंस खरीदी। अभी बेचती तो शायद उसे डेढ़-दो लाख रुपये मिल जाते। उसने बटाई पर पास वाले किसान का खेत बोया था। फसल गई तो गई, उसकी दोनों भैंस भी ओला वृष्टि में मर गईं। उसकी सिसकियां और उसका रुदन मेरे कानों में गूंज रहा है। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि सरकार को ठोस निर्णय लेने चाहिए। कृषक को बचाना होगा क्योंकि खेत में अन्न कृषक ही पैदा करता है। धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करके कीड़ी से लेकर पशु-पक्षी और मनुष्यों तक का पेट भरने वाला कृषक ही है। आपने विनम्र निवेदन करूंगी कि उसे बचाने के लिए सरकार मजबूत कदम उठाए। यही कहकर अपनी बात को विराम देती हूं। धन्यवाद।

21* श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर्): नियम 193 के तहत किसानों की समस्या के बारे में इस सदन के कई संसद सदस्यों ने चर्चा की।

यह सही बात है कि जिन किसानों को देश का विकास का कन्हा कहा जाता था वो 70 प्रतिशत किसान आज संकट में हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है। इसीलिये उनकी समस्या की तरफ गंभीरता से ध्यान देना बहुत जरूरी है।

इस चर्चा के दरम्यान मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में गढ़चिरोली, चन्द्रपुर, भंडारा, गोंदिया, नागपुर आदि जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जो धान (चावल) की फसल लेने वाले जिले हैं।

वर्ष 2014-15 में देरी से कम और समय पर न आने वाली बारिश से 50-60 प्रतिशत किसानों का नुकसान हुआ है। पहले ही इस साल की बेहिसाबी मौसम से नुकसान और इस वर्ष भी नुकसान, इसलिये किसान परेशान हैं।

ऐसी स्थिति में किसान के खेतों में जो अनाज है उसको बाजार में भाव न मिलने से और व्यापारियों द्वारा कम दाम पर लेने की चेष्टा करने से और एफसीआई द्वारा भी धान खरीदी न करने से धान या तो किसानों के घर में या फिर गोडाउन में पड़ा हुआ है।

इस स्थिति का जायजा लिया गया या मालूमात निकालने पर पता चला कि भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड आदि देश चावल का निर्यात करते हैं। लेकिन, इन्हीं देश के स्पर्धा में अभी छोटे-छोटे देश भी उतरे हैं वो भी कम दाम पर निर्यात करते हैं।

21* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दूसरी ओर, इरान, इराक यह देश बड़ी प्रमात्रा में चावल का आयात करते हैं। उन्होंने मार्च एंडिंग तक पाबंदी लगायी है। ऐसी स्थिति में देश के बाहर माल न जाने से और माल को सही मूल्य न मिलने से माल या तो किसानों के घर या गोडाउन में भरा हुआ है।

सरकार से अनुरोध है कि किसानों को अपने माल का सही मूल्य मिलने के लिए उत्पादन खर्च के मुताबिक भाव घोषित किया गया तो उनको राहत मिलेगी, न्याय मिलेगा।

इस गंभीर विषय के तरफ ध्यान देकर तुरंत कार्रवाई करें ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं।

22* श्रीमती रीती पाठक (सीधी): हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी है जिसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे किसानों को सीधा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है।

मुझे बताने में काफी हर्ष हो रहा है कि मैं जिस प्रदेश से आती हूँ वो प्रदेश पिछले तीन वर्षों से कृषि के क्षेत्र में अक्ल रहा है। जिसे इस वर्ष कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही मैं माननीय कृषि मंत्री जी का विभिन्न योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हुए बधाई देती हूँ। जैसे- अटल पेंशन योजना, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, किसानों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले एक टीवी चैनल शुरू करने की योजना, चमन योजना (11 राज्यों में फल, सब्जियों व मसालों के फसल उत्पादन व क्षेत्रफल का उपग्रह तकनीकी से वैज्ञानिक आकलन लगाया जा रहा है), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (देसी गायों की नस्ल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मेरा गांव, मेरा गौरव योजना।

मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षण के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं वो भविष्य में किसानों के लिए लाभप्रद होगा जैसे राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना; भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास; पूर्वोत्तर में 6 नये कृषि महाविद्यालय तथा मेघालय में एक नये केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।

माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त सभी योजनाओं को किसानों तक शीघ्र पहुंचाने की कृपा करें जिससे गांवों से पलायन रूक सके व किसानों का जीवन खुशहाल बन सके।

22* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

^{23*} **श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख):** हमारा देश गाँवों का देश है। यहां के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती है। आज भी हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। कुल जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा इस व्यवसाय पर निर्भर रहकर अपना जीवनयापन करता है और हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती में सहयोग करता है परन्तु आज तक इस देश की कृषि व किसान को ऐसी कोई ठोस योजना नहीं दी गयी जिससे कृषि और किसान का समुचित विकास हो सके। इसके कारण ही सदन में कृषि पर चर्चा कराने की आवश्यकता हुई है। अभी कुछ दिन पहले बेमौसम बरसात हो जाने के कारण तथा पिछली खरीफ की फसल के समय कम वर्षा के कारण जो नुकसान हुआ, उसके चलते ही किसान के आत्महत्या जैसे दर्दनाक कार्य करने के लिए मजबूर हो रहा है। इससे अहसास होता है कि कृषि व किसान के लिए मजबूत ठोस योजना देने की आवश्यकता है। प्राकृतिक कारणों से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए समान/मजबूत इंतजाम करने की जरूरत है। पिछली खरीफ व वर्तमान में रबी की फसल को लगभग 70 से 80 प्रतिशत तक नुकसान हुआ परन्तु किसान के नुकसान की भरपाई किसी भी तरह से नहीं गई। कृषि फसल बीमा का कार्यक्रम तो जारी है परन्तु फसल बीमा का लाभ किसान को नहीं मिल रहा है। किसान बेहाल है। अतः कृषि मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पूरे देश के किसानों का बिजली का बिल और सिंचाई के बिल तत्काल माफ कर दिए जाए और साथ ही मैं चाहूंगी कि केन्द्रीय स्तर पर एक टीम का गठन किया जाए जो यह आकलन करें कि किसानों को कितनी फसल का नुकसान हुआ है और कहां पर हुआ है। उस टीम में सांसद को भी शामिल किया जाए।

किसान खेती करता है तो उसे उम्मीद होती है कि मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं, अपना घर बनाऊंगा, मैं बेटी की शादी करूंगा। परन्तु इस तरह से जब बेमौसम बारिश हो जाती है तो वह किसान बर्बाद हो जाता है। मैं जानती हूँ क्योंकि उन का दर्द मैंने समझा है। मेरा कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि आप एक कोई ऐसी विशेष तकनीक चलाएं जिससे हमारा 'मौसम विभाग' होने वाली ऐसी बेमौसम बरसात और होनी वाली ऐसी प्रलय से पहले ही कोई कदम उठा ले और जिससे किसान पहले से सतर्क हो जाएं।

^{23*} भाषण सभा पटल पर रखा गया।

“कोई चिड़िया चहचहाये तो मुझे अच्छा लगता है।

कोई भंवरा गीत गाये तो मुझे अच्छा लगता है।

कोई किसानों के बारे में सोचता है, तो मुझे अच्छा लगता है।

कोई किसानों को अन्नदाता कहता है, तो मुझे अच्छा लगता है।“

हमारे लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले आते हैं- हरदोई, सीतापुर, कानपुर क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब किसानों ने फसल नुकसान की पीड़ा को मुझसे व्यक्त किया तब मैंने उनसे पूछा आपने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाये हैं तो आधिकतर लोगों का जवाब था किसान क्रेडिट कार्ड है। फसल का बीमा भी है परन्तु बैंक व बीमा कंपनियां हमसे फसल बीमा का पैसा तो लेती हैं परन्तु फसल का नुकसान हो जाने पर क्लेम नहीं देती है। क्लेम के समय बैंक व बीमा कंपनी कहती है जब तक सरकार दैवी आपदा, बाढ़ सूखा नहीं घोषित करेगी तब तक फसल की बीमा धनराशि नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार की घोषणा के उपरांत किसानों को जो पैसा आता है, जो सहायता मिलती है उसका लाभ किसानों को नहीं हो पाता। बिचौलिए उसे खा जाते हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि उन्हें सीधे तौर पर मिले यानी कि सीधे उनके खातों में जाए।

सरकार से मांग करती हूं कि फसल बीमा की नीतियों में परिवर्तन कर यदि किसी भी किसान के किसी भी खेत या खेत के कुछ हिस्से में फसल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई यदि फसल बीमा है तो बीमा कंपनियों को आनिवार्य रूप से करना चाहिए इस बेमौसम बरसात से हमारे लोक सभा क्षेत्र के मिश्रिख के किसानों की लगभग 80 प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई सरकार द्वारा करने की घोषणा आविलंब की जाये तथा कृषि व किसान के विकास के लिए ठोस योजनाएं बनायी जाये जिससे जो अन्नदाता हमें भोजन देता है वह भी भोजन पा सके।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कृषि संकट के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया।

केरल में कृषि परिदृश्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, विशेषकर धान के उत्पादन में।

अपराह्न 03.29 बजे (माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

राज्य की कृषि आय के अनंतिम अनुमान में 2009-10 के दौरान 1.79 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 2010-11 के त्वरित अनुमान में भी 2009-10 की तुलना में वृद्धि में 0.78 प्रतिशत की गिरावट का संकेत दिया गया है। वर्ष 2004-2005 के दौरान हिस्सेदारी 17.48 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2010-2011 में घटकर 10.59 प्रतिशत हो गई। तथ्यात्मक लागत पर वास्तविक जी.डी.पी. वृद्धि वर्ष 2010-2011 में बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई जो देश में वर्ष 2009-2010 में 8 प्रतिशत थी।

लगातार दो वर्षों के खराब प्रदर्शन के बाद, कृषि ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप इसे बाद में जारी रख सकते हैं। अब, हमें निजी सदस्यों का कार्य लेना होगा।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): उत्तर के बारे में क्या? ... (व्यवधान) पहले ही, सरकार ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण मामले पर सदन में चर्चा हो रही है। ... (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्री ने खुद यह बात कही है।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, उन्हें खत्म करने दें।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: उत्तर का क्या होगा? ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: उत्तर आगे दिया जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: यह कब होगा? ... (व्यवधान) महोदय, पहले ही, संसदीय कार्य मंत्री ने यह कारण बताया है कि सरकार ने दो दिनों के लिए नियम 193 के तहत चर्चा क्यों की है। ... (व्यवधान) ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देश की कृषि की स्थिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। ... (व्यवधान) अब सरकार जवाब क्यों नहीं दे सकती? ... (व्यवधान) हमें सरकार से जवाब चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया मुझे समझाने दें। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: अब तक, हमने देश में कृषि की स्थिति के बारे में चर्चा की है, और मंत्री जी को चर्चा का उत्तर देना है।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: हां, आप सही हैं, लेकिन साथ ही, सदन की प्राथमिकता गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करना है और इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। इसलिए, जहां तक आपके इस प्रश्न का संबंध है कि मंत्री जवाब कब देंगे, यदि सभा महसूस करता है, 6 बजे के बाद ...

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: जहां तक व्यवसाय का संबंध है, आप पूछ सकते हैं कि मंत्री जी कब जवाब देंगे और मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। यदि सभा को लगता है कि 6 बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हो जाने पर, हम उसके बाद बैठें और उत्तर सुनें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, हम इसे स्थगित नहीं कर सकते हैं और मैं यही बता रहा हूं। यह मेरी व्यवस्था है।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदय, बी.ए.सी. ने क्या निर्णय लिया, और कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा?

... (व्यवधान) महोदय, आप भी कल वहां थे। ... (व्यवधान) कल क्या तय हुआ? यह निर्णय लिया गया कि

12 बजे हमारे पास मंत्री जी का जवाब होगा। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: 12 बजे का जवाब अलग बात है।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: कृषि की स्थिति का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान) हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर

माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

राजीव प्रताप रूडी): श्री वेणुगोपाल जी, आपने कहा है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस देश में

कृषि की स्थिति के बारे में चर्चा करते रहे हैं। मंत्री जी यहां आए हैं, और वह व्याख्या ले रहे हैं। कई और लोग हैं

जो भाग लेना चाहते हैं। जब सरकार बहस कराना चाहती है, तो आप बहस को क्यों खत्म करना चाहते हैं? ...

(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है, उन्हें जारी रखने दें।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: यह एक महीने के बाद नहीं हो सकता है। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम इसे प्राप्त कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: फिर इतनी जल्दी क्यों थी? ... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: यदि आप एक महीने बाद जवाब देते हैं तो मुद्दे का क्या महत्व होगा? ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: मुझे लगता है कि यदि सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो, यह सरकार को तय करना है कि उन्हें बोलने के लिए कितना समय दिया जाए तथा सरकार को जवाब देने के लिए कितना समय दिया जाए। अब, हमने कभी नहीं ... (व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, इसके लिए बी.ए.सी. में समय पहले ही आबंटित किया जा चुका है। ... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: बी.ए.सी. पहले ही इसके लिए समय आबंटित कर चुका है। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, बी.ए.सी. में कहीं भी यह निर्णय नहीं लिया गया कि सरकार जवाब नहीं देगी। ... (व्यवधान) लंबे समय से यह प्राथमिकता रही है कि नियम 193 के तहत, चर्चा में संसद सदस्य भाग लेते हैं और सरकार जवाब देती है। सरकार कहां कह रही है कि वह जवाब नहीं देगी? लेकिन सरकार अधिक से अधिक सदस्यों को सुनना चाहती है। ... (व्यवधान) इसलिए, नियमों के तहत, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 3.30 बजे लिया जाएगा। यदि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हम 6 बजे के बाद बहस जारी रखेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: यह सदस्यों का अधिकार है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: हमारे पास बोलने के लिए अधिक से अधिक सदस्य होंगे, और हम देखेंगे कि सरकार को कब जवाब देना होगा। ... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: मैं भी इस पर आपसे सहमत हूँ। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ... (व्यवधान)
 मैं भी आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि सर्वोच्च प्राथमिकता नियम 193 है। ... (व्यवधान) पूरे देश के किसान गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। ... (व्यवधान) हम इस मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण को सुनने के लिए उत्सुक हैं। ... (व्यवधान) सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जवाब देने में क्यों देरी कर रही है? ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें।

... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: हम जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी कब जवाब देंगे? ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर बैठें। इस पर हम चर्चा करेंगे।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदय, सरकार को बताना होगा कि वे जवाब कब देने वाले हैं। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने इस मुद्दे पर अपनी ओर से पहले ही व्यवस्था दे दी है।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर बैठें।

... (व्यवधान)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: हम यहां जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत गंभीर है। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री करुणाकरन जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री पी.करुणाकरन: महोदय, यह चर्चा दो सप्ताह पहले सूचीबद्ध की गई थी, और यह प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। ... (व्यवधान) हर दिन, हम देखते हैं कि नियम 193 के तहत चर्चा को एजेंडा पेपर में सूचीबद्ध किया जा रहा है। यह कल या आज नहीं आया है। कार्यसूची को समय पर लेकर उसे पूरा करना सरकार का कर्तव्य या जिम्मेदारी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: श्री करुणाकरन जी, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया है। हमने अन्य कार्य भी संभाल लिया है। यह कार्य जारी है। हमारे पास गैर सरकारी सदस्यों का कार्य है। यह बहुत प्रयास के बाद आता है। श्री सी.आर. पाटिल बोलने के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: सारा काम आपकी सुविधानुसार किया जाता है। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: बी.ए.सी. एक सलाहकारी निकाय है और सभा निर्णय लेता है। अब यह गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए एक अनिवार्य समय है। महोदय, आपको गैर सरकारी सदस्य से अपना कार्य शुरू करने के लिए कहना होगा। ... (व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन: आप सभी विधेयकों को पारित करना चाहते हैं, लेकिन आप कृषि संबंधी मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री करुणाकरन जी, जिस पर चर्चा की जा सकती है। इस पर आप सभी के साथ चर्चा की जा सकती है।

... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: जब कोई उत्तर नहीं मिलता है तो चर्चा करने का क्या लाभ है?

माननीय उपाध्यक्ष: इसका निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। यह अभी भी जारी है। वैसे भी, उन्हें जवाब देना होगा। हमारे पास पर्याप्त समय है। अगला सत्र भी है। उस समय, कुछ और सदस्यों को बोलने दीजिए और फिर मंत्री जी जवाब देंगे। जवाब वहाँ होगा। यह गंभीर मुद्दा है।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री एम. वेकैया नायडू: हम एक काम कर सकते हैं। यदि वे मंत्री जी का जवाब चाहते हैं, तो इस गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को समाप्त होने दें। तब विधेयक आएगा और उसे भी समाप्त होने दीजिए। अगर वे आगे बैठना चाहते हैं और फिर उत्तर सुनना चाहते हैं, हमें आज भी जवाब मिल सकता है। ... (व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: इसीलिए, हम कह रहे हैं कि आप पूरे संसदीय प्रथा को भटका रहे हैं।

श्री एम. वेकैया नायडू: इसे भटकाने का प्रश्न ही कहां है? हम सिर्फ लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। हम किसी भी बात को व्यक्तिगत नहीं ले रहे हैं। दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष ने सही कहा है कि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है और कई सदस्य इस पर बोलने के इच्छुक हैं। कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं। सरकार उन्हें समायोजित करने को तैयार है। यदि यह आज संभव न हो तो, हम इसे सत्र के अगले अधिवेशन में कर सकते हैं। यह मुद्दा एक जीवंत मुद्दा है। कृपया समझने की कोशिश करें। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, कुछ भी मौलिक नहीं है। बोलने के लिए लगभग 40 और नाम हैं। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: हम अगली बार इस पर विचार करेंगे।

... (व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू: अगर वे इसका विस्तार करना चाहते हैं, तो हम इसका विस्तार करेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: हम इस मुद्दे पर सत्र के अगले भाग में चर्चा करेंगे।

अपराह्न 03.37 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेगा।

श्री शिवकुमार उदासी।

[हिन्दी]

श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ

" कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 18 मार्च, 2015 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हूँ। "

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 18 मार्च, 2015 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह 03.38 बजे**गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प**

(1) युवाओं में तकनीकी कौशल के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना ताकि वे भारत को एक आधुनिक देश बनाने तथा 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें। ..जारी

माननीय उपाध्यक्ष: सदन 19 दिसंबर, वर्ष 2014 को श्री सी.आर. पाटिल द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगा:-

"हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, जिसे 'कौशल विकास' के माध्यम से प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है, यह सभा सरकार से आग्रह करता है कि वह युवाओं में ऐसे तकनीकी कौशल के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करे जिससे वे भारत को एक आधुनिक देश बनाने और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें।"

[हिन्दी]

श्री सी. आर. पाटील (नवसारी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने यह प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया हुआ है कि हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए, जैसे कौशल विकास के माध्यम से इसे प्रभावित रूप से साकार किया जा सकता है। इसे देखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह युवाओं में ऐसे कौशल विकास उपलब्ध कराने वाली व्यापक योजना बनाये, जिससे उन्हें भारत को आधुनिक देश बनाने और भारत बनाओ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सहायता मिलेगी।

अपराह 03.39 बजे

(श्री आनन्दराव अडसुल पीठासीन)

माननीय सभापति जी, इस विषय पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण से देश के युवाओं को एक संदेश दिया था, एक दिशा दी थी और युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यह भी बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत देश में कुल जनसंख्या के 65 प्रतिशत लोग 35 वर्ष की आयु से कम हैं। उन्हें अगर विविध क्षेत्र में कुशलता हासिल करनी है, तो सरकार उसके लिए मदद करने को तैयार है। हमारे देश के युवाओं को कुशल ड्राइवर, पलम्बर, इलैक्ट्रीशियन और कुक इत्यादि क्षेत्रों में अच्छा मौका मिल सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया था कि कुशल प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन इंजीनियर के बराबर पैसा कमा सकता है। आज देश में युवाओं ने आईटी क्षेत्र में क्रांति की है। विश्व में हमारे देश के युवा आईटी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश की युवा जनसंख्या विश्व को कुशल कारीगर दे सकती है। विश्व की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता देश के युवाओं में है। विश्व में स्कील वर्कर्स की बहुत डिमांड है। इसे पूरा करने के लिए हमारे देश के युवा सक्षम भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पास स्कील वर्कर्स होंगे तो अलग-अलग इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में बढ़ावा होगा, अच्छी क्वालिटी का सामान पैदा होगा। हम इससे ज्यादा दाम ले सकेंगे और ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का माल दे सकेंगे। इससे युवाओं में ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देश के नौजवान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनको कौशल के आधार पर काम मिले, इसलिए वह कौशल सीखना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अलग-अलग एलोकेटिड फंड्स का 97 परसेंट उपयोग किया था। यही कारण है कि पूरे देश में जो सौ नौकरियां पैदा होती थीं, उसमें से 71 परसेंट नौकरियां गुजरात में पैदा होती थीं और युवा गुजरात की तरफ आकर्षित होते थे। यह एक इतिहास बना है। आज भी गुजरात का युवा नौकरी ढूंढने किसी और राज्य में नहीं जाता है क्योंकि उसके लिए गुजरात में ही इतनी उपलब्धियां हैं कि उसे किसी और राज्य की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुजरात में कौशल बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सम्मान गुजरात को दिलाया है। यही कारण है कि देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ आस लगाकर

बैठा है। उन्हें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जैसा किया है, वैसे ही देश में युवाओं के लिए जॉब क्रिएट करेंगे और युवाओं को किसी और राज्य में रोजगार की तलाश में जाना नहीं पड़ेगा।

महोदय, अगर हमें ड्राइवर चाहिए तो स्किल ड्राइवर उपलब्ध नहीं होता है। अगर अच्छा प्लम्बर चाहिए होता है तो वह भी उपलब्ध नहीं होता है। हमें अच्छा कुक भी नहीं मिलता है। दिल्ली की ही बात लीजिए, अगर कोई कुक चाहिए तो नहीं मिलता है। हमें अच्छा पुजारी की भी जरूरत होती है। अगर उसके पास स्किल है तो वह पूजा का अच्छा काम कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में आदिवासी विस्तार के लिए युवाओं को ड्राइवर की ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए थे। गुजरात में ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने वालों की बहुत डिमांड है। आईएस आधिकारी, आईपीएस आधिकारी वहीं के ट्रेड ड्राइवर को रखना चाहते हैं। अगर ड्राइवर के पास स्किल नहीं है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगर वह ट्रेड है तो वह अच्छी तरह से गाड़ी चलाएगा और बैठने वाला सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है यही वजह है कि स्किल ड्राइवर की डिमांड रहती है। गुजरात में यह पासिबल हो सका है क्योंकि यहां ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है।

गुजरात में सूरत शहर में करीब दस लाख से ज्यादा टैक्सटाइल कारीगर हैं। आज भी उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। पूरे देश के 70 परसेंट कपड़े का प्रोडक्शन सूरत में होता है। उनकी मौलिकता की वजह से नए डिजाइन का कपड़ा तैयार होता है, जो महिलाओं को आकर्षित करता है। विदेशों में बहुत कपड़ा यहीं से ही जाता है। इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं तो कम कॉस्ट में ज्यादा उत्पादन लाने की क्षमता वे रखते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। सूरत में टैक्सटाइल में मौलिकता के आधार पर नया विकास होता ही है परंतु स्किल डवलपमेंट के साथ जो किया जाए तो सोने पर सुहागा हो सकता है। पूरे देश के लोगों को सस्ता कपड़ा मिल सकता है। अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है। आज भी टैक्सटाइल के कारीगरों को 14-15 हजार रुपये की तनखाह मिलती है। अगर उन्हें ठीक से ट्रेनिंग दी जाए तो उनके पगार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ सूरत डाइमंड इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सूरत शहर में गुजरात सरकार ने ड्रीम सिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट डिक्लेअर किया है। उसके अंदर करीब दो साल में

डायमंड वर्क शुरु हो जाने की संभावना है और लगभग लाखों लोगों को वहां पर नयी नौकरी मिलने की संभावना खड़ी हो गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा भी इस परियोजना के लिए सभी प्रकार की सहायता मिल रही है और सूरत में तैयार होने वाला डायमंड पूरे विश्व में बिकता है। डायमंड इंडस्ट्री के जो कारीगर हैं, उनको अंदाजे से 25000 रुपये से ज्यादा पगार मिलती है और उनको यदि प्रशिक्षित किया जाए तो उत्पादन में भी बढ़ावा हो सकता है और इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सूरत शहर के एक डायमंड व्यापारी ने दो तीन महीने पहले अपने रत्न कलाकारों को, जिन्होंने वैल्यू एडीशन दिया, जिन्होंने अच्छा प्रोडक्शन दिया, उन लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में इनाम दिया, किसी को कार दी, किसी को फ्लैट दिया, किसी को डायमंड की ज्वेलरी दी तो एक तरह से उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की क्योंकि उसको फायदा हुआ था। 450 कारें उनको अपने कारीगरों को दी थीं। बाकी मकान वगैरह तो अलग से है।

मुझे लगता है कि विशेष रूप से गुजरात में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां आज गुजरात में हैं। गुजरात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से भी जाना जाता है और आज जो उत्पादन शुरु किया है तो उनको भी स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है। इसलिए उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए। आज के जमाने में हाउस कीपिंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। हमारे राष्ट्रपति भवन से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में भी हाउस कीपिंग का कांट्रैक्ट दिया जाता है। उनके लिए भी स्कूल वर्कर्स की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र ही सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को देता है। मगर वहां भी कृषि वर्कर्स के लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है लेकिन अनस्किल्ड होने के बावजूद भी अपने अनुभव के आधार पर कृषि क्षेत्र के वर्कर्स ने उत्पादन में क्रांति की है और जरूरत से ज्यादा धान का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है। हम कृषि उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं और अगर उनके लिए सैमीनार द्वारा छोटे छोटे वर्कशॉप करके उनको ट्रेन्ड किया जाए तो उससे ज्यादा उत्पादन होने की संभावना है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी मजबूती आ सकती है। मेरी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को स्किल

डवलपमेंट देने का लक्ष्य रखा है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। लक्ष्य के प्रति उनकी गंभीरता हम देख रहे हैं और वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को वह जरूर पूरा कर सकते हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अपनी अपनी योजनाओं के द्वारा स्किल डवलपमेंट आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी जो स्किल डवलपमेंट का कार्य हो रहा है, उस कार्य में तेजी लाने के लिए मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं कि भिन्न भिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा कौशल्य विकास के लिए अपनी अपनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके बदले में उन सबको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। यानी पूरे राष्ट्र के लिए कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्याक्रम को एक जैसा करने की आवश्यकता है। कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्याक्रम पूरे देश में एक करने के बाद इससे संबंधित मंत्रालय और विभाग जिस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए विशेष मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, लक्ष्यों के सम्पूर्ण प्राप्ति में कोई कमी न रहे। कौशल्य विकास से संबंधित वर्ष 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्किल कोर्स को दो भागों में बांटने की आवश्यकता है। एक है, जो युवक और युवतियाँ पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, उनके स्किल डवलपमेंट का कोर्स अलग होना चाहिए क्योंकि वे इस क्षेत्र में नये हैं और जो पहले से ही काम कर रहे हैं, उनको रि-स्किलिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास जो कौशल्य है, वह पूर्ण नहीं है। उनको पूर्ण कौशल्य देने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिसिएंसी बढ़ाने के लिए उनका कोर्स अलग प्रकार का होना चाहिए। स्कूलों में सेकेन्ड्री और हायर सेकेन्ड्री लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर का एक विषय जोड़ने की आवश्यकता है। उससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है और हमारा लक्ष्य जल्दी पूरा हो सकता है। अभी जो स्किल दी जा रही है उसका एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि स्किल्ड वर्कर को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए स्किल देने के बाद सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। इसे देने के लिए भारत में सर्टिफाइड एजेंसी की जरूरत भी होगी। केवल सर्टिफिकेट आधार पर उसको अलग-अलग देशों में जाने में सुविधा हो जाएगी। कौशल्य

विकास के लिए मंत्रालय और राज्य सरकार की बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब जरूरी यह है कि उनका आउटकम क्या है, यह जानने के लिए इंस्टीट्यूट को यह जिम्मेदारी दी जाए कि स्किल कोर्स करने वाला युवक और युवती कोई बिजनेस कर रहा है या नहीं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या नहीं? इन सब जानकारी से हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भारत को एक मजबूत मेनुफेक्चरिंग फाउण्डेशन बनानी होगी। इंजीनियरिंग सेक्टर का कंट्रीव्यूशन पिछले कई वर्षों से 15 प्रतिशत पर ही टिका है। हमारे पास एक ऐसा प्रपोजल है कि हम इसे 25 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं। मेनुफेक्चरिंग सेक्टर अभी भी लेबर फोर्स का 12.6 प्रतिशत है। मेनुफेक्चरिंग सेक्टर के पास ऐसी क्षमता है कि वह और जॉब पर यूनिट आउटपुट दे सकता है। 25 बिलियन नए काम पैदा करने में इस सेक्टर का बढ़ा योगदान है। अभी इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। यह एक ऐसा सेक्टर है जो देश को उन्नति की नई मंजिलों की ओर ले जा सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है। टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार को मेनुफेक्चरिंग के रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं, उन्हें दूर करना होगा। ऐसा करने से एक ओर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्किल लोगों को काम भी मिलेगा। हमें हमारे देश के उद्योगों को बढ़ावा देना होगा ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। स्किल को बढ़ावा देने का एक कदम देश में मेनुफेक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा और उसको ऐसा बनाना होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान दे सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

”हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, जिसे ‘कौशल विकास’ के माध्यम से प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है, यह सभा सरकार से आग्रह करता है कि वह युवाओं में ऐसे तकनीकी कौशल के विकास के लिए एक

व्यापक योजना तैयार करे जिससे वे भारत को एक आधुनिक देश बनाने और 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें।“

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, शुरू में, मैं माननीय सदस्य और सम्मानित सहयोगी श्री सी.आर. पाटिल की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया है, जो हमारे समाज की वर्तमान स्थिति, हमारे देश में रोजगार के अवसरों और कौशल की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए बहुत प्रासंगिक है।

इस वर्ष के बजट में कहा गया है कि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु का है। हमारे युवा लोगों को 21वीं सदी की नौकरियों के लिए शिक्षित और रोजगार योग्य दोनों होना होगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार 'कौशल भारत' को 'मेक इन इंडिया' के साथ निकटता से समन्वित किया जाना चाहिए। फिर भी, आज हमारे संभावित कार्य बल के 5 प्रतिशत से कम को रोजगार योग्य होने और रोजगार योग्य रहने के लिए औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिलता है। वर्ष 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि देश के कार्यबल का केवल 2 प्रतिशत ही कुशल है। कौशल विकसित करना और उनका उचित तरीके से उपयोग करना दोहरी चुनौती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जिसे भारत में विकास कार्यसूची के प्रमुख प्रस्तावक के रूप में मान्यता दी गई है।

महोदय, समस्या यह है कि औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, स्कूल छोड़ने वालों की दर बहुत अधिक है, कौशल प्रशिक्षण क्षमता अपर्याप्त है, कौशल के प्रति नकारात्मक धारणा है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी उद्योग-संबंधी कौशल का अभाव है। ये भारत के कार्यबल के खराब कौशल स्तर के प्रमुख कारण हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन की गति में सबसे बड़ी बाधा कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की छोटी हिस्सेदारी है। हालांकि, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन के 68^{वें} दौर ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि में सुधार का संकेत दिया है जो 2009-10 में 11 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 12.6 प्रतिशत हो गई। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ने 2011 से 2022 तक 100 मिलियन नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

हमें कौशल की आवश्यकता है क्योंकि हमारे देश में कुशल जनशक्ति की भारी कमी है। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का मेजबान है, हम अब तक अपनी युवा आबादी का जनसांख्यिकीय लाभांश निकालने में विफल रहे हैं। इसलिए, हमें बहुत सावधान रहना होगा कि 'मेक इन इंडिया' या 'स्किल्ड इंडिया' के बयानबाजी में हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय बोझ में तब्दील न हो जाए। इस उद्देश्य से, भारत सरकार लंबे समय से हमारे देश में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। जब हम आजाद हुए, तो हमारी 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी, जो अब घटकर 70 प्रतिशत रह गई है। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारी मात्र 12 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित थी, अब यह प्रतिशत बढ़कर 74 प्रतिशत हो गया है। हालाँकि, पिछले दशकों में हमें जो भी लाभ प्राप्त हुए हैं, उसके बावजूद कुशल जनशक्ति की आपूर्ति और इसकी मांग के बीच गंभीर असंतुलन है। अब, तकनीकी अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है। उद्योग को अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी समझदार कुशल कार्यबल की आवश्यकता है जिसे हमें रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2009 में कौशल विकास नीति की घोषणा की गई थी और एक शासन संरचना तैयार की गई थी। नीति को क्रियान्वित करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया गया। इस पहल में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए वर्ष 2011 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की गई थी और 150 मिलियन श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य उन्हें सौंपा गया था। लगभग 17 मंत्रालयों को बजट और लक्ष्य आबंटित किए गए थे।

अपराह्न 04.00 बजे

विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए, योजना आयोग के तहत वर्ष 2008 में एक राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड की स्थापना की गई थी। रणनीति तैयार करने, योजना तैयार करने, कौशल विकास को बढ़ावा देने, हितधारकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, वित्त मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति ने राष्ट्रीय कौशल

योग्यता ढांचे का गठन करके शैक्षणिक संरचना को भी रेखांकित किया जो व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्रवेश और निकास प्रणाली प्रदान करता है। व्यावसायिक शिक्षा हमारी भविष्य की पीढ़ी को कौशल प्रदान करने की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

हमारे देश में बेरोजगारी का वर्तमान परिदृश्य क्या है? हमें कौशल भारत की आवश्यकता क्यों है? हमें भारत को दुनिया की कौशल राजधानी, दुनिया का एक कौशल केंद्र होने की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के पास एक बड़ा अवसर है। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे विकसित देशों में समलैंगिक आबादी बढ़ रही है, जिसकी भरपाई, भारतीय आबादी के प्रतिभा और कौशल के प्रवाह से की जा सकती है।

महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्री श्री रूडी जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिन्होंने इस अत्यंत मूल्यवान मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। हांलाकि, मैं नहीं जानता कि वह संबंधित मंत्रालयों के साथ किस प्रकार समन्वय करेंगे जिससे कि सभी कार्यक्रमों को कौशल विकास के क्षेत्र में एकीकृत किया जा सके क्योंकि मैं समझता हूँ, यह एक जटिल कार्य है, जो उन्हें सौंपा गया है। तथापि, मैं दिल से उनकी उज्ज्वल सफलता की कामना करता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं सिर्फ एक मिनट लेता हूँ। माननीय मंत्री जी, श्री चौधरी जी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे सोच रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल और अन्य क्षेत्रों को बहुत सारा पैसा देने जा रहे हैं! लेकिन कुल मिलाकर आपका बजट, मेरे विचार से, मुश्किल से रु. 40 करोड़ अथवा उससे कुछ अधिक है। यह ज्यादा नहीं है। आपको अपने हाथों को सभी विभागों तक फैलाना होगा और इसे इकट्ठा करना होगा।

[हिन्दी]

हमारे यहां एक कहावत है कि - एक रुपए का बजट और घड़ी भर की फुर्सत नहीं, यह विभाग भी वैसा ही है। आप स्किल डवलपमेंट के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं, उसे देखते हुए और आपके बजट को देखने से

लगता है कि इस साल स्किल डवलपमेंट में कुछ होने का अंदाजा नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी आपके साथ नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): आपकी आखिरी बात का जवाब देना चाहता हूं कि बजट से कम से कम 25 गुना ज्यादा हमारे पास साधन हैं। भारत सरकार में लगभग तमाम मंत्रालयों द्वारा इस पर 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : वह एक समन्वयक है!

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि, सरकार को यह समझना होगा कि संगठित क्षेत्र के लिए कौशल विकास में अब तक दिए गए कुल प्रशिक्षण में से केवल 9 प्रतिशत को ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमें अपने असंगठित क्षेत्र की ओर देखने और श्रमिकों के कौशल में सुधार करने की आवश्यकता है जिससे कि वे इस मिशन से लाभान्वित हों सकें। हमें अपने गांवों और जंगलों की ताकत को भी समझना होगा, जो देश को रोजगार के आधे अवसर प्रदान करते हैं। जब तक हमारा किसान अपने कौशल में सुधार नहीं करेगा, तब तक वह अधिक उत्पादन नहीं कर पाएगा।

हमारे जंगलों में 250 से अधिक लकड़ी रहित वन उत्पाद हैं जो आदिवासी के जीवन को बदल सकते हैं और उनके रहने की स्थिति में सुधार कर सकते हैं। यदि हम उन्हें कुशल बनाएं और उनके उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, और विपणन जैसी तकनीकें उपलब्ध कराएं, तो ही उन्हें इस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान परिदृश्य क्या है? महोदय, वर्ष 2011 डेटा में पाया गया कि 15-24 वर्ष के आयु वर्ग के 20 प्रतिशत से अधिक भारतीय बेरोजगार थे और अभी भी काम की तलाश में हैं। कुल मिलाकर, बेरोजगारों की यह संख्या लगभग 4.7 करोड़ है, जिनमें से 2.6 करोड़ पुरुष और 2.1 करोड़ महिलाएं हैं। दलितों में, 15-59 वर्ष

की कार्यशील आयु वाली आबादी में बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत चौंकाने वाली थी, जो सामान्य आबादी की तुलना में बहुत अधिक है। आदिवासियों के बीच, बेरोजगारी दर और भी अधिक, 19 प्रतिशत से अधिक थी। ये भारतीय समाज के दो सबसे हाशिए के वर्ग हैं, और स्पष्ट रूप से वे व्यापक बेरोजगारी से जूझ रहे हैं।

स्वाभाविक रूप से, उन वर्गों पर प्रमुख ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि हम एक समावेशी समाज बना सकें। इसके लिए, वर्ष 2012 तक 10 करोड़ नौकरियां प्रदान करने के लिए सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति बनाई गई थी। पिछले तीन सर्वेक्षणों के अनुसार, कार्यबल वर्ष 2004-05 में 45.91 करोड़ व्यक्तियों से वर्ष 2011-12 में 47.41 करोड़ व्यक्तियों तक बढ़ा; इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी का स्तर 1.08 करोड़ से घटकर 1.06 करोड़ हो गया। युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए, लगभग 20 मंत्रालय 70 क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन वर्ष 2010 में शुरू किया गया था जिसमें तीन संस्थान शामिल हैं – कौशल विकास की राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड, और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास नीति को अनुमोदित किया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए, कौशल विकास का लक्ष्य 46.53 लाख निर्धारित किया गया था, तथा उपलब्धि 45.58 लाख, अर्थात्, 98 प्रतिशत रही। वर्ष 2012-13 में, 72.51 लाख लक्ष्य तय किया गया था और उपलब्धि 72 प्रतिशत थी। वर्ष 2013-14 के लिए, 73 लाख कौशल लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और उपलब्धि 104 प्रतिशत थी। वर्ष 2014-15 के लिए, कौशल लक्ष्य 105 प्रतिशत निर्धारित किया गया था लेकिन उपलब्धि 31.5 प्रतिशत थी।

मुझे पता है कि मेरे पास आवश्यकतानुसार पर्याप्त समय नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि नई विकास योजना तैयार करते समय, सरकार को सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए, तथा एक उचित भविष्योन्मुखी परिदृश्य तैयार करना चाहिए ताकि कौशल अंतराल के बीच की खाई को पाटा

जा सके। किसी भी कौशल विकास योजना को तैयार करते समय कौशल अंतराल और संभावित रोजगार के अवसरों को जोड़ा जाना चाहिए।

कौशल विकास कार्यक्रमों को स्वरोजगार की आवश्यकताओं के सृजन पर केन्द्रित होना चाहिए, ताकि पर्याप्त बाजार सम्पर्क स्थापित हो सके, जैसे विपणन संबंधी जानकारी तक पहुंच, विक्रेताओं और खरीदारों के बीच समन्वय, कम लागत वाला वित्तपोषण, जिससे नव-कुशल उद्यमियों को आगे बढ़ने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

महोदय, नव कुशल उद्यमी विशेष रूप से हमारे पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी सम्भावनाएं प्रदान कर सकते हैं। ग्रामीणकरण एक और पहलू है जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान, लगभग 37 मिलियन लोगों ने कृषि कार्य छोड़ दिया और शहरी क्षेत्रों में आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। इस प्रकार, उस अवधि के दौरान भारी संख्या में पलायन हुआ था। लेकिन पहले से ही हमारा शहरी बुनियादी ढांचा चरमराने वाला है। हमारा शहरी बुनियादी ढांचा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर आने वाले भारी अंतर्वाह, भारी प्रवास, भारी यातायात को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए, हमें ऐसे तरीके और साधन तैयार करने चाहिए जिससे ग्रामीण बेरोजगार युवकों को उनके अपने परिवेश में ही उद्यमशील नौकरियों, कुशल नौकरियों में बेहतर ढंग से समायोजित किया जा सके जिससे कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोका जा सके।

दूसरा, यह एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है कि मान लीजिए मैंने किसी को स्किल्ड बना दिया, स्किल्ड बनाने के बाद क्या होगा। पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि स्किल करने के बाद उन्हें नौकरी मिले। दूसरा यह देखना पड़ेगा कि उनकी नौकरी की गारंटी रहे। उनकी सिक्युरिटी क्या होगी, उनका अपग्रेडेशन क्या होगा, ये सारी चीजें हम सबको देखनी पड़ेंगी। सिर्फ स्किल्ड बनाना ही हमारे काम का अंत नहीं है। स्किल बनाने के बाद उसके साथ और जो दूसरे मुद्दे हैं, उन सबके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमारे देश में हम लोग टेक्नोलोजी

के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हाउस में मंत्री जी बोलते रहते हैं कि 97 परसेंट पापुलेशन को मोबाइल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

प्रौद्योगिकी को इस तरह के परिवर्तन और समावेशी कौशल विकास का अग्रदूत माना जा सकता है। हालाँकि, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी एक समस्या बनी हुई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे पास राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का एक कार्यक्रम है जिसकी लागत रु 20,000 करोड़ है और जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और वाणिज्य जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 2,50,000 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। मेरा प्रश्न यह है। इसका उपयोग सरकारी स्कूल परिसरों में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है जो स्कूल समय के बाद खाली पड़े रहते हैं? स्कूल खत्म होने के बाद इन स्कूलों के सारे एरियाज को हम लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं, उन्हें दस से पांच स्कूल की जरूरत नहीं होती है। मुझे यह कहने में अफसोस होता है कि चाहे केन्द्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, दोनों तरफ से स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा से ज्यादा इनवैस्टमेंट नहीं हो रहा है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों सरकारों को कौशल विकास की दिशा में आबंटन बढ़ाना चाहिए। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में, उच्च शिक्षा अभियान में हम पैसे का एलोकेशन कर रहे हैं, उसी तरह स्किल डेवलपमेंट में भी हमें पैसे का एलोकेशन करना चाहिए और जो स्कूल्स हैं, इन स्कूलों के करिकुलम में हमें स्किल डेवलपमेंट को शामिल करना चाहिए। इसके साथ-साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को हमें परसुएड करना चाहिए कि आप दो-चार स्कूलों को एडाप्ट करो और इन्हें स्किल्ड बनाओ और जॉब अपार्चुनिटी को निश्चित करो। जो इंडस्ट्रीज है, वह जो स्कूल एडॉप्ट करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट देगी, उन सबको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में स्किल डेवलपमेंट के दौरान हमारे देश के जो अनएंप्लॉएड यूथ है, उनके लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष जी, आदरणीय पाटिल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर्स बिल ले कर आए हैं, मैं इनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हिंदुस्तान को हर साल दो करोड़ स्किलड लेबर की आवश्यकता है। जबकि 67 साल की आजादी के पश्चात् हम केवल 43 लाख स्किलड लेबर को ही हम ट्रेनिंग दे पा रहे थे। महोदय, अभी खड़गे जी ने खड़ा हो कर हमारे इस जो मिशन के बारे में कहा, जो मिशन हमने स्किल डिवेलपमेंट का लिया है और जिसके अंतर्गत 2022 तक 50 करोड़ स्किल डिवेलपमेंट वर्कफोर्स खड़ा करने का संकल्प लिया है। मैं खड़गे जी को यह बताना चाहता हूँ कि 67 साल की आजादी के बाद भी आज तक भारत दुनिया की मात्र 10 प्रतिशत स्किलड वर्कफोर्स ही क्यों खड़ी कर पाया? आज कोरिया की जनता का 96 प्रतिशत स्किलड है। जापान में 80 प्रतिशत है। जर्मनी में 75 प्रतिशत है। यूनाइटेड किंगडम में 68 प्रतिशत है तो भारत पिछले 67 वर्षों में स्किल डिवेलपमेंट के मामले में इतना क्यों पिछड़ गया? हिंदुस्तान के अंदर आधिकतर कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। ये गरीबों की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के उन 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरफ भी नहीं देखा, जिनके बच्चे आज विस्फोटक बेरोजगारी का शिकार हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर पिछले 67 वर्षों में 10 करोड़ पढ़े-लिखों की फौज खड़ी हो गई, इसका जिम्मेवार आज कौन है? आज भी जब हम देखते हैं कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर 10 करोड़ 30 लाख स्किलड लोगों की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर 3 करोड़ 50 लाख लोगों की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आज भी हमें 3 करोड़ 30 लाख स्किलड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट में हमें 1 करोड़ 77 लाख की आवश्यकता है। रिटेल में हमें एक करोड़ 73 लाख की आवश्यकता है। हैल्थकेयर के अंदर आज हमें 1 करोड़ 27 लाख की वर्कफोर्स की आवश्यकता है। जैसाकि मैंने कहा कि हमें हर वर्ष 2 करोड़ स्किलड लोगों की आवश्यकता है, हम बधाई देना चाहते हैं भारत के प्रधान मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका ध्यान स्किल डिवेलपमेंट की ओर गया और उन्होंने इसके लिए एक एक अलग मंत्रालय बनाया और मंत्रालय बना कर उसका प्रभार भी एक यंग टर्क मंत्री रूडी जी

को दिया है। मैं यह आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से ये जहाज को आसमान की बुलंदियों पर ले जाते हैं, इसी तरह से ये स्किल्ड डिवेलपमेंट के इस कार्यक्रम को, भारत के इस कार्यक्रम को जो परम आरणीय मोदी जी ने जो शुरू किया है, इस कार्यक्रम को भी ये ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह सब तो अच्छा है, लेकिन हाथ में बैट ही नहीं है तो क्या मारेंगे? ...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया: बैट है सर। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो जनसमर्थन मिला है, इस जनसमर्थन में हिन्दुस्तान के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दुस्तान के युवाओं ने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की आँखों में एक सपना देखा कि यह वह व्यक्तित्व है जो हमारी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है। आज यूपीए शासनकाल में भ्रष्टाचार की वजह से, जिस वजह की निराशा हिन्दुस्तान के लोगों के अंदर थी, जिस प्रकार वे अपने भविष्य को लेकर तड़प रहे थे, उनको किसी ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत थी जो उनको रोशनी दिखा सके। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दुस्तान के युवाओं को वह रोशनी दिखाई और आज जब हमारी सरकार है, तो उनके सपनों को पूरा करने का सारा दायित्व हमारे ऊपर है। हमारे देश के 25 साल से कम के जो 54 प्रतिशत युवा हैं, ये कल हमारी ग्रोथ स्टोरी को लिखने वाले हैं। आज हमें उस क्षेत्र के अंदर आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है।

महोदय, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। अभी वर्ल्ड बैंक की चीफ भारतवर्ष आई थीं। उन्होंने कहा कि जो कल तक यह मानते थे कि हिन्दुस्तान कहीं स्टैन्ड नहीं करता, आज वर्ल्ड बैंक की चीफ ने भी यह कहा है कि ऐ भारत के लोगो! सीज़ द अपॉर्चुनिटी। आज दुनिया आपकी ओर देख रही है। आपने नौ महीने के अंदर ही चाइना की अर्थव्यवस्था को भी पीछे पछाड़ दिया है। आज मैं देख रहा था कि भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति की लोकप्रियता को भी पीछे पछाड़ दिया है, इस प्रकार के कार्यक्रम हमने अपने देश के अंदर लिये हैं।

मैं आदरणीय सदस्य महोदय का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री रूडी जी से पूरी-पूरी आशा करते हुए यह जताना चाहूँगा कि आप भी यंग्स्टर हैं और हिन्दुस्तान का युवा आपके अंदर अपनी आशाओं को पूरा होने का सपना देख रहा है। आइए, हम सब मिलकर इस भारत को महान बनाएँ।

[अनुवाद]

डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): आदरणीय उपाध्यक्ष, महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।

सबसे पहले, मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए श्री सी.आर. पाटिल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम अपने साथियों के वृत्तांतों से जान सकते हैं कि 'मेक इन इंडिया' एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह कौशल विकास से जुड़ा हुआ है। भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है और उनमें से अधिकांश बिना किसी नौकरी के हैं।

हमें खुशी है कि हमारे पास इतने युवा हैं, जो आधुनिक भारत के निर्माण के लिए मुख्य कार्यबल होना चाहिए। लेकिन हम अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के कारण उनका उपयोग नहीं कर सके।

पश्चिम बंगाल के पिछले वक्ता ने पहले ही कौशल विकास के विचार की इस स्थिति तक पहुंचने के चरणों के बारे में बताया है। हालांकि यह विभिन्न युगों में विभिन्न चरणों में आ रहा है – वर्ष दर वर्ष – फिर भी इससे निपटने के लिए वास्तव में कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं है। अगर यह रिजॉल्यूशन साकार हो गया तो यह काम में आएगा। अधिकांश लोगों ने कहा है कि यह किस बारे में है, हमें क्या करना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि इसके विभिन्न चरण हैं। सबसे पहले, 'मेक इन इंडिया' की दृष्टि बहुत अच्छी बात है और इस दृष्टि को क्रियान्वित करने के लिए उचित योजना की आवश्यकता होती है। इस संकल्प में, हमारे पास एक बड़ा कार्य है क्योंकि इसमें वास्तव में विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है। इसलिए, सभी ने ऐसा कहा है और विभिन्न आंकड़े भी दिए हैं। मैं, यदि संभव हो तो, इस कौशल विकास में शामिल किए जाने के लिए कुछ बातों का केवल उल्लेख करूंगी। बहुत सारे श्रमिक हैं जो अकुशल हैं जो सोने के गहने बनाते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों विशेषकर गुजरात और मुंबई के लोगों के लिए आभूषण बनाने का मुख्य काम पश्चिम बंगाल विशेषकर मुर्शिदाबाद, नाडिया जिले के कुछ हिस्सों, हावड़ा, बर्दमान और हुगली के क्षेत्रों से आता है। ये लोग काफी कुशल हैं और वे विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं लेकिन मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र/डिग्री की

अनुपलब्धता के कारण, वे वास्तव में बहुत गरीब हैं। यदि हम उन्हें कौशल विकास कार्यक्रम के तहत रख सकते हैं और एक उचित प्रमाणीकरण दे सकते हैं, तो उनके अपने छोटे उद्यम हो सकते हैं। वे मध्य पूर्व और अन्य विदेशों में भी जा रहे हैं लेकिन उन्हें शायद ही भुगतान किया जाता है। वहां वे भारत के लिए विदेशी धन भी ला सकते हैं, यदि वे उचित रूप से कुशल हों।

श्रमिकों का एक और वर्ग है जो महिला ज़री कार्यकर्ता हैं। मैं अन्य राज्यों के बारे में नहीं जानती। ज़री का काम पूरे भारत में किया जाता है। अधीर चौधरी जी जो मेरे मित्र हैं, हमेशा ज़री श्रमिकों का जिक्र करते हैं। वे मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। मुर्शिदाबाद और हावड़ा क्षेत्र के अधिकांश लोग, ज़री के क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रावधान का उल्लेख किया। मेरा अनुरोध है कि ज़ारी श्रमिकों को भी एक उचित कौशल की आवश्यकता है और साड़ी और पोशाक सामग्री में ज़री काम किया जाता है। यह न केवल पूरे भारत और उपमहाद्वीप में बहुत लोकप्रिय है बल्कि इन चीजों को अन्य स्थानों, अर्थात् विकसित देशों में भी पहुँचाया जाता है।

हमारे पास श्रमिकों का एक और वर्ग भी है जो बिल्कुल निर्दोष हैं। वे बहुत कुशल हैं लेकिन उनके पास कोई प्रमाणीकरण नहीं है। वे राजमिस्त्री हैं। हम उन्हें *राज मिस्त्री* कहते हैं जो इमारत बनाते हैं और वे वास्तुकला में बहुत अच्छे होते हैं। यदि आप बंगाल के गांवों में जाएं तो वहां आपको बहुत सुंदर छोटी इमारतें, अच्छी वास्तुकला वाली इमारतें देखकर आश्चर्य होगा और उन *राज मिस्त्रियों* को प्रशिक्षित भी नहीं किया गया है। अगर हम इस कौशल विकास का प्रावधान करें, तो यह बहुत अच्छा होगा। ये राज मिस्त्री ब्रिटेन और यहां तक कि फ्रांस में भी बड़ी-बड़ी इमारतें बना रहे हैं। वे इन श्रमिकों की मदद से पुलों का निर्माण कर रहे हैं।

एक और है। आप जानते हैं, यह पश्चिम बंगाल की सौंदर्य सिलाई है, यानी, खुरदरे कपड़ों पर *कत्था* की सिलाई। इनके निर्माण ओढ़ने वाले चदर के लिए होते हैं। अब इसका उपयोग साड़ी और कपड़े में किया जाता है। कुछ दिन पहले हमारी यूरोपीय सांसदों के साथ बैठक हुई थी। वहाँ, एक महिला ने *कत्था* जैसा कुछ कपड़ा पहना हुआ था। उसने मुझसे पूछा, “यह क्या है?” मैंने कहा, “यह एक सिलाई प्रणाली है, और यह पश्चिम बंगाल

से आ रही है।” तो, यह बहुत लोकप्रिय है। इसलिए, उन अकुशल श्रमिकों को भी इसके कार्यक्षेत्र में लिया जा सकता है और हम कई अन्य लोगों को भी इन चीजों के बारे में सिखा सकते हैं।

एक और चीज जो हम सभी जानते हैं वह है परिधान व्यवसाय। मुझे खेद है। मुझे अपने मित्र का नाम याद नहीं है। गुजरात से किसी ने पहले ही सूरत में कपड़ों और अन्य चीजों के बारे में उल्लेख किया है। मैं कहूंगी कि आजकल, जब भी हम ब्रिटेन, अमेरिका या कहीं भी जाते हैं, तो जब आप स्पेंसर जैसी बड़ी दुकानों में शर्ट खरीदते हैं, तो आप पाएंगे कि या तो वह चीन अथवा कोरिया या बांग्लादेश में बनी है, और पांचवां देश भारत है। तो, हम इस सिलाई और कढ़ाई व्यवसाय में प्रथम भी बन सकते हैं।

एक और तथ्य यह है कि बांग्लादेश की महिलाएं सरकार द्वारा सशक्त हैं। इसलिए, हम भारत में भी अपने दायरे के अनुरूप वही चीजें बना सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप बांग्लादेश में परिधान कारखानों के बारे में जानते हैं, वे सभी महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं।

फिर, आप एक और चीज जानते होंगे जो चमड़े का डिज़ाइन है। शांति निकेतन का चमड़े का डिज़ाइन प्रसिद्ध है। इसके लिए कौशल विकास की भी जरूरत है। शांति निकेतन के बैग, जूते, आदि, प्रसिद्ध हैं। इसलिए, इस कौशल विकास से, हम युवाओं को सशक्त बना सकते हैं। उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसा कि अधीर चौधरी जी ने पहले ही कहा था, न केवल सूक्ष्म उद्यमों में बल्कि बड़े उद्यमों में और यहां तक कि कारखानों में उत्पादित चीजों में भी, हम उन्हें कौशल प्रशिक्षण दे सकते हैं।

जहां तक स्कूलों में इसे शामिल करने का सवाल है, मेरे अन्य मित्र ने इसे स्कूल में संबद्ध करने का सुझाव दिया है। यह संभव हो सकता है। या, यदि यह संभव न भी हो, तो हम स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के साथ भी ये काम कर सकते हैं। गणित या स्थानीय भाषा और थोड़ा अंग्रेजी में कुछ शिक्षाओं के साथ, हम उन्हें प्रमाणन दे सकते हैं। बाद में, मैं इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में हमारी माननीय महिला मंत्री जी से अनुरोध करूंगी।

यह एक बहुत ही उचित संकल्प है। मुझे लगता है कि हम सभी को इसे पारित करना चाहिए। मंत्री जी की विवशता पैसे की है। सब लोग जानते हैं। जैसा कि आपने पहले ही उल्लेख किया है, वह पैसा आ सकता है। मैं कहना चाहूँगी कि यह एक समग्र दृष्टिकोण है। यदि इसका संबंध महिला सशक्तिकरण से है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग इसका कुछ हिस्सा दे सकता है या फिर हम इसे कौशल विकसित व्यक्तियों को ऋण के रूप में भी दे सकते हैं ताकि जब वे उद्यम स्थापित करें, तो इसका कुछ हिस्सा सरकार को वापस कर सकें।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री सी.आर. पाटिल जी 'मेक इन इंडिया' और स्किल इंडिया के ऊपर प्राइवेट मैम्बर रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

देश में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक सपना लेकर जाता है कि मैं पढ़ूंगा-लिखूंगा, और अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। उसका पूरा परिवार और वह 25 साल तक इस उम्मीद में शिक्षा प्राप्त करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर आत्मनिर्भर बनेगा और कुछ रोजगार पाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी, जिस तरह से बच्चे पढ़ कर निकलते थे, वे किताबी पढ़ाई तो करते थे, लेकिन योग्यता में कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी रह जाती थी, जो योग्यता उन फैक्ट्रीज, कंपनियों और बड़े-बड़े लोगों को चाहिए थी, उनमें वह फिट नहीं होती थी। इसी वजह से हमारा युवा, हमारा व्यक्ति जो मेहनत करता था, लम्बी मेहनत के बावजूद भी कहीं रोजगार प्राप्त करने से दूर रह जाता था। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझा था। एक बार उन्होंने लाल किले से भी सुनाया था कि उनके पास एक लड़का आया तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो। वह बच्चा नौकरी चाहता था। उसने कहा कि बीए पास हूँ। दुबारा पूछा कि तुमको क्या आता है। उसने फिर बोला कि बीए पास हूँ। तब प्रधान मंत्री जी को भी लगा कि लोग शैक्षणिक योग्यता और किताबी ज्ञान को ही अपनी योग्यता समझ लेते हैं। प्रधान मंत्री जी ने इस कमी को बहुत गहराई से समझा था। जब पहली बार लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, उसी में उन्होंने अपनी पीड़ा को उजागर किया था। उन्होंने उसी भाषण में संकल्प लिया था कि इस देश में हम स्किल इंडिया डैवलपमेंट का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करेंगे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा करेंगी। प्रधान मंत्री जी ने इसी सपने को पूरा करने के लिए लाल किले से घोषणा की थी। लाल किले से घोषणा नेशनल स्किल डैवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी ने 13 जून, 2014 में अपनी प्रतिबद्धता को, जो देश के युवाओं, बेरोजगार लोगों के लिए थी, उसे दर्शाया था। इसे पूर्ण करने के लिए हमारे

होनहार मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी को कार्य दिया गया। उन्होंने लगभग 22 मंत्रालयों और अन्य विभागों के साथ मिलकर 73 प्रकार के ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए जिसके माध्यम से डैवलपमेंट स्कीम का लाभ दे सकें। देश के हर जिले में स्किल डैवलपमेंट का कोर्स चलाकर उसका लाभ उन युवाओं को रोजगार देने के लिए कर सकें, ऐसा समन्वय, योजना युवा मंत्री द्वारा बनाई गई। मुझे उम्मीद है कि इस योजना का लाभ पूरे देश में वे सभी सांसदों के साथ मिलकर पूर्ण करेंगे।

प्रधान मंत्री जी ने देश के लोगों के लिए वर्ष 2022 तक कुछ लक्ष्य रखे हैं। उनमें महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि 2022 तक लगभग 30 करोड़ लोगों को स्किल डैवलपमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। मैं आशा करता हूं कि सभी सांसद, पूरी टीम इंडिया मिलकर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करेंगे।

क्रिसल नाम की एजेंसी ने एक सर्वे किया कि वर्ष 2005 से 2010 के बीच लगभग 10 करोड़ युवाओं ने श्रम बाजार में प्रवेश किया था। वे इस लैवल पर आए कि श्रम शक्ति के माध्यम से रोजगार पा सकते थे और देश के निर्माण में साथ दे सकते थे। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय रहा कि इन 10 करोड़ श्रम शक्ति का उपयोग न के बराबर हुआ और इनमें से सिर्फ 5 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने में हम सफल रहे। उस वक्त क्या कमियां रहीं, उन्हीं को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री जी ने स्किल इंडिया डैवलपमेंट को मिशन बनाया। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश का गौरव बढ़ाने, हर चीज का उत्पादन देश में करने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था। मेक इन इंडिया के सपने की उन्होंने 25 सितम्बर, 2014 को पूरी दुनिया के सामने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में घोषणा की। उसी दिन से पूरी दुनिया की नजर भारत पर लगी थी। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री ने पूरी दुनिया के देशों को आह्वान किया था कि हिन्दुस्तान आइए और भारत में इन्वैस्टमेंट कीजिए, एफडीआई की योजना बनाकर विभिन्न देशों को निमंत्रण दिया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वैस्टमेंट न होकर फर्स्ट डैवलप इंडिया उनका मिशन बन गया था।

मैं राजस्थान सरकार की स्कील इंडिया डेवलपमेंट की योजना की इसके अंतर्गत तारीफ करना चाहूंगा। राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रधान मंत्री जी की इस भावना को देश में सबसे पहले हाथों-हाथ लिया था।

मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, देश के अंदर सबसे ज्यादा स्कील डेवलपमेंट में अगर किसी ने कार्य किया है तो वह श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में किया है। मैं विश्वास कर सकता हूँ कि हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मिलकर स्कील इंडिया और मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे देश के युवाओं, देश के नौजवानों को रोजगार और योग्यता के अनुसार उनको रोजगार देगी, आत्मनिर्भर बनाएगी और मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रौशन करेगा और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और सम्मान से जीने का हक पाएगा।

श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग): महोदय, हमारे विद्वान साथी सी.आर पाटील जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की संरचना गांव की संरचना है। पूरा देश गांव में बसता है, जब उसकी परिकल्पना बनाई जाती है वहां के किसानों को एक नाई की जरूरत पड़ती थी, एक धोबी की जरूरत पड़ती थी, एक वैद्य की जरूरत पड़ती थी, एक दाई की जरूरत पड़ती थी। किसान के साथ पशुपालक, लोहार और कुम्हार और बढ़ई की जरूरत पड़ती थी और इनके पास अगर कौशल नहीं होता तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। यह कौशल उनको प्रकृति प्रदत्त या परिवार प्रदत्त था। यही कारण है कि जब हम गांव में जाते हैं तो लोग पूछते और कहते हैं कि क्या किसान का बेटा किसान ही बनेगा, क्या कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई ही बनेगा, सोनार का बेटा सोनार ही बनेगा और कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ही बनेगा, क्या ऐसा होगा? इस समाज के परिवर्तन के लिए ही सारा कुछ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विद्या की तरफ आकर्षित होना, उसका भी यही कारण है। कालांतर में हमने देखा है कि कभी भारत कौशल विद्या में सबसे आग्रिम था, उसका प्रतीक है, उसका साक्षात् उदाहरण है, आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता सके हैं कि अशोक स्तंभ जो लगा हुआ है वह किस ऍलाए का बना हुआ है और उस ऍलाए को गलाने के लिए कौन सी भट्टी यूज की गई थी, वह कितनी बड़ी भट्टी थी, कितनी बड़ी ब्लास्ट फर्निश थी या कार्स्टिंग फर्निश थी, वह तकनीक किसके पास थी, उसे कौन लेकर आया था, आज तक उसका जवाब नहीं दे सके हैं। यही नहीं मुगलिया सल्तनत के समय जो ताजमहल बना, उसको बनाने वाले कारीगर कौन थे? उसे बनाने वाले कारीगर भारतवासी ही थे। अगर कौशल विद्या नहीं होती तो ताजमहल नहीं बन पाता। जो बिना बीम लगाए हुए स्तूप बने हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप बिना कोई बीम दिए हुए बने हैं, बिना कोई रिइन्फोर्समेंट दिए हुए बने हैं, यह टेक्नोलॉजी कहां से आई, यह वास्तुकला कहां से आई, यह वास्तुशास्त्र किसका है, वह कौन सी टेक्नोलॉजी थी। आप पूरे दक्षिण भारत के मंदिर देख लीजिए, पश्चिम भारत और राजस्थान के किले देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो इनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सारे कारीगर भारतवासी ही थे, हमारे ही पूर्वज थे। पार्लियामेंट को बनाने का

निर्णय ब्रिटिश साम्रज्यवाद ने लिया हो लेन इसे बनाने वाले कारीगर यहीं के थे, आर्किटेक्ट का नक्शा बनाने वाला बाहर से आया होगा, आज नक्शे यहां बनते हैं और विदेशों में जाते हैं।

महोदय, मलमल का पूरा थान एक अंगूठी के बीच में से पार कर दिया जाता था, यानी इतनी महीन मलमल बनाने वाले लोग भी यहां थे। यह हाथ के करघे से बनती थी और जहां पर सूत काता जाता था। यह कौशल विद्या थी। यह कौशल विद्या किसी गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। वह कहां विलोप हो गयी? वह कौशल विद्या युग-युगान्तर, यानी प्रकृति से लेकर परिवार में आयी और परिवार से उसका ट्रांसफर, हस्तांतरण होता रहा। किन्तु इस कौशल विद्या में जो आर्निंग है, वह कम होती गयी। जब ट्रेड एंड कामर्स का जमाना आया, तो लोग दूसरी तरफ जाने लगे। लोगों ने हाथों के औजारों पर विश्वास करना छोड़ा और मशीन पर विश्वास करना ज्यादा शुरू किया।

महोदय, यही कारण है कि जब कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूरज कहीं नहीं डूबता था, तो उस समय सारी दुनिया में जितने भी काम होते थे, वे ब्रिटिश स्टैंडर्ड के तरीके से होते थे। अमेरिका के आजाद होने से पहले जर्मनी ने अपने स्टैंडर्ड लगाये। लेकिन अमेरिका ने आजाद होने के बाद अमेरिकी स्टैंडर्ड लगाये। यही कारण है कि हमारे यहां जहां-जहां ब्रिटिश साम्राज्य रहा, वहां-वहां राइट हैंड ड्राइव है। राइट हैंड ड्राइव की गाड़ी मिलती है। किन्तु जहां-जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद नहीं था, वहां-वहां लैफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ी मिलती है। वहां ट्रैफिक उलटा चलता है। उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है, एक सोच है। लेकिन मेरा कहना है कि इन सारी चीजों में हम कहां पिछड़ गये? हमसे पहले जापान बहुत आगे निकल गया, जर्मनी निकला, फिर चीन निकला। उसका कारण क्या है? जर्मनी क्यों आगे निकला? आज भी अगर संस्कृत का कोई विख्यात, विद्वान, प्रकांड पंडित है, तो वह भारतवासी न होकर एक जर्मन है। वह क्यों है? उसका कारण यह है कि हमारी पाण्डुलिपियां जो उस भाषा में लिखी हुई थीं, वे सारी की सारी उठाकर ले गये और उन्होंने उसका अनुवाद किया। जो हमारा मास्टर कम्प्यूटर है, जिसे लेकर हम इतना गर्व करते हैं और अमेरिका से इम्पोर्ट करके हिन्दुस्तान लाते हैं, वह मास्टर कम्प्यूटर कहां लिखा हुआ है? उसका बनाना हमारी ही पाण्डुलिपियों में लिखा हुआ है।

यह आर्यभट्ट का देश, जिसने जीरो का कान्सैप्ट दिया, जिसने सारी दुनिया को थर्टीन फार्मूला ऑफ एलजेबरा दिया, उस देश से तकनीकी बाहर चली गयी, कौशल बाहर चला गया। आज हम कौशल बाहर से लाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नैशनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया है। मुझे आश्चर्य है कि हमारी दूरदर्शिता कहां अटक गयी है? हम अटक गये कि रियल एस्टेट में कितने लोग लगेंगे, उसके बारे में सोचिए। इंडस्ट्री में कितने लोग लगेंगे, उसके बारे में सोचिए। हमने अभी तक उसका इन्क्यूबेशन सिर्फ थर्टीन सैक्टर्स में किया है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वाइस ट्रेड को इन्क्यूबेशन आस्ट्रेलिया ने किया है। आस्ट्रेलिया की आस्ट्रेलियन वर्कफोर्स एंड प्रोजेक्टिविटी एजेंसी, जो ओ.डब्ल्यू.पी.ए. है, उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए। उससे आपको पता चलेगा कि कितने ट्रेड कोर्सेज को उन्होंने आईडेंटिफाई किया है। आज आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइये, वह मेड इन चाइना है। उसके पीछे दो कारण हैं। वह प्रोडक्ट यूएस में रिसर्च करके पैटेंटेड हुआ है, किन्तु मैनुफैक्चर्ड इन चाइना है। क्योंकि एक तो वह सस्ता है और दूसरा वहां पर व्यवस्था है। उन्होंने ओर्जिनली इक्विपमेंट मैनुफैक्चरिंग हब बनाया है। भारत में भी वह हब बनाने की जरूरत है। उस इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मैनपावर की जरूरत है और उसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कनाडा ने ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट बनाया, नैशनल आक्यूपेशनल क्लासीफिकेशन किया। हमारे यहां अभी तक नहीं हो सका है। हमने यू.के. कमिशन फॉर इम्प्लायमेंट एंड स्किल्स के बारे में तैयारी ही नहीं की है। चाइना में 50 हजार से ज्यादा ट्रेड कोर्सेज आईडेंटिफाइड हैं, जिनकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। हम साधारण सी बात करें, तो हम सबके पास स्मार्ट फोन है। सबकी कांस्टीट्यूंसी में स्मार्ट फोन है। स्मार्ट फोन को ठीक करने वाले मिस्त्री मिल सकते हैं। मैं हांगकांग एक रिफरबिशिंग युनिट देखने गया। मुझे वहां यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने मिस्त्री से पूछा कि एक महीने में कितने स्मार्ट फोन रिफरबिश करते लेते हो। उसने कहा कि प्रति महीना तीन मिलियन फोन रिफरबिश करता हूं। इसका मतलब हुआ तीस लाख फोन। वह पुराने फोन में एक एटमॉसफेयर क्रिएट करके रिफरबिश करता है,

उसका सब कुछ बदल देता और वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बिकता है और लोग खरीदते हैं। इस पर यू एन की गाइडलाइन है। युनाइटेड नेशन ने स्किल डैवलपमेंट पर गाइडलाइन्स बनाई हुई हैं और बहुत सहायता देते हैं। हमें चाहिए कि हम गांव-गांव तक 'मेक इन इंडिया' का सपना पूरा करने के लिए कोशिश करें। पहले हम पहचान बनाएं कि हमारे पास जो ग्राहक आएगा वह क्या लेकर आएगा। वह जो लेकर आएगा, उसे न नहीं कहना है और यह नहीं कहना है कि सोचेंगे। हमारे पास उसकी ड्राइंग पढ़ने वाला और उसे इम्प्लीमेंट करने वाला आदमी होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सपना देश के सवा अरब लोगों के लिए देखा है।

इसे साकार करने के लिए जो संकल्प लाया गया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह रोशनी गांव-गांव तक पहुंचेगी। धन्यवाद।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह बात सही है कि अगर किसी भी आदमी के पास कोई स्किल, गुण, कौशल नहीं है तो वह आज के जमाने में जी नहीं सकता है। उसे जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यही कारण था कि पुराने जमाने में काम के हिसाब से जातियों की सृष्टि हुई थी। जिस काम में जो प्रवीण है, वही काम करता था। जिसे पूजा, पाठ, पढ़ना आता था, ब्राह्मण बन गया, जो अच्छा युद्ध कर सकता था, क्षत्रिय बन गया। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हर गांव सैल्फ सफिशिएंट रहा, वहां नाई, लौहार, मिट्टी का काम करने वाले रहते थे ताकि एक गांव दूसरे पर निर्भर न करे। तब हर कोई आदमी बहुत खुशहाली से आराम से रहता था। आज हम स्किल डैवलपमेंट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लोगों की जरूरतें बदल गई हैं, जीवन शैली बदल गई है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है। आज हाथ से खेती से मुनाफा नहीं हो सकता है। मैकेनाइज्ड वे में जाना होगा, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। अब मिट्टी का मटका खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, स्टील का पसंद करते हैं। आज हम प्लास्टिक, मोबाइल, आईपैड के युग में आ गए हैं। सब चीजें बदल गई हैं इसलिए हिंदुस्तान में यह सब हो रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया है। कृषि भी अब मुनाफे का काम नहीं रहा है। अगर किसी को मौका मिले तो वह कृषि का काम छोड़ना चाहेगा, कोई दूसरा धंधा करना चाहेगा।

महोदय, बेरोजगार की परिभाषा क्या है? अगर कोई पढ़ लिख गया और उसे नौकरी नहीं मिली, तो वह बेरोजगार हो गया। महोदय, मुझे जो आंकड़ा प्राप्त है, सारी राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक, प्यून से लेकर केन्द्र सरकार के चीफ सैक्रेटरी तक यदि हम आंकड़े मिलाते हैं तो सरकारी नौकरी सिर्फ चार करोड़ के आसपास होती है। 25 करोड़ आबादी में चार करोड़ नौकरी रहती है और मंशा यह रहती है कि कोई थोड़ा पढ़-लिख लिया तो सरकारी नौकरी करना चाहता है। अगर नौकरी नहीं मिली तो या तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, चोरी करेगा या दूसरा धंधा करेगा। हम लोगों ने इस तरह से सिस्टम नहीं बनाया है कि पढ़कर भी कुछ कर सके। पढ़ाई का सिस्टम हमारे यहां ब्रिटिशों के जमाने वाला, क्लर्क बनाने वाला सिस्टम ही चल रहा है।

एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर किसी भी सरकार ने क्या सोचा है? वही पुराना बी.ए., बी.कॉम. पढ़ो जिस आदमी ने साइंस पढ़ी, वह क्लेरिकल का काम करेगा। जिसने बी.कॉम की पढ़ाई की, वह आगे जाकर टीचर बनेगा। कोई खेती करेगा तो उसकी अलग से पढ़ाई हो।

जब हम कहते हैं कि 60-70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं तो हमारी शिक्षा नीति क्या ऐसी है कि 60 प्रतिशत हम शिक्षित किसान बना रहे हैं? इस दिशा में हमने कभी नहीं सोचा। किसी भी दिशा में कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की जरूरत है, इसकी प्रोपर एनेलिसिस नहीं की गई है और एआईसीटी जैसी संस्था बना दी गई है। उसका परिणाम यह हुआ है कि बिना सोचे समझे उड़ीसा जैसे प्रदेश में आज की तारीख में 110 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 40000 सीट्स हैं। 40000 सालाना अगर इंजीनियर निकलेंगे तो उड़ीसा में तो इतनी नौकरी नहीं हैं। परिणाम यह हो रहा है कि चालीस हजार सीट्स जो हैं, वे तो प्राइवेट में चला रहे हैं, उन्हें तो मुनाफा कमाना है, बच्चों को जबर्दस्ती भर्ती करना है, वह कोई धर्म काज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जबर्दस्ती थर्ड डिवीजन बच्चों को भी लोग उनमें भर्ती करा रहे हैं और परिणामस्वरूप जिन बच्चों का इंटेलेजेंस इंजीनियरिंग के लायक भी नहीं है, वे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। परिणामस्वरूप उनमें से प्रतिदिन इंजीनियरिंग पढ़ने वाला बच्चा उड़ीसा में सुसाइड कर रहा है क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता है। लेकिन मां-बाप सोचते हैं कि जैसे बच्चा इंजीनियर बन गया तो लाखों करोड़ों कमा लेगा और परिवार का कल्याण हो जाएगा।

मेरा निवेदन है कि हर चीज के लिए सरकार को प्रोपर एनेलिसिस करनी चाहिए। मेरे जिले में जहां डॉ. की जो बात करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि 24000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। मेरा नवरंगपुर जिला उड़ीसा में है, वहां 24000 आदमी के लिए एक डॉक्टर है। इसलिए यह जो विडम्बना है, ड्राइविंग एक ऐसी चीज है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा रोजगार ड्राइविंग के क्षेत्र में ही मिल रहा है लेकिन सरकार की ओर से कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिसने भी थोड़ी गाड़ी चलानी सीख ली, वह ड्राइवर बन गया और गाड़ी चलाने लगा।

महोदय, आज अकेले दिल्ली में ही यदि आप देखेंगे कि शत प्रतिशत गाड़ी में स्क्रेच लगा हुआ है। कोई एक भी गाड़ी साफ सुथरी नहीं है, यहां तक कि नयी गाड़ी भी ऐसी नहीं है जिस पर स्क्रेच न लगा हो। इसका कारण यह है कि हमने कभी इस दिशा की ओर ध्यान नहीं दिया और कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन कभी नहीं खोला। ठीक है कि सरकार ने स्किल्ड डवलपमेंट की तरफ सोचा है लेकिन हर क्षेत्र में कैसे करें? मेरा मानना है कि हर क्षेत्र में प्रोपर एनेलिसिस की जाए कि इस क्षेत्र में इतनी जरूरत है और वहीं पर ट्रेनिंग दी जाए तब जाकर हमारे प्रयास सही मायने में सार्थक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री अक्सर स्किल डेवलपमेंट की बात किया करते थे और उसकी रूपरेखा पर भी कई बार उन्होंने प्रकाश डाला कि पहली बार कई मंत्रालयों में जो अलग-अलग स्कीम्स चल रही थीं, यह भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार में माननीय प्रधान मंत्री जी के इनीशिएटिव से यह भारत में पहली बार हुआ। मैं लंच करने के लिए घर चला गया था। मैंने लंच करते हुए देखा कि एक बार हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेता खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी के पास शायद बैग नहीं है तो कहां से यह मंत्रालय चलेगा?

अपराह्न 05.00 बजे

मैं घर चला गया था। श्री खड़गे जी, मैं आपका उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जी हाँ, बोलिए।

श्री जगदम्बिका पाल: मैंने देखा, जब माननीय खड़गे जी खड़े हुए, तो मैंने सोचा कि शायद डिबेट में भाग ले रहे हैं क्योंकि विधेयक के बाद लंच करने चला गया था। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के पास बैग नहीं है, तो यह मंत्रालय कैसे चलेगा या स्किल डेवलपमेंट के संबंध में कुछ नहीं है, तो मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन माननीय खड़गे जी भी इस बात से सहमत होंगे कि आज देश में जिस तरह से दुनिया में भारत के बाद चाइना में जो वर्क फोर्स है, यूथ्स हैं, शायद वर्ष 2020 में हम दुनिया के सबसे जवान देश हो जाएं। आज आवश्यकता है, चाहे आप प्रतिपक्ष में बैठें या हम सरकार में बैठें, इस सदन को चिन्ता करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान इस देश में होंगे, तो उसको स्किल्ड करके उनके हाथों में रोजगार देने का दायित्व इस सदन का और इस सरकार का होना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जैसा कि सबको मालूम है कि "चिन्ता से चतुराई घटे, दुःख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी", जैसा बोला गया, जो लक्ष्मी के पुत्र हैं, यदि उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका स्किल डेवलपमेंट स्किल में रह जाएगा, वह डेवलपमेंट में नहीं आ पाएगा।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं आभारी हूँ कि सम्मानीय खड़गे जी को इस बात की चिन्ता है। निश्चित रूप से वे एक जिम्मेदार नेता हैं और उन्होंने इसकी चिन्ता की है। मैं समझता हूँ कि जो उनकी चिन्ता है, उसकी चिन्ता हमारे प्रधानमंत्री जी को भी है और हमारी सरकार को है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल उल्लेख करना चाहता हूँ कि अभी 12 पंचवर्षीय योजना के तीन साल गुजरे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग यूपीए-वन और यूपीए-टू में थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, भारतीय कार्यबल के केवल 10 प्रतिशत को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जिस तरह की ट्रेनिंग थी, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्नीकल ट्रेनिंग हो, सभी को मिलकार, इस देश के 10 पर्सेंट यूथ्स को हम अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्किल्ड कर पाये हैं। इन तीन वर्षों में, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का है, उसकी स्थिति यह है- वर्तमान में भारत की वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता 4.3 मिलियन है, जो उद्योग जगत की प्रतिवर्ष 22 मिलियन कुशल श्रमिकों की आवश्यकता के 20 प्रतिशत से भी कम है। आज भारत जैसे देश को जहाँ पर 22 मिलियन स्किल्ड वर्क फोर्स की जरूरत है, जिनके हाथों में हुनर हो, चाहे आईटीआई द्वारा या वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा हो या फीटर हो, स्मिथ-मैन हो, कारपेंटर हो, किसी भी तरह के मैकेनिक हों, उस प्रकार के 22 मिलियन लोगों की जरूरत है, उनके अगेंस्ट आज 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जब से यह सरकार बनी है, 4.3 मिलियन को ही ट्रेन्ड करने की हमारी क्षमता है। यही नहीं, अनुमान के अनुसार, विभिन्न सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संगठनों ने हर साल 12.8 लाख नए प्रवेशकों के मुकाबले प्रति वर्ष 3.5 मिलियन प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल किया, इस प्रकार जोड़े गए कार्य बल का 9.3 प्रतिशत अकुशल है। मतलब 9.3 मिलियन, हम कहाँ जाएंगे? हम देश में रोज चर्चा करें, लेकिन जो देश के नौजवान हैं, जिनका भविष्य है, जिनके परिवार के लोगों को उम्मीद है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद, स्किल ट्रेनिंग करने के बाद, कहीं पर उसे इम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वह घर में बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जो माननीय खड़गे जी ने चिन्ता प्रकट की है, उस चिन्ता का समाधान पहली बार भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि वे इस बात से सहमत होंगे। नैशनल स्किल मिशन कारपोरेशन की स्थापना की गयी और वह नौजवानों को ट्रेन्ड करेगी। इसके संबंध में भारत सरकार पॉलिसी बनाएगी, यदि इसके लिए नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी

तो उसे नैशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से करेंगे। आज हम कहाँ खड़े हैं? यू.एन.डी.पी. द्वारा जारी मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 2014 के अनुसार भारत को मानव विकास सूचकांक में 187 देशों में से 135वें स्थान पर रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष: आपने पांच मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल: मान्यवर, दो मिनट दे दीजिए।

आज हम दुनिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 187 देशों में 135वें पायदान पर खड़े हैं। मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूँ जिससे कांग्रेस के हमारे साथी भी सहमत होंगे कि हमने अभी जनरल बजट में 1500 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में रूरल यूथ के लिए दिए हैं। देश के ग्रामीण यूथ के लिए इस जनरल बजट में 1500 करोड़ रुपये केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। अभी तक हम स्किल ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा देते थे? स्किल ट्रेनिंग के लिए हमने बजटरी सपोर्ट में 1500 करोड़ रुपये दिए हैं, निश्चित रूप से इससे लाखों नौजवान तैयार होंगे और उनको रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से 150 करोड़ रुपये हमने कौशल विकास योजना में भी दिए हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा।

[अनुवाद]

जापान ने भारत में चार बुनियादी परियोजनाओं के लिए लगभग \$ 3,50,000 डॉलर देने का वादा किया है, जिसमें दिल्ली में विकलांग बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षाएं स्थापित करना और मिजोरम गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित करना शामिल है।

[हिन्दी]

आज जापान भी हमारे डिसएबल्ड लोगों के लिए मदद दे रहा है। पहली बार हम इस तरह नौजवानों के लिए करने जा रहे हैं। यदि डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में भी हमने दस लाख लोगों को ट्रेन्ड करने की बात की है। नेशनल डिजिटल लिट्रेसी मिशन ने यह काम करने की बात की है। डिपार्टमेंट ऑफ

इलेक्ट्रानिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इसे लांच करने जा रही है। इसी तरीके से अभी तक 20 मंत्रालयों में कम से कम 80 अलग-अलग प्रोग्राम चल रहे थे, दस प्रतिशत वर्कफोर्स नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस मंत्रालय के तहत, जिसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने रूडी साहब को दी है, आने वाले दिनों में हमारी यह परिकल्पना है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो हम 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स को लेकर 474 जिलों में 2930 सेंटर्स खोल करके लोगों को ट्रेन्ड करेंगे। उस ट्रेनिंग का मतलब होगा कि कुल मिलाकर, हमारे पास वर्ष 2020 तक कार्यशील आयु वर्ग में 850 मिलियन से अधिक भारतीय होंगे। यह वैश्विक कार्यबल का 28 प्रतिशत होगा। आने वाले दिनों में हम दुनिया की 28 प्रतिशत वर्कफोर्स को तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए यह मंत्रालय, मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम): उपाध्यक्ष, महोदय, मुझे इसमें भाग लेने का अवसर देने के लिए, धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: आपको पांच मिनट में समाप्त करना होगा।

श्री प्रेम दास राय: हां, महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त करूंगा।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया है और मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी को सभी के विचार सुनने चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि कौशल ने न केवल पूरे भारत की कल्पना को प्रभावित किया है, बल्कि यह वर्तमान सरकार की कुछ प्रमुख सार्वजनिक नीति पहलों जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' में भी प्रतिध्वनित हुआ है।

मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं जापान गया था और मुझे वहाँ के एक बड़े बाजार में जाने का अवसर मिला जहाँ वे ताजी मछली बेचते हैं, जिसे बाद में 'सुशी' और 'साशिमी' नामक उत्पादों में बनाया जाता है। मुझे बाजार में स्थित एक रेस्तरां में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो ये उत्पाद बेच रहा था। इन उत्पादों को बनाने वाले शेफ थे। वे ग्राहकों के लिए इन उत्पादों को उसी स्थान पर, तैयार करने की कला के इस जटिल छोटे से कार्य में शामिल थे, अर्थात् यह कार्य इन शेफों द्वारा तत्काल किया जा रहा था। जब मैंने इस बारे में पूछा कि कौशल के इस चरण तक पहुंचने में शेफ को कितना समय लगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें आठ से दस साल तक का समय लगा। यह इस तरह का काम है जिसे कौशल प्रक्रिया के पीछे जाने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कोई वास्तव में कौशल कैसे प्राप्त करता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। हमें इसे इसी तरह करना चाहिए, उत्कृष्टता की भावना के साथ न कि सिर्फ यह कहते हुए कि, 'यह एक जुगाड़ है' या 'चलता है' या 'यह ठीक है'। यहां हमें यह कहने की आवश्यकता है कि इसे उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए, पहली बात तो यह है कि, यह एक माप का प्रश्न है। यह कहने का प्रश्न है कि क्या हम किसी क्षेत्रीय कौशल विकास कार्यक्रम में उत्कृष्टता के उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। यहीं पर - मैं समझता हूँ, पहली बात जो, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि - हमें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

कि यदि आप एक महाशक्ति बनना चाहते हैं, यदि आप इस देश का विनिर्माण केंद्र बनना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप से माप के मुद्दे पर गौर करने की जरूरत है और यह भी कहना होगा कि हमें हर चीज में उत्कृष्टता का स्तर हासिल करने की जरूरत है।

मैं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नवाचार कौशल के साथ साथ चलेगा। नवाचार को कौशल के साथ-साथ इसलिए भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की प्रकृति बदल रही है; कौशल की आवश्यकता की प्रकृति बदल रही है तथा प्रौद्योगिकी की प्रकृति भी बदल रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रौद्योगिकी निवेश उच्चतम है और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है। मेरा मानना है कि, जब हम 'डिजिटल इंडिया' की बात करते हैं, तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देश इस अर्थ में आगे बढ़े हैं कि उनके पास नवाचार का पूरा मंत्रालय है। इसलिए, मैं समझता हूँ कि यहां जो कुछ हो सकता है, वह यह है कि माननीय मंत्री जी यह सोचें कि, क्यों न उनके मंत्रालय में नवाचार को एकीकृत किया जाए भले ही इसमें 'कौशल एवं नवाचार मंत्रालय जैसा शीर्षक न हो? लेकिन मुझे लगता है कि, नवाचार मंत्रालय का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि सिक्किम जैसे छोटे राज्य के लिए, हमने 2002 में ही सोच लिया था कि कौशल की आवश्यकता होगी और उस समय से ही हमारे मुख्यमंत्री डॉ. पवन चामलिंग जी के नेतृत्व में, हम वास्तव में इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हमने एक राज्य क्षमता निर्माण संस्थान की स्थापना की है। हमने अनेक क्षेत्रीय कौशल स्थापित किए हैं, विशेषकर कृषि और बागवानी के क्षेत्र में। यह ऐसा काम है जिसके लिए हमारे युवाओं को भुगतान किया जा रहा है। उन्हें रु. 2500 प्रतिमाह का वजीफा और एक वर्षीय कौशल कार्यक्रम दिया जा रहा है ताकि वे उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंच सकें।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी दलीलें समाप्त करना चाहूंगा तथा माननीय मंत्री जी को सूचित करना चाहूंगा कि यह मेरे सहकर्मी, श्री सी.आर. पाटिल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है तथा हमें इसका समर्थन करना चाहिए।

धन्यवादा

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को इस सदन में चर्चा के लिए पेश किया है। मैं अपनी बात श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू करूंगा। उन्होंने जनसंख्या के बारे में एक बात कही थी कि मैं सिर नहीं गिनता, लोगों के हाथ गिनता हूँ वह भी हुनर के साथ। उस समय लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद खड़गे जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सुना है, अपना हाथ, सबके साथ।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्योंकि अभी बार-बार वह लक्ष्मी की बात कर रहे थे, मैं इस बात को बाद में कहना चाहता था, लेकिन अभी कह देता हूँ।

माया तेरे तीन गुण, सुंदर, सुभग, सुभास

अवगुण तोमे एक है सांच न आवे पास।

यह प्रस्तुति है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि नेशनल स्किल डवलपमेंट पालिसी 2009 में बनी थी। आप ही ने लक्ष्य रखा था कि हम 50 करोड़ लोगों को स्किल डवलपमेंट के आधार पर रोजगार देंगे। इसका समय आपने 2009 से 2022 तक का निश्चित किया था। 12वीं योजना में आपको पांच करोड़ लोगों को रोजगार देना था, जो कि 2017 तक थी। बचे हुए 45 करोड़ लोगों को 2022 तक कैसे आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, यह आपकी दूर-दृष्टि का सबसे बड़ा पैमाना है। मुझे लगता है कि जब देश के प्रधान मंत्री जी ने यह कहा, यह सबसे अहम बात है, क्योंकि जो आपने सोचा था, चाहे जिसने भी लिखकर दिया हो पूर्व यू.पी.ए. सरकार को, मुझे नहीं पता। मैं रूडी जी को धन्यवाद दूंगा कि वह यहां मौजूद हैं। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, आपने अगर उसे मिनीमाइज़ किया है, तो यह व्यावहारिक बात है कि वास्तव में आपने जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर इस बात को किया है।

मैं सिर्फ दो उदाहरण यहां देना चाहूंगा। पहला तो यह कि 24 मंत्रालय में स्किल डेवलपमेंट का काम होता है। मेरे पास श्रम विभाग की सूची है, जिसमें 91 स्किल डेवलपमेंट के काम हैं। लेकिन इनमें से मैं कुछ ऐसे मानता हूँ जो बिलकुल निरर्थक हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनको आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है। रैन वॉटर हावेरस्टिंग इनएक्टिव है, जो सबसे जरूरी है, वह इनएक्टिव है। उसके बाद बेसिक आर्ट भी इनएक्टिव है। फिशिंग और उससे संबंधित जितना भी क्षेत्र है, जो वास्तव में सबसे जरूरी है, वह इनएक्टिव है। टेक्सटाइल्स और कॉटन में तो ऐसी 5-6 योजनाएं हैं, जहां स्किल डेवलपमेंट का काम होता था, अब वह उद्योग धीमा पड़ गया है, लेकिन उसमें 6 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से इनएक्टिव हैं। जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है जो सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है। पोलट्री और बॉयलर फॉर्मिंग जो आम आदमी भी कर सकता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम अनएक्टिव है। हमारे एक बहन हेण्डीक्राफ्ट की बात कह रही थीं, चाहे हमारे बस्तर में हों या कहीं और हो, लेकिन उसका ट्रेनिंग सेंटर इनएक्टिव है, जो सवारधिक लोगों को रोजगार दे सकता है, जो हुनरवादियों को हुनर दे सकता है। पेंटिंग, मेहंदी, फिटनेस और एनिमल हसबैंडरी है, मैं गांव से आता हूँ, लेकिन यह भी अनएक्टिव है। आपने पांच मिनट का समय दिया था, लेकिन अभी तक पांच मिनट नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी को अपराह्न 5.30 बजे जवाब देना होगा तथा चार-पांच और सदस्यों को बोलना है। आपको अपने समय को उसी के अनुसार समायोजित करना होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा है मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

एनीमल हसबैंडरी और कृषि लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि कृषि क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जिनको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब कभी आप हुनर वालों को तकनीक देंगे तो इस देश को लाभ होगा। मैंने अखबार में देखा था कि एक

व्यक्ति के हाथ-पैर नहीं है, लेकिन मुंह में दातून दबा कर वह सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहा है। उसके पास हुनर है, यदि उसको तकनीक मिलेगी तो देश का भला होगा। अगर जरूरतमंद है और वह हुनर सीखता है तो भी देश की जरूरत पूरी होगी, लेकिन ऐसे लोगों को जिनको जरूरत भी नहीं है, उन पर अगर तकनीक और पैसा आप खर्च करेंगे तो इस देश का नुकसान होगा। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि पूंजी भी चली जाती है। हम जैसे किसानों की जमीनें बिक जाती हैं। इस तरह से देश का भला होने वाला नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि हुनर हो, जरूरत हो, तकनीक हो, प्रशिक्षण हो और पूंजी लगे, साथ ही साथ उसको रॉ मैटीरियल भी मिल जाए तथा बाजार उसको मिलता है तो शायद आपका स्किल डेवलपमेंट सार्थक होगा और देश को मजबूत करने का काम करेगा।

यह विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसे विषयों पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सामूहिक रूप से मैं अपील करूंगा और मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि सभी 24 मंत्रालयों के स्किल डेवलपमेंट के प्रयोग हैं वह अगर आपके मंत्रालय में एक साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जल्दी आएगा। मैं फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं समझता हूँ कि वही देश और प्रांत आगे बढ़ सकता है, जिसके नौजवान ने अच्छी शिक्षा हासिल करे। आज के दौर में टेक्निकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन बहुत महत्व रखती है। मैं पंजाब प्रांत से आता हूँ और मुझे वह काला दौर याद है जब एक बहुत भयानक समय एटीज़ के बाद पंजाब में आया। उस समय पंजाब के नौजवान स्किल्ड नहीं थे, उनके पास रोजगार नहीं था तो उन्होंने अपने हाथों में मारू हथियार उठा लिए। उसके बाद एक टेरेरिज्म का युग पंजाब में शुरू हुआ। बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुईं और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया। मुझे वह दिन भी याद है, मेरे साथ बिट्टू जी बैठे हुए हैं, वर्ष 1992 में उस काले दौर के बाद सरदार बेअंत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की पहली सरकार बनी। मैं भी उस सरकार में मंत्री बना था और हमने पहली दफा टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने का रेवोल्यूशनरी दौर प्रारम्भ किया। जो बच्चे, जो नौजवान, जिनके हाथों में फायर आर्म्स थे, उनके हाथों में हमने दस्तकारी के टूल्स दिये और हमने पंजाब को आगे ले जाने का यत्न किया। आज एक महीना हो गया है, बजट पर और इससे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी बोले और प्रधान मंत्री जी ने सबसे ज्यादा स्ट्रैस मेक इन इंडिया के ऊपर दिया। यह बहुत अच्छी बात है, इंडिया में बड़े लोग आएँ, बड़े-बड़े फॉरेन के लोग हमारी इकोनॉमी में इनवैस्ट करें तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हमारे देश के और हमारे प्रांतों में जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे डोमैस्टिक उद्योग हैं, उनके बारे में न हमने बजट में सुना और न किसी के भाण में सुनाई दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ग्रोथ रेट तभी बढ़ेगा, जब देश का लघु उद्योग डैवलप करेगा। इसलिए आज जो रिजोल्यूशन लाया गया है, स्किल डैवलपमेंट की मार्फत जो नौजवान शिक्षा हासिल करेंगे तो वे काम कहां करेंगे, क्या वे बाहर जाकर काम करेंगे? हमारे प्रांत की यह समस्या है कि जो कारपेंटर है, जो मेसन है, जो थोड़ी सी टेक्निकल शिक्षा हासिल करता है, वह अरब कंट्रीज में चला जाता है, क्योंकि हमारे यहां इम्प्लायमेंट के एवेन्यूज नहीं हैं। हमारा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सिंक कर रहा है, वह मरता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से

विनती करना चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया से पहले जो हमारे देश का लघु उद्योग है, जहां लाखों-करोड़ों स्किल्ड लेबर हैं या जो दूसरे लोग काम करते हैं, उन्हें डेवलप करें।

महोदय, मैं पंजाब की जालंधर कांस्टीट्यूंसी से आया हूँ और पंजाब में लगभग 15 लाख माइक्रो और स्माल स्केल यूनिट्स काम कर रही हैं, जिनमें साइकिल इंडस्ट्रीज, मोटर पार्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंड टूल्स, बॉल्स एंड काक्स, ऑटो पार्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स, कास्टिंग, रबड और लैदर आदि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। ये सब मेरे प्रांत में हैं और इसमें से ज्यादा इंडस्ट्रीज मेरे जालंधर संसदीय क्षेत्र में है और हमारे यहां की स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ने देश में अपना नाम कमाया है। जालंधर को स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है, वह जालंधर से अपना बैट बनवाता है। अभी भी वर्ल्ड कप में हमारे जिन साथियों ने जीत हासिल की, उनका बल्ला भी जालंधर में बना है। यह एक ऐसी प्रमुख इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना और पाकिस्तान से है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से हम कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां लेबर बहुत सस्ती है। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो रॉ मैटीरियल बाहर से आता है, उसके ऊपर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगती है, लेकिन जो यहां से जाता है, उस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो रॉ मैटीरियल है, उस पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी न लगे और जो बाहर से मैनुफैक्चर्ड फिनिशड गुड्स आता है, उन पर ड्यूटी लगनी चाहिए। आज से बीस साल पहले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की एक्साइज ड्यूटी की लिमिट डेढ़ करोड़ थी और आज भी वह डेढ़ करोड़ है। आज जरूरत इस बात की है कि उसे बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इसका जो एक्साइज है, सिर्फ 7 और 8 करोड़ रुपये है। यह सभी बल्लेबाजों को मैटीरियल देती है। मेरी यह गुजारिश है कि इसको एबोलिश किया जाए और मेरे क्षेत्र में एक बड़ा मल्टी स्किल डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट खोला जाए, जिसमें ये सारी सुविधाएं हों।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सी.आर. पाटिल साहब कौशल विकास का जो विषय ले कर आए हैं, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है, जो भारत के हर युवा को समृद्ध बना सकता है। सदन का कोई भी व्यक्ति इससे असहमत नहीं हो सकता है। सशक्त हो सकता है कि पता नहीं इसकी सफलता कितनी होगी। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं और मुझे लगता है कि यह देश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि यह हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर यहां खड़ा हो कर कुछ बोल रहा है, महोदय, मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ाई से फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं गाना गाता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरा गाना मुझे एक अच्छी जगह पहुंचा सकता है और मैं एक दिन संसद में भी बोल सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ एक ऐसा स्प्रिंग है, जिसको आगे लाने की जरूरत है और निश्चित रूप से कल जैसे हमारे कई साथियों ने कहा कि क्या लुहार का बेटा लुहार, राजमिस्त्री का बेटा राजमिस्त्री, क्या नाई का बेटा नाई ही रहेगा, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संस्थागत रूप से इन सारी चीजों को रखा है। आने वाले समय में इसका पूर्ण लाभ हमारे देश के युवाओं को मिलेगा, यह मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक विषय पर बहुत चिंतित हूँ कि आखिर राजमिस्त्री जैसे लोगों को, नाई जैसे लोगों को, लुहार जैसे लोगों को, हमारे गांव में एक राजमिस्त्री है, जो कि चार चार गांवों में घूम-घूम कर काम करते हैं। मेरी यह चिंता है कि इनको अपने कार्य से विरक्ती क्यों हो रही है? हमारे देश की सरकार और यह सदन उनको सम्मानित कैसे करा सकता है, मुझे लगता है कि अगर इस पर हम काम करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कोई ऐसे राजमिस्त्री को पद्म अवार्ड दिया गया, जिसने बहुत अच्छा किया, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा राष्ट्रीय सम्मान मिला, जिसके कारण उसको इस कार्य में लगने की प्रेरणा मिले? यह बहुत ही दुखद है कि जब हम टीवी पर देखते हैं कि लोग अपने-अपने बच्चों को परीक्षा में नकल करा रहे हैं। लोग चार-चार मंजिल पर चढ़ कर अपने-अपने बच्चों को नकल करा रहे हैं। जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनका कितना दोष है, यह तो वे

जानें, लेकिन मैं हर माता-पिता और बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि डिग्री समृद्धि का आधार नहीं है। आपको हुनर पर आना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई के सामान राजीव प्रताप रूडी जी इन पर जरूर ध्यान देंगे। जगह-जगह पर फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, जो दिन पर भर सिर्फ क्राउड के रूप में काम करते हैं, उनको सिर्फ 1000-1100 रुपये प्रति दिन मिलता है। लेकिन वे ट्रेड नहीं हैं। हमारे यहां एक डायलॉग बोलने वाले को पांच हजार रुपये मिलते हैं, लेकिन उनको ट्रेड करने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम फोक म्यूजिशियन को ट्रेड करने की जरूरत समझें, एक फोक म्यूजिशियन एक दिन बजाने का पांच से छह हजार रूपया लेता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था फोक आधार पर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके अलग-अलग इंस्टिट्यूट खोले जाएं तो हम इस स्किल डिपार्टमेंट को और भी आगे ले कर जा सकते हैं। हमारे एक सदस्य ने बहुत ही अच्छा कहा कि हम खेती के प्रति आकर्षण कैसे पैदा करें, यह भी हमारे स्किल का एक हिस्सा होना चाहिए। आपने मुझे बोलने मौका दिया और मैं समझता हूँ कि यह विभाग आने वाले समय में भारत के युवाओं को बहुत ही अच्छा दिन दिखाएगा।

महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ दो लाइन बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ से विदा होकर बहू जाती है तो वह यही कहती है कि "सोना मत दिहा बाबा, चाँदी मत दिहा, बस हुनरवा दिहा ना, ससुरवा हमके पूजे बस सुनरवा दिह ना। " बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडू): मैं सिर्फ कौतुहल खत्म करना चाहता हूँ। सत्र को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, बड़ा दुःख होता है कि हम गम्भीर विषय पर भी बहुत हल्के रूप में सारी बात करते हैं। जिस देश में और जिस देश को बनाने में किसानों, मजदूरों और जवानों का खून-पसीना बहा हो, जिस देश ने 67 सालों में किसानों, मजदूरों और जवानों का सम्मान न किया हो। स्किल इन्डिया की बात हो, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्डिया, मेक इन इन्डिया की बात आप सब लोग यहाँ कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पप्पू जी, जवानों का बहुत सम्मान हुआ है।

श्री राजेश रंजन: कोई सम्मान नहीं हुआ है, जब वह चर्चा आएगी तो उस पर भी आएंगे, वे सब बातें भूल जाइए। तीन अरब लोगों के पास जितनी सम्पत्ति है, उतनी सम्पत्ति मात्र तीन व्यक्तियों के पास दुनिया में है और एक प्रतिशत लोगों के पास दुनिया की अकूत सम्पत्ति हो, सारी 99 प्रतिशत सम्पत्ति उनके पास है। स्किल इन्डिया और डेवलप इन्डिया की बात हम करते हैं, एक तरफ एफडीआई, मॉल, एक तरफ नौकरी से निकालने की व्यवस्था और दूसरी तरफ धनपतियों के द्वारा हजारों-हजार इंजीनियरिंग और आईटीआई, स्कूल और कॉलेज खोलकर लाखों, हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोड़ पर खड़ा करने के लिए छोड़ देना। जिस देश में माँ-बाप जमीन और जेवर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हों और कोई ऐसा विभाग और ऐसी फैक्ट्री नहीं है, जहाँ से आज नौजवानों को निकाला न जा रहा हो, जो रोड़ पर न हों, आत्महत्या न कर रहे हों और वहाँ पर नये हुनर की बात, हुनर देने के बाद उसे आत्महत्या करने पर जिस देश में मजबूर कर दिया जाता हो और नये हुनर की बात की जाती है। यह देखकर, सुनकर बहुत दुःख होता है और यह बात कहना जरूरी था। मैं कहना चाहूँगा कि सुई, धागा जैसी चीजें जो गाँव की सड़कों पर मिलती थीं, आनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की दुकान में अब मिलने लगी हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पहले से ही बढ़ई, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, पेंटर, राजमिस्त्री आदि ये सारी व्यवस्थाएं इस देश में हैं। मैं अपने मित्र विद्वान मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि लोग सीख तो लेंगे, हमारे पास कार है तो हम उसे चलाना सीख लेंगे, लेकिन जो कार चलाना जानता है, उसके पास कार नहीं होगी तो उसके सीखने का क्या फायदा। क्या इसके लिए आपने गाँवों में कोई ऐसी व्यवस्था की है मतलब रोजगार की

सुरक्षा की गारन्टी आपके पास क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसे उसके काम की सही मजदूरी कैसे मिले, इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जितने भी हमारे तकनीकी कॉलेज हैं या आई.टी.आई. से सम्बन्धित कॉलेजेज हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था आप कर रहे हैं, जिसमें कि रोजगार की पूरी गारन्टी उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं उसके कॉलेज के द्वारा इसकी शुरुआत हो। ताकि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर न होना पड़े।

महोदय, मैं अपनी दो-तीन सबमिशन करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं आग्रह करूँगा कि जब तक आप उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, वे कौन से उद्योग हैं, गाँव में जूट का उद्योग है, यह मेरे यहाँ बिहार में है, मेरे यहाँ केला है, मेरे यहाँ बाँस है, मेरे यहाँ काठ है, जिससे बड़ा-बड़ा सुन्दर घर बनता है। हम आपसे दो-तीन बातें जानना चाहेंगे। फूड प्रोसेसिंग के लिए आप स्किल डैवलपमेंट में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? जो किसान सरसों उपजाता है, वह तेल खुद नहीं निकालता, वह उद्योगपति निकालेगा। मैं पॉइंट बताकर खत्म कर रहा हूँ। उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? गांव के कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज और हाउसिंग इंडस्ट्रीज के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आइल इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक एग्रीकल्चर को आप स्किल डैवलपमेंट से नहीं जोड़ेंगे, तब तक स्किल डैवलपमेंट की योजना और मेक इन इंडिया बेकार होगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, जो गाँवों में फलावर है जिसे किसान उपजाता है, उन फूलों से दवाई बनती है, उससे जूस बनता है। तो आप फ्रूट्स के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? जो एनिमल प्रोडक्शन है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जब तक किसान को ध्यान में रखकर आप योजना नहीं बनाएँगे,...(व्यवधान) तब तक आप देश को आगे नहीं ले जा सकते। धन्यवाद।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सी.आर.पाटिल जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, और जिस प्रकार से सदन की रुचि इस विषय पर है और हर सदस्य इसमें भाग लेना चाहता है, मैं बताऊँगा कि इस प्रस्ताव के आने के बाद अभी 30-35 माननीय सदस्यों का नाम वहाँ लंबित है। मैं सदन से आग्रह करूँगा, स्पीकर महोदया ने भी कहा था और मैं आपसे भी कहूँगा कि इस पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है जो सरकारी कामकाज के दौरान हो। यह तो हमारा सौभाग्य है कि सी.आर.पाटिल साहब इस प्रस्ताव को लाए और हम लोग इस पर निजी तौर पर विमर्श कर रहे हैं जिसमें सरकार इनकी बात को सुन रही है। खड़गे साहब ने भी इसमें रुचि दिखाई है और इनका भी यह क्षेत्र रहा है। बार-बार इनकी इस बात पर चिन्ता रही है कि आखिर इतनी बड़ी योजना जो सरकार ने घोषित की है, इसको हम पूरा कैसे करेंगे?

महोदय, मैं एक बात देख रहा था कि जिस प्रकार से भी आप सब लोग कह रहे थे, मैं भी जब इस मंत्रालय में आया तो मुझे लगा कि आखिर में यह क्या है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे-वैसे मैं इस मंत्रालय को समझ रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक सांसद हूँ। मैं भी देहात से हूँ और छपरा से हूँ। हमारे लोक सभा के सदस्य जानते हैं कि सब पीड़ा एक तरफ है - अस्पताल में आप डाक्टर को दिखवा लेंगे, लेकिन जो रोजगार की लंबी कतार हमारे घर के बाहर लगी रहती है, ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: केवल एक मिनट रूडी जी। माननीय सदस्यगण, इस कार्य के लिए आबंटित समय समाप्त हो गया है। हम इसे मंत्री जी के उत्तर तक बढ़ा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : जिस प्रकार से लोग आकर कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमारे लिए संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दिया जाए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में और व्यवस्थित क्षेत्र में जो रोजगार है, वह मात्र 3 करोड़ के आस-पास है। सवा सौ करोड़ के आस-पास के इस देश में सरकार में हम जो रोजगार दे

पाते हैं, वह लगभग 3 करोड़ है और 1 करोड़ के आस-पास व्यवस्थित क्षेत्र में होगा, जिसको हम ऑर्गनाइज्ड सैक्टर कहते हैं। फिर भी हमारे देश में 120 करोड़ में से जो 97 करोड़ लोग हैं, वह एक बड़ी संख्या है जिसके बारे में चुनौती है।

प्रहलाद पटेल जी ने कहा और बाकी सदस्यों ने कहा कि 2009 में इसकी शुरुआत की गई। उस समय वर्तमान सरकार ने तय किया। आज हम उसको विरोधाभास में कह सकते हैं, लेकिन कहीं तो शुरुआत हुई, आपके समय शुरुआत हुई और उस समय की सरकार ने कहा कि 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। यह लगभग 500 मिलियन लोग हैं। यह राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत आया था जो कैबिनेट द्वारा पारित एक नीति थी। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह सच है। लेकिन यह एक बड़ी चुनौती थी। वहाँ 2009 से चलते-चलते हमने एन.एस.डी सी. का गठन किया, एन.एस.डी.ए. का गठन किया और वर्तमान में जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह सचमुच एक चुनौती का क्षेत्र है। जब भी माननीय प्रधान मंत्री जी से मेरी मुलाकात होती है तो कई बार तो वे कहते हैं कि मैं सब काम अलग रखकर एक काम खुद करना चाहता हूँ और वह कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है। अगर किसी भी सांसद या व्यक्ति से पूछा जाए तो हुनर एक शब्द है और इसके बारे में हम लोग सुनते भी आ रहे हैं कि 'हुनर है तो कदर है।' यह एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में इस ताकत को प्रमाणित करता है। अभी हमारे मित्र मनोज जी कह रहे थे कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, आखिर परीक्षा के समय यह आपाधापी क्यों? बिहार में तो यह सामान्य है कि एक बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए पूरा परिवार निकल जाता है। पिताजी भी पढ़ते रहते हैं, भाई साहब भी पढ़ते रहते हैं, माताजी भी पढ़ती रहती हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं। गांव के मददगार लोग आते हैं। एक व्यक्ति की परीक्षा के लिए कोई खिड़की के ऊपर चढ़ा होता है, कोई गेट के बाहर खड़ा होता है और सब लोग उसे परीक्षा दिलाते हैं, क्योंकि हमने साठ वर्षों में जो परंपरा बनायी है, हमने कहा है कि हमारे लिए हमारी डिग्री आवश्यक है। अगर हम मैट्रिक्युलेट नहीं हों, हम आई.ए. पास नहीं हों, हम बी.ए. पास नहीं हों, तो समाज में एक तो हमारी मान्यता नहीं है और दूसरा हमारे पास रोजगार नहीं है। जहां से हम लोगों ने

शुरूआत की, इसकी कई चीजों पर विवाद नहीं किया जा सकता है। जिस सरकार में हम लोगों ने शुरूआत की है कि आखिर में इस पूरे प्रशिक्षण को कामयाब बनाया जा सके। विद्यालय से लेकर फैक्ट्री तक किस मानक के तहत, किस सिलेबस के तहत हम इसको लागू करेंगे, यह तो समझना जरूरी है। इसलिए देश में चार चीजें तय हुईं। पहली चीज को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। यह तकनीकी शब्द दिखता है, लेकिन इस बात को तय किया गया है कि पूरे भारत में, चाहे वह सिलाई का प्रशिक्षण हो, गाड़ी मैकेनिक हो, बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला हो, असेम्बली लाइन पर काम करने वाला हो, फॉरकिलफ्ट ऑपरेटर हो, मेसन हो, प्लंबर हो, जो भी आपकी आंखों के सामने दिखता हो, उसकी पढ़ाई का एक सिलेबस होगा। जैसे हम लोग क्लास-वन से लेकर क्लास-टू, क्लास-थ्री, क्लास-फोर, क्लास-फाइव में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से हर चीज के लिए, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, जो भी सामान्य सिलेबस के बाहर की चीजें हैं, हर चीजों का एक सिलेबस बनना चाहिए। प्लंबर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्राइवर बनने के लिए क्या करना होगा, यह सब तय होगा। हम लोग उसकी मान्यता सरकार के बाहर ले गए हैं। आज तक हम लोग समझते हैं कि सरकारी संस्था ही सर्टिफिकेट्स देती है।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: यह बनने के बाद वह कहाँ जाएगा?

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य, मैं सब बता रहा हूँ।...(व्यवधान)

यह नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जैसे एक वेल्डर होता है तो हम सब लोग यह समझते हैं कि यह वेल्डर है। लेकिन एक वेल्डर वह होता है, जो बड़े-बड़े कारखानों में जो गाड़ियां बनती हैं, तो वह अपना टॉर्च लेकर आता है और अपनी वेल्डिंग मशीन से छः जगह छोटी-छोटी वेल्डिंग करता है। उसके बाद फिर दो मिनट में उस गाड़ी की चेसिस आगे बढ़ जाती है। एक वेल्डर होता है, जो बड़ी-बड़ी गैस पाइपलाइन पर काम करता है, जिसमें उसका टॉर्च अलग होता है। उसमें वेल्डिंग का तरीका अलग होता है। वह भी वेल्डर होता है। उसका मानक अलग होता है। एक वेल्डर होता है, जो समुद्र के भीतर जाता है और उसके अंदर जो ऑयल रिग्स होते हैं, जहां से तेल निकाला जाता है, उसके पाइप की वेल्डिंग

करता है। उसकी क्वालिफिकेशन यह है कि उसे गोताखोर भी होना पड़ेगा और साथ-साथ समुद्र के भीतर जाकर वेल्डिंग का काम भी करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक मानक तैयार करना है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इस काम को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: एक और महत्वपूर्ण संकल्प है। इसे व्यपगत नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: हाँ, हम इसे बहुत जल्द ले लेंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मैंने इस पर ध्यान दिया है और इसीलिए मैंने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया है कि, यदि इसकी आवश्यकता होगी – माननीय अध्यक्ष ने भी उल्लेख किया है – तो हम इसे अगले सत्र में उठाएंगे। लेकिन इस बीच, मैं केवल अपना उत्तर बहुत संक्षिप्त में देने का प्रयास करूंगा ताकि सदस्यों के पास एक संक्षिप्त उत्तर हो सके।

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब : आपकी मुश्किल कम हुई या नहीं?

श्री राजीव प्रताप रूडी : बहुत कम हो गयी।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन: चैम्बर मिला या नहीं?...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, उसे मैं समझ सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है।...(व्यवधान)

महोदय, खड़गे साहब ने कहा कि इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस क्षेत्र में जितने पैसे की आवश्यकता होगी, देश के कौशल विकास के लिए हम देंगे। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन, हमें इस बात को ताकत बनाना है, हमें

इस बात का तरीका बनाना है कि आखिर आप सांसदों के क्षेत्र में यह किस प्रकार से पहुंचे और इसकी एक बड़ी श्रृंखला कैसे बनायी जाए ताकि हम अपने नौजवानों की मदद कर सकें।

महोदय, इस देश में जो अभी वर्तमान वर्कफोर्स है...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आपको इसे कृषि क्षेत्र में करना होगा...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य, मैं जानता हूं कि आप साधन के बारे में कह रहे हैं। अगर कोई तीन महीने का कोर्स हो, चार महीने का कोर्स हो, जब उसके खर्च की बात होती है तो किसी भी व्यक्ति को कौशल योग्य बनाने में, अलग-अलग क्षेत्रों में जो अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, उसके लिए लगभग दस हजार रुपये की खर्च है। मैं जानता हूं कि यह कितनी बड़ी चुनौती है। आज इस देश में लगभग 500 मिलियन लोग अन-ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में हैं। इसमें 54% लोग कृषि क्षेत्र में हैं। वर्तमान में कृषि को थोड़ा अलग रखते हैं, फिर भी नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स लगभग 250 मिलियन है, यानि कि 25 करोड़। उस 25 करोड़ लोगों को, यदि हमें प्रत्येक व्यक्ति को, जो गांवों में हैं, सड़कों पर हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना है और उनके लिए यदि दस हजार रुपये की आवश्यकता हो, और अगर हम 25 करोड़ को दस हजार रुपये से गुना करें तो हमें लगभग पांच लाख करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में चाहिए। यह बड़ा एमाउन्ट है। यह सच्चाई है कि हमें इसकी आवश्यकता है। हमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये प्रत्येक चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं कि किस माध्यम से इसे पूरा किया जाये। हम सी.एस.आर. और टैक्स इजैम्पशन की तरफ जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ा गैप है उसको भर कर, इस देश में संसाधन को पूरा करें।

कठेरिया साहब कह रहे थे कि चिंता कहां है? चिंता वहां है कि हम 66 वर्ष के बाद कहां खड़ा हैं? यह जानना बड़ा जरूरी है। जर्मनी के पूरे वर्कफोर्स का 74 फीसदी लोग आज प्रशिक्षित हैं। जापान में अस्सी प्रतिशत कार्यबल कुशल है। चीन में, लगभग 1.4 अरब की आबादी में, इसके कार्यबल का 47 प्रतिशत कुशल है। ऑस्ट्रेलिया में, यह आंकड़ा 60 प्रतिशत है; यू.के. में, यह 68 प्रतिशत है। इसी तरह, दक्षिण कोरिया में, 96 प्रतिशत कार्यबल कुशल है। भारत में, इसके कार्यबल का केवल दो प्रतिशत कुशल है। अगर यह दो फीसदी है,

तो यह एक वास्तविक चुनौती है। हमने अभी शुरुआत की है। हम देर से हैं, लेकिन हम निराश नहीं हैं; हम निराश नहीं हैं। हमें इसे लेना होगा यह विषय हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है।

जगदम्बिका पाल जी ने यंग वर्कफोर्स के बारे में कहा है। हम 'मेक इन इंडिया' की बात कर रहे हैं। आज जी.डी.पी. में विभिन्न सैक्टरों का योगदान देखें। आज, भारत में सबसे अधिक प्रशिक्षण, सेवा क्षेत्र में, आतिथ्य क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में हो रहा है। जब तक हम मैनुफैचरिंग के तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक ऐक्चुअल वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। मैनुफैचरिंग की तरफ जाने के लिए निवेश की जरूरत है, बड़े फैक्ट्रियों से संबद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि आज इंडस्ट्रीयल जी.डी.पी. 24-25 प्रतिशत है, उसमें 12 प्रतिशत मैनुफैचरिंग है, जिसको हमें 20-22 प्रतिशत तक पहुंचाना है। एग्रीकलचर एलाइड सैक्टर लगभग 14 प्रतिशत है। हर क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है।

अगर हम मान कर चलें कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद 8-9 प्रतिशत तक रहेगा। वर्ष 2022 तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 10 करोड़ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। ऑटो और ऑटोमोटिव केयर में, गाड़ी चलाने से लेकर गाड़ी निर्माण के क्षेत्र में, लगभग सवा तीन करोड़ लोगों की आवश्यकता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सवा तीन करोड़ लोगों की आवश्यकता है। हेल्थ केयर सैक्टर में, मैं नर्सिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उनके नीचे जो वार्ड अटैन्डेन्ट होते हैं, उनकी आवश्यकता इस देश में लगभग सवा तीन करोड़ है। देश का सबसे बड़ा इम्प्लॉयमेन्ट का क्षेत्र टेक्सटाइल है, उसमें दो करोड़ लोगों की आवश्यकता है। अगर उन्हें हम डिमाण्ड से जोड़ कर देखें तो यह तभी पूरा हो पायेगा जब हम लोगों को प्रशिक्षण दे पायेंगे।

हमने रिसोर्सेज के बारे में बात की है। चिंता कहा है? मुझे लगता है कि अभी सरकार ने देखा है कि अभी हम लगभग साढ़े छः हजार से सात हजार करोड़ रुपए विभिन्न मंत्रालयों में योजना चला कर खर्च कर रहे हैं। उनमें से चार मंत्रालय को लिया गया है, जिनमें से श्रम मंत्रालय को बड़ी पूंजी दी गयी थी।

वर्ल्ड बैंक ने एक इंडीपेन्डेन्ट असेसमेन्ट किया है और यह पाया गया है कि आज की तारीख में जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वर्तमान व्यवस्था के तहत

उन 100 प्रशिक्षित लोगों में मात्र 27 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है, यह बड़ी चिंता की बात है। आज की व्यवस्था में प्रशिक्षित, जिन 27 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा है, एक वर्ष के बाद उनमें से 60 प्रतिशत लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने तय किया है कि पूरे विषयों का मानक तैयार करके, हम जो भी प्रशिक्षण दें कि उनकी योग्यता ऐसी हो कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार मिल जाय, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है।

महोदय, एक सर्वेक्षण किया था कि आज जो एम.बी.ए. ग्रेजुएट निकलते हैं, उनमें से मात्र 10 प्रतिशत एम.बी.ए. ग्रेजुएट इम्प्लॉयबल हैं, यानि कोई कम्पनी उनको रखने के लिए तैयार है। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इस देश में निकलते हैं, उनमें 100 में 17 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको हम अपने या कम्पनियां रोजगार के लिए ले सकते हैं। यह सच्चाई है। आखिर ऐसी डिग्री का क्या मतलब है?

एक माननीय सदस्य ने एसपीरेशन के बारे में कहा है। आज इश्तेहार में निकलता है कि मेरा होने वाला दामाद बी.ए. एम.ए. डॉक्टर या इंजीनियर हो, हम माननीय मोदी जी के सरकार में उस दिन के इंतजार में हैं, जिस दिन अखबारों में इश्तेहार हो कि मेरा होने वाला दामाद चीफ प्लम्बर, चीफ कारपेन्टर है, और वह मेरा दामाद बनेगा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये होगी। यह एसपेरेशन बदलना है क्योंकि उसकी मान्यता नहीं हो पा रही है। आज व्यक्ति के पास हुनर है, लेकिन उसके हुनर की पहचान नहीं बन पा रही है। यह शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करने के बाद हो सकता है। यह कैसे हो सकेगा, हम बताएंगे।

अगर विश्व का नक्शा देखें तो पेरू एक देश है। वह यहां से 17 हजार किलोमीटर दूर साउथ अमरीका में है। पता नहीं जाने में कितना समय लगेगा। वहां की एम्बेसी ने हमें सूचित किया कि भारत से यहां की कम्पनियां वीजा मांग रही हैं। हमने छानबीन की कि पेरू से 17 हजार डाक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, रॉकेट साइंटिस्ट आ रहे हैं। उस देश में मात्र ढाई सौ भारतीय हैं। पेरू में इंग्लैंड और कनाडा की तरह भारत के लोग नहीं हैं। शायद उनकी भाषा भी अलग होगी। पता चला कि वहां से फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, जो आप रोज देखते

हैं, उसका वीजा कम्पनियां ले रही हैं। लॉग होल्ड ड्रिल ऑपरेटर के लिए वीजा दे रही हैं ताकि भारत में आकर वे चलाएं। इस देश में 66 साल बाद बड़े डम्पर्स चलाने के लिए, लॉग होल्ड ऑपरेटर्स चलाने के लिए, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर्स चलाने के लिए भारत में 17 हजार किलोमीटर दूर से लोग आकर वेतन कमाकर चले जाएं, यह चिन्ता का विषय है। मैं आपको यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आखिर हम इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की आबादी वैसे ही बहुत कम है। जैसे हमारे यहां बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, वैसे ही उनका एक प्रांत है जिसकी आबादी 1.10 लाख के आसपास है। वहां 1,032 क्वालीफिकेशन पैक्स हैं, यहां तक कि हमारे यहां जो आईपीएस बनता है, पुलिस की नौकरी करता है, एसपी, डीएसपी बनता है, उनके यहां आईपीएस ऑफिसर की बहाली के लिए सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग होती है, वह स्किल इंस्टीट्यूट में जाता है। सिपाही की ट्रेनिंग का भी स्किल टैस्ट होता है, क्वालीफिकेशन पैक होता है। वह शिक्षा नहीं होती, यूपीएससी का इम्तहान नहीं होता। यह देखा जाता है कि बचपन से लेकर थोड़ी पढ़ाई, उसके बाद प्रशिक्षण, यह अच्छा सिपाही बनेगा, अच्छा दरोगा बनेगा या अच्छा एसपी बनेगा। यह उसके शिक्षा काल में तय हो जाता है। जब वह निकलकर आता है तो उसे सरकार वहां नौकरी देती है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा ने निर्णय लिया है कि 2016 तक प्रत्येक रोजगार या प्रत्येक संगठन जो कौशल विकास प्रदान कर रहा है, उसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के साथ जुड़ना होगा। यह भी तय हुआ है कि वर्ष 2020 तक भारत सरकार की तमाम नियुक्तियों में आपके सर्टीफिकेट में अगर स्किल नहीं होगा तो आपकी योग्यता सरकारी नौकरी के लायक नहीं होगी। यह बड़े परिवर्तन की व्यवस्था की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह बहुत दूर तक जाएगा।

महोदय, समय कम बचा हुआ है। हम अभी तक सरकार से बड़े जुड़े रहते हैं। सैक्टर स्किल काउंसिल जिसकी आपके समय में शुरुआत हुई, उसमें 33 सैक्टर स्किल काउंसिल हैं। अगर मैं ऑटोमोटिव केयर में हूँ, टायर इंडस्ट्री, लैडर इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे इंडस्ट्री में काम करने के लिए किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, शायद आईटीआई पर उन्हें विश्वास नहीं है, इंडस्ट्री तय कर रही है कि हमारा क्वालीफिकेशन पैक क्या हो। मैं उदाहरण

के तौर पर बताना चाहता हूँ। मान लें मैं पायलट हूँ। पायलट के रूप में जहाज उड़ाना जानता हूँ, लेकिन साथ ही नेविगेशन भी जानता हूँ। वह एक अलग कोर्स होता है। मैं एयर ट्राफिक कंट्रोलर का काम भी जानता हूँ क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन करता हूँ। यह मिलाकर क्वालीफिकेशन पैक है। एयर ट्राफिक कंट्रोलर अलग से भी अपनी नौकरी कर सकता है। नेविगेशन, मेट्रोलॉजी में भी व्यक्ति अलग से नौकरी कर सकता है। पायलट अलग से भी प्रशिक्षण का काम कर सकता है। इसके तहत 33 सैक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए गए हैं। सैक्टर स्किल काउंसिल हमारे और आपके लोगों का नहीं हैं, यह इंडस्ट्री का है और इंडस्ट्री बॉडी तय करती है कि इतने हजार लोगों को इम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए आखिर किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। उसके मोबिलाइजेशन का काम करती है, उसकी ट्रेनिंग के लिए सिलेबस बनाती है, उसको हम लोग क्वालिफिकेशन पैक कहते हैं। उस सिलेबस का एसेसमेंट का तरीका होता है, वह एसेसमेंट करती है और फिर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हमारा प्रयास है कि देश की हर फैक्ट्री चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसकी मान्यता बढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन पैक के तहत सेक्टर स्कील काउंसिल का सर्टिफिकेट देश में सर्वोत्तम हो तभी इस देश में कौशल विकास दिए जाने वाली डिग्री की अहमियत स्थापित हो सकती है।

महोदय, कल सुषमा स्वराज जी के साथ मेरी बैठक थी। सुषमा जी ने कहा कि मिडल ईस्ट में लगभग छह हजार लोग जेलों में बेद हैं। कुछ लोग यहां से रिक्रूट करके ले जाते हैं, हाऊस हेल्पर और कई तरह के काम के लिए ले जाते हैं, उनकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है। उन्हें ड्राइवर बना कर ले जाते हैं, अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, सऊदी अरब में एक गरीब आदमी को फांसी की सजा दी गई है, उनका कानून अलग है। उनका उचित तरीके से प्रशिक्षण नहीं हुआ, अब हमने तय किया है कि जब तक स्कील ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा हम भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति को अनुमति नहीं देंगे। हम उसे जेल जाने की अनुमति नहीं देंगे। हम लोगों को डिफेंस में ट्रेनर की जरूरत है। डिफेंस सेक्टर से 50 हजार लोग जो बीस साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई है, हम 50 हजार लोगों को जब उनकी नौकरी का अंतिम साल होगा उनको ट्रेनिंग दिलाकर या तो वे ट्रेनर के रूप में बाहर आएंगे या इन्टरप्रन्यूर के रूप में बाहर जाएंगे।

देश में फौजियों की एक बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था। इंडियन रेलवे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है, उसके पास शेड है, प्लेटफार्म है, पानी है, बिजली है। ...([अनुवाद] व्यवधान) महोदय, मुझे समाप्त करना है। ... (व्यवधान) मैं आपके पास वापस आऊंगा। इंडियन रेलवे के पास एक चीज है जो किसी भी संस्था के पास नहीं है, वह है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, रेलवे के पास 47,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। गांव-गांव के कैचमेंट एरिया में कम्प्यूटर लगाने के लिए वहां वर्चुअल ट्रेनिंग की व्यवस्था करा सकते हैं। रेलवे वहां पहुंचती हैं जहां सड़क भी नहीं पहुंचती है। हम नए-नए विचार लेकर आ रहे हैं। उसमें सदन का समर्थन चाहिए। खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी, मुनियप्पा जी और भतृहरि महताब जी का समर्थन चाहिए, यह बड़ा काम है और सभी का काम है, हुनर है तो कदर है। मेरे पास और भी कई चीजें हैं। मेरे पास समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि श्री निशिकांत दुबे जी अपना अगला प्रस्ताव पेश करें। इसलिए, मैं श्री पाटिल जी से इसे वापस लेने का अनुरोध करूंगा। सरकार इस पर पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं उनसे इसे वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री सी. आर. पाटील (नवसारी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं लेकर आया था, उस पर सभी साथियों ने अपने विचार प्रकट किए और जिस तरह से मंत्री जी ने जिस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में बताया। मैं अपना प्रस्ताव विद्रा करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं?

श्री सी.आर. पाटिल: महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: क्या सदन की इच्छा है कि श्री सी.आर. पाटिल जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव वापस ले लिया जाए?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अपराह 05.58 बजे

(2) कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम जो देश के विभिन्न हिस्सों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं

माननीय उपाध्यक्ष: अब मद संख्या .31 को लिया जाएगा। श्री निशिकांत दुबे

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों, जो देश के विभिन्न भागों में दयनीय दशा में रह रहे हैं, के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम उठाए।"

जब हम कश्मीर की बात करते हैं तब कश्मीर के इतिहास, भूगोल, पहाड़ और झरना की बात करते हैं, लेकिन जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को देखते हैं, क्योंकि हम उसे यूनाइटेड कश्मीर मानते हैं। कश्मीरी पंडित देश के कई इलाकों में विस्थापित हैं। खासकर जब जम्मू के इलाकों में जाकर देखते हैं। भारत दुनिया में एकमात्र देश होगा जो स्थानीय नागरिक है वही विस्थापित हो गया। जब उसकी पुनर्वास की बात आती है तो हम पीछे रह जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2008 में एक बहुत बड़िया पैकेज अनाउन्स किया और 1612 करोड़ रुपये कश्मीरी पंडित के विस्थापित लोगों को वहां स्थापित करने के लिए दिया। कश्मीर वैली के जो कश्मीर पंडित विस्थापित हो गए हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

सायं 06.00 बजे**राज्य सभा से संदेश --- जारी।**

महासचिव: माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी होगी:-

“राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 20 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2015 पर बिना किसी संशोधन के सहमति दे दी है जिसे लोक सभा ने 4 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में पारित किया था।”

माननीय उपाध्यक्ष: अब, 6 बजे हैं। हम 'शून्य काल' को जारी रख रहे हैं। मैं सदन की इच्छा जानना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि सभी सदस्य सभा की कार्यवाही 'शून्य काल' समाप्त होने तक बढ़ाने पर सहमत होंगे।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे में एक बड़ा हादसा हुआ है। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी लैंड एक्वीजिशन बिल पर बहुत हल्ला हुआ है। मैं जिस इलाके से आता हूँ, वहाँ संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट लागू है। वह इसलिए लागू है, क्योंकि वर्ष 1855 में जो संथाल म्यूटनी हुआ था, उस म्यूटनी के बाद अचानक अंग्रेजों ने वर्ष 1872 में संथाल सेटलमेंट कमिशन बनाया। संथाल सेटलमेंट कमिशन के कारण उस इलाके में रहने वाले लोग अपनी जमीन खरीद-बेच नहीं सकते और न ही उसमें स्कूल, कालेज या मदरसा नहीं बन सकता। इसलिए वहाँ डेवलपमेंट रुका हुआ है। वहाँ के 70 परसेंट लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि वर्ष 1932 में एक रेस्सल कमेटी की रिपोर्ट आयी थी, जिसने यह कहा था कि आदिवासी को छोड़कर जितने भी गैर-आदिवासी हैं, उनको जमीन खरीदने-बेचने का अधिकार दे देना चाहिए। लेकिन वर्ष 1949 के कानून के बाद भी यह लागू नहीं हो पाया है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि आप सारे कानूनों में संशोधन कर रहे हैं, तो वे एस.पी.टी. एक्ट में संशोधन करें, जिससे वहाँ रहने वाले जो दीपू हैं, उनको जमीन खरीदने-बेचने का अधिकार मिल पाये। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: हम हर रोज सुनते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चलेगी। ... (व्यवधान) लेकिन यात्रियों की सुरक्षा का क्या? ... (व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा यह जानकारी सभा में लाई गई है। मेरे पास यह मानने का पूरा कारण है कि उन्होंने यह समाचार सुना होगा कि संभवतः रेल दुर्घटना हुई है और लोगों की जान चली गई है। यह बहुत चिंता का विषय है। कोई भी दुर्घटना और इतने सारे लोगों की जान जाना सरकार के लिए चिंता का विषय है। हम सराहना करते हैं कि आप इस बात को लेकर आए हैं। लेकिन मेरे पास जवाब देने के लिए तथ्य नहीं हैं। चूंकि सभा की बैठक लगभग समाप्त हो रही है, इसलिए मैं आपको आश्चस्त कर सकता हूं कि सरकार सभी आवश्यक संभव राहत प्रदान करेगी। हम सभी यह समझते हैं कि अगर ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो यह चिंता का विषय है। हम आपकी बात की सराहना करते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। आम तौर पर, जब सत्र चल रहा होता है और ऐसी घटना होती है, तो सरकार सभा को सूचित करती है कि कितने लोग मारे गए हैं; कितने लोग घायल हुए हैं; क्या उपाय किए गए हैं; मुआवजा क्या है? ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी पहले ही इस बारे में सूचित कर चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, यह घटना चार घंटे पहले घटी थी। ... (व्यवधान) यह एक ताज़ा खबर है।
... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, मुझे मेरे मित्र, श्री सदानन्द गौड़ा जी ने सूचित किया है कि रेल राज्य मंत्री, श्री मनोज सिन्हा जी वहां गए हैं। हमें अंतिम स्थिति के बारे में बताने तक इंतजार करना होगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सरकार पहले ही जवाब दे चुकी है तथा रेल राज्य मंत्री पहले ही वहां जा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ही जरूरी चीज को जोड़ना चाहता हूं। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो स्कूलों में सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा में पढ़ते हैं, वे बड़े होकर डाक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहते हैं। उनको पढ़ने से केवल किताबी ज्ञान मिलता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो अपने जीवन में कोई करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी डाक्टर बनना चाहता है, तो वह पूरा एक दिन डाक्टर के साथ बिताये। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो पूरा एक दिन वह इंजीनियर के साथ बिताये, कोई पायलट के साथ पूरा दिन बिताये। इससे उन्हें अपना करियर चुनने में सुविधा होगी। इससे उनमें निष्ठा का भी जन्म होगा, जो उसके करियर में एक नया आयाम छूने के लिए बहुत अच्छा प्रावधान हो सकता है। इसके साथ-साथ करियर के प्रति उसका जो नजरिया है, वह भी निखर कर सामने आयेगा। करियर च्वाइस और अपनी शिक्षा के प्रति वह बहुत निष्ठावान हो सकता है।

मैं शिक्षा मंत्रालय से इस बात की प्रार्थना करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, हुक्म देव जी कुछ दिन पहले कहा था कि लगातार प्राइमरी स्कूल से लेकर तकनीकी, मेडिकल कॉलेज में डोनेशन की परंपरा बढ़ती जा रही है और रिएडमिशन के नाम पर शोषण हो रहा है। खास तौर पर मध्यम वर्ग के छात्र और किसान के बच्चों को इससे परेशानी हो रही है। अब देश में डोनेशन और रिएडमिशन संस्कृति बन गई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसे समाप्त किया जाए। मैं बिहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि आज भी चार से आठ हजार बेटियाँ तकनीकी एजुकेशन नहीं ले पा रही हैं। मिडल क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की संख्या अभी तक लाख और करोड़ तक नहीं पहुंच सकी है। बिहार में मिडल और प्राइमरी शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। इस देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, निजी प्राइवेट स्कूल शोषण कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए हर परिस्थिति में कानून बने ताकि डोनेशन और रिएडमिशन की परंपरा खत्म हो सके।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में जिला मुख्यालय करवी में पिछले तहसील दिवस के दिन ओला पीड़ित किसानों, गरीब महिलाओं एवं वृद्धों पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बर्बर लाठी चार्ज किया गया। एक लेखपाल आठ गांव में लगे हैं, वे रिपोर्ट ठीक से नहीं बना रहे हैं। उनका दोष केवल इतना था कि वे ओला वृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट ठीक से न बनने की शिकायत लेकर गए थे। लाठी चार्ज से दर्जनों लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों की हालत गंभीर है। महिलाओं की बेइज्जती की गई है, उनके कपड़े और अंतरवस्त्र तक फट गए हैं। यहां सैंकड़ों की भीड़ थी। यहां सौ फीसदी फसल नष्ट हो गई है जिस कारण शादियां स्थगित कर दी गई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी उस क्षेत्र का दौरा करें और राहत देने का पर्याप्त इंतजाम करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अनूप मिश्रा – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सेना की जमीनों का कुछ भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं उनके राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करके कुछ लोगों को बेचा जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सेना की जमीनों को चिह्नित करके बड़े बोर्ड लगाए जाएं और जिन लोगों ने राजस्व कार्डों में हेराफेरी की है, जांच कराकर उन्हें दंडित किया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता कोथापल्ली (अराकु): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूँ।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ज्ञात एकीकृत जनजातीय कार्य योजना पहली बार वर्ष 2010 में शुरू की गई थी जिसके तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। भारत के अट्टासी जिले वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त हैं तथा उनकी पहचान वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के रूप में की गई है। उन्हें प्रति जिला रु. 30 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। मेरा क्षेत्र अराकु सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है और अराकु निर्वाचन क्षेत्र के चार जिले इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

सरकार की मंशा बहुत सराहनीय है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में एक महत्वपूर्ण बात लाना चाहती हूँ, जिसका मैं पिछले कुछ दिनों से उनसे संपर्क करने के लिए इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि जो अनुदान दिए गए हैं – 2013-14 के लिए रु. 60 करोड़ और 2014-15 के लिए रु. 40 करोड़ - अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों समेत लगभग सभी कार्य, रोक दिए गए हैं और काफी अशांति है। अतः, मैं आपके माध्यम से, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि, कृपया इन अनुदानों को समय पर जारी किया जाए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिबा राव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के बारे में सदन में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देश में सबसे पहले महिला शिक्षा की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने की थी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। देश की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्रीबाई फुले ने काम किया।

जाति प्रथा की बुराई की बात हो या असमानता के खिलाफ उनका संघर्ष हो या विधवाओं की अमानवीय दशा सुधारने की बात हो, इन सभी कामों में इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा और इसीलिए विधवा पुनर्विवाह हो या महिला शिशु सुरक्षा सहित कई सारे मसलों पर इन दोनों ने बहुत काम किया। उस समय बाल हत्या प्रतिबंध ग्रुप की स्थापना उन्होंने की और घर का पानी सभी लोगों के लिए उन्होंने खुला किया था। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि इनका सामाजिक काम देखते हुए महात्मा ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री ए.टी. नाना पाटिल जी, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी, और श्री रतन लाल कटारिया जी को श्री राजीव सातव जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं गोदावरी नदी के प्रदूषण से संबंधित एक मुद्दा उठा रहा हूँ।

इस पवित्र नदी में औद्योगिक अपशिष्टों के साथ-साथ घरेलू अपशिष्टों को छोड़ने के कारण गोदावरी नदी बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो रही है, जिसका सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्काल समाधान किए जाने की आवश्यकता है। नदी में सीवरेज छोड़ा जा रहा है, और इस तरह की प्रथा को तुरंत रोकने की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कम से कम रु. 500 करोड़ की धनराशि आबंटित करके गोदावरी नदी की सफाई के लिए एक रोडमैप तैयार करें। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

श्री राधेश्याम बिस्वास (करीमगंज): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, धन्यवाद। मेरा संसदीय क्षेत्र, करीमगंज, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सुतारखंडी, असम में एक सीमा व्यापार केंद्र है, जो वर्ष 2009 से काम कर रहा है। व्यवसायियों, विदेशों में पढ़ने के इच्छुक छात्रों, हज यात्री और लोगों के अन्य वर्गों के लिए भी उस क्षेत्र में पासपोर्ट की भारी मांग है। लेकिन भौगोलिक बाधाओं, बाधित सड़क संपर्क तथा लम्बी दूरी, लगभग कि.मी. 340, के कारण स्थानीय लोगों के लिए गुवाहाटी से पासपोर्ट प्राप्त करना असुविधाजनक है, जो काफी महंगा भी पड़ता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि इस क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाए। हाल ही में, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नया पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी।

अतः, मेरा इस महती सभा के माध्यम से, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि, सुतारखंडी व्यापार केंद्र के पास करीमगंज में, एक पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाए।

^{24*} श्री आर. पार्थिवन (थेनी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इस अवसर के लिए धन्यवाद। मैं माननीया पुरात्वीथलाइवी अम्मा जी को इस महती सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे थेनी निर्वाचन क्षेत्र में, आम, कटहल, केला और अंगूर जैसे फल बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण इन फलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरा आग्रह है कि किसानों की सुरक्षा के लिए थेनी जिले में शीतगृह की सुविधा स्थापित की जाए। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फल उत्पादन का लाभ उठाने के लिए, फलों के रस का कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि वह अपने क्षेत्र से विदेशों में बड़े पैमाने पर केले के निर्यात के लिए आवश्यक उपाय करे। मैं केंद्र सरकार से थेनी निर्वाचन क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का आग्रह करता हूँ। पश्चिमी घाटों के घने जंगलों से घिरे थेनी क्षेत्र में नकदी फसलें उगाई जाती हैं। प्रायः जंगली जानवर इन नकदी फसलों को नष्ट कर देते हैं जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। यहां तक कि आम जनता भी पशु-मानव संघर्षों से प्रभावित होती है। मैं आग्रह करता हूँ कि वन विभाग किसानों, आम जनता और खड़ी नकदी फसलों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाने के लिए आवश्यक उपाय करें। जैसा कि थेनी जिला केरल की सीमा में, कई किसान इलायची की खेती करते हैं। केंद्र सरकार को, खुले बाजार में इलायची की फली पर प्रतिबंध लगाने के अलावा, इलायची की फली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए। धन्यवाद।

^{24*} मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

श्रीमती के. मरागाथम (कांचीपुरम): महोदय, मैं माननीय नेता मक्कालिन मुधलवार पुरात्ची थलाइवी, अम्मा, की सदैव आभारी हूँ, जिनके कारण मैं आज यहां हूँ।

मैं आपका ध्यान भारत में ग्राम डाक कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। वे विभिन्न माध्यमों से डाक विभाग की आय का मुख्य स्रोत हैं जैसे ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियां; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जो पूरे भारत में 96,375 शाखा डाकघरों में कार्य करता है; और ग्रामीण क्षेत्रों में कई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं।

वे पिछले 150 वर्षों से ग्रामीण भारत के नुक्कड़ और कोने में 8 से 10 घंटे से अधिक समय से बहुत कम वेतन के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि डाक विभाग द्वारा उन्हें प्रति खाता केवल 50 पैसे प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है। उन्हें पेंशन, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। उनकी समस्याएँ डाक विभाग के कर्मचारी विरोधी रवैये के कारण हैं, और उनकी उचित शिकायतें डाक विभाग के पास वर्षों से लंबित हैं।

पिछले सप्ताह, देशव्यापी हड़ताल भी हुई थी। मैं माननीय संचार मंत्री और केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि वे इस विषय पर गौर करें और जल्द से जल्द न्याय करें।

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय से यह मांग करता हूँ कि आंतरिक रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं को सैन्य प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए मेरे अम्बाला लोक सभा क्षेत्र में एक डिफेन्स यूनिवर्सिटी खोली जाए। मेरा क्षेत्र एक मिलिट्री बेस है, जहाँ पर भारत की सबसे बड़ी थल सेना और वायु सेना का केन्द्र है। वहाँ पर पूरे साल भर्ती चलती रहती है। आप जानते हैं कि कोई भी देश रक्षा क्षेत्र में भारत को आधुनिक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। अभी नाम मात्र की सौ करोड़ रुपए की एफडीआई आ पाई है। मेरी यह मांग है कि हमारे

युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, ताकि वे अपने देश में ही जगुआर विमान, पनडुब्बियाँ बनायें। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मैं यह मांग करता हूँ कि रक्षा मंत्री जी मेरे लोक सभा क्षेत्र डिफेन्स सेक्टर में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक डिफेन्स यूनिवर्सिटी खोलें।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ।

भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के तहत सरकार द्वारा किसानों को वर्ष 2014-15 से पहले जो सोलर पंप लगाने के लिए 86 पर्सेंट सब्सिडी प्रदान की जा रही थी और सोलर पंप की कॉस्ट पाँच लाख रुपए की थी। सरकार को किसानों को इसके पार्ट्स के लिए 70 हजार रुपए का भुगतान करना होता था, पर इसके बाद सब्सिडी को घटा दिया गया है, इसे 70 प्रतिशत कर दिया गया है। उसके बाद किसानों पर जो 1.74 लाख रुपए का जो कॉस्ट आया है, किसानों की हालत वैसे भी बहुत खराब है, वे इतनी बड़ी धनराशि जमा कराने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए मैं सरकार से यह विनती करता हूँ कि इसे वैसे का वैसा रखा जाए।

इसी प्रकार से हमारे लोक सभा क्षेत्र में और राजस्थान के अन्य इलाकों में जो सिंचित एरिया है, वहाँ डिग्गी बनाने के लिए 50 पर्सेंट की सब्सिडी थी, उसे घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार से मेरी मांग है कि इसे यथावत रखा जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी जी को श्री राहुल कस्वां जी द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र और आसपास के संसदीय क्षेत्र पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर के लोग दक्षिण भारत के शहरों में व्यावसायिक कार्यों के दृष्टिकोण से रहते हैं। वे अनेक वर्षों से वहाँ निवास करते हैं और दक्षिण भारत के कई शहरों के कई विधाओं की इकोनॉमी में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं, उनके आवागमन के साधन के लिए जो रेल चलती है, 15 वर्ष पूर्व जोधपुर से चेन्नै के लिए एक ट्रेन शुरू हुई थी। जिस दिन यह शुरू हुई थी, तब से अब

तक यह साप्ताहिक ट्रेन के रूप में चल रही है। इसके आतिरिक्त पुणे के लिए जो ट्रेन चलती है, वह सप्ताह में दो दिन चलती है। मुम्बई के लिए जो ट्रेन चलती है, वह सप्ताह में एक दिन चलती है। ऐसे में वहाँ जो काम करते हैं, उनके परिवार में आठ-दस लोग रहते हैं, यदि कोई दुर्घटना या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पास वापस घर लौटने का कोई अन्य साधन नहीं होता है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं? आप मुझे यह बताइए।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलती है, उस पर इतना दबाव है कि जब दो महीने पहले रिजर्वेशन शुरू होता है, जिसे अभी माननीय रेल मंत्री जी ने चार महीने कर दिया है, तो पहले ही पाँच मिनट में पूरी ट्रेन बुक हो जाती है। उन लोगों को बिना रिजर्वेशन के यात्रा करनी पड़ती है या किसी अन्य ट्रेन से आना पड़ता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि ये जो हमारी साउथ इंडिया से जोड़ने वाली ट्रेन्स हैं, उन ट्रेनों के फेरे बढ़ाये जाएं और इन्हें नियमित किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी जी को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी द्वारा उठाए गए मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

प्रो. चिंतामणि मालवीय – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदय, खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ।

2 दिसम्बर, 2014 को तारांकित प्रश्न संख्या 121 में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र सतना में खेल-कूद सम्बन्धित इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण सुविधा देने हेतु पूरक प्रश्न पूछा था। जिसके जवाब में मंत्री जी ने आश्चस्त किया था कि सतना में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए और प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज करने एवं उनको प्रशिक्षण देने के लिए एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा, किन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ और उन्होंने यहां पर जो आश्वासन किया था, उसे पूरा करें ऐसा निवेदन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन (शिवगंगा): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, तमिलनाडु में हमारी प्रिय नेता अम्मा जी ने कृषि उत्पादन को दोगुना करने और कृषि आय को तीन गुना बढ़ाने की योजना बनाई। नारियल विकास बोर्ड एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना राज्य सरकार के प्रयास पर की गई। नारियल उत्पादकता में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा नारियल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

यद्यपि तमिलनाडु देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन तमिलनाडु के नारियल उत्पादक किसानों को केंद्र से आनुपातिक सहायता नहीं मिल रही है। इन दिनों नारियल के पेड़ कई कारकों से प्रभावित होते हैं। केरल में ऐसे प्रभावित बागानों को पुनः वृक्षारोपण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में रु. 641 करोड़ मिले, जबकि तमिलनाडु को आनुपातिक मुआवजा नहीं मिल सका। यह कहा गया है कि केवल नारियल उत्पादक कंपनियां ही विभिन्न केन्द्रीय प्रोत्साहन पाने के योग्य हैं। केरल में 12 ऐसी कंपनियां हैं, कर्नाटक में चार हैं, जबकि तमिलनाडु में हमारे पास कोई नहीं है।

हाल ही में तमिलनाडु लघु कृषक कृषि कृषि व्यापार संघ ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पुदुक्कोट्टई जिले में पहली नारियल किसान उत्पादक कंपनी की सिफारिश की है। मैं केंद्र से आग्रह करता हूँ कि ऐसी नारियल किसान कंपनी को उचित अनुमोदन प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे रेल यात्रियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया।

हमारे देश में यात्रा का प्रमुख साधन रेलवे है। छुट्टियों में यात्रियों की संख्या आधिक होने से रेल टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता। ऐसे में एजेंट आदि सक्रिय हो जाते हैं। जब दो माह पहले टिकट मिलने लगता है, तभी ये लोग टिकटों की खरीद-फरोख्त आरम्भ कर देते हैं। कन्फर्म तत्काल टिकट के लिए यात्रियों से दोगुना तक धनराशि वसूल की जाती है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए कई एजेंट्स ने खुद के सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रखे हैं, जिसमें पैसेंजर डिटेल्स एक दिन पहले ही भरी जा चुकी होती हैं। टिकट मिलना प्रारम्भ होने पर वे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे आम आदमियों को टिकट नहीं मिल पाता।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से इन महत्वपूर्ण बातों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को इस मुद्दे पर श्री पी.पी. चौधरी जी के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति है।

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलौंग): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, मेघालय में गैर सरकारी संगठन, मुख्य रूप से ईसाई, जो धर्मार्थ संगठन होने के आधार पर आयकर छूट का दावा करते हैं वे फॉर्म 10क भरते थे और शिलौंग स्थित आयकर कार्यालय में धारा 12क के तहत पंजीकरण कराते थे, जो उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल और बहुत सुविधाजनक था। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, पूरी प्रक्रिया को सिलिगुड़ी और कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे कनेक्टिविटी और भाषा संबंधी समस्याओं के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसलिए, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे मेघालय में एन.जी.ओ. को शिलौंग स्थित आयकर कार्यालय से धारा 12अ के अंतर्गत आयकर छूट प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति देने की पुरानी प्रथा को बहाल करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत की ऋषि परम्परा के अन्यतम मनीषी थे। राजनीति उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं। उनकी आस्थाएं शताब्दियों पराने अक्षय राष्ट्रजीवन की जड़ों से रस ग्रहण करती थीं। भविष्य के निर्माण के लिए वह भारत को समृद्धिशाली आधुनिक राष्ट्र बनाने की कल्पना लेकर चले थे। उन्होंने सदैव आदर्शों पर बल दिया तथा सिद्धांतों के लिए जीना सिखाया। उनका व्यक्तित्व बहुत ही सहज एवं सरल था। राजनैतिक क्षेत्र में वह शुचिता एवं प्रमाणिकता के प्रतीक थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था की वह एकात्मवादी दृष्टि दी जो उपभोक्तावादी दर्शनों, साम्यवाद और पूंजीवाद की विफलताओं के सामने तीसरे रास्ते का विकल्प प्रस्तुत करती है। अन्त्योदय उनका लक्ष्य था। सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए उनका व्यक्तित्व अत्यन्त प्रेरणास्पद है।

उपाध्यक्ष जी, इस वर्ष 25 सितम्बर से उनका जन्मशती वर्ष प्रारम्भ होगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दीनदयाल जी के जन्मशताब्दि वर्ष में उनकी एक भव्य प्रतिमा संसद परिसर में स्थापित की जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. सत्य पाल सिंह जी और श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी द्वारा उठाए गए मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

^{25*} श्री आर.के.भारती मोहन (मयिलाडुतुरै):माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इस अवसर के लिए धन्यवाद। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तमिलनाडु की सरकार सेवा के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को रोजगार प्रदान करती है। लेकिन बी.एस.एन.एल. द्वारा अपनाए गए वर्तमान दिशानिर्देश, संगठन में सेवा करते हुए दिवंगत हुए बी.एस.एन.एल. कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को समय पर, अनुकंपा के आधार पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं। यह बहुत चिंता की बात है। पहले से ही कमाने वाले एकमात्र सदस्य को खोने का दुख झेल रहे, गरीब और अनाथ परिवार के सदस्यों को, बी.एस.एन.एल. के उदासीन रवैये के कारण अनुकंपा के आधार पर नौकरी न मिलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जबकि कुछ मृतक कर्मचारियों के वारिस, अमीर होने के अलावा, अनुचित और नए कारणों से भी अपना मामला प्रस्तुत करने के बाद अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि बी.एस.एन.एल. को मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के लिए बुनियादी और सामान्य दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। मैं केंद्र सरकार से इस मामले पर गौर करने का आग्रह करता हूँ धन्यवाद।

^{25*} मूल रूप से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र बागपत के युवाओं ने विशेषरूप से वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और शूटिंग में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नाम कमाया है। लेकिन मेरे क्षेत्र में खेल सुविधाओं का अत्यंत अभाव है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ, विशेषकर खेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, कि वहाँ एक राष्ट्रीय खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, यह जानकर आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में हर साल कैंसर के कई मरीज बढ़ रहे हैं। यह कहना भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि हमारे चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, लेकिन हम गरीब लोगों को संतोषजनक इलाज देने की स्थिति में नहीं हैं। महोदय, जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं। गरीब लोगों के लिए चिकित्सा उपचार की मांग को पूरा करना संभव नहीं है। अतः मैं सरकार से सभी जिला अस्पतालों और तालुका अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूँ। सरकार को एक पैकेज या योजना भी लानी चाहिए जिसमें कैंसर के मरीजों का इलाज मुफ्त हो।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष जी, भारत में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट 1861 से लागू है, जो देश की आजादी से पहले का है। इस एक्ट के अंतर्गत गांवों के थाने हैं, मैं किसी एक राज्य नहीं, बल्कि पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कहीं महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल है तो उत्तर प्रदेश में चौकीदार है। अगर गांव में कोई घटना होती है तो ये लोग थाने में जाकर सूचना देते हैं कि कहां हत्या हुई है या डकैती पड़ी है। आज भी ये मात्र 1500 रुपया प्रति माह पाते हैं, जबकि मनरेगा के मजदूर को 3500 रुपया प्रति माह मिलता है। थाने का जो चौकीदार है, जो रात को दो बजे उठकर कहीं कोई वारदात होती है, तो वह थाने में उसकी सूचना देने के लिए 20 किलोमीटर तक नदी पार करके जाता है। उसके बावजूद भी उसे 1500 रुपए प्रति माह मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र में पुलिस पाटिल को 500 रुपए प्रति माह मिलते

हैं और किसी राज्य में 1000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। मैं मांग करता हूं कि इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित किया जाए, जिससे आज बढ़ती हुई कानून व्यवस्था की चुनौती को सुचारू रूप से राज्य सरकारें निपट सकें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. सत्य पाल सिंह जी को श्री जगदम्बिका पाल जी द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, कल भारतीय नववर्ष है और नववर्ष की पूर्व संध्या में आपके माध्यम से मैं सदन और पूरे देश को विक्रम संवत् 2072 एवं चैत्र नवरात्र के प्रारम्भ की बधाई देता हूँ

महोदय, ज्ञातव्य हो कि बिहार के बक्सर, कैमूर और रोहतास, शाहबाद (भोजपुर) एवं औरंगाबाद जिला में एनएचएआई का कोई कार्यालय नहीं रहने के कारण इन दूरस्थ क्षेत्रों में एनएच पथों की समुचित निगरानी के अभाव में न तो समय पर निर्माण या मरम्मत का कार्य हो पाता है और न ही समुचित गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य हो पाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में पटना-बक्सर के बीच एनएचएआई की एक सड़क है। यह बहुत ही गड्ढेदार सड़क है। इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं, लेकिन यहां काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इसका मुख्यालय पटना में है और दूसरा मुख्यालय बनारस में है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बक्सर जिले में एनएचएआई की एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआई यूनिट) खोला जाना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिंहम (काकीनाडा): महोदय, मैं इस 'शून्य काल' में एक प्रासंगिक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

माननीय वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपनी चिंता व्यक्त की। हाल ही में, मुंबई में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का भी भव्य आयोजन किया गया था। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वर्तमान बजट का आबंटन उतना उत्साहजनक नहीं है। बजट आबंटन में केवल सात प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है, मुद्रास्फीति इस वृद्धि की भरपाई कर देती है। हमें आवश्यक रूप से अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

हमारे मेधावी छात्र अनुसंधान और विकास के लिए विदेश जा रहे हैं। हम रक्षा क्षेत्र में ज्यादातर विदेशी आयात पर निर्भर हैं। यदि हम अनुसंधान और विकास पर जोर देते हैं, तो हम आयात को नियंत्रित कर सकते हैं। बदले में, हम अपनी विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं। मैं आपसे विज्ञान और तकनीकी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध करता हूँ। मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप आंध्र प्रदेश के किसी एक शहर को 'विज्ञान नगर' के रूप में चिन्हित करें तथा उसे एक आदर्श विज्ञान नगर तथा भावी वैज्ञानिकों के लिए एक गंतव्य के रूप में विकसित करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदय, हिमाचल प्रदेश में शिमला लोक सभा क्षेत्र के नालागढ़, बददी, बरोटीवाला के औद्योगिक क्षेत्र से होकर एक राष्ट्रीय उच्चमार्ग (एनएच-21-ए) गुजरता है जो कि हरियाणा के पिंजोर, जो चार लेन के साथ जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तक जाता है। इसकी लम्बाई लगभग 35 किलोमीटर है। जब से हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज मिला है नालागढ़, बददी और बरोटीवाला में काफी विकास हुआ है, अरबों रुपयों का निवेश हुआ तथा लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। इसी के साथ-साथ इस क्षेत्र में सड़क पर काफी यातायात बढ़ गया है और उसके कारण नित दिन यहां पर सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं इसका कारण संकरी सड़क का होना है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि एनएच-21-ए को शीघ्रातिशीघ्र चार लेन का किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वाटकरा): आदरणीय उपाध्यक्ष, महोदय, पिछले कई दिनों से, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस प्रतिष्ठित सभा का तत्काल ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले एन.सी.सी. कैडेट, स्वर्गीय अनस की दुखद मृत्यु से संबंधित एक हृदय विदारक मुद्दा है।

केरल के कुथुपरम्बा स्थित, निर्मलगिरी कॉलेज के, एन.सी.सी. कैंप में फायरिंग रेंज में निशानेबाजी का अभ्यास करते समय, एन.ए.एम. कॉलेज, कल्लीकांडी के B.Com, प्रथम वर्ष के छात्र अनस को, गंभीर चोटें आईं। यह फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ। बाद में, उन्होंने बेंगलुरु के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया।

एक फायरिंग रेंज में ऐसी घटना कैसे हो सकती है जहां पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए? इसके अलावा, एन.सी.सी. के वरिष्ठ अधिकारी और अधिकारी ड्यूटी पर होंगे। इस घटना की गहन जांच की जानी चाहिए, ताकि देश में कहीं भी ऐसी घटना दोबारा न हो।

यह अत्यंत दुःखद है कि रक्षा विभाग ने दिवंगत कैडेट अनस के परिवार को पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया है। मैं अनुरोध करता हूँ कि रक्षा मंत्रालय बिना समय गंवाए शोकसंतप्त परिवार को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे।
श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, धन्यवाद।

हमारे देश में मोबाइल उपयोगकर्ता दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं लेकिन कनेक्शन की तुलना में मोबाइल टावर बहुत कम हैं। कम मोबाइल टावरों और बैटरी के उपयोग के परिणामस्वरूप, कई जगहों पर कमजोर सिग्नल के कारण मोबाइल फोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरी में, मोबाइल टावरों की कमी के कारण कई गाँव मोबाइल सेवा से नहीं जुड़े हैं। नोचीपट्टी, एन. वेल्लालपट्टी में करुवनूर गांव, वृंदावन नगर में उथानकरई यूनियन फेज 7 होसुर टी.एन.एच.बी. क्षेत्र, पनंगटूर में बरगुर संघ, नल्लूर में वेप्पनपल्ली संघ, कृष्णागिरी संघ में चिकापूवती और कावेरीपट्टनम संघ में पन्नादूर के लोगों के लाभ के लिए मोबाइल टावरों की आवश्यकता है। इन टावरों से आसपास के दूरदराज के गांवों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

बी.एस.एन.एल. ने क्षेत्र में इंटरनेट सेवा प्रदाता वाईमैक्स को भी रोक दिया है जिसके कारण स्थानीय लोग क्षेत्र में इंटरनेट का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, मैं आपसे आवश्यक स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित करने और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए वाईमैक्स सेवा को फिर से शुरू करने का अनुरोध करता हूँ।

^{26*} **श्री नलिन कुमार कटील (दक्षिण कन्नड़):** माननीय उपाध्यक्ष, मैं केंद्र सरकार का ध्यान यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए एम.सी.एफ. की अनुमति देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मंगलुरु रसायन और उर्वरक लिमिटेड कर्नाटक का एकमात्र यूरिया उत्पादन संयंत्र है। यह एक नेफ्था आधारित यूरिया उत्पादन संयंत्र है। पिछली यू.पी.ए. सरकार ने सरकार के सब्सिडी बोझ को कम करने के लिए नेफ्था आधारित यूरिया उत्पादन से एल.एन.जी. आधारित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। एम.सी.एफ. ने इसे गैस आधारित संयंत्र में बदलने के लिए रु. 305 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। अब एम.सी.एफ. संयंत्र गैस प्राप्त करने और गैस का उपयोग करके यूरिया का निर्माण शुरू करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। लेकिन पाइपलाइन कनेक्शन का काम पूरा न होने के कारण संयंत्र को एल.एन.जी. (तरल प्राकृतिक गैस) उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब एम.सी.एफ. को नेफ्था का उपयोग करके यूरिया का उत्पादन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आज तक गैस कनेक्टिविटी नहीं है। अन्यथा केंद्र सरकार द्वारा दी गई समय सीमा के अनुसार एम.सी.एफ. को 16 अप्रैल 2015 से बंद कर दिया जाना है। यदि एम.सी.एफ. बंद हो जाता है तो 2000 से अधिक कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित होगी। इससे किसानों के लिए यूरिया की कमी होगी क्योंकि खरीफ बुवाई का मौसम नजदीक आ रहा है और इससे राज्य और देश के कृषि उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मैं केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री और केंद्र सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि नेफ्था का उपयोग करके यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए एम.सी.एफ. संयंत्र को अनुमति देने के लिए तत्काल कदम उठाए। धन्यवाद।

^{26*} मूल रूप से कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमती शोभा करंदलाजे जी को श्री नलीन कुमार कटील जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): उपसभाध्यक्ष महोदय, 'शून्य काल' के दौरान मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। आजकल, विभिन्न कालाबाजारी करने वाले लोग खाद्य पदार्थों को खूबसूरती से पैक करके बाजारों में बेच रहे हैं। इन खाद्य पदार्थों के सेवन से लोग विभिन्न स्वास्थ्य खतरों, जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग आदि से पीड़ित हो रहे हैं। बार-बार चेतावनी देने के बाद, आज तक इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य में इस खतरे को रोकने के लिए इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व): महोदय, मुझे यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। भारत बांस संसाधनों में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है। इन बांस संसाधनों में से, चीन प्रति वर्ष 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार लाभ कमा रहा है, जबकि भारत का हिस्सा केवल 4.5 प्रतिशत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह विशेष संसाधन किस मंत्रालय का है। 'शून्य काल' शुरू होने से ठीक पहले कौशल विकास पर चर्चा हुई। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि क्या बांस के संबंध में कौशल विकास पर कोई पहल की जा सकती है।

दूसरा बिंदु भारत में रबर बोर्ड, मसाले बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड की तर्ज पर एक बांस बोर्ड के गठन के बारे में है और इसे वाणिज्य मंत्रालय से जोड़ा जा सकता है। उस स्थिति में बांस उद्योग का विस्तार हो सकता है और यह लाखों लोगों, विशेष रूप से जनजातियों और आदिवासियों को रोजगार देने की स्थिति में होगा। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बांस बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, यह बड़ा सेंसिटिव मामला है और सभी माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे। हमें केन्द्रीय विद्यालय के छः कूपन दिये जाते हैं, इसमें मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की बड़ी एम्बेरेसमेंट होती है, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है, उसका समर्थन करने वाले पांच सौ कार्यकर्ता होते हैं। उसको सपोर्ट करने वाले लोगों में उसकी विचारधारा और परिवार के लोग होते हैं, उनमें दोस्त भी होते हैं। मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में आठ सेंट्रल स्कूल हैं और मैं केवल छः एडमिशन करा सकता हूँ। इस सरकार ने कोटा तो फिक्स किया था कि जो सांसद वगैरह दूर से आएँ, वे अपने स्टाफ के बच्चों के एडमिशन करा दें, क्योंकि वे बच्चे कहां पढ़ेंगे। लेकिन इन्हें जनरल कर दिया गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि या तो इस कोटे को समाप्त कर दिया जाए, ताकि कोई आकर हमसे एडमिशन के लिए कह न सके। हमारी स्थिति एक फिल्मी गाने की तरह हो गई है - "ए गमे जिंदगी कुछ तो दे मश्विरा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मयकदा।" मैं किसे छोड़ूँ और किसे अपनाऊँ। हमारी स्थिति बहुत अजीब हो गई है। इसलिए हमारा कहना है कि जहां मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, वहां के सांसदों का कोटा बढ़ाया जाए और स्कूलों के अनुसार दिया जाए। यही मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, हम सभी उनके विचारों का समर्थन करते हैं और इसे खत्म किया जाना चाहिए। ... (व्यवधान)

महोदय, मेरा निवेदन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज के संबंध में है। ई.एस.आई. कॉरपोरेशन ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए रु. 500 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की है, लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता में आने के बाद इस सरकार ने चिकित्सा शिक्षा से हाथ खींचने का फैसला किया है। और इस निर्णय के एक भाग के रूप में, केरल सरकार ने, अपने मंत्रिमंडल में, मेडिकल कॉलेज को अपने अधीन लेने का निर्णय लिया।

माननीय मंत्री जी से मेरा एकमात्र निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों की एक तत्काल बैठक बुलाई जाए ताकि अधिग्रहण की शर्तें तय की जा सकें, ताकि मेडिकल कॉलेज इस वर्ष कार्यरत हो सके।

इसलिए, मैं सरकार से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

श्री कराडी संगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): महोदय, मैं कर्नाटक के अनार और अंगूर उत्पादकों सामने आने वाली समस्याओं का समाधान चाहता हूँ।

अनार और अंगूर कर्नाटक के कई जिलों में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फल फसलें हैं। कोप्पल, बीजापुर और बागलकोट जिलों के किसानों को हाल ही के वर्षों में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन्हें होने वाली समस्याएं बैक्टीरियल ब्लाइट और अन्य चीजों जैसी बीमारियों के कारण होती हैं। परिणामस्वरूप, किसान बैंक ऋण की अदायगी करने की स्थिति में नहीं हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से किसानों द्वारा लिए गए ब्याज और मूल ऋण को माफ करने के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा करके अनार और अंगूर उत्पादकों दोनों के बचाव में आने का आग्रह करता हूँ।

डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में बोलना चाहती हूँ जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 बर्धमान शहर से गुजर रहा है। शहर के दोनों ओर दो वार्ड हैं। आलम बाजार वार्ड में ग्रामीण आबादी रहती है। उन्हें या तो वोट देने या स्कूल या अन्य काम के लिए लगभग चार किलोमीटर दूर आना पड़ता है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि कम-से-कम सार्वजनिक परिवहन के लिए और बर्धमान शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या .2 पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक सुरंग होना चाहिए।

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरी): महोदय, अपने नेता पुरात्ची थलाइवी, का आशीर्वाद लेते हुए, मैं हिंदुस्तान फोटो फिल्म कंपनी लिमिटेड में वी.आर.एस चुनने वाले कर्मचारियों के वित्तीय लाभ बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी लिमिटेड भारी उद्योग विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे वर्ष 1960 में फोटो सुग्राहित वस्तुओं के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से सम्मिलित किया गया था। एच.पी.एफ पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फोटो सुग्राहित वस्तुओं का एकमात्र एकीकृत निर्माता है। यह चिकित्सा एक्स-रे, ग्राफिक कला और अंतरराष्ट्रीय मानक के ब्लैक एंड व्हाइट उत्पादों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी वाली एकमात्र कंपनी है।

पिछली सरकार के शिक्षा विभाग ने हिंदुस्तान फोटो फिल्मस के कर्मचारियों के लिए लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में एक बार छूट के रूप में वी.आर.एस. कर्मचारियों को वर्ष 2007 के कल्पित वेतन रु. 181.54 करोड़ की गैर-योजना बजटीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जीवन-यापन की बढ़ती लागत के कारण, कर्मचारियों के लिए जीवित रहना तथा अपने तात्कालिक वित्तीय दायित्वों को पूरा करना बहुत कठिन हो गया है।

हालांकि, धनराशि बहुत कम है और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान कर्मचारी जो वी.आर.एस. का विकल्प चुनते हैं ने अनुरोध किया कि आनुतोषिक का भुगतान वर्ष 2007 के कल्पित वेतन पर पूर्ण सेवाओं के लिए किया जा सकता है क्योंकि नवीनतम वी.आर.एस. पहले से ही खुला है और मार्च, वर्ष 2015 तक मान्य है।

मैं सरकार से वी.आर.एस. चयनित कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर समस्या है। मेरा क्षेत्र नबरंगपुर, ओडीशा में है, जिसमें मेरे दो ब्लॉक हैं - एक है चंदाहाडी दूसरा ब्लॉक है झरीगांवा इन दोनों ब्लॉकों के बीच में करीब 20 किलोमीटर जंगल होता है। जंगल में बी.एस.एन.एल. की केबल को पेड़ ऊपर से लिया गया है। जिसकी वजह से जब भी पेड़ टूटता है या हवा चलती है तो केबल टूट जाती है और सर्विस डिसरप्ट हो जाती है। सरकार से मेरा निवेदन है कि इस केबल को अंडरग्राउंड किया जाए ताकि बार-बार यह जो समस्या हो रही है, वह न हो।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): महोदय, छत्तीसगढ़ में अभी जो विमान सेवा उपलब्ध है, मैं उसके बारे में माननीय विमानन मंत्री जी से आग्रह करूँगा। वर्तमान में दो कम्पनियों की फ्लाइट इंडिगो और जेट की शाम को चलती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेट कम्पनी की जो फ्लाइट है, उसको इसी महीने बन्द किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से विमानन मंत्री जी से माँग करता हूँ कि जेट कम्पनी के विमान की जगह पर एयर इंडिया का विमान शाम को चलाया जाए। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही जगह रायपुर में एयरपोर्ट है। उस फ्लाइट से पूरे प्रदेश के लोग यात्रा करते हैं। यदि उस फ्लाइट को बन्द किया जाएगा तो बहुत असुविधा होगी। मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया का विमान शाम को चालू किया जाए।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: हमारे देश में वायु प्रदूषण के कारण मौतें खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। विश्व बैंक की एक प्रतिवेदन के अनुसार, जैसा कि एक प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, वर्ष 1996 में, वायु प्रदूषण के कारण अनुमानतः 40,000 से अधिक भारतीयों की असामयिक मृत्यु हुई थी; वर्ष 2000 में, प्रदूषण के कारण एक लाख भारतीयों की मृत्यु हुई; वर्ष 2010 में, वायु प्रदूषण के कारण 6,27,000 भारतीयों की मृत्यु हुई।

चीन में एयरपोकैलिप्स का भय अभी भी उन्हें सता रहा है। परिणामस्वरूप, 15 दिनों तक, चीन के लोग सूर्य के दर्शन नहीं कर सके। हम 'स्वच्छ भारत' की बात कर रहे हैं। हमें 'प्रदूषण मुक्त भारत' पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।" अन्यथा, भारत को भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा।

श्री के. परशुरामन (तंजावुर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मक्कलुदन मुधलवार पुरात्ची थलाईवी अम्मा अवर्गल जी के आशीर्वाद से, मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत में 665 विश्वविद्यालय हैं जिनमें 42 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 290 राज्य विश्वविद्यालय और 200 से अधिक निजी विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य सम-विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। इन 665 विश्वविद्यालयों में से, केवल 10 विश्वविद्यालय भाषा विश्वविद्यालय हैं। संस्कृत के लिए तीन सम विश्वविद्यालय हैं, और तीन केंद्रीय

विश्वविद्यालय हैं, एक-एक हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के लिए। इन छह विश्वविद्यालयों के अलावा, चार भाषा विश्वविद्यालय भी हैं, जिनमें से प्रत्येक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा के लिए है।

अब, मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इन भाषा विश्वविद्यालयों पर अधिक ध्यान दें तथा इन्हें समर्थन दें क्योंकि भाषा समस्त जीवन और संस्कृति का आधार है। साथ ही, मैं हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन भाषा विश्वविद्यालयों में बुनियादी विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करें जहां केवल कुछ प्राचीन विज्ञान पाठ्यक्रम ही पढ़ाए जाते हैं। साहित्य और विज्ञान को राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए एक साथ चलना चाहिए। भाषा विश्वविद्यालयों में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और अन्य बुनियादी विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए क्योंकि जो छात्र, अपनी मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान को समझता है, वह अपने विषय में भी मजबूत होगा।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भाषा विश्वविद्यालयों में बुनियादी विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कुछ तत्काल कदम उठाएं। इस संबंध में, मैं अपने मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित तमिल विश्वविद्यालय को विज्ञान पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए रु. 100 करोड़ मंजूर करें तथा तंजावुर में तमिल विश्वविद्यालय के लिए सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के लिए धनराशि मंजूर करें।

[हिन्दी]

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कई दिनों से पार्टी से अवसर माँग रहा था, लेकिन नहीं मिल पाया, आप मेरी आवाज सुनिए।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जिला है। जहाँ के आधिकतर लोग खेती-किसानी पर निर्भर रहते हैं। अभी फरवरी माह में बेमौसम हुई भारी बारिश से किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है। मुख्य रूप से गेहूँ, चना, मटर, सरसों व आलू की फसल को व्यापक क्षति हुई है। मैं बताना

चाहूँगा कि भारी बारिश एवं तेज हवा के कारण गेहूँ की खड़ी फसल गिर चुकी है, आलू की तैयार फसल खेतों में सड़ने की स्थिति में है और यही समस्या सरसों की फसल और अन्य फसलों के साथ भी है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस बेमौसम बरसात को दैवीय आपदा एवं व्यापक आर्थिक क्षति मानते हुए किसानों को आविलम्ब आर्थिक सहायता, मुआवजा देने की कृपा करें। किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने वाले किसानों को राहत दिलाने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई का शुल्क माफ करने, नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों को बिजली बिल माफ करने, खाद से सब्सिडी देने और अगली फसल हेतु किसान भाइयों को मुफ्त बीज देने का प्रबंध करके उनको प्रोत्साहित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आपकी अनुमति से, मैं हमारे गृह मंत्री जी का ध्यान इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूँगा।

जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है, भारत-बांग्लादेश सीमा का कम-से-कम साठ से सत्तर किलोमीटर हिस्सा है। कुछ बी.एस.एफ. चौकियां ऐसी हैं जो शून्य बिंदु से हमारे देश के अंदर कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। हजारों लोग शून्य बिंदु और बी.ओ.पी. के बीच रह रहे हैं। जब मैं 19 फरवरी, 2015 को चार परसपुर की यात्रा करने जा रहा था, तो मुझे भी चौकी पर बी.एस.एफ. द्वारा रोका गया था। 45 मिनट की हिरासत के बाद, एक अधिकारी आया और मुझे जाने की अनुमति दी। चार परसपुर के ग्रामीणों के साथ बैठक करके, मुझे पता चला कि प्रतिदिन जो लोग बाहर जाना चाहते हैं अर्थात् स्कूल, कॉलेज, बाजार, स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी कार्यालय, आदि अपने पहचान पत्र बी.ओ.पी. पर जमा करने के लिए बाध्य हैं उनके लिए दूध या खेती के लिए गाय खरीदना लगभग असंभव है। उनके रिश्तेदारों के लिए पहचान पत्र जमा किए बिना किसी भी अवसर पर उनसे मिलना भी बहुत कठिन होता है। यदि वे अपना घर बनाना चाहते हैं, तो भवन

निर्माण सामग्री ले जाने के लिए बी.एस.एफ. से अनुमति लेना भी बहुत कठिन है। बांग्लादेश से कुछ लुटेरे बिना किसी बाधा के सीमा पार करते हैं और उनके मवेशियों को लूटते हैं।

इसलिए, मेरे पास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से कुछ सवाल हैं। क्या ये भारतीय नागरिक नहीं हैं? वास्तव में, मतदान के अलावा उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन वे हमारे देश के लिए कर्तव्यों को निभाने के लिए हमेशा बाध्य होते हैं। बी.एस.एफ. सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर चेक पोस्ट क्यों स्थापित करेगा? जीरो प्वाइंट के पास बी.एस.एफ. की चौकियां क्यों नहीं बनाई जाएंगी? इसलिए, मेरी मांग है कि: कृपया सीमा चौकी को सीमावर्ती क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए और आम लोगों का उत्पीड़न बंद किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: जो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, वे पर्चियां भेज सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अभिजीत मुखर्जी जी को 'शून्य काल' के संदर्भ में श्री बदरुद्दोज़ा खान जी के साथ जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड में तीन चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों की स्थापना की गई है, परंतु उक्त महाविद्यालय और अस्पतालों में सभी विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आवश्यक चिकित्सा की जो व्यवस्था है, वह चरमरा गई है और हजारों मरीज इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं। आदिवासी और पिछड़े राज्य की परिकल्पना के आलोक में राज्य निर्माण के 15 वर्ष के पश्चात् भी इस राज्य में आखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना नहीं की गई है। सरकार द्वारा पाँच राज्यों में एम्स और बिहार में एम्स जैसी अन्य चिकित्सा संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है जो स्वागत योग्य है। आपसे और सरकार से मेरा निवेदन है कि झारखंड में एम्स की स्थापना की जाए ताकि झारखंड

वासियों को इसका लाभ मिल सके और नए राज्य को इसका लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय मुनियप्पा साहब ने एक बात कही थी। मैं उस संदर्भ में सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी दोनों ही मीटिंग में व्यस्त हैं, इस वजह से हाउस में नहीं हैं, नहीं तो हमेशा हाउस में प्रेजेंट रहते हैं। हाउस ने बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए हम सभी सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। जो आगामी भारतीय नव-वर्ष आ रहा है, उसके लिए सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाएँ देते हैं।

उपाध्यक्ष जी, आप बहुत समय तक इस आसन पर बैठते हैं, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आगामी समय के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन सोमवार, 20 अप्रैल, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे के लिए स्थगित होती है।

सायं 06.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 20 अप्रैल 2015 / 30 चैत्र, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए

स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
